महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 6 मार्च, 2020, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

निर्भया के दोषियों को फांसी 20 को

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 मार्च।

निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में चारों दोषियों को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिए गुरुवार को 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे का समय निर्धारित किया। अदालत के इस कदम के बाद निर्भया की मां ने कहा–20 मार्च की सुबह हमारे जीवन की सुबह होगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी दिए जाने तक संघर्ष जारी रहेगा। उम्मीद जताई कि 20 मार्च फांसी की आखिरी तारीख होगी। दिल्ली सरकार ने बाकी पेज 8 पर

अदालत के इस कदम के बाद निर्भया की मां ने कहा–20 मार्च की सुबह हमारे जीवन की सुबह होगी।

केंद्र की अपील पर 23 को सुनवाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में उठे इस कानूनी सवाल पर 23 मार्च को विचार करेगा कि क्या एक मामले में मौत की सजा पाने वाले एक से ज्यादा दोषियों को अलग-अलग फांसी दी जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या एक ही मामले के सभी दोषियों को अलग-अलग फांसी दी जा सकती है

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के पांच फरवरी के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, 'विचारणीय सवाल यह है कि क्या दोषियों को अलग-अलग या एकसाथ फांसी दी जा सकती है। हम इस सवाल पर विचार करेंगे।' हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि निर्भया मामले के चारों दोषियों को एक साथ ही फांसी देनी होगी।

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चारों बाकी पेज 8 पर

कोरोना वायरस : प्रधानमंत्री मोदी का ब्रुसेल्स दौरा स्थगित

तटों पर उतरने से रोके गए 16 हजार यात्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 मार्च।

पोत परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को खुलासा किया कि कोरोना विषाणु के संक्रमण के शक में चीन या कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से आए 452 जहाजों के 16,076 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को एहतियाती तौर पर भारतीय बंदरगाहों पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई। दूसरी ओर, विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसी महीने होने वाले भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टाल दिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुसेल्स जाने वाले थे। उनका दौरा रद्द किया गया है।

समुद्री जहाजों को तयशुदा जगहों पर रोका गया, यात्रियों की जांच जारी है और उन तक सारी जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं

पोत परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, तयशुदा बाकी पेज 8 पर

पेटीएम कार्यालय दो दिन के लिए बंद
– खबर पेज 8 पर

भारत-ईयू शिखर सम्मेलन टला

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसी महीने होने वाले भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टाल दिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुसेल्स जाने वाले थे। उनका दौरा रद्द किया गया है।

राज्यों को त्वरित कार्रवाई दल बनाने के निर्देश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 मार्च।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यों से कहा कि वे जिला, प्रखंड और गांव स्तरों पर तेजी से त्वरित कार्रवाई दलों (क्यूआरटी) का गठन करें। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार चार मार्च से सभी विदेशी नागरिकों की जांच अनिवार्य है जिसके चलते बुधवार शाम से अधिकांश हवाई अड्डों पर जांच बाकी पेज 8 पर

गाजियाबाद में एक मरीज की पुष्टि

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 मार्च।

राजधानी दिल्ली के करीब गाजियाबाद में कोरोना विषाणु से संक्रमित एक मरीज का पता चला है। उसे दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ देश बाकी पेज 8 पर

31 मार्च तक बंद हुए दिल्ली में प्राइमरी स्कूल

शनिवार से बंद किया जाएगा मुगल गार्डन

आइबी कर्मी की हत्या का आरोपी ताहिर गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 मार्च।

पुलिस ने दिल्ली हिंसा के दौरान खुफिया ब्यूरो (आइबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की की हत्या के आरोपी आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद फरार चल रहा ताहिर गुरुवार को कड़कड़डूमा अदालत की जगह राउज एवेन्यू स्थित जिला अदालत में आत्मसमर्पण करने पहुंचा। लेकिन अदालत ने उसके वकील की दलीलें खारिज करते हुए आत्मसमर्पण की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पार्किंग क्षेत्र में छिप के बैठे ताहिर को दबोच लिया। अतिरिक्त मुख्य मेटोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा ने ताहिर की आत्मसमर्पण अर्जी ठुकराते हुए कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र बाकी पेज 8 पर

घटनाक्रम

गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की अग्रिम जमानत याचिका

कड़कड़डूमा अदालत की जगह राउज एवेन्यू स्थित जिला अदालत में आत्मसमर्पण करने पहुंचा

वहां अतिरिक्त मुख्य मेटोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने खारिज की पार्षद की आत्मसमर्पण अर्जी

तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने पार्किंग में छिप के बैठे आरोपी को किया गिरफ्तार

निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करती पुलिस।

कांग्रेस के सात सांसद शेष सत्र से निलंबित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 मार्च।

दिल्ली दंगों पर चर्चा कराने को लेकर लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी बाधित रही। सदन में कोरोना वायरस पर चर्चा के दौरान राजस्थान से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सांसद हनुमान बेनीवाल के गांधी परिवार के बारे में एक विवादास्पद बयान पर उनके निलंबन की मांग और दिल्ली हिंसा बाकी पेज 8 पर

पीड़ित को हर्ष मंदर मामले में हस्तक्षेप की मंजूरी नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हुई दिल्ली हिंसा के एक पीड़ित को उस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने से गुरुवार को इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कार्यकर्ता हर्ष मंदर के कथित घृणा भाषणों के मुद्दे को उठाया है। वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया और कहा कि दंगा पीड़ित हर्ष मंदर के मामले में हस्तक्षेप करना चाहता है जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। प्रधान न्यायाधीश ने वकील से कहा–हम आपको हस्तक्षेप करने नहीं देंगे। गोंजाल्विस ने कहा कि दंगा बाकी पेज 8 पर

पहली बार फाइनल में भारत, आस्ट्रेलिया से होगा सामना

सिडनी, 5 मार्च (भाषा)।

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद ग्रुप चरण में अजेय रहने के कारण गुरुवार को पहली बार आइसीसी महिला टी20 विश्व कप फाइनल में जगह बनाई। भारत का सामना रविवार को मौजूदा चैंपियन और मेजबान आस्ट्रेलिया से होगा।

सुबह से हो रही लगातार बारिश के कारण टॉस नहीं हो पाया और आखिर में सेमीफाइनल मैच बिना गेंद फेंके ही रद्द करना पड़ा।

बारिश के कारण टॉस नहीं हो पाया और आखिर में सेमी फाइनल मैच बिना गेंद फेंके ही रद्द करना पड़ा। इससे भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश कर गई। –विस्तृत खबर पेज 16 पर

महिला टी20 विश्व कप

8 मार्च को दोनों टीमें खिताब के लिए आमने-सामने होंगी।

ईपीएफ जमा पर ब्याज दर घटकर सात साल के न्यूनतम स्तर पर

नई दिल्ली, 5 मार्च (भाषा)।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.5 फीसद करने की घोषणा की है। यह इसका सात साल का न्यूनतम स्तर है।

ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.65 फीसद का ब्याज दिया था। ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में यह फैसला किया गया।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बैठक के बाद कहा कि ईपीएफओ ने सीबीटी की गुरुवार को हुई बैठक में 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.5 फीसद ब्याज देने का निर्णय किया है। मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.5 फीसद ब्याज देने से ईपीएफओ के पास 700 करोड़ रुपए का अधिशेष होगा। मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि ईपीएफओ अगर 8.55 फीसद ब्याज देता है तो उसके पास 300 करोड़ रुपए का अधिशेष रहता। इससे ज्यादा ब्याज देने पर ईपीएफओ को नुकसान होता। ईपीएफ बाकी पेज 8 पर

8.5
फीसद ब्याज दर 2019-20 के लिए

8.65
फीसद थी 2018-19 के दौरान ईपीएफओ ब्याज दर

खमैनी ने की भारत पर 'अवांछित' टिप्पणी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 मार्च।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमैनी ने गुरुवार को दिल्ली हिंसा के संदर्भ में भारत पर अवांछित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई हालिया हिंसा से दुनिया भर के मुसलमान दुखी हैं और उन्होंने भारत सरकार से तथाकथित कट्टरपंथी हिंदुओं और उनकी पार्टियों को रोकने की अपील की।

इससे पहले ईरान बाकी पेज 8 पर

राष्ट्रप्रमुख से गैरजिम्मेदार बयान की उम्मीद नहीं : विदेश मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 मार्च।

दिल्ली हिंसा को लेकर मुस्लिम देशों के प्रमुखों द्वारा की जा रही आलोचनाओं को भारत ने 'तथ्यात्मक रूप से गलत' और 'राजनीतिक एजंडे' से प्रेरित बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम किसी राष्ट्र प्रमुख बाकी पेज 8 पर

लापता विधायकों में से एक का इस्तीफा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 मार्च।

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को झटका लगा है। गुरुवार शाम कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग ने विधानसभा सदस्य के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा उस समय आया है जब मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि उनकी सरकार को न तो कोई खतरा है और न ही किसी को इस बारे में कोई चिंता करने की जरूरत है। हरदीप सिंह उन लापता चार विधायकों में से एक हैं, जो तीन दिन से लापता बताए जा रहे हैं।

अब कुछ और विधायकों के इस्तीफे का अनुमान लगाया जा रहा है। डंग ने विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेजा है। अपने इस्तीफे में डंग ने लिखा है, 'सरकार बनने के 14 महीने बीतने के बाद भी मेरे विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। मंत्री काम करने के लिए तैयार नहीं हैं और दलाल व भ्रष्टाचारी सरकार में बैठे हैं। न मैं कमलनाथ गुट का हूं, न दिग्विजय सिंह और न ही सिंधिया गुट का हूं। मैं सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। इसलिए मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।'

डंग कर्जमाफी और मुआवजे के वितरण के तरीके से नाराज थे और अनुच्छेद 370 हटाने का भी समर्थन किया था। 19 फरवरी को सीतामऊ में हुए कर्जमाफी के दूसरे चरण के सम्मेलन में मंत्री हुकुमसिंह कराड़ा की मौजूदगी में ही डंग ने एलान किया था कि किसानों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं और इसके लिए मंदसौर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

डंग के अलावा कांग्रेस के विधायक बिसाहूलाल सिंह, रघुराज कंसाना और निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा लापता हैं। बिसाहूलाल सिंह के बेटे ने भी उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बाकी पेज 8 पर

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार संकट में

इस्तीफे में हरदीप सिंह डंग ने लिखा : मंत्री काम करने के लिए तैयार नहीं हैं और सरकार में दलाल व भ्रष्टाचारी बैठे हैं

दरअसल

कोरोना का असर

दुनिया भर में 13 देशों ने स्कूल बंद किए | सांस्कृतिक उत्सव और खेल प्रतियोगिताएं रद्द

पढ़ाई छोड़ घर बैठने पर मजबूर 30 करोड़ छात्र

रोम, 5 मार्च (एएफपी)।

कोरोना विषाणु के बढ़ते खतरे के डर से स्कूलों को बंद किए जाने से वैश्विक स्तर पर करीब 30 करोड़ छात्रों को कई हफ्ते से घरों में ही रहना पड़ रहा है। इससे इनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इटली ने भी कोरोना विषाणु के प्रकोप के चलते स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया है।

पूरी दुनिया में अब तक कोरोना से 95 हजार से भी अधिक लोग संक्रमित हैं जबकि 3200 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी है। यह विषाणु करीब 80 देशों में फैल चुका है।

पिछले साल के अंत में चीन से फैले इस वायरस ने सबसे ज्यादा चीन में ही कहर बरपाया है। चीन में इस वायरस संक्रमण से सबसे अधिक मौत के मामले हैं। चीन में इस विषाणु के प्रसार को रोकने के लिए उद्योगों को अस्थायी तौर पर जबकि स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है।

कोरोना फैलने के बाद इटली के अलावा अन्य देशों ने भी असाधारण उपाय करने शुरू कर दिए हैं। यूनेस्को ने बताया कि 13 देशों ने स्कूलों को बंद कर दिया है और इससे करीब 29.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं।

यूनेस्को के प्रमुख ऑडरे अजुले ने कहा कि मुसीबत के समय अस्थायी तौर पर स्कूलों को बंद करना नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान के वैश्विक संकट से शिक्षा में काफी व्यवधान आया है। यदि यह बरकरार रहता है तो यह शिक्षा के अधिकार के लिए खतरा हो सकता है। इटली ने बुधवार को सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को 15 मार्च तक के लिए बंद किए जाने की घोषणा की। इटली द्वारा 11 शहरों को पृथक किए जाने जैसे कड़े कदम उठाए जाने के बावजूद विषाणु का प्रसार रुक नहीं रहा है।

चीन से बाहर कोरोना के सर्वाधिक मामले वाले देश दक्षिण कोरिया ने नए सत्र की शुरुआत को 23 मार्च तक के लिए टाल दिया। जापान में बाकी पेज 8 पर

95 हजार से भी अधिक लोग संक्रमित हैं पूरी दुनिया में

32 सौ से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं

80 देशों तक फैल चुका कोरोना वायरस का संक्रमण

"मुसीबत के समय अस्थायी तौर पर स्कूलों को बंद करना नई बात नहीं है। वर्तमान के वैश्विक संकट से शिक्षा में काफी व्यवधान आया है। यदि यह बरकरार रहता है तो यह शिक्षा के अधिकार के लिए खतरा हो सकता है।
–ऑडरे अजुले, यूनेस्को प्रमुख

बैंकाक में गुरुवार को परीक्षा देने पहुंचे स्कूली छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करते स्वास्थ्य कर्मचारी।

www.readwhere.com

जनसत्ता
क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I Surinder Sharma S/O Shambhu Dayal Sharma R/O,-A-178 Ayur Vigyan Nagar South Extn.-II Delhi-110049 inform the name of mine and my father has been wrongly written as Surinder Kumar and S.D.Sharma in my service record.The actual name of mine and my father are Surinder Sharma and Shambhu Dayal Sharma respectively.Which may be amended accordingly. 0040534598-7

It is for general information that I Danish Khan S/O Shafiq Khan R/O,-15-B DDA,flats Mata Sundari Road Delhi-110002 declare the name of my father has been wrongly written as Mohd Safiq Ahmed in my passport and educational documents.The actual name of my father is Shafiq Khan.Which may be amended accordingly. 0040534598-8

I,Raju S/o Munna Lal R/o 68,Singhalpur Vill.Extn.,Near Village Singhalpur,Shalimar Bagh,Delhi -88,have changed my name to Raju Raikwar for,all purpose. 0040534568-4

I,Mahesh Kumar,S/O Shri Dori Lal Sharma, R/O-B-44, Bindapur Extention, Uttam Nagar, New Delhi-110059,have changed my name to Mahesh Kumar Sharma. 0040534574-2

I,Abhinav Raj S/O Anand Kumar R/o Station Road, Afganan Street, Post-Dhampur,Distt Bijnor,UP,have changed my name to Abhinav Chaudhary for,all purpose. 0040534568-2

I,Shilpi Rani W/O Sumit Agarwal H.No-B-6/2,Upper Ground Floor Rana Pratap Bagh Delhi 110007 Have Changed My Name To Shilpi Agarwal. 0040534609-1

I, Vudayana Sukanya, W/o - service No.15665094A Rank.HAV. Kannababu Vudayana, R/o-1-38, Sambana Kottugumada,Sri Kakulam, Andhra Pardesh 532460, inform that my name wrongly mentioned Sukanya in my husband army service record but my actual and correct name is Vudayana Sukanya. 0040534609-4

I, Veena Lalchandhani, W/o-Shri.Nand Kumar Lalwani R/o-H.No.-WZ-91A, Third-Floor,Street.No.27,School Road,Shoe Market,Uttam-Nagar,New Delhi-110059,have changed my name to Deepa Lalwani after-marriage,for all,future purpose. 0040534597-4

I, V Karthikeyan s/o Shiv Shankar Singh R/o J-371, Mangolpuri, Delhi-110083,have changed my name to Maan Singh. 0040534543-1

I, Surekha W/O Brij Mohan Gupta R/O 48, Anand Vihar, Pitampura, Delhi-110034. Have Changed My Name To Surekha Gupta. 0040534567-4

I, Sundeep Singh / Sandeep Dhillon s/o Rupinder Singh r/o 83-B, Madhuban Enclave, near Madipur Metro Station, New Delhi-110063 have changed my name to RAJVEER SINGH. 0040534550-1

I, Sukhdip Singh S/o Kuldip Singh R/o 309 (S.F.) Chand Nagar Tilak Nagar New Delhi have changed my name to Sukhdeep Singh. 0040534598-4

I, Subodh Kumar S/O, Brijendra Pal Gupta R/o A-157, 3rd Floor, Block- A, Dilshad Colony have changed my name to Subodh Kumar Gupta for all purposes. 0040534598-2

I, Shraddha Jhunjhunwala, daughter of Biswanath Jhunjhunwala, R/o 7A Short Street, Kolkata-700017, am wife of Ashish Todi and have retained my maiden name Shraddha Jhunjhunwala for all purposes. 0050163468-1

I, Shailendra Kuamr (as per High School Certificate) S/0 Sh. Veerbhan Singh R/o 14, Gali No. 1, Nand Gram, Radha Kunj, Ghaziabad-201001, UP have changed my name to Shailendra Singh Chauhan for all purpose and Shailendra Kuamr and Shailendra Singh Chauhan is the name of the same and one person. 0040534566-1

I, Saumya Kaushik, D/o Sh.Onkar Kumar R/o-H.No.464, Near-Rao Chaturbhuj, Behrampur, Gurugram, Haryana,have changed my name to Saumya Kaushik,for all,future purposes. 0040534597-3

I, Saroj Wadhwa W/O Arjun Kumar Wadhwa, Resident 171-R, Model Town, Sonipat, Haryana Have Changed My Name To Saroj Rani. 0040534567-10

I Ankur Aggarwal S/O Manoj Kumar Aggarwal Resident D-42 A, Street No.1 Lalita Park, Shastri Nagar Delhi-110052 have changed my name to Ankur Kumar Aggarwal. 0040534567-2

I Megha Agarwal w/o Sandeep Agarwal R/o. KA-32, Kavi Nagar, Ghaziabad-201002 have changed my name from Megha Ashok Kumar Kanodia to Megha Agarwal for all future purposes. 0040534609-2

व्यक्तिगत

I, Rosy Sharma W/O Ritesh Bhardwaj R/O-117 pocket-12 Sector-22 Rohini Delhi-110086 Changed my minor daughter name Shreeya to Shreeya Sharma. 0040534564-1

I, Rizavi Salim Nasim @ Saleem Naseem Sayyed S/o Sayyed Naseem R/o 2715, 2nd Floor, Gali masjid Kaale Khan, Kucha Chalan, Darya Ganj, New Delhi-110002, have changed my name to Sayyed Saleem. 0040534541-2

I, Rashid Ali S/o Aley Ali R/o 3120, Gali Dharam Sushila, Bazar Sita Ram, Delhi-110006 have changed the name of my minor daughter from Sumbul to Sumbul Aleena. 0040534598-1

I, Rajesh Khanna s/o Late Sudhir Kumar Khanna R/o SH-7/112, Second Floor, New Moti Nagar, New Delhi-110015, have changed my name to Rajesh Kumar Khanna. 0040534545-1

I, Dharmveer Singh Bisht S/o Daulat Singh Bisht R/o Nayagaon, Shimla Byepass Road, Dehradun, Uttarakhand-248007, have changed my minor daughter's name from Devanshi aged 6 years to Devanshi Bisht forever. 0070701592-1

I, Rajender Malik S/o Late Sh. Tika Ram Malik, R/O House No.102, Jal Shakti Vihar (NHPCESAS), Plot-6, Sector-P4, Greater Noida, Uttar Pradesh-201310, hereby declare that my name should be considered as Rajendra Singh Malik for all future records and affirm that Rajender Malik OR Rajandra Singh Malik OR Rajender Singh Malik OR Rajendra Singh Malik are one and the same person. DOB 02-January-1957. 0040534529-1

I, Puneeta Mayall W/o Amandeep Singh Mayall R/o A52,First Floor,South City, Phase 1,Gurgaon,Haryana 122002, have changed my name to Puneeta Chugh Mayall. 0050163451-1

I, Nazeer Ahmed S/o Bashir Ahmed R/o 1403 Street Kallu Khawas, Bazar Chitli Qabar Jama Masjid, Delhi-110006, have changed my name to Nazir Ahmed. 0040534541-1

I, Mukesh Kumar S/o Jagdish Chander R/o 211 Second-Floor Sainik Vihar Pitampura Delhi-110034 changed my name to Mukesh Khatter. 0040534564-8

I, Mohammed Naved S/o Mohammed Sharif R/o House No-12/2, Railway Colony, Seva Nagar, Delhi-110003, that name of mine and my father has been wrongly written as Md Naved and Md Sharif respectively in my School Certificate of 10th Class. The actual name of mine and my father is Mohammed Naved and Mohammed Sharif respectively. 0070701597-1

I, Mohammad Ashif Malik S/O Mohammad Yusuf H.No M 10, Dda Flats Police Bhawan Turukman Gate,Delhi-110006 Have Changed My Name To Mohd Asif. 0040534567-8

I, Mithlesh Kumari W/o Rajesh Kumar Pal R/o H-49, Street No.5, Shakarpur, Delhi-110092 have changed my name to Mithlesh for all future purposes. 0040534567-7

I, Md.Shadab Israil S/O M.D Israil, H.No.Flat D-14 3rd-Floor Okhla Vihar Jamia Nagar New Delhi-110025 Have Changed My Name To Shadab Israil. 0040534564-6

I, Manoj Kumar S/o Rajender Singh R/o 1177, New Syndicate Bank, Bawana, North-West Delhi, Delhi-110039 have changed my name to Manoj Kadian for all purposes. 0040534567-9

I, Manmohan Kumar Chozzer S/o Late Krishan Lal Chozzer R/o-79 Gali No.5,East Azad Nagar Delhi-110051,have changed my name to Manmohan Chozzer for all purposes. 0040534574-4

I, Mandira Pathak D/o Mukesh Pathak, R/o-RZF-1/151, House No-303, Street No-2,Mahavir Enclave, Palam,New Delhi-45 Have Changed My Name to Vaishnavi Pathak 0040534564-9

I, Mahesh Kumar, S/O Shri Dori Lal Sharma, R/O-B-44, Bindapur-Extention,Uttam Nagar, New Delhi-110059,have changed my name to Mahesh Kumar Sharma. 0040534597-2

I, Lakshya Gupta S/O Prem Prakash Gupta R/O 37-B, Janta Flat, Rampura,Onkar Nagar, Delhi-110035. Changed My Name To Lakshay Gupta. 0040534567-3

I, Lakshay,S/O Pawan Kumar, R/O-H.No.65, Tilangpur, Kotla-3, Near Primary School, Delhi-110041, have changed my name to Lakshaya Permanently. 0040534567-11

I Deepa Jain D/O Suresh Chand Jain R/O Flat No.69, C2C, Pocket -2 , Janakpuri, New delhi-110058 shall henceforth be known as Deepa Aggarwal affidavit no IN-DL310508888225178 dated 02-03-2020. 0050163467-1

I, Army No. JC-820667K, NB SUB Dharmendra Kumar Saxena S/o Kailash Narayan Saxena C/o 56APO declare that in my service record name of my son mentioned wrongly as ISHU SAXENA whereas his correct name is DEVANSH SAXENA vide affidavit 01AE715200 dated 29/02/2020 before notary. 0060073366-2

I, Lakshay, S/O Pawan Kumar, R/O-H.No.65, Tilangpur, Kotla-3, Near Primary School, Delhi-110041, have changed my name to Lakshaya Permanently. 0040534597-1

I, Km. Jaishree Verma W/o Abhinav Gupta R/o-487, 2nd-Floor Block-C Sector-1, Avantika Rohini Delhi-85 changed my name to Jaishree Verma. 0040534564-7

I, Laxmi W/o Vikas R/o A-350, Nehru Camp Govindpuri, Kalkaji, Delhi-110019 have changed my name to Priya. 0040534574-6

I, Kiran Bala W/o Jai Prakash Gupta R/o 1/9944D, Gali No.3A, West Gorakh Park, Shahdara Delhi-110032 have changed my name to Swati Gupta. 0040534574-5

I, Jaswala Singh S/O Munshi Ram Resident Village-Chatiya Auliya, Distt-Sonipat, Haryana Have Changed My Name To Jawala Singh. 0040534598-3

I, Jasleen Dogra W/O Vijay Dogra, H.No-27, Hansnagar Pandwala Kalan Delhi-110043 Have Changed My Name To Jasleen Kaur. 0040534564-10

I, Jai Nika Ahuja D/o Rajesh Ahuja H.No-399, Sector-15, Part-1, Gurgaon -122001 (Haryana), have changed my name to Jainika Ahuja. 0040534574-3

I, Gaurav Kumar Bhasin S/o Dinesh Kumar Bhasin R/o HIG-008, Swarn Residancy, Plot.No.132, Sahibabad, Ghaziabad have changed my name to Gaurav Bhasin. 0040534567-6

I, Deepika D/O Roshan Singh R/O 223/5, Galino.8, Padum Nagar, Kishan Gunj, Delhi-110007. Changed My Name to Deepika Dhimaan. 0040534609-3

I, Deepakshi D/O Ram Kumar Jindal Resident 16-G-2,Sabji Mandi, Old Housing Board Colony,Sonipat,Haryana Have Changed My Name To Deepakshi Jindal. 0040534574-1

I, Brij Mohan S/O Jyoti Prakash R/O 48, Anand Vihar, Pitampura, Delhi-110034. Changed My Name To Brij Mohan Gupta. 0040534567-5

I, Ankit Garg S/o Shiv Kumar Garg R/o 429/3, Pathan Pura, Shahdara, Delhi-110032, have changed my minor son's name from Aarush Garg to Shaurya Garg, for all purposes. 0040534538-1

I, Anam Sarbar/Aman Sarwar W/O Shadab Israil H.No-Flat D-14 3rd Floor Okhla Vihar Jamia Nagar New Delhi-110025 Have Changed My Name To Anam Sarwar. 0040534564-5

I, Aksheen Kaur Malhotra D/o Harmeet Singh Malhotra R/o J-9/41 Rajouri Garden New Delhi have changed my name to Aksheen Malhotra. 0040534598-5

I Varinder Singh Bhalla s/o Lakhvinder Singh Bhalla R/O 279,new friends colony, Delhi-110065 changed my daughter name from Samaira bhalla to Samaira bawa 0040534574-7

I Tirlok Singh, s/o Nain Singh R/o-B-166, block-B camp.no-4 JawalaPuri new delhi-110087. have changed my name to Trilok Singh Chaudhary. 0040534564-2

I Sweeta Kumari Alias Shweta Kumari D/o S K Ojha and W/o Ravi Shankar Choubey R/o House No-2499, B-12, Adarsh Nagar, Ram Leela Ground, Naya Gaon, SAS Nagar, Mohali, Punjab- 160103, have changed my name to Shweta Kumari. 0070701622-1

I Subhash Chand S/O Nathu Ram Resident 1698-99, Outram Line G.T.B.Nagar Kingsway Camp Delhi-110009 have changed my name to Subhash Chand Bansal. 0040534567-1

I Sourab Sehgal s/o Ashok Kumar Saigal Resident DP 201 Pitam Pura Delhi 110088 have changed my name to Saurabh Sehgal 0040534587-1

I Raj Kumar S/o Amrit Lal R/o House No-221, Street No-6, Ward No-8, Dashmesh Nagar, Doraha, Ludhiana, Punjab-141421, have changed my name to Rajveer. 0070701593-1

I Nirmal Bhardwaj W/o Late Krishan Chand Bhardwaj R/o 831, Sirmour Marg, Kaulagarh Road, Dehradun, Uttarakhand- 248001, have changed my name to Nirmala Bhardwaj. 0070701596-1

I, Kanta Kumari Yadav W/O Naresh Kumar, H.No-Flat 729, GF,Hig Metro View Apartments Sector-13,Phase-2 Dwarka Delhi-110078 Have Changed My Name To Kanta Yadav. 0040534564-4

I Manoj Winayak S/o Prem Pal Vinayak R/o 29/27, West Patel Nagar, Delhi- 110008, have changed my name to Manoj Vinayak. 0070701587-1

I Divya Mahendru D/o Sh.Vinay Mahendru W/o Mr.Avik Anup Prabhu R/o Aashray, Osho Drive, Gadai Pur, Osho Drive, Delhi-110030 have changed my name after marriage to Divya M Prabhu for all purposes. 0040534537-1

I Hitherto Known As Dayal Singh Alias Dayal Singh Negi C/O Harsingh Mahala Negi Residing At H No-1696, Lodhi Road Complex, New Delhi-110003 Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Dayal Singh Negi. 0040534598-6

व्यक्तिगत

I Krishan S/O Mukesh Kumar Garg H.No-219, Near Jain School, Jain Colony, Ballabhgarh Have Changed My Name To Krishan Garg. 0040534564-3

I Himanshi Setia D/O, Satish Kumar Setia R/o 101-L New Colony, Near Gaba Ki Kothi, Gurgaon, Haryana -122001 have changed my name to Himanshi 0040534563-1

I Devinder Kaur W/o Trilochan Singh Bhourji R/o P-58, Shivalik Nagar, Bhel, Haridwar, Uttarakhand-249403, have changed my name to Davinder Kaur for all purposes. 0070701615-1

I, Pankaj S/o Mahesh chand jain R/o c-288 chankya Marg Chhajjpur Babarpur Shahdra Delhi -110032 have changed my name to pankaj jain to all purposes. 0040534357-2

I, Swati Amit Gupta W/o Amit Gupta R/o-N-24, Ground-Floor, Street.No.3,Vijay-Vihar, Uttam-Nagar,Delhi-110059, changed my name to Swati Gupta. 0040534487-9

I, Sudhir Singh Pal R/o-87-A, Block-B, Rajat Vihar, Sector-62, Noida, UP have changed my son's name from Divyansh to Divyansh Pal. 0040534501-4

खोया+पाया

I, Shasi Kant Pandey S/o Narendar Nath Pandey R/o HAV SK Pandey, Gastroenterology centre base hospital Delhi Cantt-110010 have lost my driving License JK-1420130036134, ATM Card & Some other documents while going Kirby Place finder contact above address. 0040534470-3

I, VISHAL S/o Jayvinder singh R/o Block-3 trilok puri patparganj east Delhi-110091 have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8304784 CBSE Delhi 0040534598-9

It is notified for the information that my Original Marksheet/Certificate of Council for the Indian School Certificate Examination of Year-1988 and Index No. B/914/084 issued by CISCE has been actually lost. Contact Ashish Pasricha S/o Rajinder Pasricha R/o A-2/91 (S.F.) Rajouri Garden, Delhi-110027, M: 9953010747 0040534598-10

Lost my original 10th-class Educational certificate and Marksheet. Finder pls contact: Ritik Malhotra S/D/W/O Rinku Malhotra R/o-237-238, Nehru Vihar, Delhi-110084. 0040534609-5

I Vijay Singh Negi S/o Sh. Sukhdev Singh Negi R/o H.No.160B, Kh.10/8, Gali No.5, B-Block, Uttrakhand Enclave, Burari, Delhi-110084 have lost my registered title documents & its back chain of abovesaid property & lodged a NCR / LR No. 224528/2020 dated 03-03-2020. Finders may contact at mobile No.8851725043. 0040534537-2

LOST & FOUND

I Sachin Gulati S/o Sh. Manohar Lal Gulati R/o 342, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009 have lost original Lease Deed & Conveyance Deed of Shop No.54, Mall Road, Kingsway Camp, Delhi dated 29-02-1968 issued by L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi in the name of S.Wazir Singh S/o Late Atma Singh. Finders may contact at above address or mobile No. 9818522004.

LOST & FOUND

I Gurdeep Singh S/o Late Sher Singh R/o K-51, Krishna Nagar, Delhi-110051 have lost original Lease Deed & Conveyance Deed of Shop No.58, Mall Road, Kingsway Camp, Delhi dated 30-04-1969 issued by L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi in the name of Dayal Dass S/o Late Udho Dass. Finders may contact at above address or mobile No. 9818522004.

PUBLIC NOTICE

My clients Rajender Singh and his wife Suman both R/O I-44, Hari Nagar Extension, Main Jaitpur Road, Badarpur, New Delhi-110044, have severed all relations and disowned their Son Ankit Choudhary from their all movable-immovable properties due to his disobedience. My clients shall not be responsible for his any acts.

Sd/-
PAWAN KUMAR
(Advocate)
Ch. No. 713,
Saket Courts, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that Hero Housing Finance Limited is going to create simple equitable mortgage over property i.e. Flat No. F-3, First Floor, (Eastern Portion), Without roof right, Plot No. 621-A, Shalimar Garden Ext.-I, Village Pasonda, Loni, District Ghaziabad, U.P.-201005 which is inherited by Mrs. Tara Dutta, Mr. Gaurav Dutta & Ms Pooja Rally upon the death of their common ancestor Mr. Rajesh Dutta who was the registered owner of the said property, and is being purchased by Mr. Sonu by creating equitable mortgage. The property is free from all type of claims, disputes, encumbrances, charge, decree etc. In case if any person/Financial Institute/Bank/Authority/Board or any other entity having objection/contingent or vested interest over the same may contact at following address within 7 days of this publication. It may be further noted that after lapse of aforesaid period no claim in any manner shall be entertained and same will be considered as waived or abandoned.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No. E-419, Karkardooma Court, Delhi-110032.
9871603366, 9717476101

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा मुव्वकिल श्री धर्मपाल पुत्र श्री बाबू राम निवासी मं. नं.- WP366, वजीर पुर गांव, अशोक विहार, उत्तरी पश्चिम दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र सूरज एवं उसकी पत्नी को उनके दुर्व्यवहार और गलत आचरण के कारण अपनी सभी चल एवम् अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है तथा अपने समस्त सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं। मेरे मुव्वकिल के पुत्र सूरज व उसकी पत्नी के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का लेन-देन, कानूनी वाद-विवाद या व्यवहार करता है या फिर सम्बन्ध रखता है तो उसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा, इसमें मेरे मुव्वकिल व उसके परिवार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

नरेश कुमार चरनाल (अधिवक्ता)
चै. नं. 543, वैस्टर्न विंग,
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-54

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल **श्री यशपाल मेहता** पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ मेहता, निवासी ई-4/177-178, सुल्तान पुरी, दिल्ली-110086 ने अपने पुत्र **सतीश मेहता** व इसकी पत्नी **पूजा मेहता** व इनकी पुत्री **रिया मेहता**, [illegible] ... होगी।

ओ० पी० शर्मा (अधिवक्ता) [illegible]

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला श्रीमति आशा पत्नी स्व० जय भगवान निवासी-**E-15/69,** ब्लॉक-ई, पोकेट-**15**, सैक्टर-**8**, रोहिणी, नॉर्थ-वेस्ट, दिल्ली- **110085** ने अपने पुत्र तनुज कुमार को उसके दुर्व्यवहार/दुराचरण व नियंत्रण से बाहर होने के कारण सभी सम्बन्धविच्छेद करते हुए अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में यदि कोई लेन-देन/व्यवहार करेगा तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा, इसमे मेरी मुवक्किला व उसके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

Ashish Pal (Advocate)
Ch. No.346A, Delhi High Court,
Old Block, New Delhi

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Smt. **SANTRA W/O LATE, SH. SUBE SINGH R/O H.No. P1/18-19, SULTANPURI, DELHI-110086**, has severed all their relations with their son "**SUNIL AND HIS WIFE SMT. MUKESH AND THEIR CHILDRENS**" and "**MANOJ AND HIS WIFE GEETA AND THEIR CHILDRENS**" Who are quarrelsome and disobedient to my client and is leading their life as per their wishes and against the wishes of my client. Henceforth, neither my client nor any of their other family members has/have any relation or connection with their sons and their wives thus my client hereby debar them from all their movable and immovable properties.

SUBHASH BAGHEL (ADVOCATE)
ENRL. NO. D-1161/13
DELHI HIGH COURT

PUBLIC NOTICE

It is publically informed that my client **VISHWANATH SOWANI** S/O MADHAV YASHWANT SOWANI R/O 34, KEW GREEN RICHMOND TW 9 3BH, U.K., have lost of Registered Perpetual Lease Deed vide Regd. No.885, Book No.1, Vol. No.53, on Pages 181 to 186, Dt. 17.12.1991 of property No.G-18/1, Nizamudin West, New Delhi and he has intimated this fact to P.S. Crime Branch, Delhi, on 03/03/2020, vide LR No. 221514/2020. Any person who founds the same or any person who claim to be the owner of the said property in part of full then he/she/they shall contact either my client at the said property address or Mob. No.+447949889522 or me at my Mob. No.9818259093, within seven days from this notice.

DINESH KUMAR (Advocate)
Office No. 6, RU-Block Market,
Pitampura, Delhi

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. M. R. Sangwan, S/o Sh. S.R. Sangwan & Smt. Tara Devi Sangwan, W/o Sh. M.R. Sangwan R/o T-317/18, Mandir Marg, Baljeet Nagar, Delhi-110008, have severed all their relations and disowned their son Praveen Kumar Sangwan and his wife Aruna Sangwan, from all moveable & Immoveable properties & assets due to their misbehaviour and misconduct. Anybody dealing with them in any manner whatsoever shall be doing so at his/her own risk & costs & my clients will not be responsible for the same.

VINAY KUMAR (Advocate),
4/178, T.F., Subhash Nagar, Delhi-27

PUBLIC NOTICE

I for and on behalf of my clients Sh. RAJU S/o Late Sh. Netra Pal and Smt. Sunita W/o Sh. Raju both R/o Bhalswa Dairy Thane Wala Road, Rajeev Nagar, Jain Colony, Kali Mata Mandir, Delhi-42 do hereby inform the public at large that my clients have debarred, disinherit and severed their relations with their son Deepak and his Wife Smt. Seema @ Dhanwanti forever and they will not be responsible for their actions in future in any manner and anyone dealing with them shall be doing so at his/her own risk and cost.

Sd/-
SUDHIR SHOKEEN
Advocate
Ch. No. 1220, Rohini Courts,
Delhi-85

PUBLIC NOTICE

This is to inform public at large that my client Ms. Parvati W/o Late Shri Nain R/o House No. 299, Gali No-5, Part-3, Surender Colony, Jharoda, Burari, Delhi-84 & her family members have severed all relations with her son Mr. Jiyalal his wife Laksmi & children namely Annu, Anju, Rahul, Khushi, Shivani as they have gone out of control & have been disobedient. They have been disowned & debarred by my client from all her properties (Immovable & Movable) & assets & also debarred him from conducting his funeral rites after demise. Any person dealing with them shall be doing at his own risks & consequences. My client & her family members shall not be liable/responsible in any manner for the acts, deeds & omission of the aforesaid Mr. Jiyalal his wife Laksmi & children namely Annu, Anju, Rahul, Khushi, & Shivani

Brijesh Kumar (Advocate)
Ch No. 349, W.Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

All concerned are hereby informed through this Public Notice that my clients; ROHTAS SINGH Resident of D 31A, Shyam Vihar, Phase-I, Najafgarh, New Delhi, has disowned and debarred his Son namely Prashant and his wife Smt. Rajni W/o Sh. Prashant from all his movable and immovable properties with them as the above said son and his wife is totally out of control and also used to disobey my client. My client shall not be held responsible for any of his acts, deed and things in whatsoever in any manner and if anyone deals with them, shall be deal as per his/her own risk, cost and consequences.

Sd/-
(VIPIN PORIA)
ADVOCATE
D/1828/09

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client Sh. Susheel Razdan S/o Sh. N.N Razdan R/o H.No-373, Sector-40, Gurgaon-122001, has debarred & disowned his son namely Sh. Arvind Razdan & his wife Smt. Neelam Sharma from all his movable & immovable properties due to their disrespectful & out of control behavior towards him. My client has severed his relations with them for all intents & purposes with immediate effect. Anybody who deals with them will do so at their own risk & responsibility.

Rekha Aggarwal, Advocate
Ch. No-409, Block-J, High Court, New Delhi-03

दूर हो रहा बच्चों का डर, अब आ रहे हैं स्कूल : मनीष सिसोदिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 मार्च।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का डर अब कम हो रहा है। उपमख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि अब सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ रही है और वे आसपास के माहौल को लेकर आश्वत नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया गुरुवार को जांच के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के सर्वोदय बाल विद्यालय खजूरी खास पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा प्रभावित इलाकों के बच्चों और अभिभावकों से मुलाकात की।

उन्होंने कहा कि अब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हालात सामान्य हो रहे हैं और कोई चिंताजनक बात नहीं है। बच्चे जब लगातार अपनी कक्षा में आने लगेंगे तभी वे अपनी पढ़ाई पर फिर से पूरी तरह ध्यान लगा पाएंगे। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता जताई कि अभिभावक अधिक से अधिक संख्या में विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक (पीटीएम) में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम बच्चों के दिमाग से हर तरह का भय समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह भी आवश्यक है कि आप सब अभिभावक के तौर पर अपने बच्चों के साथ किसी ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात ना करें जिसका बच्चों के मन पर उल्टा प्रभाव पड़े। बच्चों ने शिक्षामंत्री को यह भी बताया कि वह हैप्पीनेस क्लास में अध्यात्म (मेडिटेशन) आदि करके स्वयं को अधिक विश्वास से भरा हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों के जरिए डर को पीछे छोड़कर आने वाली परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल [illegible] ... आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर [illegible] ... अधिकार आदि से मुक्त है।
यह सूचना **दिनांक 06 मार्च 2020** को प्रकाशित।
[illegible] (अधिवक्ता)
[illegible] नोएडा-201301, जिला-गौतम बुद्ध नगर (यूपी)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that my clients Sh. Aditya Kapoor son of Sh. Ajay Kapoor resident of 122, Loknayak Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-110085 is going to buy MIG Flat no. 32, Loknayak Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi- 110085 from Sh. Shiv Kumar Goel son of Sh. S. L. Goel, resident of 75, Anand Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034 who is holding gift deed in his favour. According to him the property is free from all type of claims, disputes encumbrances, charge, decree etc. in case if any person / financial institution/ bank / authority/ board or any other entity having objection / contingent or vested interest over the same may contact at the following address within 15 days of this publication. It may further be noted that after lapse of aforesaid period no claim in any manner shall be entertained and the same will be considered as waived or abandoned.

Sd/-
Ashok Arora (Advocate)
Chamber No. B-145, B.G.S, Block,
Tis Hazari Court, Delhi-110054
Ph. 9212012466

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client Sh. Ramjan Hussain Mansoori S/o Late Sh. Hussaini R/o H. No. 4, Subhash Gali, Gopal Park, Chander Nagar, Delhi-110051, has disowned/ debarred disinherited from his all movable and immovable properties and severed all his relations with his elder son and daughter-in-law namely Imran Hussain and his wife namely Mst. Sheeba W/o Imran Hussain R/o H. No. D-64/1, Abul Fazal Enclave Part-II, Sahin Bagh, New Delhi also at R-285, Batla House, Near A1-Taqwa Masjid, Gali No. 2, Jamia Nagar, Okhla New Delhi-110025, because he is beyond the control of my client if any person deal with him and his wife upon his own responsibility for which my client will be not responsible for this.

Sd/-
NEENA MALHOTRA
(Advocate)
Ch. No. C-131, C.L. Joseph Block,
Tis Hazari Coruts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

"BE IT KNOW TO PUBLIC AT LARGE That my client SMT. GURMEET KAUR WIFE OF SHRI BALVINDER SINGH R/o A-31, PHASE-5, NEAR SHIV DURGA MANDIR MARG, ARYA NAGAR, NEW DELHI-110047, debarred her son namely BALJIT SINGH @ PRINCE from her movable & immovable property and severed her all family relation with his as he is no in control of my clientess.
My clientess have no connection in any manner and if Anybody deals with him he/she/they will do so with him/her own risk and responsibility. my clientess shall not be responsible in any manner for his act and deed.

VIJAY PRATAP SINGH
Advocate
A-1/39, PHASE-5, AYA NAGAR,
NEW DELHI-47

PUBLIC NOTICE

Be it known to all public in General that my clients Sh. Harish Kumar S/o Lal Chand and Smt. Sushma Rani W/o Harish Kumar R/o 2-33, Moti Nagar, New Delhi-15, have severed all relations with their son Sagar Kumar & his wife Kirti and debar them from all their moveable & immoveable properties. Anybody dealing with them in any manner shall do so at his/their own risk and responsibility/ consequences. My clients and their family members shall not be responsible for their acts and deeds.

Mohinder Dhawan (Advocate)
Bar Room no. 3, Civil Side
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that the original Sale Deed dated 26.11.1958 executed by DLF in favour of Smt. Parkash Kaur W/o Sh.Bhagat Singh and Sale Deed dated 14.02.1959 executed by Smt. Parkash Kaur in favour of Sh. Des Raj S/o Sh. Mathura Dass, in respect of Property No. J3/204, Rajouri Garden, New Delhi-110027, is reported to be lost and lodged a Information Report vide LR No.227608/2020 dated 04.03.2020 presently stands in the name of my client Sh. K.L. Behl S/o Late Sh. Des Raj Behl alongwith other legal heirs of Late Sh. Des Raj. If anyone found the same can lodge the same to the undersigned

Sanjay Jindal (Advocate)
RU-368, Outer Ring Road,
Pitampura, Delhi-110034
Enrol.No.D/479/13

रिक्त स्थान

INSTITUTE OF AYUSH MEDICAL SCIENCES (IAMS)

ADD - VIMLARJUN NAGAR (BHAGOO KHEDA) MOHANLALGANJ, LUCKNOW.
E-mail : iamsayucollege@gmail.com
Ph: 0522- 2993387,
Mob: 05393664635

Advt. No. 01/Rec/IAMS/2020
Online applications are invited from the eligible candidates for the vacant teaching positions (Assistant Professor/ Associate Professor/ Professor) in various departments of the institute.
Last date of Online (by Email) Application: **05.04.2020** (before 23:59:59)
Please visit the Institute website http://iamscollege.co.in/ for more details. Any addendum/ corrigendum/ notices/ updates in respect of this recruitment would be posted by Institute website only. The hard copy of the complete application form should be received by the institute within three working days from the last day of application.
Date: 04.03.2020
Manager/Principal

अज्ञात शवों की पूरी जानकारी वेबसाइट पर दे पुलिस : अदालत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 मार्च।

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह दिल्ली में दंगों के दौरान सरकारी अस्पतालों के शवगृहों में लाए गए अज्ञात शवों के बारे में अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर पूरी जानकारी प्रकाशित करें। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति आइएस मेहता की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाल में हुए दंगों के बाद से लापता अपने एक रिश्तेदार के बारे में जानकारी को लेकर एक व्यक्ति ने यह याचिका दायर की थी। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह लापता लोगों के बारे में पता लगाने के लिए 'हर संभव प्रयास' करें। पीठ ने निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य के नियंत्रण वाले सभी अस्पतालों के शवगृहों में रखे हुए अज्ञात शवों की जानकारी फोटो के साथ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करें।

हत्या के मामले में नाबालिग समेत पांच पकड़े गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 मार्च।

नेताजी सुभाष प्लेस थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में चार नाबालिग समेत पांच लोगों को पकड़ा है। इन आरोपियों ने बीती 29 फरवरी को लक्की नामक एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना वाली रात को करीब दस बजे सूचना मिली थी कि शकूरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक युवक को अज्ञात लोगों ने गोली मार कर घायल कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस को सड़क पर काफी दूर तक खून के धब्बे मिले। घटनास्थल से पुलिस को तीन कारतूस भी मिले। पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही युवक को उसका परिवार भगवान महावीर अस्पताल में भर्ती करवाया चुका था। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि लक्की की मौत हो चुकी है। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि लक्की कुछ महीने पहले ही राकेश नामक युवक की हत्या में शामिल होने पर जेल से जमानत पर बाहर आया था। परिजनों ने इलाके में रहने वाले रवि समेत उसके तीन-चार साथियों पर हत्या करने का आरोप लगाया था। परिजनों ने दो-तीन बार पुलिस को लिखित रूप से मामले में जानकारी भी दी थी। पुलिस ने वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। जिसमें संदिग्धों के बारे में पता चला। उसी दिन से सभी संदिग्ध अपने अपने घरों से गायब मिले। जांच टीम ने शुरुआत में चार नाबालिगों को पकड़ा, जिनकी निशानदेही पर रवि को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी जब्त कर ली। जिसको रवि ने अवैध रूप से अपने पास रखा हुआ था। पूछताछ में पता चला कि उसकी नाबालिग से लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद नाबालिग ने अपने दोस्तों और डोमेन के साथ मिल कर वारदात को अंजाम दिया।

विशेषज्ञ का दर्जा छीने जाने पर डॉक्टरों का विरोध

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 मार्च।

इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लीनिकल कार्डियोलॉजिस्ट के बैनर तले डॉक्टरों ने 1700 से अधिक डॉक्टरों के विशेषज्ञ के दर्जा रद्द किए जाने के कदम का विरोध किया है। इसके लिए जंतर-मंतर पर मार्च निकाल कर स्वास्थ्यमंत्री को ज्ञापन दिया।

प्रदर्शनकारियों ने भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से 2006-13 के बीच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से क्लीनिकल कार्डियोलॉजी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा लिए 1700 से अधिक पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा धारकों का विशेषज्ञ दर्जा छीन लिए जाने का विरोध किया है। जिससे स्वास्थ्य बिरादरी के विशेषज्ञ नाराज हैं।

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Shri Bahadur Singh S/o Lal Singh R/o B-74/A, Third Floor, Asha Park, New Delhi-64 has severed all his relations with his Younger Son Kamaljeet Singh and Disowned and Debarred him from his moveable and immoveable properties due to ill, rude and irresponsible behavior towards my client and his family members. He is beyond his control. In future my client and his family members namely his wife Kuldeep Kaur, Elder Son Manjinder Singh and Daughter-in-law Jasbir Kaur, Elder Daughter Bhupinder Kaur W/o Harvinder Singh and Younger Daughter Gurmeet Kaur W/o Manjit Singh shall not be responsible for any act against the law of the aforesaid person named Kamaljeet Singh and he is solely responsible for the same. Anyone, dealing with him shall do so at their own risk and consequences.

Biguul Nanda (Advocate)
F-43, Virender Nagar,
Lane No.7, Janakpuri, N.D.-58

सुलभ संस्थान की पचास साल की यात्रा बापू को समर्पित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली 5 मार्च।

सामाजिक सेवा संगठन सुलभ संस्थान ने अपने स्थापना के पचास साल पूरे करने के अवसर पर दिल्ली में शौचालय व साफ सफाई पर प्रदर्शनी लगाई। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित किया। इस मौके पर मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने और शौचालय को गांव-गांव तक पहुंचाने में सरकार और सुलभ दोनों के कार्यों पर यह प्रदर्शनी केंद्रित थी।

www.readwhere.com

दंगे में जो घर जल गए उनके मालिकों के लिए मुख्यमंत्री ने की घोषणा

हर तल होगा एक यूनिट, मिलेगा अधिक मुआवजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 मार्च।

दंगा प्रभावित क्षेत्रों में आगजनी की वारदातों में जो घर जल गए उनके मालिकों को अब अधिक मुआवजा मिल सकेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में मुआवजा राशि प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया है। अब हर तल (फ्लोर) को एक यूनिट समझा जाएगा और उसी हिसाब से मुआवजा भुगतान होगा। वर्तमान प्रावधानों में घर को एक ही यूनिट माना गया था।

मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह बात सामने आई थी कि प्रभावित क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी फ्लैट बने हैं और उनके मालिक भी अलग हैं। इसलिए यह बदलाव किया गया है। दिल्ली सरकार ने आगजनी के मामले में पांच लाख रुपए की सहायता राशि देने का फैसला लिया था। इसमें चार लाख की राशि मकान मालिक और एक लाख रुपए की राशि किराएदार के लिए थी। ताजा फैसले के बाद अब हर यूनिट को चार लाख रुपए की राशि मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त एक लाख रुपए की राशि का भुगतान घर में हुए नुकसान या चोरी हुए सामान के लिए दिया जाएगा।

दंगा प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी खर्चे पर लगेंगे दरवाजे : गोपाल राय

दंगा प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा अभी भी आम जनता के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। गुरुवार को दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय के दौरे में यह चिंता स्थानीय लोगों ने जाहिर की। गोपाल राय ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत सारी कॉलोनियों में दरवाजे लगाने का अनुरोध किया है। सरकार जल्द ही इसका प्रावधान लाएगी और कॉलोनियों में सरकारी पैसे से दरवाजे लगाए जाएंगे। गोपाल राय ने गुरुवार को दंगा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनसे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की।

स्कूटी मालिकों को भी मिलेगा मुआवजा

दिल्ली सरकार ने आगजनी की घटना के बाद ई–रिक्शा के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की थी। कैबिनेट ने इस फैसले में भी संशोधन किया है। अब इस योजना का लाभ स्कूटी मालिकों को भी मिलेगा। उन्हें भी मुआवजा के तौर पर 50 हजार रुपए का भुगतान होगा।

इसी प्रकार दंगे में प्रभावित हुए स्कूलों को भी मुआवजा होगा। 1000 छात्रों के लिए पांच लाख रुपए तक मुआवजा और 1000 से अधिक छात्र होने की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा।

दंगा प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी तंत्र के कामकाज की जांच के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल पहुंचे। उन्होंने सभी एजंसियों को आदेश दिए हैं कि दंगे में उजड़ गए परिवारों के पुनर्वास के लिए तेजी से काम करें।

राशन के लिए पांच हजार रुपए की आर्थिक मदद करेगी भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 मार्च।

दंगा प्रभावित परिवारों को भाजपा घर–घर राशन पहुंचाने के लिए आर्थिक मदद करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बताया कि पीड़ितों को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह कार्य शुक्रवार से शुरू होगा और इसके लिए भाजपा ने राहत समिति का भी गठन किया गया है। मनोज तिवारी ने कहा कि दंगा प्रभावित क्षेत्रों में धीरे–धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। दिल्ली ने एक दर्दनाक मंजर देखा है, जिसमें 48 लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी अस्पताल में गंभीर अवस्था में पड़े हैं।

In the Court of
Sh. Dharmender Rana, Additional Sessions Judge-02, Patiala House Court, New Delhi.
PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED
(See Section 82)
Directorate of Enforcement
Vs
Gulzar Ali & Ors.
CC No. 45/18
Under Section 3 punishable under Section 4 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002
(hereinafter reffered to as PMLA or Act)
WHEREAS complaint has been made before me that **Tilakraj Lohiya @Tinku S/o. Late Ratiram, R/o. H.No 263, Village Chattarpur, Delhi** has committed (or is suspected to have committed) the offence punishable under section of the Indian Penal Code, and it has been returned to a Warrant of arrest thereupon issued that the said **Tilakraj Lohiya @ Tinku**, cannot be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the said **Tilakraj Lohiya @ Tinku** has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant).
Proclamation is hereby made that the said **Tilakraj Lohiya @ Tinku** of is required to appear before this Court to answer the said complaint on the day of **14.04.2020.**
Date: 05.02.2020 **Sh. Dharmender Rana, Additional Sessions Judge-02, New Delhi**

In the Court of
Sh. Dharmender Rana, Additional Sessions Judge-02, Patiala House Court, New Delhi.
PROCLAMATION REQUIRING THE APPERANCE OF A PERSON ACCUSED
(See Section 82)
Directorate of Enforcement
Vs Gulzar Ali & Ors.
CC No. 45/18
Under section 3 punishable under section 4 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002
(hereinafter reffered to as PMLA or Act)
Whereas complaint has been made before me that **Shiv Shakti @ Shakti S/o Sh. Kalidas, R/o.28/869, DDA Flats Madangir, New Delhi** has committed (or is suspected to have committed) the offence punishable under has been returned to a Warrant of arrest thereupon issued that the said **Shiv Shakti @ Shakti** cannot be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the said **Shiv Shakti @ Shakti** has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant).
Proclamation is hereby made that the said **Shiv Shakti @ Shakti** of is required to appear before this court to answer the said complaint on the day of **14.04.2020.**
Date: 05.02.2020 **Sh. Dharmender Rana, Additional Sessions Judge-02, New Delhi**

केन्द्रीय विद्यालय
ए. एफ. एस. तुगलकाबाद
दिल्ली में सत्र 2020–2021 के लिए सभी कार्यों हेतु सक्षम वैधानिक रूप से अधिकृत फर्मो से पंजीकरण आमंत्रित करता है। इच्छुक फर्म जो TIN/ VAT/ GST/ S.Tax इत्यादि रखते हो वे विज्ञापन प्रकाशित होने के पंद्रह दिन के अंदर आवेदन करें।
प्राचार्य

GO DIGIT GENERAL INSURANCE LIMITED
Atlantis, 95, 4th B Cross Road, Koramangala Industrial Layout, 5th Block, Bengaluru 560095. Karnataka Tel: 080 6761 5454, Fax: 080 6761 5400
PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that the office of Go Digit General Insurance Limited located at 91 Spring Board, Business Centre, Nehru Place, 3rd Floor, Chandra Bhavan, 67-68, Nehru Place, New Delhi, Delhi - 110019. will be shifted to its new address at: 5th Floor, B Wing, IFCI Tower, 61, Nehru Place, Delhi - 110019. with effect from 11th May 2020.

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईजीएल भवन, 4, सामुदायिक केन्द्र, सैक्टर–9, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110022
फोन : 46074607, फैक्स : 26171863, वेबसाइट : www.iglonline.net
ई–मेल : investors@igl.co.in, सीआईएन : L23201DL1998PLC097614
सूचना
एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 16 मार्च, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश पर विचार और घोषित किया जायेगा।
अंतरिम लाभांश, यदि बोर्ड द्वारा घोषित होगा, उसके भुगतान हेतु रिकॉर्ड तिथि 24 मार्च, 2020 (मंगलवार) होगी।
अंतरिम लाभांश का भुगतान उन्हीं पात्र सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में होगा तथा जिनका 24 मार्च, 2020 की समाप्ति पर एनएसडीएल एवं सीडीएसएल द्वारा प्राप्त लाभार्थी स्वामी की सूची में नाम दर्ज हो।
ट्रेडिंग विंडो 04 मार्च, 2020 से 16 मार्च, 2020 को बोर्ड द्वारा अंतरिम लाभांश, यदि घोषित होगा, की घोषणा किये जाने के पश्चात 48 घंटों तक बन्द रहेगी।
उपरोक्त के सम्बन्ध में अधिक जानकारी एवं अपडेट, कंपनी की वेबसाइट (www.iglonline.net) और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर देखा जा सकता है।
दिनांक : 04 मार्च, 2020 हस्ता/-
स्थान : नई दिल्ली एस. के. जैन (कम्पनी सचिव)

फर्म – पंजीकरण हेतु
केन्द्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल अर्जनगढ़ इच्छुक व्यक्तियों एवं फर्म, संस्थाओं से सत्र 2020–2021 के लिए भोज्य एवं उपभोज्य (Consumable and non - Consumable) वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु दिनांक 31/03/2020 तक अपनी फर्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित करता हैं। विद्यालयों को जिन सेवाओं की आवश्यकता है वह इस प्रकार से है:– 1. बाह्य सेवाओं के लिए जैसे कि विद्यालय सुरक्षा हेतु, हाउसकीपिंग एवं बागवानी हेतु। 2. कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण की आपूर्ति हेतु। 3. सी सी टीवी एवं कम्प्यूटर के रखरखाव हेतु। 4. प्रयोगशालाओं की वस्तुओं की आपूर्ति हेतु। 5. खेल कूद के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु। 6. फर्निचर की आपूर्ति हेतु। 7. कैंटीन 8. मैडल, ट्रॉफी आदि की आपूर्ति हेतु। 9. सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु परिधान, सज्जा सामग्री, विविध फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, फ्लैक्स बैनर, स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग के लिए। 10. परिवहन सेवाओं हेतु। 11. टेंट, फर्निचर, पी. ए. सिस्टम एवं इससे संबंधित सभी वस्तुओं की आपूर्ति हेतु। आवेदन के विहित प्रपत्र के साथ पैन कार्ड संख्या, जी.एस.टी नंबर, टैक्स क्लियरेंस प्रमाणपत्र, फैक्ट्री का लाइसेंस, बाह्य सेवाओं के लिए PASRO प्रमाणपत्र आवश्यक है।
नोट: डाक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से भेजा गया पंजीकरण आवेदन स्वीकृत नहीं होगा।
प्राचार्या

केन्द्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल अर्जनगढ़ में शैक्षिक सत्र 2020–21
अनुबंध के आधार पर शिक्षक पदों हेतु साक्षात्कार (Walk-In-Interview) सूचना
केन्द्रीय विद्यालय अर्जनगढ़ में शैक्षिक सत्र 2020–21 में समय–समय पर उपलब्ध रिक्तियों के लिए निम्न पदों हेतु, साक्षात्कार के आधार पर पैनल तैयार किया जाना है :–

पद नाम	पी.जी.टी	टी.जी.टी	पी.आर.टी	अन्य
विषय	अंग्रेजी, हिन्दी, रसायन, भौतिकी, जीवविज्ञान, कम्प्यूटर–विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक–विज्ञान	अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक–विज्ञान ,गणित	–	कम्प्यूटर–अनुदेशक, डाटा–एंट्री–ऑपरेटर, परामर्शदाता, विशेष–शिक्षक, खेल–शिक्षक,योग–अध्यापक, कला एवं शिल्पशिक्षक, चिकित्सक, स्टाफ–नर्स, संगीत–अध्यापक, जर्मन–भाषा शिक्षक

साक्षात्कार की तिथि व समय – दिनांक 12–03–2020 सुबह आठ बजे से
1. उपरोक्त पदों की अर्हता (Eligibility criteria) संबंधित विस्तृत विवरण, आवेदन पत्र / बायोडाटा इत्यादि विद्यालय की वेबसाइट https://arjangarhafs-kvs-ac-in से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय, पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र /बायोडाटा व मूल प्रमाणपत्र (02 सेट छायाप्रति तथा 02 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ) के साथ उपस्थित रहें।
प्राचार्या

उत्तरी दिल्ली नगर निगम
अधिशासी अभियंता (परियोजना), सी. एल. जोन का कार्यालय
सिंधोरा कलां, शक्ति नगर, नई दिल्ली-110052, फोन: 011-23654558
निविदा आमंत्रण सूचना
सं.: ईईपरि./टीसी/सीएलजेड/2019-20/13 दिनांक: 05.03.2020

क्र.सं	उत्तरी दिल्ली नगर निगम चरण	प्रारम्भ तिथि	समापन समय
1.	निविदा दस्तावेज हेतु अनुरोध	05.03.2020	17:30 बजे
2.	निविदा दस्तावेज जारी करना	06.03.2020	17:31 बजे
3	निविदा दस्तावेज हेतु अनुरोध	18.03.2020	17:00 बजे
4.	निविदा दस्तावेज जारी करना	18.03.2020	17:30 बजे
5.	निविदा बंद होने की तिथि एवं समय	20.03.2020	14:00 बजे
6.	लागत खोलने की तिथि एवं समय	20.03.2020	14:15 बजे

आयुक्त, उत्तरी दि.न.नि. की ओर से अधिशासी अभियंता (परि.)/सीएलजेड द्वारा वेबसाइट केवल http://www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER पर क्रम सं. 2 हेतु "सरकारी विभागों/पीएसयू के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट/सीईटीपी के निर्माण एवं संचालन हेतु विशेषज्ञ एजेंसियों (खुली श्रेणी भी) से और क्रम सं. 1 के कार्यों के निष्पादन के लिए (सामान्य विंग)के साथ पंजीकृत अनुमोदित एवं पात्र ठेकेदारों से मुहरबंद प्रतिशत/मद दर निविदायें आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	लेखा शीर्ष	निविदा राशि	धरोहर राशि
1. सी–280/सीएलजेड में हिन्दू राव अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में बालकों तथा बालिकाओं के लिए हॉस्टल ब्लॉक का निर्माण। उप शीर्ष: फायर चेक दरवाजे उपलब्ध कराना एवं फिक्सिंग। एफटीसी सं.: 19/43/XL-IX-A-I/PC-354				
		XL-IX-A-I	रु.49,68,659/-	रु.99,400/-
2. सी–282/सीएलजेड में एमवीआईडी अस्पताल में लॉन्ड्री एवं लैब में इक्वालाइजेशन पिट का निर्माण। एफटीसी सं.: 19/43/XL-IX-A-V/PC-354				
		XL-IX-A-V	पार्ट 'ए' रु.14,91,286/- (सिविल कार्य) एवं पार्ट 'बी' @ मद दर (ईटीपी का एसआईटीसी)	रु.59,100/-

सभी मदों के लिए निविदा मूल्य रु.500/- है, मद सं. 01 के लिए समापन अवधि 02 महीने है और मद सं. 02 के लिए 03 महीने है। सभी मदों के दर की वैधता छह महने है।
आर.ओ सं. 238/डीपीआई/उत्तरी/2019-20 अधिशासी अभियंता (परि.) सीएलजेड

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	27.0 डि.से.	27.0 डि.से.	25.9 डि.से.	27.0 डि.से.
न्यूनतम	14.4 डि.से.	14.4 डि.से.	14.4 डि.से.	14.4 डि.से.

हिंसा में मृतकों की संख्या 53 हुई

विभिन्न अस्पताल प्रशासन की मानें तो अब तक कुल 44 लोगों की मौत गुरु तेग बहादुर अस्पताल, एक जग प्रवेश चंद अस्पताल, पांच आरएमएल अस्पताल और तीन लोगों की मौत एलएनजेपी अस्पताल में हुई हैं। तो वहीं, दिल्ली पुलिस ने मरने वालों की संख्या सिर्फ 44 बताई है।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 मार्च।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के अधिकतर दंगा प्रभावित इलाकों में गुरुवार को सामान्य स्थिति देखने को मिली। पीड़ित अपने-अपने मकानों में लौटने लगे हैं। साथ ही दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी हैं। हालांकि अब भी स्थानीय लोगों में से कुछ के बीच डर का माहौल बना हुआ है। हिंसा में मरने वालों की संख्या गुरुवार को 53 हो गई है, जबकि पुलिस की ओर से बताया गया है कि मरने वालों की संख्या 44 है। पर विभिन्न अस्पताल प्रशासन की मानें तो यह संख्या 53 पहुंच गई है। अब तक कुल 44 लोगों की मौत गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल, एक जग प्रवेश चंद अस्पताल, पांच आरएमएल अस्पताल और तीन लोगों की मौत एलएनजेपी अस्पताल में हुई हैं।

वहीं, दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा ने बताया कि हिंसा के मामले में अब तक 654 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस मामले में गुरुवार तक 1820 लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया है या फिर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हिंसा के मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 47 मुकदमे दर्ज किए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अमन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को 226 स्थानों पर बैठकें की गईं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील।

दो नए वीडियो आए सामने

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बीती 24 फरवरी को चांद बाग में हिंसा के दौरान दो नए वीडियो सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने यह वीडियो बुधवार रात को पुलिस को उपलब्ध करवाया। हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। वहीं, वीडियो में दिख रहा है कि उपद्रवी शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त अमित शर्मा और गोकुलपुरी के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अनुज कुमार पर पथराव कर उन्हें घायल कर दिया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे भीड़ पुलिसकर्मियों पर उग्र हो रही है। कुछ देर बाद भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया।

आयुक्त ने जाना हालचाल

दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने घायल उपायुक्त अमित शर्मा से मुलाकात के बाद एसीपी अनुज कुमार से भी मुलाकात की। अनुज ने उन्हें बताया कि लाठी-डंडों से लैस लोग लगातार उन पर हमला कर रहे थे। इसी बीच हेड कांस्टेबल रतन लाल, अमित शर्मा और अनुज कुमार जख्मी हो गए थे। इसके बाद उन्होंने भीड़ के बीच से रतन लाल और उपायुक्त को बाहर निकाला। बाद में वह उन्हें लेकर एक शख्स के घर में गए। इस बीच रतन लाल के सिर से लगातार खून बह रहा था। अमित शर्मा को पहले नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। जिसके बाद से उनका इलाज मैक्स में चल रहा है।

बुजुर्ग, महिला और बच्चे भी दिखे पत्थरबाजी में

पत्थरबाजों में नाबालिग, महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी शामिल थे। पुलिस टीम पर जब उपद्रवी भारी पड़ गए तो उन्होंने यमुना विहार की ओर भागकर अपनी जान बचाई। भीड़ ने इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को घेर लिया और उन पर टूट पड़ी। वीडियो को देखने से प्रतीत हो रहा है कि इसे किसी स्थानीय निवासी ने अपने घर की छत से बनाया है। वीडियो बनाने वाला शख्स यह भी बोल रहा है कि देखो-देखो पुलिसवालों को महिलाएं भी पत्थर मार रही हैं, उसने ये भी कहा कि पुलिस वाले को घेर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इन वीडियो के आधार पर आगे जी जांच कर रही है।

संक्रमण के कारण कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी से छूट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 मार्च।

कोरोना विषाणु से संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है। संक्रमण के खतरे से कर्मचारियों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर संक्रमण से बचाव के लिए बायोमेट्रिक (अंगुली या अंगूठे के माध्यम से) हाजिरी में कर्मचारियों को छूट दी है। ये आदेश सेवा विभाग की तरफ से जारी किया गया है।

यह संक्रमण श्वास व एक दूसरे को छूने से भी फैलता है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए थे। इन आदेशों में कहा गया था कि इन मशीनों का बार-बार हजारों कर्मचारियों द्वारा हाजिरी लगाने या एक जगह से दूसरी जगह में प्रवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे कर्मचारियों को संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए बायोमेट्रिक से हाजिरी को कुछ समय के लिए रोका जाए। इस आदेश से सचिवालय समेत अन्य विभागों में आने वाले कर्मचारियों को राहत होगी।

इस बाबत आदेश दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव प्रोमिला मित्रा की तरफ से जारी किए गए है। दिल्ली सचिवालय में लिफ्ट के पास में ही ये मशीनें लगाई गई है। जहां कर्मचारी दो बार यानि सचिवालय में प्रवेश के समय और सचिवालय से जाते समय इन मशीनों पर हाजिरी लगाते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किए गए इन आदेशों की प्रति मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों, विभागों के उप सचिवों, सामान्य प्रशासन विभाग समेत संबंधित विभागों को भेजा गया है ताकि सख्ती से आदेशों का पालन हो सके। बायोमेट्रिक हाजिरी को अस्थाई तौर पर बंद किया गया है।

इन मशीनों का बार-बार हजारों कर्मचारियों द्वारा हाजिरी लगाने या एक जगह से दूसरी जगह में प्रवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे कर्मचारियों को संक्रमण का खतरा हो सकता है.

कोरोना

कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए रद्द

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली ,5 मार्च।

कोरोना विषाणु के संक्रमण के कारण देश में होने वाले कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रद्द कर दिए गए हैं। इनको हालातों के मद्दे नजर बाद में तय तारीखों पर किया जाएगा। हालांकि वह अभी अनिश्चित काल के लिए रद्द किए गए हैं। दिल्ली में होने वाले 21वें एशियायी सुरक्षा सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है।

मनोहर परिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (सम्मेलन) ने एक बयान में कहा है कि कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर यह सम्मेलन रद्द करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि नई तारीख बाद में तय की जाएंगी। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वासे कई सम्मेलन व कार्यशालाएं रद्द कर दी गई हैं। एमिटी विश्वविद्यालय में होने वाले अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन को भी स्थगित कर दिया गया है।

कोरोना का खौफ : चीनी नागरिक ने खुद को फ्लैट में किया बंद

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 5 मार्च।

कोरोना विषाणु को लेकर लोगों में खौफ बढ़ता ही जा रहा है। एटीएस पैराडाइज सोसायटी में बुधवार रात कोरोना विषाणु के संदिग्ध मरीज ने खुद को फ्लैट में बंद कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर चीनी नागरिक ने दरवाजा नहीं खोला और रात भर अपने आपको फ्लैट में बंद रखा। काफी कोशिशों के बाद उसने गुरुवार दोपहर दरवाजा खोला। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के लिए भेजा है।

मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार रात बीटा-टू कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एटीएस पैराडाइज सोसायटी में किराए के फ्लैट में रहने वाले एक चीनी नागरिक, जो ओप्पो कंपनी में अधिकारी हैं, उसने खुद को फ्लैट में बंद कर लिया है। यह सूचना उसके दोस्त ने ही पुलिस को दी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन चीनी नागरिक ने फ्लैट का दरवाजा नहीं खोला। मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम के पहुंचने के बाद भी चीनी नागरिक ने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस टीम रात भर सोसायटी में तैनात रही। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे उसने दरवाजा खोला। स्वास्थ्य विभाग की टीम के समझाने पर चीनी नागरिक अस्पताल जाने को तैयार हुआ। एंबुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। गौतमबुद्धनगर के सीएमओ डॉ. अनुराग भार्गव ने बताया कि संदिग्ध मरीज ठीक है।

हालांकि एहतियात के तौर पर उसे ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भेजा गया है। चीनी नागरिक गत दो फरवरी को चीन से लौटा था।

दो जगह किया एटीएम पर हाथ साफ, तीसरे पर रहे नाकाम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 मार्च।

एक ही रात में बदमाशों ने तीन विभिन्न थाना क्षेत्रों में तीन एटीएम को निशाना बनाया। जैतपुर में लगे एक एटीएम को क्षतिग्रस्त कर करीब आठ लाख रुपए की चोरी कर ली गई। वहीं, पुल प्रहलादपुर में बदमाश अपने साथ एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। एटीएम में कितने रुपए थे? इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। जाम्२२ाया नगर में बदमाश एक एटीएम को उखाड़ कर वाहन से ले जा रहे थे, तभी एक राहगीर की नजर बदमाशों पर पड़ी और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बदमाश एटीएम छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने तीनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है।

दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि तीनों घटनाएं देर रात की है। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि जैतपुर के हर्ष विहार के एफ ब्लॉक में एक निजी बैंक है, जिसके एटीएम को बदमाशों ने निशाना बनाया है। बदमाशों ने एटीएम को क्षतिग्रस्त कर सात लाख 91 हजार रुपए से अधिक की चोरी की है। वहीं, पुल प्रहलादपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि एसबीआइ बैंक का एटीएम जीबी ब्लॉक में निगम के टोल टैक्स के पास स्थित है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि एटीएम को बदमाश उखाड़ ले गए हैं। शुरुआती छानबीन में एटीएम में कितने रुपए थे इस बात का पता नहीं चल सका है। इस एटीएम में किसी सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं थी।

आरपी मीणा ने बताया कि जामिया नगर थाना पुलिस को देर रात करीब पौने तीन बजे सूचना मिली कि कुछ लोग अपने साथ वाहन लेकर आए हैं और एटीएम उखाड़ कर फरार हो रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। मौके पर मौजूद रिजवान ने बताया कि उन्होंने देखा कि कुछ लोग एटीएम ले जा रहे हैं। उसने जोर-जोर से शोर मचाने लगा। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग आ गए। बदमाशों को लगा कि वे पकड़े जाएंगे तो वे एटीएस छोड़ भाग गए।

कारतूस लेकर संसद में घुसने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली, 5 मार्च। नई दिल्ली स्थित संसद के गेट नंबर आठ के पास उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक शख्स को कारतूस ले जाते वक्त संदिग्ध अवस्था में वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया। उसकी पहचान गाजियाबाद निवासी अख्तर खान (44) के तौर पर हुई है। अख्तर के पास लाइसेंसी पिस्टल का कारतूस था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बैग से तीन कारतूस बरामद किए हैं। उसने कहा कि वह प्रवेश करने से पहले बाहर निकलना भूल गया था। पुलिस ने बताया कि प्रवेश गेट पर सुरक्षा में तैनात विशेष टीम को उस पर शक हुआ तो उसे हिरासत में लिया गया, जिसके बाद इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। फिलहाल स्थानीय पुलिस और विशेष जांच टीम के अधिकारी अख्तर से पूछताछ कर रही है।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : 'एशियन वुमेन फिल्म फेस्टिवल', इंडिया इंटरनेशनल सेंटर , मैक्समूलर मार्ग, सुबह नौ बजे से, सात मार्च तक।

कोरोना का असर दिखा होली पर, हाथ मिलाने के बजाए किया जा रहा नमस्कार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 5 मार्च।

कोरोना विषाणु के खौफ के कारण होली के त्योहार पर असर पड़ता दिख रहा है। होली के अवसर पर होने वाले होली मिलन समारोह, कवि सम्मेलन समेत अन्य आयोजन रद्द किए जा रहे हैं। जो कंपनियां नियमित तौर पर अपने कंपनियों को प्रशिक्षण या कारोबार के सिलसिले में विदेश भेजती थीं, उनके कर्मचारी विदेश जाने से कतरा रहे हैं।

अभिनंदन या मुलाकात होने पर हाथ मिलाने के बजाए हाथ जोड़कर नमस्कार करने का चलन बढ़ गया है। बैंक में कर्मचारी हाथ में दस्ताने और मास्क पहनकर नोट गिन रहे हैं। यातायात पुलिस ने सभी कर्मियों को मास्क पहनने के निर्देश जारी किए हैं। बीमारी से बचने के लिए भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचने के तहत जिला अस्पताल और सरकारी डिस्पेंसरी में भी मरीजों की संख्या कुछ दिनों से कम दर्ज हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बुधवार को लिए गए 66 नमूनों में से 53 की रिपोर्ट आई है। सभी नमूने नकारात्मक पाए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। गुरुवार को स्वास्थ विभाग की टीम ने कुल 99 संदिग्ध लोगों के नमूनों को जांच के लिए एनसीडीसी भेज दिया गया है। वहीं, बुधवार को लिए गए 66 नमूने में 53 लोगों की रिपोर्ट आ गई है। इन सभी की रिपोर्ट नकारात्मक है। इन सभी का इलाज सामान्य तरीकों से किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से निजी अस्पतालों को परामर्श जारी किया गया है। साथ ही बताया गया है कि कोरोना विषाणु से संबंधित लक्षण वाला कोई भी मरीज अगर अस्पताल में आता है तो सबसे इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी जाए।

नोएडा प्राधिकरण में नोएडा एंप्लाइज एसोसिएशन के वार्षिक होली मिलन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। होली मिलन समारोह शुक्रवार को इंदिरा गांधी कला केंद्र के परिसर में होने वाला था। इसमें सभी अधिकारियों के अलावा स्थायी व अस्थायी कर्मचारी आमंत्रित थे। यहां करीब दो से तीन हजार कर्मचारियों को एकत्रित होना था। एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी राजकुमार ने बताया कि एहतियात के तौर पर कार्यक्रम को रद्द किया गया है। कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए एक परामर्श जारी किया जा रहा है।

सरकार ने लगाया मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध

कोरोना विषाणु का संक्रमण दिल्ली पहुंचने के साथ ही अस्पतालों व दुकानों में इससे बचाव के सामानों, मास्क, रोगाणुनाशक द्रव्य व अन्य जरूरी उपकरणों की भारी कमी होने लगी है। कमी के कारण इनके दामों में भी इजाफा हो गया है। डॉक्टरों को भी एक मास्क से करीब हफ्ते भर काम चलाने को कहा जा रहा है। मास्क की कमी के चलते सरकार ने विदेश से हो रही इसकी मांग के लिए निर्यात पर रोक लगा दी है। सफदरजंग अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों व कर्मचारियों को एक मस्क से हफ्ते भर काम चलाने को कहा गया है। यहां मास्क खत्म हो गए थे। इस दौरान किसी तरह कपड़े के मास्क से काम चलाने वाले डॉक्टरों ने मास्क न मिलने पर जब सुरक्षा कारणों से हड़ताल पर जाने की धमकी दी तब आनन-फानन में अस्पताल प्रशासन सक्रिय हुआ और मास्क के इंतजाम किए गए। अस्पताल में बने सुपरस्पेशियलिटी सेंटर में कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए बने अलग वार्ड में कुल करीब 45 संदिग्ध व दस पुष्ट मामलों के मरीज भर्ती हैं।

डीसीपी यातायात राजेश एस ने काम पर तैनात यातायात कर्मियों को मास्क पहनने के निर्देश दिए हैं। ड्यूटी के दौरान सर्दी-जुकाम वाले व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखने को भी कहा है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी अधिकांश समय पर सड़कों पर तैनात रहते हैं। इनमें कई जगह ऐसी हैं जहां प्रतिदिन लाखों वाहन गुजरते हैं। मौसम बदलने के चलते सड़क पर धूल व मिट्टी भी जमा रहती है। इन्हीं सब के चलते कई बार सड़क पर तैनात रहने वाले सिपाहियों को जुकाम जल्दी होता है।

दस्ताने पहनकर गिने जा रहे नोट

कोरोना विषाणु से बचने के लिए बैंक कर्मचारी भी एहतियातन मास्क लगाए दिखे। गुरुवार को नोएडा अधिकतर बैंकों में कर्मचारी भी मास्क लगाए दिखे। साथ ही नोट गिनने वाले कर्मचारी तो हाथों में दस्ताने पहनकर नोट गिनते दिखे। सेक्टर-18 स्थित एक बैंक कर्मचारियों ने बातचीत करने पर बताया कि विषाणु नोटों से भी एक दूसरे में पहुंच रहा है। क्योंकि नोट एक ही समय कई हाथों में पहुंचता है। साथ ही दोपहर का खाना एक साथ करने के बजाए अलग-अलग बैठकर लोग करते दिखने लगे हैं।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मचारी ने बड़ी हैरान कर देने वाली बातें बताईं। कर्मचारी ने बताया कि कोरोना विषाणु के खौफ के चलते उच्च अधिकारी विदेश में कंपनी की बैठक में जाने से बच रहे हैं। एक नामी निजी अस्पताल के डॉ. राजेश गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 संक्रमित व्यंक्ति जब खांसता या बोलता है तो उसके मुंह से निकलने वाले छींटों के जरिए करीब 3 फुट के दायरे में कोरोना विषाणु फैलता है। ये विषाणु आसपास की सतहों पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार संक्रमित हुए स्थान (3 फुट) के संपर्क में आने वाला व्यंक्ति सांस के जरिए संक्रमण का शिकार हो सकता है।

COURT NOTICE
In the court of Sh. Devnoor Singh
Judicial magistrate-1st class ludhiana
Publication notice for proclamation under Section 82 CR.PC
Complaint R/w sec- 138 of N. I ACT
CNR NO:PBLD03-062505-2018
PESHI: 07-04-2020
Nahar Industrial Enterprises Ltd
V/s
Sanjeev Narula
Notice To: Sanjeev Narula S/o Madal Lal Narula, C/o Liliput Kidswear Ltd. Regd Office At D -95, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi 110020
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 07-04-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand the seal of this court. For details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

www.readwhere.com

पांच बरसों में नौ देशों से मिला मोदी को राष्ट्रीय सम्मान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 मार्च।

साल 2015 से अब तक बीते पांच बरसों में नौ देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। इसके अलावा एक देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डाक्टरेट की उपाधि देकर सम्मानित किया है जबकि दुनिया के दस देशों ने प्रधानमंत्री को अपने विधानमंडलों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया।

राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के एक अतारांकित सवाल के लिखित जवाब में विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सिन्हा ने पूछा था कि 2015 तक कितने देशों ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया और कितनों ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि देकर सम्मानित किया। इसी प्रकार उन्होंने यह भी पूछा था कि बीते पांच वर्षों मे मोदी को कितने देशों ने अपने विधानमंडलों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया।

अंतरजातीय–अंतरधार्मिक शादी करने वालों को सुरक्षित घर

तिरुवनंतपुरम, 5 मार्च (भाषा)।

केरल सरकार अंतरजातीय और धर्म से बाहर शादी करने वाले दंपतियों को सुरक्षित आवास देने के लिए 'सुरक्षित घर' खोलने की तैयारी कर रही है।

शिल्पा शेट्टी और उनके पति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला

मुंबई, 5 मार्च (भाषा)।

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति राज कुंद्रा और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हुई है। उन पर गोल्ड स्कीम में एक निवेशक से धोखाधड़ी करने का आरोप है। एनआरआइ सचिन जोशी ने खार पुलिस से हाल ही में संपर्क किया था और शिकायत की थी कि उनके साथ सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने धोखाधड़ी की है। यह कंपनी पहले शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा चलाते थे।

शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने मार्च 2014 में 18.58 लाख रुपए में एक किलोग्राम सोना इस कंपनी की गोल्ड स्कीम के तहत खरीदा था। पांच साल के प्लान के तहत उन्हें एक गोल्ड कार्ड दिया गया और उसमें इस अवधि के बाद उन्हें निश्चित मात्रा में सोने को भुनाने का वादा भी किया गया था लेकिन 25 मार्च, 2019 को अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें पता चला कि कंपनी का बांद्रा कुर्ला कार्यालय बंद है। इस कंपनी से अभिनेत्री और उनके पति ने क्रमशः 2016 और 2017 में इस्तीफा दे दिया था।

सिंडिकेट बैंक

कब्जा सूचना
अचल सम्पत्ति के लिए, नियम – 8(1)

जैसा कि प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद–13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने से असफल रहने पर ऋणी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। ऋणियों/गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्तियों में किसी प्रकार का लेन–देन सिंडिकेट बैंक, संबंधित शाखाओं को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज व चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	मांग नोटिस की तिथि	कब्जा लेने की तिथि	बकाया राशि
1.	ऋणीः श्रीमति सुदेश और पति श्री जगदीश पाल सिंह, मनोज कुमार, जगदीश पाल सिंह। शाखाः मोदी नगर, गाजियाबाद।	प्लॉट खसरा नं0. 75, कृष्णा कुंज, गांव औरंगाबाद गदाना, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद (यूपी0) मालिक शामिल श्रीमति सुदेश कौर पत्नि श्री जगदीश पाल सिंह और श्री जगदीश पाल सिंह सिद्धू पुत्र स्व0 हाली राम सिद्धू। जिसकी सीमाएं– उत्तर में अन्य प्रोपर्टी, दक्षिण में 25 फिट चौड़ा रोड, पूर्व में श्री रविन्द्र का प्लॉट और पश्चिम में अन्य की प्रोपर्टी।	09.12.2019	03.03.2020	रू0. 15,74,338.54 + ब्याज एवं अन्य व्यय दिनांक 01.01.2020
2.	ऋणीः धर्म वीर पाल, धर्म वती देवी। शाखाः दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद।	खसरा नं0. 1123, जिसकी माप 41.80 स्क्वेयर मीटर, इरफान नगर, ग्राम सिहानी, गाजियाबाद। मालिक धर्मवती देवी पत्नि धर्मवीर पाल। जिसकी सीमाऐं– उत्तर में लक्ष्मी देवी का प्लॉट, दक्षिण में 15 फिट चौड़ा रोड, पूर्व में 15 फिट चौड़ा रोड और पश्चिम में जोगिन्द्र पाल का प्लॉट।	09.12.2019	05.03.2020	रू0. 3,75,661.43 + ब्याज एवं अन्य व्यय दिनांक 01.12.2019
3.	ऋणीः विनोद कुमार, भूवन चन्द जोशी। शाखाः दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद।	आवासीय मकान सिंगल स्टोरी प्लॉट नं0. सी 327, जिसकी माप 28.2 स्क्वेयर मीटर, कवर्ड एरिया 26 स्क्वेयर मीटर, ब्रज विहार कॉलोनी, सेक्टर 8 टीएचए, गाजियाबाद। मालिक भूवन चन्द जोशी। जिसकी सीमाऐं– उत्तर में मकान नं0 सी 326, दक्षिण में 80 फिट चौड़ा रोड, पूर्व में रोड और पश्चिम में मकान नं0 सी 309.	09.12.2019	02.03.2020	रू0. 10,90,801.18 + ब्याज एवं अन्य व्यय दिनांक 01.12.2019
4.	ऋणीः श्रीमति रीता वर्मा पत्नि कमल वर्मा, कमल वर्मा पुत्र प्यारे लाल वर्मा, प्रवीन कुमार त्यागी पुत्र जय प्रकाश त्यागी। शाखाः दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद।	फ्री होल्ड आवासीय भूमि और बिल्डिंग मकान नं0. 130, जिसकी माप 20.80 स्क्वेयर मीटर, मोहल्ला पूर्वी इलिचन्द, गाजियाबाद उत्तर – प्रदेश मालिक श्रीमति रीता वर्मा पत्नि कमल वर्मा। जिसकी सीमाऐं– उत्तर में अन्य का मकान, दक्षिण में रोड, पूर्व में यशपाल चोपड़ा की सम्पत्ति और पश्चिम में लोका और रामरती।	23.10.2018	03.03.2020	रू0. 3,43,115.33 + ब्याज एवं अन्य व्यय दिनांक 01.10.2018

दिनांकः 05-03-2020 क्षेत्रीय कार्यालयः गाजियाबाद। प्राधिकृत अधिकारी

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए.यू. फाईनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

रजिस्टर्ड ऑफिसः 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट-IV-A
नियम 8(6) के लिए देखें
अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्तें व नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति की नीलामी विक्रय सूचना

आमजन एवं व्यक्ति विशेष देनदारों तथा जमानती को सूचित किया जाता है कि निम्न उल्लेखित प्रत्याभूत ऋणदाता की गिरवी/प्रभारित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा **एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयू फाईनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था, प्रत्याभूत ऋणदाता ''जैसा है जहाँ है ''जो भी और जैसा भी है के आधार पर विक्रय करने जा रहे है। प्रकरणों का विशेष विवरण इस प्रकार है-

ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता का नाम	13(2) नोटिस की दिनांक व राशि	कब्जा दिनांक	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	नीलामी की तिथि व समय	निविदा जमा कराने की तिथि व समय	निविदा खोलने, जमा कराने व नीलामी का स्थान एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड	सम्पर्क सूत्र व संपत्ति विजिट दिनांक
गिरीराज कमल पुत्र चान्द अमर गिरी (ऋणी एवं बन्धककर्ता), श्रीमती आशा देवी पत्नी गिरीराज कमल (सह-ऋणी) लोन खाता नं. LSKRL02714-150310876 (L9001060100159215)	21 अगस्त 2017 ₹1589599/- रुपये पन्द्रह लाख नवासी हजार पांच सौ निन्यानवें मात्र	20 सितम्बर 2019	फ्लेट नं. 50, दूसरा फ्लोर छत के अधिकार सहित, वृन्दावन गार्डन, गांव पासोन्दा परगाना, लोनी, तह. गाजियाबाद, उ.प्र. क्षेत्रफल : 56.85 वर्ग मीटर	₹ 901000/- रुपये नौ लाख एक हजार मात्र	₹ 50000/- रुपये पचास हजार मात्र	27 मार्च, 2020 समय प्रातः 10.30 से अपरान्ह 2 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	26 मार्च 2020 समय प्रातः 10.00 से सायं 5 बजे तक	एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालयः- 705 से 706, 801 से 804, रूद्रस टॉवर, 7वां व 8वां फ्लोर, जिला सेन्टर लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092	उज्जवल चौधरी 8130303695 26-मार्च, 2020

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड की वेबसाईट पर दिये गये लिंक https://www.aubank.in/bank-auction पर देखें।
नोटः– यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिये नियम 8(6) सहपठित नियम 9(1) के अधीन 15 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा। यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा इस अवधि में नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर विक्रय की जाएगी।

स्थानः जयपुर दिनांकः 05-मार्च-2020 **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement.

RO JEWELS LIMITED

(CIN: U74999GJ2018PLC105540)

Our Company was originally incorporated RO Jewels Private Limited under the Companies Act, 2013 vide certificate of incorporation dated December 11, 2018 issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre, Manesar. Subsequently, Our Company was converted in to a public company pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the EGM held on September 20, 2019 and consequently name was changed to "RO Jewels Limited" (ROJL) vide fresh certificate of incorporation dated October 01, 2019 issued by Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli. Our Company has acquired the entire business of Proprietorship Concern of one of our Promoter- Mr. Bharat Rasiklal Shah viz. M/s Ravi Ornaments through the Business Succession Agreement dated December 18, 2019 which is effective from May 31, 2019. For further details of our Company, see "General Information" and "History and Certain Other Corporate Matters" on pages 40 and 87, respectively.

Registered Office: 202, Shri Virkala Complex, M.G. Haveli R, Manekchowk Co. Op Bank, Manekchowk, Ahmedabad, Gujarat, India, 380001; Tel. No.: +91 79 22144429/ 22153329; Email: compliancerojewels@gmail.com; Website: www.rojewels.in; Contact Person: Ms. Pooja S. Jadiya, Company Secretary & Compliance Officer

PROMOTER OF THE COMPANY: MR. BHARAT RASIKLAL SHAH, MRS. PRAVINABEN SHAH AND MR. SHUBHAM BHARATBHAI SHAH

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 13,65,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF RO JEWELS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER COMPANY") FOR CASH AT A PRICE ₹36/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 26/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹491.40 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 69,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR A CASH PRICE OF ₹ 36/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 24.84 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 12,96,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 36.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹466.56 LAKHS (IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 48.20 % AND 45.76 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 165 OF THIS PROSPECTUS.

ISSUE **OPENS ON THURSDAY, MARCH 12, 2020**
CLOSES ON TUESDAY, MARCH 17, 2020

FIXED PRICE ISSUE AT ₹36 PER EQUITY SHARE

THE ISSUE PRICE OF ₹ 36.00 IS 3.6 TIMES OF THE FACE VALUE.

MINIMUM APPLICATION SIZE OF 3,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 3,000 EQUITY SHARES THEREAFTER

ASBA*
Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!
*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.
Mandatory in Public Issues from January 01, 2016
No cheque will be accepted.

UPI now available in ASBA for retail individual investors applying through Registered Brokers, DPs, & RTAs.
Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being blocked by ASBA Bank.
List of Banks supporting UPI is also available on SEBI at www.sebi.gov.in

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 174 of the Prospectus. The process is also available on the website of AIBI and Stock Exchange in the General Information Document. ASBA forms can be downloaded from the website of BSE and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

The Application Forms which do not have the details of the Applicant's depository account including DP ID, PAN, UPI ID (in case of RIBs using the UPI mechanism) and Beneficiary Account Number shall be treated as incomplete and rejected. In case DP ID, Client ID and PAN mentioned in the Application Form and entered into the electronic system of the stock exchange, do not match with the DP ID, Client ID and PAN available in the depository database, the application is liable to be rejected. Applicants will not have the option of getting allotment of the Equity Shares in physical form. The Equity Shares on allotment shall be traded only in the dematerialised segment of the Stock Exchange.

PROPOSED LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated January 31, 2020 from BSE Limited ("BSE") for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. However investors may refer to the entire Disclaimer Clause of BSE beginning on page 157 of the Prospectus. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Prospectus was furnished to SEBI in soft copy. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 154 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited (BSE) should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to page 157 of the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause pertaining to BSE".

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
FIRST OVERSEAS CAPITAL LIMITED 1-2 Bhupen Chambers, Dalal Street, Fountain, Mumbai – 400 001, Maharashtra, India. **Tel No.:** +91 22 4050 9999 **Fax No:** +91 22 4050 9900 **Email:** rushabh@focl.in/ satish@focl.in / mala@focl.in **Investor Grievance Email:** investorcomplaints@focl.in **Website:** www.focl.in **SEBI Registration No:** INM000003671 **Contact Person:** Rushabh Shroff/ Satish Sheth / Mala Soneji	**KFIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED** Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032 **Tel. No.:** +91 40 6716 2222 **Fax No.:** +91 40 2343 1551 **E-mail:** einward.ris@kfintech.com **Investor Grievance Email:** rojewels.ipo@karvy.com **Website:** www.kfintech.com **Contact Person:** Mr. M Murali Krishna **SEBI Registration No.:** INR000000221	Ms. Pooja S. Jadiya **RO JEWELS LIMITED** **Registered Office:** 202, Shri Virkala Complex, M.G. Haveli R, Manekchowk Co. Op Bank, Manekchowk, Ahmedabad, Gujarat, India, 380001; **Tel. No.:** +91 79 22144429/ 22153329; **Email:** compliancerojewels@gmail.com; **Website:** www.rojewels.in Applicants can contact the Compliance Officer or the LM or the Registrar to the Issue in case of any Pre- Issue or Post- Issue related problems, such as non-receipt of Allotment Advice or credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or unblocking of funds etc.

BANKER TO THE ISSUE AND SPONSOR BANK: AXIS BANK LIMITED

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: The Application Forms and copies of the Prospectus may be obtained from the Registered Office of Janus Corporation Limited, Lead Manager: First Overseas Capital Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can also be obtained from the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Application Forms can also be downloaded from the website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus shall be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of Lead Manager at www.focl.in and the website of the Issuer Company at www.rojewels.in.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section, "Risk Factors" on page 19 of the Prospectus.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Main Objects of the Company as per MoA: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 87 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 261 of the Prospectus.

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is Limited.

Capital Structure: Authorized Capital of ₹ 2,85,00,000 consisting of 28,50,000 Equity Shares of ₹ 10 each.

Pre Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 1,46,70,830 consisting of 14,67,083 Equity Shares of ₹.10 each. Post Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 2,83,20,830 consisting of 28,32,083 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled "Capital Structure" beginning on page 49 of the Prospectus.

Names of the signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Mr. Bharat Rasiklal Shah (3,000 Equity Shares); Mrs. Pravinaben Shah (3,000 Equity Shares); and Mr. Shubham Bharatbhai Shah (4,000 Equity Shares).

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated March 04, 2020.

Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 19 of the Prospectus before making any investment decision.

For RO Jewels Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Shubham Bharatbhai Shah
Managing Director

Place: Ahmedabad
Date: March 05, 2020

For RO Jewels Limited subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli. The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.focl.in, the website of the BSE i.e. www.bseindia.com, and website of the Issuer Company at www.rojewels.in. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 19 of the Prospectus, which has been filed with ROC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933

Sanjeet Comm

REGENCY HOSPITAL LIMITED

CIN: U85110UP1987PLC008792
Regd. Office: A-2, Sarvodaya Nagar, Kanpur
Ph: 0512-3501111, Fax: 0512-2213407
Email: investor@regencyhealthcare.in, Website: www.regencyhealthcare.in

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the EXTRA- ORDINARY GENERAL MEETING of the Members of the Company will be held on, **Friday, 27th March, 2020** at 11:30 A.M. at the Registered Office of the Company at A-2, Sarvodaya Nagar, Kanpur, to transact the business as set out in the Notice which, along with the Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, has been sent to the members individually through electronic mode, who have registered email IDs with the Depository Participants/ Registrar and Transfer Agents and to other members in physical mode to their registered address.

In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is providing remote e -voting facility to its members for voting on the business as specified in Notice of the Meeting and the business may be transacted through e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

Members are informed that:

(a). Notice of the Meeting along with detailed procedure of remote e-voting has been sent to all the members of the Company on **05th March, 2020.**
(b). The remote e-voting period commences on **Tuesday, 24th March, 2020** (09:00 A.M) and ends on **Thursday, 26th March, 2020** (5:00 P.M).
(c). Cut-off date for providing E-Voting: **Friday, 20th March, 2020.**
(d). Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after **Friday, 06th March, 2020** i.e. BENPOS date considered for dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. **Friday, 20th March, 2020,** may obtain the login id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.
(e). Remote e-voting shall not be allowed beyond **Thursday, 26th March, 2020** (5:00 P.M).
(f). The facility of voting through ballot paper shall be made available at the Meeting. Members attending the Meeting, who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting through ballot paper.
(g). Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the Meeting, may also attend the meeting, but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting.
(h). A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. **Friday, 20th March, 2020,** shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
(i). Notice of the Meeting is available on Company's website at the link: http://regencyhealthcare.in/wp-content/themes/medicare/pdf/notice-for-03-2020.pdf and shall also be available at the registered office as well for inspection during office hours on all working days up to the date of the meeting. Notice of meeting is also available on the website of NSDL at http://www.evoting.nsdl.com
(j). In case of any queries regarding remote e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and remote e-voting manual available at downloads section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990. In case of any grievances connected with facility for remote e-voting, please contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, 4th floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, Email: rajivr@nsdl.co.in, Tel.: 91 22 24994200, 24994738.

For **REGENCY HOSPITAL LTD.**
Sd/-
(Ajay Kumar Trivedi)
Company Secretary

Date : 06.03.2020
Place : Kanpur

आइओएल केमिकल्स एंड फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ट्राईडेंट कॉम्प्लेक्स, रायकोट रोड, बरनाला 148101, पंजाब
CIN: L24116PB1986PLC007030 www.iolcp.com
फोन नं. +91-1679-244701-07, फैक्सः +91-1679-244708, ई-मेलः contact@iolcp.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 42 व 47 तथा उसके अधीन लागू नियमों के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुवर्ती एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने अंतरिम लाभांश, यदि **बुधवार, 11 मार्च, 2020** को अधिसूचित इसकी बैठक में कंपनी के निदेशकों के बोर्ड द्वारा घोषित किया जाता है, की अदायगी के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए **रिकार्ड तिथि** के तौर पर **वीरवार, 19 मार्च, 2020** को निश्चित किया है।

इस सूचना का आगामी विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.iolcp.com तथा शेयर बाजार की वेबसाइट जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात www.nseindia.com और www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते आइओएल केमिकल्स एंड फर्मास्युटिकल्स लिमि.
ह./– (अभय राज सिंह)
एवीपी तथा कम्पनी सचिव

स्थान: लुधियाना
दिनांक: 04 मार्च, 2020

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

एच एफ सी एल सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	एच एफ सी एल सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	09/02/1999
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	CIN : U64201DL1999PLC098301
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** फ्लैट नंबर 217, दूसरी मंजिल, देविका टावर 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली –110019
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	24/02/2020 (आदेश दिनांक 04/03/2020 प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	22/08/2020 (दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**उमेश गुप्ता** **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P00848/2017-18/11431
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	यूनिट नंबर 111, पहली मंजिल, टॉवर–ए, स्पेजऐज कॅमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर –47, सोहना रोड, गुरुग्राम –122018 **ईमेल :** umesh@vamindia.in
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	इनेक्युलेट रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट नंबर 112, पहली मंजिल, टॉवर–ए, स्पेजऐज कॅमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर –47, सोहना रोड, गुरुग्राम –122018 **ईमेल :** cirp.hfcl@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	18/03/2020 (आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से 14 दिन)
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 6 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध हैं :	(क) वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली बेंच–II ने दिनांक **24 फरवरी 2020** को **एच एफ सी एल सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

एच एफ सी एल सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **18 मार्च 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के सामने वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के सदस्य सम्बन्धित वित्तीय लेनदार (लागू नहीं) जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के सामने सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के सामने सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनलों में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र सीए (लागू नहीं) में निर्दिष्ट करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
उमेश गुप्ता
एच एफ सी एल सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00848/2017-18/11431

दिनांक : 05 मार्च 2020
स्थान : गुरुग्राम

www.readwhere.com

जनसत्ता

समझौते के बाद

हाल में अमेरिका और तालिबान के बीच ऐतिहासिक महत्त्व के समझौते की खबर आने के बाद से ही यह आशंका जताई जा रही थी कि क्या इससे तालिबान के रुख में बदलाव आएगा और अब वहां शांति बहाली की दिशा में कोई सकारात्मक स्थिति बनेगी! अब एक हफ्ते के भीतर तालिबान का जो रुख सामने आया है, उससे साफ है कि दुनिया की महाशक्ति के साथ हुए समझौते की अहमियत भी तालिबान की नजर में शून्य है और उसके लिए अपनी सोच ज्यादा मायने रखती है। गौरतलब है कि बुधवार को अफगानिस्तान की सेना के अलग-अलग अड्डों पर तालिबान के कई गुटों ने व्यापक हमला किया। कुल सोलह प्रांतों में किए गए तैंतीस हमलों में कई आम नागरिकों सहित कम से कम इक्कीस लोगों की जान चली गई और उनतीस से ज्यादा घायल हो गए। सवाल है कि जब अमेरिका ने तालिबान के साथ समझौता किया, तो क्या उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसमें सहमति के बिंदुओं पर किस स्तर पर अमल सुनिश्चित किया जाएगा? या फिर क्या इस समझौते में शांति कायम करने की बातें सशर्त थीं? अगर नहीं, तो महज तीन दिन पहले हुए समझौते के बाद ही ऐसी नौबत क्यों आई कि तालिबान ने सारी उम्मीदों को धता बताते हुए फिर आतंक मचाना शुरू कर दिया?

हालांकि अमेरिका के रक्षामंत्री मार्क एस्पर ने कहा था कि तालिबान के साथ समझौता अफगानिस्तान में युद्ध की समाप्ति के लिए राजनीतिक समाधान का पहला कदम है। पर इस दावे के बावजूद यह समझौता एक औपचारिक गतिविधि की तरह ही लग रही थी, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जिन समूचे इलाके में तालिबान की गतिविधियां जिस स्तर पर चल रही थीं, उस पर पूरी तरह रोक लगना इतनी आसानी से संभव नहीं था। खासकर तालिबान के प्रभाव वाले क्षेत्रों में इस बात की उम्मीद कम ही थी कि अन्य गुटों के साथ-साथ खुद उसकी गतिविधियों में कोई बड़ा फर्क आएगा। अब तालिबान ने उससे आगे बढ़ कर यह बताया है कि न केवल दूसरे गुटों की हिंसक गतिविधियों पर उसके केंद्रीय स्तर का कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि उसकी ओर से संगठित रूप से भी मनमानी चलाई जा सकती है। साफ है कि तालिबान के साथ अगर शांति स्थापित करने के मकसद से किसी तरह का समझौता होता है, तो उसे किन चुनौतियों से रूबरू होना पड़ सकता है।

दरअसल, लंबे समय के जद्दोजहद के बाद पिछले अठारह सालों में अब जाकर यह संभव हो सका था कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने की बात मान गया था। इसी क्रम में अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते के तहत यह तय हुआ था कि चौदह महीने के भीतर अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला लेगा। लेकिन ताजा समझौते के बाद से ही विशेषज्ञों का मानना था कि इसे बनाए रखना आसान नहीं होगा। इस लिहाज से देखा जाए तो तालिबान की ओर से हुए ताजा आतंकी हमले हैरत में नहीं डालते। मगर सवाल है कि इस तरह आतंक के रास्ते तालिबान अपने प्रभाव वाले इलाकों में समस्या का कौन-सा हल निकाल सकेगा? यों तालिबान के काम करने के तौर-तरीके और प्रकृति पर जिनकी निगाह रही है, उन्हें उसके इस रुख का अंदाजा पहले से था। लेकिन अब मुश्किल यह खड़ी हो गई है कि अगर अमेरिका की ओर से शीर्ष स्तर पर किए गए समझौते के बावजूद तालिबान अपने आतंकी रवैये में बदलाव नहीं ला सका और शांति स्थापित करने में उसकी कोई रुचि नहीं दिखती है, तो आने वाले दिनों में युद्ध की स्थिति को कैसे खत्म किया जा सकेगा!

सुगम कारोबार

अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार से चिंतित सरकार कई उपाय आजमा रही है। कारोबार के क्षेत्र में तेजी लाना उसके लिए पहली चुनौती है, क्योंकि इस क्षेत्र की रफ्तार धीमी होने से न सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद में कमी दर्ज हो रही है, बल्कि रोजगार सृजन के मोर्चे पर भी अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पा रही। इसके अलावा बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए भी कई प्रयास किए गए, पर लक्ष्य तक पहुंचना अब भी मुश्किल बना हुआ है। बैंकों का कारोबार धीमा होने के पीछे एक बड़ा कारण रोजगार के अवसर पैदा न हो पाना और फिर लोगों की क्रयशक्ति घटना है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कारोबार में सुगमता लाने के मकसद से कंपनी कानूनों में बहत्तर संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कुछ कर प्रावधानों और वित्त विभाग की सख्ती को लेकर कॉरपोरेट जगत नाराज बताया जा रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए भी कुछ नियमों को लचीला बनाया गया है। इस तरह माना जा रहा है कि इससे कंपनियों को बेवजह सरकारी अड़ंगेबाजी से मुक्ति मिलेगी और उन्हें अपने कारोबार का विस्तार करने और उत्पादन, सेवाएं आदि बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

मौजूदा कानून में कारोबारियों के कामकाज में मामूली गड़बड़ी पाई जाने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान था। इसके लिए भारी जुर्माने का भी नियम बना दिया गया था। इससे वित्त विभाग के अधिकारी कारोबारियों को नाहक परेशान करते देखे जा रहे थे। स्वाभाविक ही इससे कारोबारियों में नाराजगी थी। अब कंपनी नियमों में से आपराधिक सजा वाले प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा छोटी कंपनियों को भी सामाजिक दायित्व समिति बनाने का नियम था। इसके चलते वे अपनी कमाई का तय हिस्सा सामाजिक कार्यों के मद में खर्च करने को बाध्य थीं। इसके चलते मंदी के दौर में भी कई कंपनियों पर बेवजह बोझ बढ़ रहा था। इसके अलावा इस कानून का पालन न करने पर कंपनियों को सख्त सजा का प्रावधान था। नए प्रस्ताव में इस कानून को लचीला बना कर पचास लाख रुपए से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर ही सामाजिक दायित्व समिति गठन करने का प्रावधान लागू होगा। भारतीय बाजार में सबसे अधिक हिस्सा छोटे कारोबार वाली कंपनियों का है। फिर वही सबसे अधिक रोजगार का सृजन करती हैं। जबकि हकीकत यह भी है कि बाजार में मंदी की मार भी सबसे अधिक उन्हीं पर पड़ती है। चूंकि बड़ी कंपनियों की तरह उनके पास मंदी के दौर में भी अपने कारोबार को चलाए रखने की पर्याप्त पूंजी नहीं होती, इसलिए वही छंटनी और कारोबार सिकोड़ने जैसे कदम अधिक उठाती हैं। ऐसे में उन पर सामाजिक दायित्व निभाने की बाध्यता लागू करने से नाहक बोझ बढ़ गया था। इसलिए नए प्रस्तावों के तहत उन्हें राहत देने का फैसला उचित कहा जा सकता है।

बैंकों के विलय की प्रक्रिया को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है। इससे घाटे में चल रहे बैंकों को मुनाफे वाले बैंकों से जोड़ देने पर खर्च कम होगा और कर्मचारियों का अतिरिक्त बोझ भी घटेगा। इस तरह वे अपने खर्च से बची पूंजी का उपयोग अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में कर सकेंगे। मगर चूंकि बाजार में मंदी का दौर है और लोगों की क्रयशक्ति को दुबारा बढ़ाने के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे, इसलिए बैंकों के कर्ज कारोबार में गति नहीं आ पा रही। देखना है, सरकार के कंपनी कानूनों में बदलाव का अर्थव्यवस्था को कितना लाभ मिल पाता है।

कल्पमेधा

पुराना कोट पहनो और
नई किताब खरीदो।
- थोरो

मनोरंजन का मनोविज्ञान

वंदना यादव

फिल्मों के विषय और दर्शकों की उपस्थिति के बीच फिल्म का 'मनोरंजक' होना पहली शर्त रही है। आज का दर्शक आपाधापी की दुनिया में कुछ हल्के-फुल्के लम्हों की चाहत में सिनेमाघर जाता है। कोरा ज्ञान या शिक्षा लेने की गरज से फिल्म देखने कोई नहीं जाता। हां, उसी मनोरंजन के साथ उन्हें कुछ खास परोस दिया जाए तो उसे स्वीकारने में दर्शक पीछे भी नहीं हटते।

मनोरंजन जगत का कैनवास विस्तृत होने के साथ-साथ विशाल भी है। यहां सामाजिक यथार्थ से लेकर कोरी कल्पना पर आधारित फिल्मों का निर्माण भी होता रहा है। कहना न होगा कि यह व्यवसाय सीधे-सीधे धनोपार्जन से जुड़ा है। यहां सफलता के मायने मुनाफा कमाने और विफलता का अर्थ घाटे से होता है। अलग-अलग समय पर सामाजिक मानसिकता और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए निमार्ताओं ने कहानियों का चयन किया, जिसमें वे सफल भी हुए और विफल भी। इस व्यवसाय का सीधा संबंध आम दर्शकों की रुचि से है। वे किसी विषय और निर्माण में इस्तेमाल की गई तकनीक को पसंद करेंगे, तभी अपनी जेब से पैसा खर्च करके फिल्म की टिकट खरीदेंगे। यानी फिल्म की सफलता का सफर दर्शकों के मनोवैज्ञानिक कसौटी से होकर गुजरता है।

एक सच यह है कि एक ही समय में, एक ही काम से सबको खुश करना कठिन काम है। इस स्थापित सच्चाई के साथ सिनेमा बनाते समय हरेक दर्शक की नब्ज पकड़ना असंभव है। इसके बावजूद फिल्म निर्माता इस जोखिम को उठाते हैं। कई चुनौतियों के साथ जब वे अपने दौर के लोकप्रिय सिनेमा के विषय से हट कर नए विषय को उठाते हैं, तब दरअसल वे मनोवैज्ञानिक आधार पर खेल रहे होते हैं। बदलाव सुखद भी हो सकता है और कभी-कभी इसके परिणाम बिल्कुल उलट भी आ जाते हैं। बहुत बार किसी फिल्म के विषय, उसमें मौजूद संस्कृति, रंग, भाषा, पहनावा और बोलचाल ने समीक्षकों और दर्शकों को चौंकाया। फिल्म के लेखन से लेकर निर्माण-वितरण तक से जुड़ा हर व्यक्ति अपनी फिल्म को सफल होते, करोड़ों का कारोबार करते हुए देखना चाहता है।

किस दौर में किस तरह की कहानी लिखी जाए, जिसे दर्शक पसंद करें, यह पता लगाना जटिल काम है। सामाजिक, आध्यात्मिक, फैंटेसी या किसी अन्य ग्रह आदि की कहानी के दौर समय-समय पर आते-जाते रहे हैं। पिछले दिनों कुछ समय ऐसा भी आया जब 'री-मेक' बनाए गए। इस समय हम उस दौर में हैं जहां अपने रोल-मॉडल पर फिल्म बनाने का दौर चल रहा है। इसी बीच कुछ फिल्में ऐसी भी आईं, जिनके विषय और उसकी प्रस्तुति अपने दौर की अन्य फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। इसके बावजूद वे भी दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने और अच्छा व्यवसाय करने में सफल रहीं। कुल मिला कर कहा जाए कि हिंदी सिनेमा उद्योग पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करती है, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

फिल्म निर्माण से जुड़े लोग हमारे समाज का हिस्सा हैं, इसीलिए उन पर भी सामाजिक घटनाएं अपना असर डालती हैं। ऐसी फिल्मों का कथानक समाज में घटित किसी घटना को लेकर ही बुना जाता है। ऐसा भी हुआ कि किसी फिल्म के विषय ने दर्शकों को प्रभावित किया, यानी फिल्म की कहानी ने बड़ी संख्या में दर्शकों पर प्रभाव डाला। 'एंग्री यंगमैन' की भूमिका निभाने वाले अमिताभ बच्चन की फिल्मों ने उस दौर के युवाओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। इस तरह की फिल्मों में 'जूली', 'चोरनी', 'प्यार झुकता नहीं', 'जो जीता वही सिकंदर', 'बंटी-बबली' आदि याद की जाएंगी, जिन्होंने दर्शकों को मनोवैज्ञानिक स्तर पर लंबे समय तक प्रभावित किया।

दूसरे ग्रह से आए एलियन पर बनी फिल्मों ने अन्य ग्रहों के प्रति मानव मनोविज्ञान को प्रभावित किया तो वहीं महानगरीय भाग-दौड़ के चित्रण वाली हों या महत्त्वाकांक्षा पर आधारित फिल्मों ने भी व्यस्त दिखने वाले जीवन की खोखली तस्वीर दिखा कर शहरों की ओर पलायन कर रहे युवाओं और उनके परिवारों को चेताया। इसी कड़ी में 'परिवार प्रथम' वाले विषय ने आज के एकल परिवारों में रह रहे दर्शकों के विचार तंतु को गहराई से प्रभावित किया। 'मित्रता' विषय को लेकर बनी फिल्में हर कालखंड में सफल रहीं हैं। यहां तक कि घुमक्कड़ी को मुख्य विषय बना कर बनाई गई फिल्मों ने भी यात्राओं के प्रति दर्शकों को बहुत अधिक आकर्षित किया। खिलाड़ियों को सुनहरे परदे पर देख कर युवाओं ने खेलों को अपना जुनून और जीविकोपार्जन का जरिया बनाने की पहल भी की। यह मनोविज्ञान है कि जो हमें आकर्षक दिखाई देता है, रोमांच पैदा करता है, हम उसकी ओर सहजता से आकर्षित हो जाते हैं।

सिर्फ सुंदर दिखने और आकर्षित करने वाले विषय ही दर्शकों को अपनी ओर नहीं खींचते, बल्कि गंभीर विषयों और सामाजिक संरचना पर सवाल उठाने वाले सिनेमा ने भी दर्शकों को उकसाया है। इस तरह के सिनेमा का एक दर्शक वर्ग रहा है, जिसने ऐसी फिल्मों को पसंद किया। मगर आज शिक्षा के प्रसार और सुलभता से उपलब्ध मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों ने ऐसे सिनेमा के लिए भी बड़ी संख्या में दर्शक जोड़ लिए हैं। फिल्मों के विषय और दर्शकों की उपस्थिति के बीच फिल्म का 'मनोरंजक' होना पहली शर्त रही है। आज का दर्शक आपाधापी की दुनिया में कुछ हल्के-फुल्के लम्हों की चाहत में सिनेमाघर जाता है। कोरा ज्ञान या शिक्षा लेने की गरज से फिल्म देखने कोई नहीं जाता। हां, उसी मनोरंजन के साथ उन्हें कुछ खास परोस दिया जाए तो उसे स्वीकारने में दर्शक पीछे भी नहीं हटते।

हमारा समाज हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है। यही कारण है कि घर से बाहर शुरू किए गए हर नए व्यवसाय में पुरुषों का वर्चस्व रहा। ऐसे में पुरुषों ने अपने नजरिए से समाज का चित्र खींचा। इस क्रम में अलग-अलग दौर के सिनेमा में शुरू से नायक प्रधान फिल्में बनती रहीं, मगर जब कभी किसी निर्माता ने लीक से हट कर कुछ प्रयास किए, तब उन्हें आश्चर्यजनक सफलता भी मिली। आज तक जितनी भी महिला प्रधान फिल्में बनी हैं, उनमें 'मदर इंडिया' को प्रमुखता से याद किया जाता है। उसके बाद से आज तक अनेक फिल्में बनीं, मगर उन्हें विषय की गहराई और यथार्थ से परे होने का खमियाजा भुगतना पड़ा। कुछ समय पहले आई 'क्वीन' ने महिला मन की बात को समाज के सामने रखा, मगर ऐसी फिल्में गिनती की हैं जो सही सोच और तकनीक के साथ बनाई गईं।

यह सच्चाई है कि अगर महिलाएं आधी आबादी हैं तो उनके सरोकार भी आधा स्थान मांगते हैं। सिर्फ नायक प्रधान फिल्में कब तक पूरे समाज का सामाजिक मनोरंजन करेंगी? आज महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। वे अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। वे समाज में समानता चाहती है, जहां पति-पत्नी का समान दर्जा हो। वह नायक की हां में हां मिलाने वाली प्राचीन भारतीय नारी की छवि से अलग अपनी स्वतंत्र सोच रखने वाली आज की महिला है। वह अपनी पसंद-नापसंद रखती है और उसे अपनी बात कहना भी आता है। इतनी सचेत होती जा रही महिलाओं के मनोविज्ञान को फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों ने भी समझा है, इसीलिए कभी-कभार वे इस विषय पर भी फिल्में बनाने लगे हैं।

हाल ही में एक फिल्म आई 'थप्पड़', जिसमें पति अपनी पत्नी को एक पार्टी में सबके बीच थप्पड़ मारता है। हमें यह स्वीकारना होगा कि ऐसा व्यवहार सदियों से चला आ रहा है, जब पुरुष अपने निकटतम रिश्ते में रह रही महिला पर अपनी मर्दानगी का रौब झाड़ता रहा है। वह पत्नी, मां, बेटी आदि स्त्रियों पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आता। ऐसे में उसकी शिकायत करने या उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए पारंपरिक हिंदी सिनेमा प्रेरित नहीं करता, बल्कि वह इस माध्यम से भी स्त्री को घरेलू महिला होने का संदेश देता-सा नजर आता है। यानी थप्पड़ खाकर चुप रहना औरत की नियति है! जिन महिलाओं ने इसके विरोध में आवाज उठाई, हर बार उन्हें उपहास या बहिष्कार का केंद्र बना दिया गया। यह भी मनोविज्ञान ही है कि महिलाओं को अपने हक की आवाज उठाने से भी रोक दिया गया। देखना होगा कि घरों की चारदिवारियों के भीतर दबे-कुचले वे कितने शरीर हैं जो अपनी आत्मा पर इस तरह के घाव छिपाए खामोश रहते हैं। क्या फिल्म 'थप्पड़' की गूंज महिला मन के मनोविज्ञान को भी गुंजायमान करेगी! इस माध्यम से सिर्फ महिला ही नहीं, हर रिश्ते में रहने वाले दबाव झेलते कितने लोगों पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा!

इंसानियत का मजहब

सरस्वती रमेश

दुनिया मेरे आगे

हमारा समाज धर्म के नाम पर कर्मकांडों में जकड़ा हुआ है। यह सच है कि आधुनिक शिक्षा ने कुछ हद तक इस जकड़न को तोड़ा है, लेकिन धर्म को लेकर हमारी सारी आधुनिकता ज्ञान चुनाव लड़ते समय और वोट देते समय धरा का धरा रह जाता है। या यों कहिए राजनीति में जाति-धर्म की प्रासंगिकता को कोई भी आधुनिक हथियार अब तक नहीं काट पाया है। हमारे जीवन और समाज में जातीयता की अवधारणा को जीवित रखने में राजनीति ने जितनी भूमिका निभाई है उतनी अन्य चीजों ने नहीं।

स्वामी विवेकानंद ने 1892 में कहा था- 'धर्म राष्ट्र के शरीर का रक्त है। हमारी सभी बड़ी बीमारियों का कारण इस रक्त की अशुद्धता है।' रक्त की इस अशुद्धता को बढ़ाने में सामाजिक जड़ता और राजनीतिक दलों की क्षुद्र राजनीति ने अहम भूमिका निभाई है। धर्म की आड़ में स्वार्थ की राजनीति करने से शायद ही कोई दल बाज आता है। हां 'नरम' और 'सख्त' तरीके का अंतर जरूर रहता है। लेकिन अपनाया जा रहा हर तरीका विकृतियां बढ़ाता गया है।

धर्म का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, वह गांधी की व्याख्या से विलग है। धर्म की अपरिहार्यता को तो गांधी ने भी स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था- 'जो ये कहते है कि धर्म का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, वे नहीं जानते है कि धर्म क्या है।' लेकिन क्या आज राजनीति का जो संबंध धर्म से है, वैसे संबंध की कल्पना गांधी ने की थी? कतई नहीं। गांधी ने तो कहा था- 'मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है। अहिंसा उसे साकार करने का साधन है।' आज तो जिस तरह धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, वह सत्य से जितना दूर है, उतना ही दकियानूस विचारों से भरा हुआ।

कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम बताया था। शायद इस अफीम का ही असर है कि हमारे समाज में धर्म के नाम पर अथाह धन बहाया जाता है, अनगिनत जानवरों की बलि दी जाती है, इंसान-इंसान में भेद किया जाता है और जाति-संप्रदाय के नाम पर बदसलूकी की जाती है। यहां तक कि धर्म के नाम पर जनसंहार हुए, दंगे हुए। फिर भी आज तक हम नहीं चेते। धर्म के नाम पर समाज में विभाजन को मिटाने के लिए कोई समुचित व्यवस्था हम आज तक नहीं कर पाए।

धर्म के प्रति इस दीवानगी को देखने के लिए समाज में ही झांक लिया जा सकता है। कोई परिवार कितना भी पढ़ा-लिखा आधुनिक विचारों वाला क्यों न हो, किसी न किसी ज्योतिषी, बाबा या धार्मिक समाज से अवश्य जुड़ा हुआ मिलेगा। यही हाल दूसरे समुदायों, पंथों का भी है। हमारी धार्मिक किताबें हमें कौन-सा राह बता रही हैं और हमें इंसान बनने में कितनी मददगार हैं? यहां तो जो कोई किसी धर्म-मजहब को नहीं मानता या धर्म से जुड़े रीति-रिवाजों को नहीं निभाता, उसकी ओर सब शंकालु और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अगर किसी कर्मकांडी परिवार के युवक-युवती ने आधुनिक ज्ञान के चलते कर्मकांडों से किनारा किया तो पूरा समाज और परिवार मिल कर उससे किनारा करने पर उतारू हो जाता है।

मैंने बहुत सारे ऐसे प्रगतिशील लोगों को देखा है जो धर्म और जाति के खिलाफ भाषण तो खूब देते है, लंबे-लंबे लेख लिखते हैं, लेकिन अगर उनका बेटा या बेटी अंतरजातीय विवाह करना चाहे तो उसे रोकने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मेरी राय में ऐसे लोग पारंपरिक जाति-व्यवस्था के मानस में जीने वालों के मुकाबले ज्यादा बड़ी समस्या होते हैं। दरअसल, हर समाज का अपना चरित्र होता है। यह चरित्र बनता है परिवार के मुखिया, बड़े-बुजुर्गों और गांव के आदर्शों और राजा के अच्छे कर्मों के अनुसरण से। लेकिन राजनीति से लेकर समाज और परिवार तक कोई आदर्श नहीं पेश किया जा रहा।

हम आदर्श की बात कर रहे तो एक छोटे-से यूरोपीय देश नीदरलैंड्स का उदाहरण देख सकते हैं। वहां की आधी से ज्यादा आबादी नास्तिक है और पिछले कई सालों से वहां की जेलों को इसलिए बंद किया जा रहा है, क्योंकि वहां अपराधियों की संख्या कम हो गई है। कुछ जेल बंद किए गए तो कुछ में पड़ोस के देशों के कैदियों को रखा जा रहा है। जिस देश की आधी से अधिक आबादी किसी धर्म मे विश्वास नहीं करती, वहां की सरकार ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ अपराध नियंत्रण का नायाब नमूना पेश किया है। हैरान करने वाली बात है न कि बिना मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा गए लोग किस तरह अपराधविहीन या धर्म की भाषा में कहें तो पापविहीन जीवन जी रहे हैं!

हमारी सरकारें तो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, किसी न किसी तरह से हर तरह का धार्मिक हथकंडा अपनाती रही हैं। लेकिन उनका धर्म ऐसे सुधार के लिए अब तक प्रेरित नहीं कर पाया। हम किस ओर जा रहे हैं, क्या इस बारे में किसी को भी सोचने की फुर्सत है? जिस धर्म के पीछे हम इस कदर दीवाने हैं, क्या वह देश-समाज की विकृतियों को दूर करने का उपाय बता सकता है?

चिली की आवाज

किसी भी निर्वाचित सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने लोगों की न सिर्फ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे, बल्कि गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध भी हो। आज हम देख रहे हैं कि कैसे सरकारी स्कूल से लेकर सरकारी अस्पताल को कबाड़ बनने के लिए छोड़ दिया गया है। इसकी हालत आज वैसी हो गई है जैसे कोई अनाथ बच्चा। स्कूलों में शिक्षक और अस्पतालों में चिकित्सक अगर हैं भी तो वे वेतनभोगी कर्मचारी से ज्यादा बच्चों और मरीजों के लिए कुछ भी नहीं। इन दोनों सरकारी संस्थाओं की बदहाल स्थिति देख कर हमारी सामाजिक मानसिकता इसमें बच्चों को पढ़ाना या इलाज कराना हीन समझने लगा है।

इसके उलट मोटी फीस वाली चमचमाती निजी स्कूल और अस्पताल हमें वहां जाने को विवश करते हैं। हमारी विवशता इसलिए भी है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे दो महत्त्वपूर्ण चीजों से समझौता नहीं कर सकते। दस रुपए की सुविधा के लिए सौ रुपए चुकाना हमारी लाचारी हो गई है। स्कूलों की रोज नई मांग और अस्पतालों मे बीस तरह की जांच कराना, हल्की जेब वाले लोगों को वहां जाने से डराता है। लेकिन यह सब हमारी सरकार को नहीं दिखता। सरकार को लगता है कि हमारे सारे लोग इतनी मोटी रकम चुकाने मे सक्षम हो गए हैं। जबकि सच क्या है, वह रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं हासिल करने की जद्दोजहद में जीते देश के ज्यादातर लोग समझ पा रहे हैं।

दरअसल, यह सब एक 'नया नॉर्मल' यानी सहज हो गया है, जहां सरकारी नाकामी को निजीकरण की चादर से ढका जा रहा है। इसमें ये जरूरी नहीं होता कि आपकी उम्मीदें राज्य की कार्यप्रणाली से मेल खाए ही। ऐसे में क्या एक चुनी गई सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो रही है कि नहीं, इसका खयाल रखे? एक लोकतांत्रिक सरकार की आयु तभी तक रहती है, जब तक कि जनता का व्यवस्था या तंत्र के प्रति भरोसा कायम रहता है।

चिली में इसी अभरोसे ने लोगों को सड़कों पर उतार दिया है। इस लैटिन अमेरिकी देश का कहना है कि सरकार द्वारा अपनाई गई निजीकरण की व्यवस्था ने निम्न और मध्यमवर्गीय लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुख-सुविधाएं प्राप्त करना उनकी पहुंच से बाहर कर दिया है। इस तटीय देश के लोग इसलिए प्रदर्शन में उतरे कि सरकार व्यवस्था में बदलाव लाए और सुविधाओं को सुगम बनाए।

दूसरी ओर, जब ऑक्सफेम की रिपोर्ट हमें बार-बार चेता रही है कि कैसे धन और संपत्ति का संकेंद्रण मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होता जा रहा है। भारत के संदर्भ मे यह रिपोर्ट और भी सचेत करने वाला है। तब ऐसे दौर में कैसे इन सुविधाओं के नाम पर धन-कुबेरों को झोला भरने के लिए छूट दे दें? फिर हमारे संविधान के अनुच्छेद-39 (ख)और 39 (ग) राज्य को ये निर्देश देते हैं कि वह अपने संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करे कि उससे सामूहिक हित सुनिश्चित हो और उसका अहितकारी संकेंद्रण न हो। लेकिन वास्तविकता इससे परे दिखती है। जब पूरी दुनिया सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों की ओर अग्रसर है, तब सरकार की ऐसी निष्क्रियता सवाल खड़ा करती है। ऐसे में क्या जो परिवार केवल शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर अपने सालों की जमापूंजी खर्च कर देते हैं, उनके लिए कैसे हम 'सबका साथ-सबका विकास' या फिर 'न्याय के साथ विकास' का उद्देश्य हासिल कर पाएंगे?

जो देश वैश्विक भुखमरी (102 वें) और खुशहाली (140 वें) सूचकांक में दुनिया में निचले पायदान पर हो, वहां की सरकार स्थिति की गंभीरता से मुंह नहीं फेर सकती। हमारे नीति-नियंता को अगर लगता है कि हम निजीकरण की राह पर ही चल कर देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं तो उन्हें 'नॉर्डिक नेशन' की नीति को समझना चाहिए, जहां सभी बुनियादी सुविधाएं सरकार द्वारा सफलतापूर्वक संचालित हैं। इसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये देश लगभग सभी महत्त्वपूर्ण रैंकिंग में दुनिया में सबसे आगे हैं। हालांकि सार्वजनिक हित में लिया गया निर्णय ही हमारे लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय के संवैधानिक हितों को साध सकता है और तभी सही अर्थों में एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य न्यायसंगत होता दिखेगा।

● बीरेंद्र कुमार, बेगूसराय, बिहार

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

डिजिटल जोखिम

हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग मे लेनदेन की सारी चीजें आमतौर पर डिजिटल हो गई हैं। दरअसल, डिजिटल करने की योजना को इसलिए लाया गया था, ताकि लोगों की संपत्ति और लेनदेन को सुरक्षित किया जा सके। इसके बाद बहुत सारे लोग भी अपने लेनदेन की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए पेटीएम, यूपीआइ, गूगल पे जैसे कई डिजिटल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने लगे। लेकिन यहां भी लोगों को ठगों द्वारा ठग लिया जाता है, जिसे साइबर अपराध कहते हैं। आखिर लोग अपना सुरक्षित लेनदेन करें तो कैसे करें? क्या कभी हमने इससे अपनी पुख्ता सुरक्षा की चिंता की? क्या कहीं इस धोखाधड़ी के बढ़ते चलन पर कोई विशेष कदम उठाने की बात सुनी या फिर कोई डिजिटल अपराध को रोकने से संबंधित किसी नियामक के गठन की बात सुनी? इस पक्ष के प्रति जैसी उदासीनता देखी जा रही है या अक्सर खड़ी होने वाली समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, उससे यही लगता है कि सरकार सिर्फ एकपक्षीय विकास पर ध्यान दे रही हैं।

● विनीत, आंबेडकर कॉलेज, दिल्ली

लोकतंत्र का रास्ता

लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शनों के बीच किसी भी तरह की हिंसा होती है तो उसे रोकना दिल्ली पुलिस और गृहमंत्री की जिम्मेदारी है। इसके समांतर हाल में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को दिल्ली में हिंसाग्रस्त क्षेत्र में लोगों को समझाने और स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा था। क्या प्रशासन की इच्छाशक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बुलाना पड़े? इस तरह की स्थितियों से लोकतंत्र कमजोर होता है और सरकारों को लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतांत्रिक तौर-तरीके ही अख्तियार करने चाहिए। सबसे अच्छा यह हो कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सौहाद बनाने के लिए अपना जी-जान लगा दें।

● रवि शंकर कुमार, मीरजापुर, उप्र

www.readwhere.com

नई फिल्म

- *बागी 3*
- मर्द

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	*कुल कमाई*
थप्पड़	19.75 करोड़
शुभ मंगल ज्यादा सावधान	52.15 करोड़
भूत हॉन्टेड शिप	27.15 करोड़
लव आजकल	*34.35 करोड़*

5 मार्च तक की कमाई

जन्मदिन

- अनुपम खेर 7 मार्च
- श्रेया घोषाल 12 मार्च
- *निमरत कौर 13 मार्च*
- गीता बसरा 13 मार्च

रंग, भंग और उमंग

आरती सक्सेना

वैसे तो बॉलीवुड हर त्योहार ही बड़े धूमधाम से मनाता है लेकिन होली की बात ही अलग है। फिल्मी सितारों की होली हमेशा से सुर्खियों में रही है। कुछ सितारे इस दिन होली महोत्सव का आयोजन करते हैं तो कोई अपने परिवार के साथ इस त्योहार को मनाना पसंद करता है। होली के अवसर पर आइए सितारों से ही जानते हैं कि सितारा बनने से पहले वो होली कैसे मनाते थे और अब होली पर वे क्या-क्या करते हैं।

तापसी पन्नू

मेरी दिल्ली वाली होली तो बहुत खतरनाक होती थी। मैं होली पर हर रंग लगवा लेती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में जो भी रंग मिसिंग है वो मैं होली के रंग से ले लूं। मेरा पूरा परिवार साथ मिलकर होली खेलता है, हम सभी अच्छा खाते, डांस करते और ठंडी-ठंडी ठंडाई का मजा लेते हैं। इस दिन नारियल की बर्फी और गुझियां जरूर खाती हूं। कोशिश रहती है कि इस दिन दिल्ली में ही रहूं और परिवार के साथ होली का मजा लूं।

सलमान खान

मुझे वो सभी त्योहार पसंद है जिसमें धमाल करने का मौका मिलता है और फिर होली का त्योहार तो बना ही है रंग लगा कर दोस्तों की ही नहीं दुश्मनों की भी पुंगी बजाई जा सके। जब मैं फिल्मों में नहीं आया था उस समय होली के दिनों में लड़कियां हमारे मोहल्ले से गुजरना बंद कर देती थी। करीबन एक हफ्ता पहले से ही हम लोग अपनी छत से रंग के गुब्बारे मारना शुरू कर देते थे। होली के चक्कर में अपनी मां की मार भी बहुत खाई है क्योंकि हम शरारत से बाज नहीं आते थे।

श्रद्धा कपूर

होली मेरा मनपसंदीदा त्योहार है। बचपन से अब तक होली के दिन खूब मस्ती करती हूं। एक बार होली में भांग का स्वाद भी चखा था लेकिन उसका अनुभव कुछ खास नहीं रहा। होली पर मैं समुद्र किनारे जाना पसंद करती हूं। होली खेलने के बाद समुद्र किनारे नहाने और गरमा-गरम छोले भटूरे खाने का अपना ही मजा होता है। मेरा करिअर अच्छा चले या बुरा मैं त्योहार मनाती हूं। त्योहारों का मतलब है खुशियां और मैं खुशियों में कटौती करना पसंद नहीं करती।

ऋतिक रोशन

होली पूरा बॉलीवुड मनाता है। मैं परिवार और दोस्तों के साथ होली मनाता हूं। अब मेरे बच्चे इस दिन खूब मस्ती करते हैं। उनकी होली तो एक हफ्ता पहले ही शुरू हो जाती है। एक बार होली पर मैंने भांग पी ली थी, उसके बाद मैं इतना हंसा, इतना हंसा था कि अगले दो तीन दिनों तक न सिर्फ मेरा मुंह दुख रहा था बल्कि मेरा गला भी बैठ गया था। उस दिन से भांग पीने से तौबा कर ली, अब कभी कभार होली पर थोड़ी थंडाई जरूर पी लेता हूं। मैं तो सिर्फ गुलाल से होली खेलता हूं।

होली का फिल्मी ढंग

होली

अनुष्का शर्मा

मैं तो जम कर होली खेलती हूं। मेरा अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल है। होली पर मेरे दोस्त होली खेलने घर आते है तो मैं उन्हें पूरे घर में दौड़ाती हूं लेकिन खुद को रंगाने से नहीं बचा पाती। विराट भी होली खेलने में माहिर हैं। मैं इको फ्रेंडली होली खेलना पसंद करती हूं। आज पानी की बड़ी समस्या है इसलिए सभी को होली के नाम पर पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। मुझे फिल्मी होली महोत्सव में जाना पसंद है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के यहां की होली सुभाष घई के यहां की होली का अलग ही मजा है। होली महोत्सव में सबको रंग लगाते हुए देख कर मजा तो बहुत आता है लेकिन डर भी लगता है, क्योंकि वहां पर मौजूद लोग एक-एक को रंग से भरे पानी के टब में डुबाते हैं। होली के कई गाने जैसे 'रंग बरसे...' और 'आज ना छोड़ेगे बस हमजोली...' आदि गाने बहुत पसंद हैं। जब मैं दिल्ली में रहती थी तो इन गानों पर खूब डांस किया करती थी। इस बार भी मेरा इरादा जोर-शोर से होली मनाने का है।

खबर कोना

एक्शन फिल्में मेरी पहचान : रोहित शेट्टी

एक्शन से भरपूर फिल्में निर्देशक रोहित शेट्टी की पहचान है और उन्हें इस बात पर गर्व है कि उनका नाम इस तरह की फिल्मों का पर्याय है। दिग्गज स्टंटमैन-अभिनेता एम बी शेट्टी के बेटे रोहित कहते हैं कि उन्हें एक्शन के प्रति अपने झुकाव के बारे में हमेशा से पता था। उन्होंने कहा, 'मेरे पिता यह कर रहे थे। मेरी मां और मुझे पता था कि मैं भी यह करूंगा। मैंने 16 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था और अब मैं 45 साल का हूं। स्टंट और एक्शन अब मेरी पहचान बन चुके हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस स्तर तक जाएगा। मुझे इस बात की खुशी और गर्व है। अब कोई स्टंट करता है तो लोग उसे कहते हैं कि यह 'रोहित शेट्टी स्टाइल' है।' रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्म अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सूर्यवंशी' है। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिल्म में पुलिस बर्बरता और मुठभेड़ के महिमामंडन के सवाल पर रोहित ने इनकार करते हुए कहा कि उनकी फिल्म में पुलिस बर्बरता है ही नहीं।

सबको हैरान कर दूंगी : राधिका

राधिका मदान इरफान खान अभिनीत फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' के साथ दर्शकों के सामने आ रही हैं। राधिका का कहना है कि उनका उद्देश्य अपनी हर फिल्म के साथ कुछ नया पेश करने का है। राधिका इसके पहला विशाल भारद्वाज की फिल्म 'पटाखा' और वासन बाला की फिल्म 'मर्द को दर्द नहीं होता' में नजर आइं थीं जिसमें उनके काम को बहुत सराहना मिली थी। 'अंग्रेजी मीडियम' इरफान की 2017 की फिल्म 'हिंदी मीडियम' का सीक्वल है। राधिका ने बताया, 'मैं अलग-अलग तरह की फिल्मों का हिस्सा बनना चाहती हूं। 'पटाखा' , 'मर्द को दर्द नहीं होता' से अलग थी और वैसे ही 'अंग्रेजी मीडियम' अलग है। मैं खुद को एक तरह के किरदारों में नहीं बांधना चाहती। मैं अपने काम से लोगों को हैरान करना चाहती हूं।' इस फिल्म में इरफान खान के अलावा करीना कपूर, रणवीर शौरी और दीपक डोबरियाल मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। 'अंग्रेजी मीडियम' 13 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी।

वेब सीरीज में साकिब सलीम

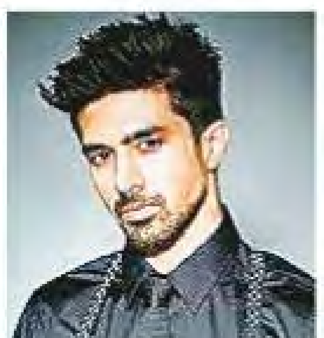

अभिनेता साकिब सलीम फिल्म निर्माता अपूर्व लाखिया की अगली वेब सीरीज 'क्रैकडाउन' में नजर आएंगे। 'क्रैकडाउन' एक जासूसी ड्रामा सीरीज है। इस वेब सीरीज के पटकथा लेखक सुरेश नायर हैं और चिंतन गांधी ने इसमें अपने संवाद दिए हैं। इस सीरिज का प्रसारण वायकॉम के वूट सेलेक्ट पर होगा। जी5 की सीरीज 'रंगबाज' में नजर आ चुके साकिब ने बताया कि अपूर्व उनके पास इस सीरीज की पटकथा लेकर आए थे जो उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह एक ऐसा काम था जो वे काफी समय से करना चाहते थे। यह उनके लिए एक अच्छा मौका है। 'रेस 3' के अभिनेता ने कहा कि यह सीरीज एक्शन से भरपूर हैं लेकिन इसमें वास्तविकता को दिखाया गया है। उन्होंने कहा, इसमें ये नहीं दिखाया गया कि अकेला हीरो 20 लोगों से लड़ रहा है। सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। यह एक रोमांचक सीरीज है जो दर्शकों को बहुत ही पसंद आने वाली है। फिलहाल साकिब रणवीर सिंह की फिल्म '83' में नजर आएंगे।

'लक्ष्मी बम' की शूटिंग पूरी

बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार लगातार फिल्में कर रहे हैं। उनकी कुछ फिल्मों की शूटिंग चल रही है तो कुछ फिल्मों की शूटिंग पूरी हो गई है। खबर है कि अक्षय कुमार की फिल्म 'लक्ष्मी बम' की शूटिंग पूरी हो गई है। हाल ही में फिल्म निर्माताओं ने इसकी घोषणा की। फिल्म के निर्माता शबीना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म की शूटिंग खत्म होने की तस्वीर साझा की। यह फिल्म 2011 में आई तमिल हॉरर फिल्म 'कंचना' की हिंदी रीमेक है। फिल्म में अक्षय कुमार ट्रांसजेंडर लुक में नजर आएंगे। कुछ समय पहले अभिनेता की ट्रांसजेंडर वाली तस्वीर चर्चा में रही थी। फिल्म में अक्षय एक ट्रांसजेंडर आत्मा के वश में आ जाता है। फिलहाल खिलाड़ी कुमार सूर्यवंशी, पृथ्वीराज और बेल बॉटम जैसी फिल्मों को लेकर खबरों में बने हुए हैं। फिल्म में कियारा आडवाणी और शरद केलकर भी नजर आएंगे।

हम साथ-साथ

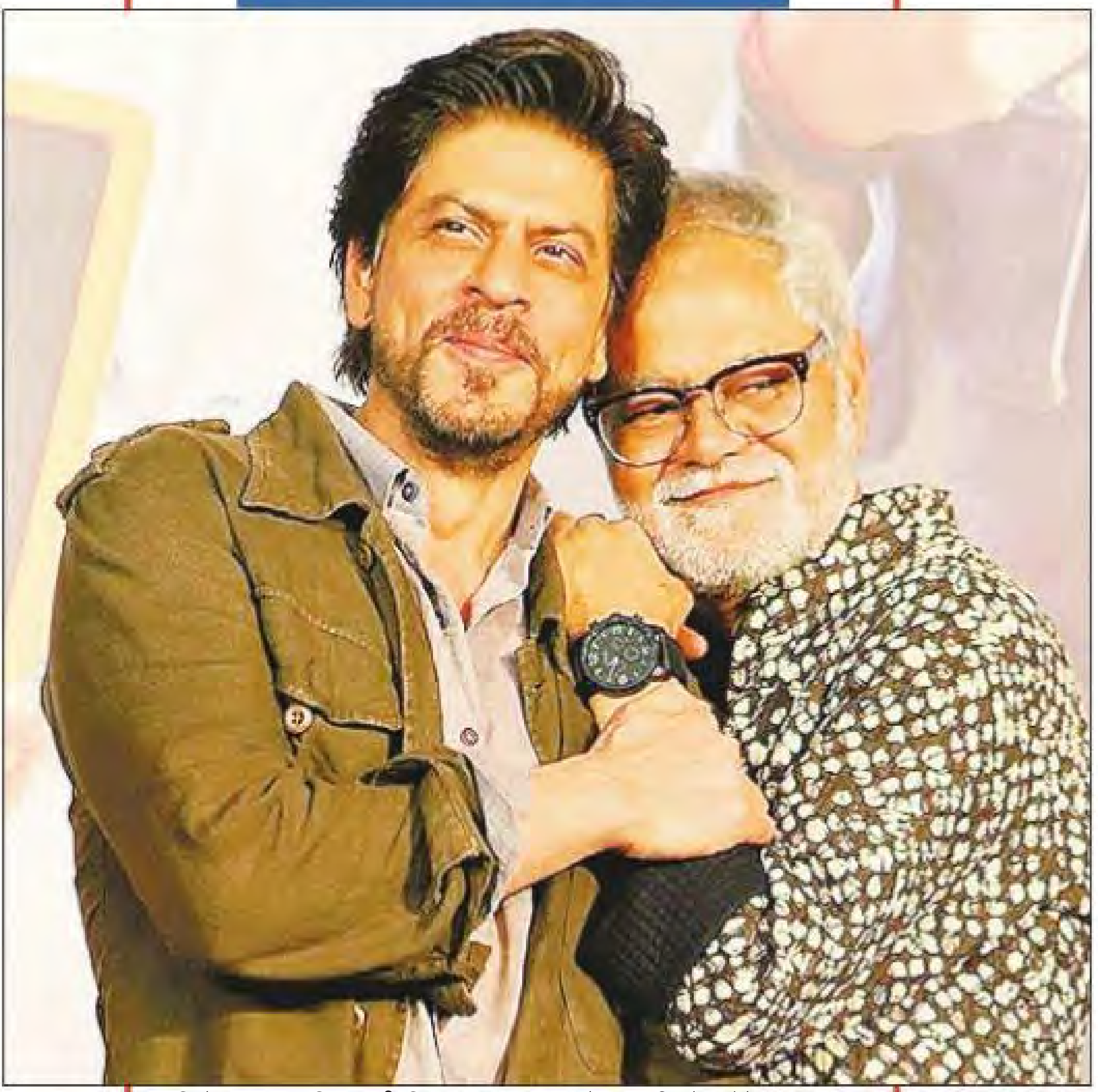

अभिनेता संजय मिश्रा की फिल्म 'कामयाब' के प्रदर्शन के मौके पर बॉलीवुड किंग खान ने शिरकत की। शाहरुख खान इस फिल्म के निर्माता हैं, वहीं संजय मिश्रा ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है।

जो तू मांगे रंग की रंगाई...

शशिप्रभा तिवारी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'वड्र्स इन दी गार्डन' समारोह आयोजित था। इस समारोह में जयपुर घराने की वरिष्ठ गुरु और कथक नृत्यांगना प्रेरणा श्रीमाली ने कथक नृत्य पेश किया। कार्यक्रम में शाम की महफिल में प्रेरणा श्रीमाली ने हजरत अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, मीर और दाग की रचनाओं पर बेहद खूबसूरत नृत्य पेश किया। आमतौर पर इन रचनाकारों की रचनाओं को काफी तामझाम के साथ पेश किया जाता है। लेकिन, प्रेरणा श्रीमाली ने इन रचनाओं को गहराई से महसूस करते हुए, नृत्य प्रस्तुत किया।

नृत्योत्सव

उन्होंने अपने नृत्य का आगाज अमीर खुसरो के कलाम 'मोहे अपने ही रंग में' पर आधारित नृत्य से किया। आंगिक अभिनय और मुख के भावों के जरिए नृत्यांगना प्रेरणा श्रीमाली ने नायिका के भावों को प्रस्तुत किया। नृत्य के क्रम में घूंघट की गत और कलाई की हरकतों का मोहक प्रयोग किया। नजर की अदाओं को उन्होंने आंखों के जरिए बखूबी बयां किया। पैर के काम में लयकारी का अंदाज भी खूब दिखा। वहीं, 'जो तू मांगे रंग की रंगाई' पंक्तियों पर नायिका के भावों को बहुत नजाकत और महीन अंदाज में प्रस्तुत किया। उनके अदायगी में गजब का ठहराव दिखा, जो कलाकारों में जिंदगी के अनुभव और उम्र के साथ की परिपक्वता को बताता है। भक्ति और श्रृंगार की चाशनी से पगी यह प्रस्तुति एक अच्छी शुरुआत साबित हुई।

नृत्यांगना ने मिर्जा गालिब की रचना 'जहां तेरा नक्श-ए कदम देखते हैं' का चयन किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने चलन से की। नायिका के भावों के चित्रण के क्रम में टुकड़े, तिहाई, गत निकास, थाट का अंदाज मनोरम था। नृत्य में चक्करों का प्रयोग काफी सधा हुआ था। साथ ही, उन्होंने सादी गत व अन्य गत निकास का प्रयोग किया। इस प्रस्तुति में अभिनय और कथक की तकनीकी बारीकियों को भी सुंदर अंदाज में पिरोया गया।

जयपुर घराने के दमदार तोड़े, टुकड़े और परणों का प्रयोग तराने में दिखा। शायर मीर और दाग के कलामों को फारसी के तराने में पिरोया गया। नृत्यांगना प्रेरणा श्रीमाली ने एक-एक भाव को खूबसूरती के साथ अदा किया। कथक के अमूर्तन पक्ष और कथक की तकनीकी बारीकियों की यह बानगी रोचक थी।

बहरहाल, इन दिनों कथक नृत्य में तकनीकी पक्ष का बोलबाला ज्यादा दिखता है। चक्कर और पैर के काम से ही कलाकार अपनी उपस्थिति को जताना चाहते हैं। ऐसे में ठहराव, सुकून और चैनदारी कहीं खोता नजर आता है। लेकिन, कथक नृत्यांगना प्रेरणा श्रीमाली के नृत्य को देखकर, एहसास हुआ कि इस तरह की पेशकश के लिए निरंतर साधना और रियाज जरूरी है। तभी कलाकार की कला दर्शकों के दिल की गहराई में उतरती है और वह अपने भीतर रस की अनुभूतियों को साकार पाता है।

रवि

(3 मार्च,1926-7 मार्च, 2012)

नसीब में जिसके जो लिखा था....

गणेशनंदन तिवारी

'*बाबुल* की दुआएं लेती जा...' और 'डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली...' जैसे विदाई गीत हों, 'तुझको पुकारे मेरा प्यार...' और 'तुम अगर साथ देने का वादा करो...' जैसे प्रेमगीत हों, 'चंदा मामा दूर के...' और 'टिम टिम करते तारे...' जैसी लोरियां हों, 'दिल के अरमां आंसुओं में बह गए...', 'चेहरा छुपा लिया है किसी ने ...' जैसी गजलें हों... 'बड़ी देर भई नंदलाला...' या 'तोरा मन दर्पण कहलाए...' जैसे भजन हों रवि के संगीत में न सिर्फ विविधता मिलती है बल्कि सुरीलापन भी। गिने-चुने वाद्य यंत्रों से मधुर धुनें बनाने के लिए मशहूर रहे संगीतकार रवि की कल आठवीं पुण्यतिथि है।

हमारी याद आएगी

गाना तुरंत तैयार करना था। साजिंदे हड़ताल पर थे। बिना उनके गाना कैसे बनाएं? यह सवाल था संगीतकार रवि के सामने। वाकया था राज खोसला की 1966 की फिल्म 'दो बदन' का। रवि ने एक मंजीरा बजाने वाले को पकड़ा और उसके कहा कि तबले पर ठेका दे। वह थोड़ा-बहुत तबला बजा लेता था इसलिए तैयार हो गया। एक बंदे को पकड़ का पियानो पर धुन की नोटेशन समझाई। किसी तरह ठोंकने-पीटने के बाद गाना तैयार कर लिया गया। 'दो बदन' रिलीज हुई तो यह गाना बाकी दूसरे गानों की तरह ही खूब पसंद किया गया। शकील बदायूंनी के लिखे इस गाने के बोल थे, 'नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया...' इसे मोहम्मद रफी ने गाया था।

फिल्म इंडस्ट्री में नसीब पर खूब यकीन किया जाता है। और यह नसीब की बात थी रवि के गाने लिखने वाले गीतकार और गाने वाले गायकों को तो खूब पुरस्कार मिले मगर रवि की उपेक्षा हुई। रवि की 'चौदहवीं का चांद' के लिए गायक रफी और गीतकार शकील बदायूंनी को, 'गुमराह' के लिए गीतकार साहिर और गायक महेंद्र कपूर को और 'निकाह' के लिए गायिका सलमा आगा और गीतकार हसन कमाल को फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। मगर रवि के नसीब में पुरस्कार मिलना नहीं लिखा था।

बहुत कम वाद्य यंत्रों से किसी गाने को सुरीला बनाने का हुनर संगीतकार रवि के गानों में साफ दिखाई देता है। जिस तरह देव आनंद की कंपनी की फिल्मों की सफलता में एसडी बर्मन का संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी तरह बीआर चोपड़ा की फिल्मों में संगीतकार रवि निखर कर आते हैं और महेंद्र कपूर जैसे गायक को भी निखार देते हैं। यह अलग बात है कि चोपड़ा रफी को हाशिये पर डालना चाहते थे इसलिए वे महेंद्र कपूर को आगे बढ़ा रहे थे। बीआर के साथ रवि ने 'गुमराह', 'वक्त', 'हमराज', 'निकाह', 'तवायफ' जैसी हिट फिल्में दीं।

बीआर चोपड़ा की एक फिल्म थी 'धुंध'। अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास 'द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट' पर बनी 'धुंध' सस्पेंस फिल्म थी जिसमें गानों के लिए जगह नहीं निकल रही थी। किसी तरह से तीन गाने (उलझन सुलझे ना.... संसार की हर शय का...जो यहां था) साहिर लुधियानवी से लिखवाए। जब बीआर चोपड़ा को लगा कि फिल्म में संगीत का हिस्सा बहुत कम है और फिल्म में रुखापन आ रहा है, तो उन्होंने रवि को एक गाना बनाने को कहा। रवि ने अपना लिखा गाना 'जुबना से चुनरिया खिसक गई रे...' चोपड़ा को दिया और कहा कि यह साहिर ने लिखा है। गाना रिकॉर्ड हो गया। फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता मिली। मगर यह राज जल्दी ही सामने आ गया कि 'जुबना से चुनरिया...' साहिर ने नहीं बल्कि रवि ने लिखा था। दरअसल हुआ यह कि जब फिल्म की संगीत कंपनी ने गीतकार के साथ अनुबंध तैयार कर साहिर के पास भिजवाया तो साहिर ने तीन गानों की बात कही और बताया कि चौथा गीत उन्होंने नहीं लिखा है। तब यह राज खुला कि गाना साहिर ने नहीं रवि ने लिखा है।

www.readwhere.com

सांसदों के निलंबन का फैसला

बदले की भावना से कार्रवाई पर नहीं झुकेंगे : चौधरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 मार्च।

कांग्रेस ने गुरुवार को अपने सात लोकसभा सदस्यों के मौजूदा संसद सत्र की शेष अवधि से निलंबित किए जाने को बदले की भावना से उठाया गया कदम करार दिया और दावा किया कि यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष का नहीं, बल्कि सरकार का है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार के इस तानाशाही वाले निर्णय से पार्टी के सदस्य झुकने वाले नहीं हैं और वे दिल्ली हिंसा पर तत्काल चर्चा की मांग उठाते रहेंगे।

चौधरी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा–आज जो हुआ है वो संसदीय लोकतंत्र के लिए शर्मिंदगी की दास्तान है। हम दो मार्च से मांग करते आ रहे हैं कि दिल्ली हिंसा पर चर्चा शुरू कराई जाए। हिंसा से देश की छवि धूमिल हो रही है, लोगों की जान जा रही है और मजहबी दरार बढ़ती जा रही है। इसलिए हम देश की खातिर चर्चा चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हमने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हमने आज भी कहा कि हम सभी चीजों पर सहयोग करेंगे, लेकिन दिल्ली हिंसा पर चर्चा होना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने सुबह बुलाकर हमसे कहा कि सरकार कोरोना वायरस पर बयान देना चाहती है जिस पर हमने सहमति जताई। सरकार ने कोरोना वायरस पर बयान दिया और उसके बाद हमने फिर से दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सदन में बदले की भावना देखने को मिली। सभापति के जरिए हमारे सात सांसदों को निलंबित कराया गया ताकि हमारी आवाज को रोका जा सके। यह सरकार ने तानाशाहीपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने दावा किया कि यह लोकसभा अध्यक्ष का फैसला नहीं है, बल्कि सरकार का फैसला है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालात में डरने और झुकने वाले नहीं हैं। हम दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग उठाते रहेंगे।

चौधरी ने सवाल किया कि दिल्ली हिंसा पर चर्चा कराने से सरकार क्यों डरती है? निलंबित सदस्यों में शामिल कांग्रेस के सचेतक गौरव गोगोई ने कहा–सरकार चाहे तो हमें एक साल के लिए निलंबित करा दे, लेकिन वह दिल्ली हिंसा पर चर्चा कराए और लोगों के जख्मों पर मरहम लगाए।

मध्य प्रदेश : सरकार गिराने की साजिश नहीं होगी कामयाब : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 मार्च।

कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ की अगुआई वाली सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की साजिश सफल नहीं हो पाएगी। पार्टी ने आरोप लगाया कि जब जब राज्यसभा चुनाव होते हैं, भाजपा पर विपक्ष की प्रदेश सरकारों को अस्थिर करने का बुखार चढ़ जाता है। हालांकि उसका यह प्रयास मध्य प्रदेश में सफल नहीं हो पाएगा।

पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी व कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला व पार्टी नेता विवेक तन्खा ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि सरकारी एजंसियों के माध्यम से विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की इस राजनीति के खिलाफ समूचे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। दूसरी ओर पार्टी सांसद व मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सूबे के एक अन्य मुख्यमंत्री व भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान सहित पांच भाजपा नेताओं पर विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होने का आरोप लगाया।

आजाद ने कहा–जब से भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में आई है तबसे राज्यों में एक–एक कर लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से हुई थी जहां कांग्रेस की भारी बहुमत वाली सरकार को गिराया गया था। उन्होंने कहा कि मणिपुर और गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए भाजपा को न्योता दिया गया। जम्मू–कश्मीर में भी यही हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र में बहुमत नहीं होने के बाद भी भाजपा के मुख्यमंत्री को रातों–रात शपथ दिलाई गई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा–भाजपा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। पहले भी उन्होंने कई प्रयास किए लेकिन राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर के हमारे सक्षम नेतृत्व ने इसे नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार के अधिनायकवादी रवैये के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा।

कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ बार बार कहते हैं कि विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण हो जाए। पहले भी भाजपा विफल हुई और इस बार भी होगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि भाजपा राज्य में प्रजातंत्र का चीरहरण करके सत्ता हथियाना चाहती है लेकिन सफल नहीं होगी। दूसरी ओर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के पांच नेताओं का नाम लेते हुए उन पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा–मध्यप्रदेश में भाजपा की खरीद फरोख्त खुल कर सामने आ गई। लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए।

कोरोना : पेटीएम कार्यालय दो दिन के लिए बंद

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 5 मार्च।

यहां बुधवार को ऑन लाइन भुगतान की सुविधा देने वाली नोएडा स्थित पेटीएम के एक कर्मचारी में कोरोना वायरस के संक्रमण होने की जानकारी मिली। इसके चलते पेटीएम ने नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम के करीब आठ कार्यालयों के लिए सलाह (एडवाइजरी) जारी कर दी है। इसमें करीब चार हजार कर्मचारियों को दो दिन कार्यालय की जगह घर से ही काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

पेटीएम प्रबंधन का कहना है कि संक्रमित कर्मचारी कंपनी के गुरुग्राम कार्यालय में तैनात है। वह हाल ही में इटली से लौटा है। संक्रमित मरीज का इलाज एम्स में चल रहा है। प्रबंधन के मुताबिक बीमारी की गंभीरता को देखते हुए सतर्कता बरती गई है। दो दिन तक सभी कार्यालयों को कीटाणु मुक्त किया जाएगा। इसके लिए कंपनी प्रबंधक अपने स्तर और संबंधित सरकारी विभाग व प्राधिकरण के अधिकारियों से संपर्क कर भारत सरकार के दिशा–निर्देश के तहत कार्य करेंगे। इससे बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

ईपीएफ जमा पर ब्याज दर घटकर सात साल के न्यूनतम स्तर पर

पेज 1 का बाकी

जमा पर 2019–20 के लिए घोषित ब्याज दर 2012–13 के बाद सबसे कम है। उस समय इस पर 8.5 फीसद ब्याज दिया गया था।

ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों को 2016–17 में 8.65 फीसद, 2017–18 में 8.55 फीसद का ब्याज दिया था। वित्त वर्ष 2015–16 में ब्याज दर 8.8 फीसद थी। वित्त वर्ष 2013–14 और 2014–15 में ब्याज दर 8.75 फीसद और 2012–13 में 8.5 फीसद थी।

श्रम मंत्रालय को इस मामले में वित्त मंत्रालय से सहमति लेना जरूरी होता है। चूंकि ईपीएफओ रिटर्न मामले में भारत सरकार की गारंटी होती है, इसलिए वित्त मंत्रालय ब्याज दर की समीक्षा करता है, ताकि ईपीएफओ की आय में किसी प्रकार की कमी से देनदारी नहीं बने। वित्त मंत्रालय ईपीएफ ब्याज दर को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और डाकघर बचत जमा योजनाएं जैसी अन्य लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज के अनुरूप करने के लिए श्रम मंत्रालय से कहता रहा है।

राष्ट्रप्रमुख से गैरजिम्मेदार बयान की उम्मीद नहीं : विदेश मंत्रालय

पेज 1 का बाकी

से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों की उम्मीद नहीं करते।

रवीश कुमार ने दिल्ली हिंसा पर 'गैर जिम्मेदाराना' टिप्पणी को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और ब्रिटेन के कनिष्ठ मंत्री निजेल एडम्स को आड़े हाथों लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि एर्दोगान की टिप्पणियां 'तथ्यात्मक रूप से गलत' हैं और उनके 'राजनीतिक एजंडे' से प्रेरित हैं।

पिछले हफ्ते तुर्की के राष्ट्रपति ने दिल्ली में हिंसा को लेकर भारत की निंदा की थी और इसे 'मुसलमानों का कत्लेआम' करार दिया था। उन्होंने कहा कि भारत ने मंगलवार को दिल्ली में तुर्की के राजदूत के समक्ष मामले को उठाते हुए कड़ा आपत्तिपत्र भेजा था। रवीश कुमार ने कहा, 'टिप्पणियां तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और उनके (एर्दोगान) राजनीतिक एजंडे से प्रेरित हैं। हम किसी राष्ट्र प्रमुख से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों की उम्मीद नहीं करते।'

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने पर कुमार ने कहा कि मुद्दे पर निर्णय करना अब शीर्ष अदालत का काम है। एडम्स की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा कि राजधानी में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है और कानून प्रवर्तन एजंसियां विश्वास बहाली और कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित रखने के लिए काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री ने शांति एवं भाईचारे के लिए अपील की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, शांति समितियां गठित की गई हैं और इस दिशा में अन्य कदम उठाए गए हैं। इस संवेदनशील समय में, हम लोगों से आग्रह करेंगे कि वे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां न करें और मामले पर चुनिंदा तथा अप्रमाणित विमर्श से प्रभावित न हों।' ब्रिटेन के विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय (एफसीओ) में राज्य मंत्री एडम्स ने बुधवार को कहा था कि ब्रिटेन सरकार भारत में सीएए के संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित है।

निर्भया के दोषियों को फांसी 20 को

पेज 1 का बाकी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा को बताया कि दोषियों ने अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है, जिसके बाद अदालत ने फांसी के लिए 20 मार्च की नई तारीख तय की। मौत की सजा का सामना कर रहे चारों दोषी– मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) हैं।

उनके वकील ने अदालत से कहा कि मौत की सजा के क्रियान्वयन की तारीख निर्धारित करने की कार्यवाही में अदालत के समक्ष अब कोई बाधा नहीं है। पवन की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से खारिज किए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने बुधवार को अदालत का रुख कर दोषियों की फांसी के लिए नई तारीख का अनुरोध किया था। दिल्ली सरकार ने अदालत से कहा था कि दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं और उनके पास अब कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।

अभियोजन के वकील ने भी कहा कि किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। अदालत ने दोषियों की फांसी को सोमवार को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया था। उन्हें बीते मंगलवार को फांसी दी जानी थी। इस तरह, मृत्यु वारंट अब तक तीन बार टालना पड़ा था। राष्ट्रपति ने मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिकाएं पहले ही खारिज कर दी हैं। मामले में चारों दोषियों और एक किशोर सहित छह व्यक्ति आरोपी के तौर पर नामजद थे। छठे आरोपी राम सिंह ने मामले की सुनवाई शुरू होने के कुछ दिनों बाद तिहाड़ जेल में कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी जबकि एक सुधार गृह में तीन साल गुजारने के बाद 2015 में किशोर को रिहा कर दिया गया था। निर्भया से 16 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में एक चलती बस में सामूहिक बलात्कार किया गया था और उस पर बर्बरता से हमला किया गया था। निर्भया की बाद में सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मौत हो गई थी, जहां उसे बेहतर चिकित्सा के लिए ले जाया गया था।

खमैनी ने की भारत पर 'अवांछित' टिप्पणी

पेज 1 का बाकी

के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने इसी तरह की टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित ईरान के राजदूत अली चेगेनी को तलब कर आपत्ति जताई थी। ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ की 'अवांछित' टिप्पणियों को लेकर सख्त विरोध दर्ज कराए जाने के दो दिनों बाद खमैनी का यह बयान आया है।

लापता विधायकों में से एक का इस्तीफा

पेज 1 का बाकी

भोपाल में दर्ज करवाई है। मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा मंगलवार सुबह दिग्विजय सिंह के ट्वीट के साथ शुरू हुआ। उन्होंने भाजपा पर कांग्रेसी विधायकों की खरीद–फरोख्त के प्रयास के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस विधायकों को दिल्ली ले जाया गया। इसके बाद मंगलवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दिल्ली पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा ने कांग्रेस के छह, बसपा के दो (एक निलंबित) और एक निर्दलीय विधायक को गुड़गांव के आइटीसी मराठा होटल में बंधक बना रखा है।

कमलनाथ ने मंगलवार रात को ही भोपाल से मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह को दिल्ली भेजा गया। बुधवार दोपहर छह विधायक भोपाल पहुंच गए।

पढ़ाई छोड़ घर बैठने पर मजबूर 30 करोड़ छात्र

पेज 1 का बाकी

भी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मार्च तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। फ्रांस में संक्रमण के सर्वाधिक प्रभावित इलाकों के करीब 120 स्कूलों को इस हफ्ते बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस से जूझ रहे ईरान में भी 92 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में ईरान ने सभी स्कूलों को बंद करने के साथ ही बड़े सांस्कृतिक उत्सवों और खेल प्रतियोगिताओं को रद्द कर दिया है।

राज्यों को त्वरित कार्रवाई दल बनाने के निर्देश

पेज 1 का बाकी

शुरू हो गई है। राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अतिरिक्त कर्मचारियों के साथ गुरुवार तक इस प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी।

मंत्री ने कहा कि नोवेल कोरोना विषाणु (कोविड–19) के अधिकतर मामले विदेशी यात्राओं का परिणाम हैं लेकिन कुछ मामलों के लिए सामुदायिक संक्रमण भी जिम्मेदार है। इस अभियान में जिला कलेक्टरों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है और राज्यों को जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया टीम बनाने के लिए कहा गया है। बयान के अनुसार कुल 3,542 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 29 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 92 नमूनों की जांच प्रक्रिया में है और 23 नमूनों की फिर से जांच की जा रही है। कोरोना विषाणु से संक्रमित पाए गए 14 इतालवी पर्यटकों को छावला में आइटीबीपी के पृथक सेवा केंद्र में रखा गया था। बाद में उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

आइबी कर्मी की हत्या का आरोपी ताहिर गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

से बाहर का मामला है। इससे पहले, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा की अदालत में ताहिर ने आत्मसमर्पण करने की याचिका दायर करते हुए कहा था कि वह मामले की जांच में सहयोग करना चाहता है और आत्मसमर्पण करने का इच्छुक है। ताहिर के वकील मुकेश कालिया ने अदालत में दलील दी कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं लिहाजा उनका मुवक्किल कड़कड़डूमा अदालत के बजाय राउज एवेन्यू अदालत के समक्ष आत्मसर्पण के लिए याचिका दायर करने पर मजबूर हुआ है। इस पर जज ने कहा– दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 के तहत अपराध की जांच और मुकदमा उसी अदालत द्वारा चलाया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ है। इस मामले में अपराध पीएस दयालपुर थाने के अंतर्गत हुआ जो कि कड़कड़डूमा अदालत के क्षेत्राधिकार में आता है।

ताहिर के वकील मुकेश कालिया ने अदालत में दलील दी कि ताहिर की जान को खतरा है। इसी वजह से उसने सक्षम अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया क्योंकि कड़कड़डूमा अदालत में माहौल इसके अनुकूल नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी से ताहिर का कोई लेना–देना नहीं है और उसे गलत फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ताहिर दूसरे अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्षेत्राधिकारों का स्पष्ट बंटवारा किया है, चाहे वो पुलिस थाने हों या जिला अदालतें। उसके अनुसार ही काम का बंटवारा किया जाता है।

जज ने कहा– विधायकों व सांसदों के मामलों पर सुनवाई करने वाली यह विशेष अदालत है। हाई कोर्ट ने इस अदालत को विशेष अदालत का दर्जा दिया है ताकि मामलों पर त्वरित सुनवाई की जाए और उसके लक्ष्य के तहत इनका एक साल के भीतर निपटारा हो सके। उन्होंने कहा कि आवेदक ऊपर बताई श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए अदालत इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती।

भारत ने चीन से जताई आपत्ति और चिंता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 मार्च।

भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने चीन के एक जहाज से सैन्य उपकरण जब्त किए जाने को लेकर चीन को अपनी चिंताओं और आपत्तियों से अवगत करा दिया है। भारतीय अधिकारियों ने जहाज को पिछले महीने गुजरात के कांडला तट पर रोका था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि चीन उपयुक्त कदम उठाएगा, ताकि सुनिश्चित हो सके कि चीनी अधिकारी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं हों, जिससे तनाव बढ़े। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक हांगकांग का झंडा लगे 'डा सूई यान' जहाज से जब्त संवेदनशील सामग्री को कराची ले जाया रहा था, जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल को लांच करने में किया जा सकता है। रवीश कुमार ने कहा कि जांच से पता चला कि ये ऑटोक्लेव (संवेदनशील सामग्री) है जो भारत के दोहरे इस्तेमाल वाले निर्यात सूची में प्रतिबंधित है और अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे जब्त किया है। उन्होंने कहा, 'इस बारे में हमने चीनी पक्ष को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है और कहा है कि मित्र देश होने के नाते चीन की सरकार उपयुक्त कदम उठाएगी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि चीनी अधिकारी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होंगे, जिससे तनाव बढ़े।'

पीड़ित को हर्ष मंदर मामले में हस्तक्षेप की मंजूरी नहीं

पेज 1 का बाकी

पीड़ित ने मंदर की कथित घृणा भाषण की वीडियो देखी थी और इसे रिकार्ड में रखना चाहते हैं। सीजेआइ ने कहा– हमने महान्यायवादी से इसे रिकार्ड में रखने के लिए कहा था। हमें इस सुनवाई में आपकी जरूरत नहीं है। जब गोंजाल्विस ने कहा कि वे दिल्ली हिंसा मामले में मंदर की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए थे तो इस पर पीठ ने कहा–आप उनकी यहां भी पैरवी कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मंदर के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल किया था और सुप्रीम कोर्ट व उसके जजों के खिलाफ कटाक्ष करने वाली कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि कथित घृणा भाषणों के लिए कुछ भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध कर रहे मंदर ने खुद शीर्ष अदालत, सरकार और संसद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के आरोपों को गंभीरता से लिया और न सिर्फ मंदर के कथित नफरत भरे भाषण के मुद्दे का निपटारा होने तक उनकी वकील करुणा नंदी को सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि मंदर की याचिका अपने पास ही रखी। मंदर ने भी हिंसा के सिलसिले में अदालत के समक्ष एक अलग याचिका दायर की थी। महान्यायवादी तुषार मेहता ने पिछले साल 16 दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मंदर द्वारा दिए गए कुछ कथित घृणा भाषणों का जिक्र किया था।

गाजियाबाद में एक मरीज की पुष्टि

पेज 1 का बाकी

में कोरोना विषाणु के चपेट में आए मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। बुधवार की रात गुरुग्राम में पेटीएम के एक कमर्चारी को भी कोरोना विषाणु होने की पुष्टि हुई थी। एहतियात के तौर पर राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में शनिवार से आम लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है।

गाजियाबाद के जिस शख्स में कोरोना विषाणु की पुष्टि हुई है, वह राजनगर विस्तार का रहने वाला है। यह मरीज 23 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान से वापस लौटा था। फिलहाल इस मरीज का इलाज राजधानी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने इस जानकारी की पुष्टि कर दी है।

देशभर में कोरोना विषाणु के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भारत में कोरोना की रोकथाम के लिए काफी समय से तैयारी चल रही है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति भवन में होली के कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है। इटली और कोरिया से वापस आने वाले लोगों के लिए सलाह जारी की गई है। गुरुवार को दिल्ली सरकार ने भी 31 मार्च तक सभी सरकारी व निजी सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपने सभी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी प्राइमरी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि छह मार्च से लेकर 31 मार्च तक दिल्ली के प्राइमरी स्कूल यानी पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इनमें सरकारी, प्राइवेट, ऐडेड, एनडीएमसी सभी स्कूल शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना विषाणु को लेकर सभी स्कूलों को परमार्श जारी किया है।

सनद रहे कि दुनिया भर में 3,200 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना विषाणु से हो चुकी है।

केंद्र की अपील पर 23 को सुनवाई

पेज 1 का बाकी

अभियुक्तों को एक साथ ही फांसी पर लटकाने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र ने अपील की थी। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के पीठ को केंद्र की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने सूचित किया कि निचली अदालत ने इन दोषियों को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिए आवश्यक वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इन दोषियों को 20 मार्च को सुबह पांच बजे फांसी पर लटकाया जाए क्योंकि वे अब सारे कानूनी विकल्पों की मदद ले चुके हैं। मेहता ने कहा कि इन दोषियों ने फांसी की सजा पर अमल में विलंब के लिए समूची व्यवस्था का मखौल बना दिया है। पीठ ने कहा कि वह केंद्र की अपील पर 23 मार्च को सुनवाई करेगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले को अब स्थगित नहीं किया जाएगा।

कांग्रेस के सात सांसद शेष सत्र से निलंबित

पेज 1 का बाकी

मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया।

पीठासीन सभापति मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस के सात सांसदों को सदन का अनादर करने के कारण सात सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया और लोकसभा की कार्यवाही तीसरी बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर हंगामे के कारण निचले सदन में पिछले चार दिनों से कोई खास कामकाज नहीं हो रही है। गुरुवार को भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका।

दोपहर दो बजे बैठक शुरू होने पर पीठासीन सभापति रमा देवी ने जैसे कार्यवाही शुरू करने को कहा, वैसे ही कांग्रेस सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। कुछ कांग्रेस सदस्यों ने आसन से कुछ कागजात लेकर नीचे फेंक दिए। इसके कारण सदन की कार्यवाही दो बजकर करीब पांच मिनट पर तीन बजे के लिए स्थगित कर दी गई।

अपराह्न तीन बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन सभापति मीनाक्षी लेखी ने कहा–आज दोपहर सदन में चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने सभा की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक कागज अध्यक्षीय पीठ से बलपूर्वक छीन लिए और उछाले गए। संसदीय इतिहास में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आचरण संभवतः पहली बार हुआ है जब अध्यक्ष पीठ से कार्यवाही से संबंधित पत्र छीने गए। मैं इस आचरण की घोर निंदा करती हूं।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस के गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, डीन कुरियाकोस, राजमोहन उन्नीथन, बैनी बहनान, मणिकम टेगोर और गुरजीत सिंह औजला को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूर किया। इससे पहले लेखी ने संसदीय प्रक्रिया नियमों के नियम 374 के तहत उक्त सदस्यों को नामित किया। इसके बाद पीठासीन सभापति मीनाक्षी लेखी ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिये स्थगित कर दी।

इससे पहले, 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश में कोरोना वायरस से जुड़े हालात और उससे निपटने की तैयारियों पर वक्तव्य दिया जिसके बाद विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस विषय पर अपने सुझाव रखे। इसी क्रम में सुझाव देते हुए सत्तारूढ़ राजग में सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य हनुमान बेनीवाल ने गांधी परिवार को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया, जिस पर कांग्रेस सदस्यों के भारी हंगामे के कारण सदन की बैठक दोपहर करीब एक बजे से दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इसी दौरान राजस्थान से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के बेनीवाल ने कहा कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित अधिकतर मरीज इटली से लौटे हैं। इसके बाद बेनीवाल ने इटली और कोरोना वायरस को जोड़ते हुए गांधी परिवार को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया जिस पर कांग्रेस के सदस्य उग्र होते हुए आसन के समीप आ गए और बेनीवाल की बात का विरोध करने लगे। कुछ कांग्रेस सांसदों ने कागज और प्लेकार्ड फाड़कर भी उछाले जिनके टुकड़े आसन के पास आकर गिरे। भारी हंगामे के कारण पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की बैठक करीब एक बजे दोपहर से दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने कोरोना वायरस पर सुझाव देते हुए कहा था कि हमारे नेता राहुल गांधी ने भी इस संबंध में सरकार को चेताया था। हंगामे के बीच ही सरकार ने खनन विधियां संशोधन विधेयक 2020 पारित कराने का प्रयास किया लेकिन हंगामे के कारण यह पारित नहीं हो सका।

तटों पर उतरने से रोके गए 16 हजार यात्री

पेज 1 का बाकी

जगहों पर ठहरे 452 जहाजों के इन यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को बुखार या किसी भी तरह के लक्षण के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के दिशानिर्देश के तहत हरसंभव सहायता दी जा रही है। पोत परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, 'आयात–निर्यात वाले माल के साथ 452 जहाज और चीन या कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की पूर्व में यात्रा कर चुके 16,076 यात्री और चालक दल के सदस्य अब तक भारतीय बंदरगाहों पर आए हैं। किसी भी प्रसार को रोकने लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। हमने यात्रियों और चालकों को जहाजों से उतरने की अनुमति नहीं दी, लेकिन तयशुदा जगहों पर जहाजों को ठहरने की अनुमति दी गई है। तमाम सावधानी बरतने के साथ सामान लाए गए हैं।'

अधिकारी के मुताबिक, 'संक्रमित देशों की यात्रा कर चुके चालक दल/यात्रियों को तट का पास नहीं दिया गया है।' डब्लूएचओ के दिशानिर्देश के तहत जहाज पर सभी लोगों की जांच की जा रही है और उन तक सारी जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। दरअसल, पारादीप बंदरगाह पर चेमस्टार स्टेलर पोत पर सवार चालक दल के एक सदस्य को बुखार हो गया। उन्हें और उनकी पत्नी को वहां से निकाला गया और आगे जांच के लिए एससीबी मेडिकल कॉलेज, कटक भेजा गया। यह पोत चीन के जापू से 10 फरवरी को रवाना हुआ था और एक मार्च को पारादीप बंदरगाह पहुंचा।

इससे पहले चीन से आए एमवी मैग्नेट पोत पर चालक दल के दो सदस्यों को बुखार हो गया। बाद में जांच में उनमें कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई। मार्ग में यह दक्षिण कोरिया के लिए गया था और 25 फरवरी को सिंगापुर से रवाना हुआ और एक मार्च को पारादीप बंदरगाह की सीमा में पहुंचा। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। करीब 200 छोटे बंदरगाह भी हैं जो राज्यों के नियंत्रण में हैं। पोत परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि उसने सभी 12 प्रमुख बंदरगाहों को जहाज के यात्रियों के लिए निरीक्षण और पृथक व्यवस्था बनाने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं।

इस बीच, विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि इसी महीने होने वाले भारत–यूरोपीय संघ (ईयू) शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण फिर से निर्धारित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर स्वास्थ्य अधिकारियों के परामर्श को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुसेल्स यात्रा का कार्यक्रम फिर से तय करने का फैसला किया है।

www.readwhere.com

धनशोधन मामले में गोयल पर मामला दर्ज

मुंबई, 5 मार्च (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में जेट एअरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके परिसरों की तलाशी ली।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि गोयल के खिलाफ हाल ही में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी का संज्ञान में लिए जाने के बाद धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि ईडी ने बुधवार को मुंबई में गोयल के परिसरों पर छापा मारा और मामला दर्ज करने के बाद उनसे पूछताछ भी की। मुंबई पुलिस की प्राथमिकी मुंबई की एक यात्रा कंपनी के खिलाफ गोयल तथा अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ी है।

फॉर्म आईएनसी-26
[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केंद्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

तथा

पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 1, आनंद ग्राम आया नगर महरौली, गुड़गांव रोड, नई दिल्ली 110047, में है के मामले में

....आवेदक

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **'दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र'** से **'हरियाणा राज्य'** में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत **गुरुवार, 20 फरवरी, 2020** को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 1, आनंद ग्राम, आया नगर, महरौली, गुड़गांव रोड, नई दिल्ली 110047 पर भेजी जानी चाहिए।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
देविंदर कुमार गुप्ता
प्रबंध निदेशक
DIN: 00027021

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 05.03.2020
1, आनंद ग्राम, आया नगर, एम.जी रोड, दिल्ली-110047

फॉर्म आईएनसी-26
[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केंद्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

तथा

शिवम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 1, आनंद ग्राम, आया नगर, महरौली, गुड़गांव रोड, नई दिल्ली 110047, में है के मामले में

....आवेदक

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **'दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र'** से **'हरियाणा राज्य'** में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत **गुरुवार, 20 फरवरी, 2020** को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 1, आनंद ग्राम, आया नगर, महरौली, गुड़गांव रोड, नई दिल्ली 110047 पर भेजी जानी चाहिए।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
शिवम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
देविंदर कुमार गुप्ता
निदेशक
DIN: 00027021

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 05.03.2020
1, आनंद ग्राम, आया नगर, एम.जी रोड, दिल्ली-110047

फॉर्म आईएनसी-26
[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केंद्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

तथा

डी.के. ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 1, आनंद ग्राम, आया नगर, महरौली, गुड़गांव रोड, नई दिल्ली 110047, में है के मामले में

....आवेदक

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **'दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र'** से **'हरियाणा राज्य'** में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत **गुरुवार, 20 फरवरी, 2020** को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 1, आनंद ग्राम, आया नगर, महरौली, गुड़गांव रोड, नई दिल्ली 110047 पर भेजी जानी चाहिए।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
डी.के. ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
देविंदर कुमार गुप्ता
निदेशक
DIN: 00027021

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 05.03.2020
1, आनंद ग्राम, आया नगर, एम.जी रोड, दिल्ली-110047

HDFC BANK
We understand your world

रिटेल पोर्टफोलियो प्रबंधन - सील
149, शील पैलेस, प्रथम तल, पुराना दिल्ली चुंगी, दिल्ली रोड, मेरठ-250002

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 9.12.2019 जारी कर ऋणधारक तथा सह-ऋणधारकों 1. श्री विजय पाल सिंह, पुत्र श्री हरदयाल सिंह, 2. श्रीमती राधा देवी, पत्नी श्री विजय पाल सिंह, 3. श्री वीरेन्द्र पाल, पुत्र श्री हरदयाल सिंह, 4. श्रीमती हेमा सिंह, पत्नी श्री वीरेन्द्र पाल, 5. श्री हरदयाल सिंह, पुत्र श्री छोटे लाल, 6. श्रीमती योति देवी, पत्नी श्री हरदयाल सिंह, 7. श्री यश पाल सिंह, पुत्र श्री हरदयाल सिंह, 8. श्रीमती सन्ध्या देवी, पत्नी श्री यश पाल सिंह, 9. श्री जय प्रकाश सिंह, पुत्र श्री हरदयाल सिंह को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 46,58,879.00 (रुपये छियालिस लाख अन्ठावन हजार आठ सौ उन्यासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने 4.3.2020 को उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 46,58,879.00 (रुपये छियालिस लाख अन्ठावन हजार आठ सौ उन्यासी मात्र) तथा प्रदत्त राशि, यदि कोई हो, को घटाकर उस पर ब्याज तथा खर्चे एवं चार्जेज आदि के लिये एचडीएफसी बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मोहल्ला इस्लामदासपुर, परगणा, तहसील एवं जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में स्थित प्लाट माप 215 वर्ग मी., खसरा नं. 717 के भाग पर निर्मित आवासीय सम्पत्ति। चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः 74'/ रास्ता, पश्चिमः 74'/ सम्पत्ति लल्लू सिंह, उत्तरः 31'/ मकान मुकीर, दक्षिणः 31'/ अन्य का प्लॉट।

तिथिः 4.3.2020 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः मेरठ — एचडीएफसी बैंक लि.

अनुसूची II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]
ईशल फूड्स प्रा. लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	ईशल फूड्स प्रा. लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	24.2.2016
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U51909DL2016PTC291561
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः ईशल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जेए-809, 8वां तल, डीएलएफ टावर-ए, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-110025
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	14.4.2020
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के परिसमापन शुरू होने की तिथि	19.2.2020 (माननीय एनसीएलटी का आदेश तिथि 19.02.2020 दिनांक 3.3.2020 को प्राप्त हुई)
8.	परिसमापक का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नामः श्री राजेश कुमार गुप्ता पंजीकरण सं: IBBI/IPA-003/IP-N00198/2018-19/12308
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ईमेल	पताः एफ-43, दिलशाद कॉलोनी ईस्ट, दिल्ली-110095 ईमेलः rgadv21@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः जी-22, निम्न भू तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014 ईमेलः efpl.liquid@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	20.03.2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, (नई दिल्ली पीठ, कोर्ट II) ने 19.2.2020 को (सर्टिफाइड प्रति आदेश परिसमापक को 3.3.2020 को प्राप्त हुई) ईशल फूड्स प्रा. लि. के परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा ईशल फूड्स प्रा. लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 20.3.2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फायनेंसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता/-
तिथिः 4.3.2020 — श्री राजेश कुमार गुप्ता
स्थानः दिल्ली — परिसमापक
मै. ईशल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
IBBI/IPA-003/IP-N00198/2018-2019/12308

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (ई एंड एम) डब्ल्यू एंड एस दक्षिण-I
ग्रेटर कैलाश I, नई दिल्ली-110048, टेली/फैक्स-29245279
ईमेल आईडीः ee.emwss1@gmail.com

No DJB/EE/(E&M)W&S/S-1/2019-20/ — तिथिः 3.3.2020

प्रेस एनआईटी सं. 33/(ई एंड एम) डब्ल्यू एंड एस-I/2019-20

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरो. राशि	निविदा शुल्क	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम की तिथि/समय
1.	जल सदन कॉम्प्लेक्स के भवन में फायर एलार्म तथा अग्नि शमन प्रणाली के एस/आई/टी/सी	वस्तु दर	94000/-	500/-	2020_DJB_189076_1 तिथिः 3.3.2020	18.3.2020 के 3.00 बजे अप. तक
2.	जी.के. साउथ कॉलोनी में 11 केवी एचटी पैनल बोर्ड का एस/आई/टी/सी	वस्तु दर	59000/-	500/-	2020_DJB_189076_2 तिथिः 3.3.2020	18.3.2020 के 3.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में विस्तृत विवरण https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/892 — कार्यपालक अभियंता (ई एंड एम) डब्ल्यू एंड एस दक्षिण-I

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated June 6, 2018 filed with the stock exchanges, namely BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and Securities and Exchange Board of India. ("**SEBI**") (the "**Letter of Offer**").

HAP
HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED

HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED ("**Company**") was incorporated as a private limited company under the Companies Act, 1956 in the name of 'Hatsun Foods Private Limited' vide a certificate of incorporation dated March 4, 1986 issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai ("**RoC**"). For details in relation to changes to the name and registered office of our Company, please see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 58 of the Letter of Offer.

Corporate identification number: L15499TN1986PLC012747
Registered & Corporate Office: "DOMAINE", Door No. 1/20A, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Karapakkam, Chennai, Tamil Nadu - 600 097
Telephone: +91 44 2450 1622; and **Facsimile:** +91 44 2450 1422
Contact Person: Mr. G. Somasundaram, Company Secretary and Compliance Officer; **E-mail:** secretarial@hap.in; **Website:** www.hap.in

PROMOTERS OF OUR COMPANY: R.G CHANDRAMOGAN, C SATHYAN, LALITHA C, DOLLY SATHYAN, DEVIGA SURESH AND VIVIN SRINESH

NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED, WHO HAVE NOT PAID THE FIRST AND FINAL CALL MONEY PURSUANT TO THE NOTICES DATED NOVEMBER 4, 2019 AND DECEMBER 27, 2019, TO MAKE THE PAYMENT OF FIRST AND FINAL CALL MONEY WITHIN THE EXTENDED PERIOD STARTING FROM FRIDAY, MARCH 6, 2020 AND ENDING WITH THURSDAY, APRIL 30, 2020

ISSUE OF 95,10,519 PARTLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1 EACH OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹555 (INCLUDING A PREMIUM OF ₹554) PER EQUITY SHARE ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR AN AMOUNT AGGREGATING TO ₹52,783.38 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 16 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 1, 2018 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE OF EACH RIGHTS EQUITY SHARE WAS 555 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. (THE "RIGHTS ISSUE").

PAYMENT METHOD*			
Amount Payable per Rights Equity Share i.e. Issue Price	Face value (₹)	Premium (₹)	Total (₹)
On Application (Already received)	0.80	443.20	444.00
On First and Final Call (Due and payable)	0.20	110.80	111.00
Total			555.00

*For details on the payment method, see "Terms of the Issue" beginning on page 150 of the Letter of Offer.

In accordance with the first and final call money notice dated November 4, 2019 ("**First and Final Call Money Notice**"), the last date of payment was December 10, 2019. Further, in accordance with the final demand cum forfeiture notice dated December 27, 2019 ("**Final Demand Cum Forfeiture Notice**", together with First and Final Call Money Notice, "**Notices**"), the last date of payment was February 15, 2020. Pursuant to serving the Notices, the Company has provided a notice of more than 30 days cumulatively for payment of the First and Final Call money in accordance with the Articles of Association of the Company. For the benefit of the shareholders, the Board of Directors of the Company at their meeting held on January 21, 2020, has decided to provide a last and final opportunity to the shareholders who have not paid the First and Final Call money pursuant to the Notices. Accordingly, the extension to the Final Demand Cum Forfeiture Notice dated March 4, 2020 ("**Extension To Final Demand Cum Forfeiture Notice**") is hereby sent to such shareholders who have not paid the First and Final Call money pursuant to the Notices intimating about the last and final opportunity given to make payment of the First and Final Call money from Friday, March 6, 2020 to Thursday, April 30, 2020 (both days inclusive). Further, the Rights Equity Shares of such shareholders who shall pay the First and Final Call money during the period from Friday, March 6, 2020 to Thursday, April 30, 2020, will be admitted for listing and trading and the same will be credited to the current fully paid-up ISIN No. INE473B01035.

The shareholders of the Company holding Rights Equity Shares who have not paid the First and Final Call money pursuant to the Notices up to February, 15, 2019 are requested to make payment of the First and Final Call Money from Friday, March 6, 2020 to Thursday, April 30, 2020 (both days inclusive), otherwise the application money paid in relation to the Rights Equity Shares in respect of which the First and Final Call Money payable remains unpaid, shall be forfeited for non-payment of First and Final Call money, in accordance with the Letter of Offer and in terms of the Articles of Association of the Company, without any further communication to the shareholders.

Kindly note that the list of the shareholders holding Rights Equity Shares who have not made payment of the First and Final Call money is available on the website of the Company at www.hap.in.

Payment of the First and Final Call money be sent through cheque/ demand draft payable at par in favor of "**Hatsun Agro Product Limited**" in case of resident shareholders or non-resident shareholders applying on repatriable basis or non-repatriable basis from **Friday, March 6, 2020 to Thursday, April 30, 2020 (both days inclusive)**. Details in relation to the payment of First and Final Call money has been stated in detail, in the Extension To Final Demand Cum Forfeiture Notice.

SHAREHOLDERS HOLDING RIGHTS EQUITY SHARES WHO HAVE NOT PAID THE FIRST AND FINAL CALL MONEY ARE REQUESTED TO CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS STATED IN THE EXTENSION TO FINAL DEMAND CUM FORFEITURE NOTICE AND MAKE PAYMENT OF THE FIRST AND FINAL CALL MONEY AT THE COLLECTION CENTRES, DETAILS OF WHICH ARE AS FOLLOWS:

COLLECTION BANK BRANCHES FOR RESIDENT SHAREHOLDERS: YES BANK LIMITED: AGRA - GROUND AND FIRST FLOOR, 116/18, SANJAY PALACE, AGRA-2820022, UTTAR PRADESH; TEL: 0562-4049008; **AHMEDABAD** - 102/103, CG CENTRE, CG ROAD, AHMEDABAD-380009, GUJRAT; TEL: 079-6609922; **AMRITSAR** - 42, MALL ROAD, NEXT TO RITZ HOTEL, AMRITSAR-143001, PUNJAB; TEL: 0183-5031605; **AURANGABAD** - A7, GROUND FLOOR, AURANGABAD BUSINESS CENTRE, AURANGABAD-431001, MAHARASHTRA; TEL: 0240-6619000; **BENGALURU** - GROUND FLOOR, PRESTIGE OBELISK, MUNICIPAL NO 3, KASTURBA ROAD, BANGALORE-560001, KARNATAKA; TEL: 080-30429001; **BHAVNAGAR** - UNIT NO.G1, PART G2 G3 OF, THE BUILDING KNOWN AS "SILVER ARC", PLOT NO. 9, WAGHAWADI ROAD, BHAVNAGAR-364001; TEL: 0278-6631001; **CHANDIGARH** - SHOP CUM OFFICE (SCO) NO 151152, SECTOR 9C, MADHYA MARG, CHANDIGARH-160017, CHANDIGARH; TEL: 0172-6659114; **CHENNAI** - UTHAMAR GANDHI SALAI, OPP PARK HOTEL, NUNGAMBAKKAM, CHENNAI-600034, TAMIL NADU; TEL: 044-66765024; **COIMBATORE** - MANCHESTER KRISHNA LANDMARK, AVINASHI ROAD, COIMBATORE-641018, TAMIL NADU; TEL: 0422-6649102; **HYDERABAD** - MAYANK TOWERS, SURVEY NO. 31 (OLD), 31/2 (NEW), RAJ BHAVAN ROAD, SOMAJIGUDA, HYDERABAD-500082, ANDHRA PRADESH; TEL: 9704018222; **INDORE** - YES BANK LTD, 9/1/1 M.G ROAD, ADJOINING TREASURE ISLAND, INDORE-452001, MADHYA PRADESH; 0731-4275000; **JAIPUR** - G2, GROUND FLOOR, GREEN HOUSE, PLOT O15, ASHOK MARG, JAIPUR-302001, RAJASTHAN; TEL: 0141-3983820; **JALANDHAR** - YES BANK LTD, GROUND FLOOR, SATNAM COMPLEX, BMC CHOWK, JALANDHAR-144001, PUNJAB; 0181 5029064; **JODHPUR** - GROUND FLOOR, 117/4, PWD COLONY, JODHPUR-342001, RAJASTHAN; TEL: 9829962324; **KANPUR** - GROUND FLOOR, PADAM TOWERS 14/113, CIVIL LINES, KANPUR-208001, UTTAR PRADESH; TEL: 0512-6710140; **KOCHI** -YES BANK LTD, FIRST FLOOR, PUTHURAN PLAZA, KPCC JUNCTION, M G ROAD, KOCHI-682011, KERALA; 0484-6641009; **KOLKATA** - RUSSEL STREET, KOLKATA-700017, WEST BENGAL; TEL: 033-39879165; **LUCKNOW** - TULSI COMPLEX, 12, RANI LAXMIBAI MARG, HAZRATGANJ, LUCKNOW-226001, UTTAR PRADESH; TEL: 0522-4099102; **LUDHIANA** -BXX/2427/928, GF FF, GOBIND NAGAR, FEROZEPUR ROAD, LUDHIANA-141001, PUNJAB; TEL: 0161-4689043; **MUMBAI** - 1 A MITTAL CHAMBERS, NARIMAN POINT OPP INOX THEATRE, MUMBAI-400021, MAHARASHTRA; TEL: 022-66749000; **NAGPUR** - GR FLOOR SWAMI SADAN, PLOT NO 206/1 A GPO SQUARE, VIP ROAD CIVIL LINES, NAGPUR-440001, MAHARASHTRA; TEL: 0712-6628822; **NASIK** - SHOP NO 9 TO 13, AGORA, CANADA, CORNER, JUNCTION OF SHARANPUR AND, COLLEGE ROAD, NASHIK-422002, MAHARASHTRA; TEL: 0253-6619000; **NEW DELHI** - 11/48, NYAYA MARG, CHANAKYAPURI, NEW DELHI-110021, DELHI; TEL: 011-30259035; **PANAJI** -GROUND AND FIRST FLOOR, PLOTSANTO AGOSTINHO, 18TH JUNE ROAD, OPP HDFC BANK, PANAJI-403001, GOA; TEL: 0832-6659000-106; **PATNA** - GROUND FLOOR, RAJENDRA RAM PLAZA, EXHIBITION ROAD, PATNA-800001, BIHAR; TEL: 0612-3009016; **PUNE** - KARAN SELEN, BHANDARKAR ROAD, SHIVAJI NAGAR, PUNE-411004, MAHARASHTRA; TEL: 020-30149054; **RAJKOT** - FIRST FLOOR, NATH EDIFICE, PLOT NO 21/2S, NO. 450/C, JCT DR YAGNIK RD AND RACE COURSE RD, RAJKOT-360001, GUJARAT; TEL: 0281-6691401; **SHIMLA** - GROUND LEVEL, TIMBER HOUSE, CART ROAD, SHIMLA-171001, HIMACHAL PRADES; TEL: 0177-6629022; **SRINAGAR** - UNIT NO 1-6, 2ND FLOOR, M.S. MALL SITE, RESIDENCY ROAD ESTATE, SRINAGAR-190001, JAMMU AND KASHMIR; TEL: 0194-2483132; **SURAT** - GR FLOOR, MANGALDEEP, RING ROAD, NEAR MAHAVIR HOSPITAL, NEAR RTO, SURAT-395001, GUJARAT; TEL: 0261-6600126; **UDAIPUR** - YES BANK LTD, 29, GOVERDHAN PLAZA, OPP LOKKLAMANDAL, UDAIPUR-3130023, RAJASTHAN; TEL: 0294-5105731; **VADODARA** - GROUND FLOOR, CORNER SQUARE, RACE COURSE CIRCLE, NEXT TO WEST SIDE/ INOX, BARODA-390007, GUJARAT; TEL: 0265-6619328; **VISAKHAPATNAM** - YES BANK LTD, GROUND FLOOR, SUN TOWER TS NO 1187 OF BLOCK NO 53, WALTAIR MAIN ROAD, VISAKHAPATNAM-530007, ANDHRA PRADESH; TEL: 0891-6623000;

COLLECTION BANK BRANCHES FOR NON-RESIDENT SHAREHOLDERS: YES BANK LIMITED: BENGALURU - GROUND FLOOR, PRESTIGE OBELISK, MUNICIPAL NO 3, KASTURBA ROAD, BANGALORE-560001, KARNATAKA; TEL: 080-30429001; **CHENNAI** - UTHAMAR GANDHI SALAI, OPP PARK HOTEL, NUNGAMBAKKAM, CHENNAI-600034, TAMIL NADU; TEL: 044-66765024; **HYDERABAD** - MAYANK TOWERS, SURVEY NO.31 (OLD), 31/2 (NEW), RAJ BHAVAN ROAD, SOMAJIGUDA, HYDERABAD-500082, ANDHRA PRADESH; TEL: 9704018222; **MUMBAI** - 1 A MITTAL CHAMBERS, NARIMAN POINT OPP INOX THEATRE, MUMBAI-400021, MAHARASHTRA; TEL: 022-66749000; **NEW DELHI** - 11/48, NYAYA MARG, CHANAKYAPURI, NEW DELHI-110021, DELHI; TEL: 011-30259035;

REGISTRAR TO THE COMPANY	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Integrated — Corporate Solutions Simplified **Integrated Registry Management Services Private Limited** No.30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bangalore - 560 003 **Telephone:** +91 80 2346 0815 - 818 **Facsimile:** +91 80 2346 0819 **E-mail:** gopi@integratedindia.in; giri@integratedindia.in **Investor grievance email:** irg@integratedindia.in **Contact Person:** Mr. S. Giridhar / Mr. J. Gopinath **Website:** www.integratedindia.in **SEBI Registration No.:** INR000000544	Mr. G. Somasundaram "DOMAINE", Door No. 1/20A, Rajiv Gandhi Salai (OMR) Karapakkam, Chennai, Tamil Nadu - 600 097 **Telephone:** +91 044 2450 1622; **Facsimile:** +91 044 2450 1422 **Email:** somasundaram.g@hap.in; **Website:** www.hap.in Investors may contact the Registrar to the Company or our Company Secretary and Compliance Officer for any First and Final Call money related matter.

For **HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED**
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Chennai
Date : March 5, 2020

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011 -23357171 , 23357172, 23705414 वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा पता : 8वीं मंजिल, डीसीएम बिल्डिंग, 16 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011-23357170/74, ई-मेल : customercare@pnbhousing.com
शाखा पता : म.नं. 36, ब्लॉक : बी-1, भूतल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, दूरभाष : 011-25546073/74/75 70/74 ई-मेल : janakpuri@pnbhousing.com
शाखा पता : यूजी1, एसजी बीटा टॉवर, प्लॉट सं. 10, सेक्टर-3, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)- 201011, दूरभाष : 120-2699117, ई-मेल : ghaziabad@pnbhousing.com
शाखा पता : D-2, सेक्टर-3, नोएडा, उ.प्र.-201301, दूरभाष : 0120-6511224-26, ई-मेल : noida@pnbhousing.com
शाखा पता : एस-8, उपहार सिनेमा कॉम्पलेक्स, ग्रीनपार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110015, दूरभाष : 011-26512911, ई-मेल : greenpark@pnbhousing.com
शाखा पता : एससीओ-391, सेक्टर-29, अर्बन एस्टेट, निकट इफको चौक मेट्रो स्टेशन, गुरुग्राम, हरियाणा- 122001, दूरभाष : 0124-2385568, ई-मेल : gurgaon@pnbhousing.com
शाखा पता : कार्यालय सं. 2-3, भूतल, बाबा हाउस प्लॉट सं. 86, ग्राम गुण्डावली, निकट डब्ल्यूईएच मेट्रो स्टेशन, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई 400093, ई-मेल : mumbai@pnbhousing.com

प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के अध्याय III की धारा 13(2) तथा अब तक संशोधित के अनुसार प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रवर्तन तहत सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. (इसके पश्चात ''पीएनबीएचएफएल'' कहा जायेगा) ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के अध्याय कककी धारा 13(2) (इसके पश्चात ''अधिनियम'' कहा जायेगा) के तहत अपने दिल्ली शाखा कार्यालय, 8वीं मंजिल, डीसीएम बिल्डिंग, 16 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 तथा साथ ही अपने जनकपुरी शाखा कार्यालय, म.नं. 36, ब्लॉक : बी-1, भूतल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 तथा साथ ही अपने गाजियाबाद शाखा कार्यालय, यूजी1, एसजी बीटा टॉवर, प्लॉट सं. 10, सेक्टर-3, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)- 201011, तथा साथ ही अपने नोएडा शाखा कार्यालय, D-2, सेक्टर-3, नोएडा, उ.प्र.-201301 तथा साथ ही ग्रीनपार्क शाखा कार्याल, एस-8, उपहार सिनेमा कॉम्पलेक्स, ग्रीनपार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110015 तथा साथ ही अपने गुरुग्राम शाखा कार्यालय, एससीओ-391, सेक्टर-29, अर्बन एस्टेट, निकट इफको चौक मेट्रो स्टेशन, गुरुग्राम, हरियाणा- 122001 तथा साथ ही अपने मुम्बई शाखा कार्यालय, कार्यालय सं. 2-3, भूतल, बाबा हाउस प्लॉट सं. 86, ग्राम गुण्डावली, निकट डब्ल्यूईएच मेट्रो स्टेशन, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई 400093 द्वारा माँग सूचना निर्गत की थी। कथित माँग सूचना आप सभी निम्नलिखित कजदारों/सह-कर्जदारों को हमारे अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत की गयी थी जो कि किश्तों/ब्याजों के भुगतान न किये जाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/नेशनल हाउसिंग बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके खाते को नॉन-परफॉर्मिंग आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। इसकी विषय-सामग्री मूलधन, ब्याज आदि की किश्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गयी चूक से सम्बन्धित है। बकाया राशि नीचे वर्णित है। पुनः कारणवश हमें विश्वास है कि आप माँग सूचना की सेवाओं की अनदेखी कर रहे हैं अतः माँग सूचना का यह प्रकाशन कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत भी अपेक्षित है। एतद्वारा आपको अद्यतन ब्याज तथा प्रभारों सहित उपर्युक्त राशि इस माँग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल होने पर पीएनबीएचएफएल कर्जदारों तथा जमानतियों की प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा करने सहित समस्त अथवा किसी एक या अधिक प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कथित अधिनियम की धारा 13(4) के समस्त या किन्हीं प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही करेगा।

आपका ध्यान प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत आप सार्वजनिक या निजी सन्धि से कोटेशन, निविदा आमन्त्रित करके सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री हेतु केवल इस सूचना के प्रकाशन की तिथि तक पीएनबीएचएफएल द्वारा व्यय किये गये समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित सम्पूर्ण बकाया राशि अदा/भुगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि पीएनबीएचएफएल द्वारा व्यय किये गये समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित सम्पूर्ण बकाया राशि सार्वजनिक या निजी सन्धि से कोटेशन, निविदा आमन्त्रित करके सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री द्वारा इस सूचना के प्रकाशन से पूर्व अदा नहीं की गयी तो इसके पश्चात आप प्रतिभूत आस्ति(यों) को छुड़ाने के हकदार नहीं होंगे।

पुनः आपको उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के बिक्री, पट्टे या किसी अन्य विधि से हस्तान्तरित करने के लिए कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत निषिद्ध किया जाता है।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	कर्जदार तथा सह-कर्जदार का नाम/पता	जमानती का नाम/पता	बन्धक सम्पत्ति	माँग सूचना की तिथि	माँग सूचना की तिथि तक बकाया राशि
1.	HOU/GHA/ 0516/284371 **शा.का. गाजियाबाद**	चित्रा शर्मा, आशीष पाठक/बनवारी लाल शर्मा, पता : मकान नं. 1449/P8A, शिव मार्ग, दुर्गापुरी, दिल्ली-110093	ज्ञात नहीं	1204 12 टॉवर-एल, अजनारा इंटीग्रिटी खसरा नं. 977, 978, 979, 981, 983, 1049, 1050, ग्राम नूर नगर, NH-58, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201017	07-02-2020	07/02/2020 तक रु. 28,54,963.42
2.	HOU/GHA/ 0116/261603 **शा.का. गाजियाबाद**	रीनू मिश्रा, मयंक मिश्रा, पता : मकान नं. 102, रोशनी प्राइड अपार्टमेंट, देवराचिकना हल्ली, साउथ बी.जी. रोड, बेंगलुरू, कर्नाटक-560076	ज्ञात नहीं	2208, 22, टॉवर-C, (ब्लॉक-1), चार्म्स कैसल, ग्राम नूर नगर, एनएच-58, परगना लोनी, मेरठ रोड, एनए के.डब्ल्यू. सृष्टि, एनए, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001	07-02-2020	07/02/2020 तक रु. 16,06,694.97
3.	HOU/GHA/ 0615/226657 **शा.का. गाजियाबाद**	अमित गुप्ता, प्रीति गुप्ता, पता : मकान नं. 193, दूसरी मंजिल, नीति खण्ड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201010	ज्ञात नहीं	1603,16 टॉवर बी, एलीगैंट विले (होल्ड) ब्लॉट नं. जीएच-06बी, टेकजोन-4, नोएडा एक्सटेंशन, उत्तर प्रदेश-201301	07-02-2020	07/02/2020 तक रु. 44,80,387.63
4.	0001 6660011307 **शा.का. दिल्ली**	श्री तरुण पाहवा एवं श्रीमती प्रवीना पाहवा, पता : 76, ब्लॉक-केयू, पीतमपुरा, दिल्ली-110088 तथा पता : म.नं. बी-18, दूसरी मंजिल, पर्यावरण कॉम्पलेक्स, इग्नू, दिल्ली-110030	ज्ञात नहीं	फ्लैट सं. टी-1/सी-519, 19वीं मंजिल, ब्लॉक सं. 5, टॉवर सं. टी-1, मोनार्क, प्लॉट सं. जीएच-02/सी, सेक्टर-01, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301.	04-02-2020	04/02/2020 तक रु. 52,58,931.31
5.	HOU/DEL/ 1018/595071 **शा.का. दिल्ली**	श्री गम्भीर सिंह बालियान, मधु बाला, पता : मकान नं. डी-1101, एपेक्स, अकेशिया वैली, सेक्टर 3, वैशाली आईई, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010	ज्ञात नहीं	CVN-T10-05-04, 5वीं मंजिल, टॉवर टी10, सीएचडी वान, ग्राम फाजिलपुर, झारसा, सेक्टर-71, गुरुग्राम, हरियाणा 122001	04-02-2020	04/02/2020 तक रु. 1,12,73,868.77
6.	HOU/NOI/ 1017/438398 **शा.का. : सेक्टर-3, नोएडा**	श्रीमती सोनी कुमारी, श्री विकास कुमार, मैसर्स इन्टेलिस्का आईटी सॉल्यूशन्स प्रा.लि., बी-149, प्रथम तल, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 तथा A-4108, ABA चेरी कंट्री टेकजोन-4, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश -201009	ज्ञात नहीं	108, प्रथम तल, टॉवर-डी, अजनारा ली-गार्डन, फेज I, प्लॉट सं. जीएच-02, सेक्टर-16, नोएडा एक्सटेंशन, निकट अजनारा होम्स, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201318	07-02-2020	07/02/2020 तक रु. 39,44,861.68
7.	NHL/NOI/ 1216/338290 **शा.का. : सेक्टर-3, नोएडा**	श्री रोबिन कान्त उपाध्याय एवं श्रीमती सरोज उपाध्याय, 387, भूतल, शक्ति खण्ड-3, निकट वन मॉल, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014	ज्ञात नहीं	दुकान नं. एफएफ-37, दूसरी मंजिल, ओमेक्स द पार्क प्लाजा, शक्ति खण्ड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014	07-02-2020	07/02/2020 तक रु. 16,41,241.88/-
8.	HOU/NOI/ 1116/330974 **शा.का. : सेक्टर-3, नोएडा**	श्री मनीष कुमार गोयल एवं श्रीमती नीतू मनीष कुमार, B 2-002, ईस्टर्न हाइट, न्याय खण्ड 3, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.-201014	ज्ञात नहीं	204, 2, ब्लॉक-सी2, जेएनसी द पार्क, प्लॉट सं. 1सी, सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा, निकट एक्जोटिका ड्रीम विला, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301.	07-02-2020	07/02/2020 तक रु. 4,56,071.78/-
9.	HOU/JAN/ 0317/360842. **शा.का. : जनकपुरी**	अभिमन्यु मौर्य, मालती मौर्य, पता : म.न. 11, मुनीरका कुंज, दुर्गा विहार, फेज-2, दिल्ली	ज्ञात नहीं	T3 303, 3, टॉवर स. 3, एमिनेंट हाइट्स, सम्पत्ति सं. 11, नया नं. 88/79, खसरा नं. 301 पार्ट बलबीर एवेन्यू, ग्राम धरमपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड-249165 से निर्मित	07-02-2020	07/02/2020 तक रु. 30,79,768.90/-
10.	HOU/JAN/ 0518/524812. **शा.का. : जनकपुरी**	जितेन्द्र सिंह, मीना, पता : म.न. 24/455 बरही रोड, बहादुरगढ़, हरियाणा	ज्ञात नहीं	फ्लैट सं. 13, तीसरी मंजिल, पॉकेट-5, ब्लॉक बी1, सेक्टर-35, रोहिणी, दिल्ली-110085	07-02-2020	07/02/2020 तक रु. 12,43,194/-
11.	HOU/JAN/ 0219/645876. **शा.का. : जनकपुरी**	नागराजन पेरियासामी, लक्ष्मी सूर्या, पता : 504, टॉवर बी3 ट्यूलिप, वॉयलेट सेक्टर 69, गुरुग्राम, हरियाणा	ज्ञात नहीं	1302.0,13.0, टॉवर C, JNC ग्रीनवुड्स (होल्ड), प्लॉट सं. जीएच-1, सेक्टर-3, वसुन्धरा, एनए, वनस्थली पब्लिक स्कूल, एनए, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001	07-02-2020	07/02/2020 तक रु. 73,00,634.25
12.	HOU/JAN/ 1017/445493. **शा.का. : जनकपुरी**	विनोद कुमार देवगाम, जमुना देवगाम, पता : मकान नं. डब्ल्यूजेड 253, बी/सी19, गली नं. 9 मेन रोड, साध नगर, पालम कॉलोनी, दिल्ली	ज्ञात नहीं	808,8, टॉवर A-5, सोलेरा 2, सेक्टर 107, गुरुग्राम, हरियाणा-122001	07-02-2020	07/02/2020 तक रु. 14,06,578.59/-
13.	HOU/GRP/ 1017/445496. शा.का. : ग्रीनपार्क	आई खाबा सिंह, केएच जॉयमती देवी, पता : सिंगजमेई चिंगामखा क्षेत्री लीकाई, वेस्ट इम्फाल, मणिपुर, लीमखोंग, मणिपुर	ज्ञात नहीं	1302,13, T-2, एक्जोटिका ड्रीम विले, प्लॉट सं. GH-01, सेक्टर-16C, नोएडा, एनए, गौड़ सिटी-'', एनए, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	07-02-2020	07/02/2020 तक रु. 35,79,614.47
14.	0016 6700002327 **शा.का. : सेक्टर-3, नोएडा**	श्री राम कुमार सिंह एवं श्री अजब सिंह, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-666, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	श्री गोविन्द, ग्राम-ममूरा, सेक्टर-66, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	10, ब्लॉक-M, सेक्टर-66, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	12-02-2020	12/02/2020 तक रु. 17,92,421.56
15.	0016 6710005823 **शा.का. : सेक्टर-3, नोएडा**	मैसर्स स्टॉर रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अमान्य बिल्डकॉन लि., 1010, फैज रोड करोल बाग, नई दिल्ली-110005, मैसर्स स्टॉर रियलकॉन प्राइवेट लि., कार्यालय सं. 404, ब्लॉक-ए, चौथी मंजिल, द आर्केडिया साउथ सिटी-II, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 तथा मैसर्स स्टार रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, स्टार इनफिनिटी टॉवर, प्लॉट सं. 14, सेक्टर-14, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 तथा श्री गोल्डी गुप्ता एवं श्री नितिन कुमार गुप्ता, ए-2/83, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029		कार्यालय सं. 404, ब्लॉक-ए, चौथी मंजिल, द आर्केडिया, साउथ सिटी- II, गुरुग्राम, हरियाणा-122001	12-02-2020	12/02/2020 तक रु. 59,66,024.96
16.	0001 6660009061. **शा.का. दिल्ली**	श्री नीरज जिंदल, पता : डी-334, विवेक विहार, दिल्ली-110091	अनूप गुप्ता, पता : 131, सी, पॉकेट ए, दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110095	फ्लैट सं. ए-702, (लक्जरीज फ्लैट) क्लीमेंट सिटी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, एनएच-24, प्लॉट सं. 16, सेक्टर-01, डुंडाहेड़ा, गाजियाबाद, U.P.	15-02-2020	15/02/2020 तक रु. 43,38,399.54/-
17.	0017 6660002202. **शा.का. : गुरुग्राम**	धरिन्दर प्रमोद सहगल, पता : 1944, दूसरी मंजिल, अरावली, सैनिक कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121012	संजय दत्ता, पता : 17A/22, डब्ल्यूईए, करोलबाग, नई दिल्ली-110005	म.नं. 1944, दूसरी मंजिल, अरावली विहार, सेक्टर-49, फरीदाबाद, हरियाणा	12-02-2020	12/02/2020 तक रु. 24,91,823.30/-
18.	0001 6660009144. **शा.का. दिल्ली**	श्री अंकुर अग्रवाल, श्रीमती मीना अग्रवाल, पता : 150, सविता विहार, दिल्ली-110092,	अश्विनी कुमार गुप्ता, पता : मकान नं. 109, सविता विहार, दिल्ली-110092, श्री अतुल गोयल, पता : बी-27, सेक्टर-48, नोएडा. उ.प्र.-110095	फ्लैट सं. ए-202, (लक्जरीज फ्लैट), क्लीमेंट सिटी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, एनएच-24, प्लॉट सं. 16, सेक्टर-1, डुंडाहेरा, गाजियाबाद, उ.प्र.	24-02-2020	24/02/2020 तक रु. 52,38,646.86
19.	HOU/NOI/ 1218/613645 **शा.का. : नोएडा**	श्री रितुराज बजाज तथा श्रीमती पूजा बजाज, मकान नं. के-9, स्ट्रीट नं. 1, न्यू महावीर नगर, गुरुद्वारे वाली गली, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018	ज्ञात नहीं	यूनिट- CVN-T10-07-04,7वीं मंजिल, टॉवर टी-10, सीएचडी वन, ग्राम फाजिलपुर झारसा, सेक्टर-71, निकट निर्वाण कंट्री-'', सोहना रोड, गुरुग्राम, हरियाणा-122001	19-02-2020	19/02/2020 तक रु. 1,02,99,707.69
20.	HOU/MUM/ 0616/298306 शा.का. : मुम्बई	श्री अंशुल गुप्ता, श्रीमती विशी खत्री, 35/6, शिवशंकरपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश-201003. (पीओए धारक श्री विजय कुमार खत्री के माध्यम से प्रतिनिधानित, 20 बसन्त कुंज, ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-201003)	ज्ञात नहीं	B-1002, 10वाँ तल, टॉवर-बी, द गोल्फ ऐडरस, प्लॉट सं. एससी-1, बी-4, सेक्टर-150, नोएडा, (U.P), नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत -201308	17-02-2020	17/02/2020 तक रु. 52,24,333.46

स्थान : पीतमपुरा/जनकपुरी/दिल्ली/गाजियाबाद/नोएडा/मुम्बई, दिनांक : 05.03.2020 — **अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.**

www.readwhere.com

DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATIONS 3(1), 4 AND 5(1) READ WITH REGULATIONS 13(4), 14(3) AND 15(2) AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED

Registered Office: First Floor, Subramanya Arcade, No. 12/1, Bannerghatta Road, Bengaluru - 560 029
Tel: +91 80 4685 5100; Fax: +91 80 4169 4399; Website: https://www.irco.com

Open offer for acquisition of up to 8,207,680 (Eight Million Two Hundred Seven Thousand Six Hundred Eighty) fully paid-up equity shares of face value of INR 10 (Indian Rupees Ten) each (the "Offer Shares"), representing 26% of the fully-diluted voting equity share capital of Ingersoll-Rand (India) Limited (the "Target Company") from the Public Shareholders (*as defined below*) of the Target Company by Ingersoll Rand Inc. (earlier named as Gardner Denver Holdings, Inc.) (the "Acquirer") along with Ingersoll-Rand U.S. HoldCo, Inc. (the "PAC 1") and Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. (the "PAC 2", and together with the PAC 1, the "PACs"), in their capacity as persons acting in concert with the Acquirer (the "Open Offer" or "Offer").

This detailed public statement (the "**DPS**") is being issued by Citigroup Global Markets India Private Limited, the manager to the Offer (the "**Manager**"), for and on behalf of the Acquirer and the PACs in compliance with Regulations 3(1), 4 and 5(1) read with Regulations 13(4), 14(3) and 15(2) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto (the "**SEBI (SAST) Regulations**"), pursuant to the public announcement dated May 7, 2019 (the "**PA**") filed with BSE Limited ("**BSE**") and the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**", and together with BSE, the "**Stock Exchanges**"), and sent to the Target Company (at its registered office) and the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") on May 8, 2019, in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.

For the purposes of this DPS, the following terms shall have the meanings set forth below:

"**Equity Shares**" shall refer to the fully paid-up equity shares of the Target Company having a face value of INR 10 (Indian Rupees Ten) each, carrying voting rights, and including any security which entitles the holder thereof to exercise voting rights vis-a-vis the Target Company;

"**Merger Agreement**" shall refer to the Agreement and Plan of Merger, dated as of April 30, 2019, entered into amongst the Acquirer, Ingersoll-Rand plc (now named as Trane Technologies plc) ("**Trane**"), the PAC 1 and Charm Merger Sub Inc., an erstwhile wholly owned subsidiary of the Acquirer ("**Charm**"), read with the Separation and Distribution Agreement, dated as of April 30, 2019, by and between Trane and the PAC 1, details of which are set out in Part II (*Background to the Offer*) of this DPS;

"**Offer Period**" shall refer to the period from the date of entering into the Merger Agreement to the date on which the payment of consideration to the Public Shareholders whose Equity Shares are accepted in this Open Offer is made, or the date on which this Open Offer is withdrawn, as the case may be;

"**Public Shareholders**" shall mean all the public shareholders of the Target Company, and for the avoidance of doubt, excluding (i) the members of the promoter and promoter group of the Target Company; (ii) the Acquirer; (iii) the PAC 1; (iv) the PAC 2; (v) the parties to the Merger Agreement; and (vi) the persons acting or deemed to be acting in concert with the persons set out in (i), (ii), (iii), (iv) and (v);

"**Voting Share Capital**" shall mean the total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis as of the 10th (Tenth) working day from the closure of the tendering period for the Offer; and

"**Working Day**" shall mean a working day of SEBI, in Mumbai.

I. ACQUIRER, PACs, TARGET COMPANY AND OFFER

A. Information about the Acquirer, the PAC 1 and the PAC 2

1. Details of the Acquirer: Ingersoll Rand Inc.

1.1. The Acquirer, a publicly listed corporation, was incorporated on March 1, 2013 under the laws of the State of Delaware, United States of America (company file number: 5295941). The Acquirer's previous name was Renaissance Parent Corp., which was changed to Gardner Denver Holdings, Inc. on February 23, 2017. The name of the Acquirer was further changed from Gardner Denver Holdings, Inc. to Ingersoll Rand Inc. on February 29, 2020.

1.2. The registered office of the Acquirer is situated at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, United States of America. The telephone number of the Acquirer is +1 (414)-212-4700.

1.3. The Acquirer is a publicly listed corporation and has dispersed shareholding with no specific controlling shareholders. By virtue of the consummation of the Underlying Transaction (as defined below and details of which are set out in Part II (*Background to the Offer*) of this DPS), the Acquirer, the PAC 1, the PAC 2 and the Target Company belong to the same group, i.e. the new Ingersoll Rand group, and the Acquirer is the parent company of the PAC 1, and the ultimate parent company of the PAC 2 and the Target Company. As part of the Underlying Transaction, 50.1% of the outstanding common stock of the Acquirer on a fully-diluted basis was issued to shareholders of the PAC 1 as part of the consideration for the merger, and the balance of its outstanding common stock continues to be held by the public shareholders of the Acquirer.

1.4. A predecessor to the Acquirer was initially listed on the New York Stock Exchange ("**NYSE**") and subsequently delisted in 2013. Thereafter, the Acquirer was re-listed on the NYSE in 2017, and as of the date of this DPS, the shares of common stock of the Acquirer are listed on the NYSE. As such, ownership of the Acquirer changes frequently. Shareholding of the beneficial owners holding 5% or more of the stock of the Acquirer, as of December 31, 2019, according to Schedule 13G filings with the Securities & Exchange Commission of the United States of America (the "**SEC**"), by the respective shareholders, is:

S No.	Name of the shareholder	No. of Shares of Common Stock	% Shareholding*
1.	KKR Renaissance Aggregator L.P. and associated funds[1]	70,671,135	34.5%
2.	T. Rowe Price Associates, Inc.[2]	28,786,831	14.0%
3.	FMR LLC[3]	14,384,489	7.03%
4.	Wellington Management Group LLP[4]	14,141,669	6.91%
5.	The Vanguard Group[5]	11,749,523	5.74%

**Note: The shareholding percentage of the outstanding common stock of the Acquirer is as at December 31, 2019, based on the publicly reported shareholding of each shareholder, with 5% or more shares of the common stock of the Acquirer, as of such date.*

[1] *Beneficial ownership information is based on information contained in the Schedule 13G filed on February 14, 2020 on behalf of KKR Renaissance Aggregator L.P. According to the Schedule 13G, included in the shares of the Acquirer's common stock listed above as beneficially owned by KKR Renaissance Aggregator L.P. are 70,671,135 shares directly owned by KKR Renaissance Aggregator L.P. KKR Renaissance Aggregator GP LLC, as the general partner of KKR Renaissance Aggregator L.P., KKR North America Fund XI L.P., as the sole member of KKR Renaissance Aggregator GP LLC, KKR Associates North America XI L.P., as the general partner of KKR North America Fund XI L.P., KKR North America XI Limited, as the general partner of KKR Associates North America XI L.P., KKR Group Partnership L.P., as the sole shareholder of KKR North America XI Limited, KKR Group Holdings Corp., as a general partner of KKR Group Partnership L.P., KKR & Co. Inc., as the sole shareholder of KKR Group Holdings Corp., KKR Management LLP, as the Class B common stockholder of KKR & Co. Inc., and Messrs. Henry R. Kravis and George R. Roberts, as the founding partners of KKR Management LLP, may be deemed to be the beneficial owners having shared voting and investment power with respect to the shares described in this footnote.*

[2] *Beneficial ownership information is based on information contained in the Schedule 13G filed on February 14, 2020 on behalf of T. Rowe Price Associates, Inc. ("**Price Associates**"). According to the Schedule 13G, included in the shares of Acquirer's common stock listed above as beneficially owned by T. Rowe Price are 9,988,246 shares over which Price Associates has sole voting power and 28,786,831 shares over which Price Associates has sole dispositive power. According to the Schedule 13G, Price Associates does not serve as custodian of the assets of any of its clients; accordingly, in each instance only the client or the client's custodian or trustee bank has the right to receive dividends paid with respect to, and proceeds from the sale of, such securities. The ultimate power to direct the receipt of dividends paid with respect to, and the proceeds from the sale of, such securities, is vested in the individual and institutional clients which Price Associates serves as investment adviser. Any and all discretionary authority which has been delegated to Price Associates may be revoked in whole or in part at any time. According to the Schedule 13G, not more than 5% of the class of such securities is owned by any one client subject to the investment advise of Price Associates.*

[3] *Beneficial ownership information is based on information contained in the Schedule 13G filed on February 7, 2020 on behalf of FMR LLC ("**FMR**"). The entities that beneficially own shares of the security class being reported on the Schedule 13G filed by FMR are FIAM LLC, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, Fidelity Investments Money Management, Inc., Fidelity Management & Research Company, FMR Co., Inc. and Strategic Advisers LLC. According to Schedule 13G, included in the shares of the Acquirer's common stock listed above as beneficially owned by FMR are 854,887 shares over which FMR has sole voting power and 14,384,489 shares over which FMR has sole dispositive power.*

[4] *Beneficial ownership information is based on information contained in the Schedule 13G filed on January 28, 2020 on behalf of Wellington Management Group LLP ("**Wellington**"). The entities that beneficially own shares of the security class reported on the Schedule 13G filed by Wellington are Wellington Group Holdings LLP, Wellington Investment Advisors LLP and Wellington Management Global Holdings, Ltd and one or more of the following investment advisors (the "**Wellington Investment Advisers**"): Wellington Management Company LLP, Wellington Management Canada LLC, Wellington Management Singapore Pte Ltd, Wellington Management Hong Kong Ltd, Wellington Management International Ltd, Wellington Management Japan Pte Ltd and Wellington Management Australia Pty Ltd. The securities as to which the Schedule 13G was filed by Wellington, as parent holding company of certain holding companies and the Wellington Investment Advisers, are owned of record by clients of the Wellington Investment Advisers. Wellington Investment Advisors Holdings LLP controls directly or indirectly through Wellington Management Group Holdings, Ltd., the Wellington Investment Advisers. Wellington Investment Advisors Holdings LLP is owned by Wellington Management Group LLP. According to Schedule 13G, included in the shares of the Acquirer's common stock listed above as beneficially owned by Wellington are 12,228,504 shares over which Wellington has shared voting power, and 14,141,669 shares, over which Wellington has shared dispositive power.*

[5] *Beneficial ownership information is based on information contained in the Schedule 13G filed on February 12, 2020 on behalf of The Vanguard Group and its wholly-owned subsidiaries, Vanguard Fiduciary Trust Company and Vanguard Investments Australia, Ltd. According to the Schedule 13G, included in the shares of Acquirer's common stock listed above as beneficially owned by The Vanguard Group are 67,368 shares, over which The Vanguard Group has sole voting power, 21,007 shares, over which The Vanguard Group has shared voting power, 11,677,534 shares, over which The Vanguard Group has sole dispositive power and 71,989 shares, over which The Vanguard Group has shared dispositive power.*

1.5. The authorised share capital of the Acquirer as of the date of this DPS comprises 1,000,000,000 (One Billion) shares of common stock, par value USD 0.01 per share and 100,000,000 (One Hundred Million) shares of preferred stock, par value USD 0.01 per share. The total number of issued and outstanding shares of the Acquirer as of March 2, 2020, comprises 416,406,305 (Four Hundred Sixteen Million Four Hundred Six Thousand Three Hundred Five) shares of common stock, and no shares of preferred stock.

1.6. The Acquirer does not directly hold any Equity Shares of the Target Company. The Acquirer is the ultimate parent company of the Target Company, and through the Acquirer's subsidiaries, indirectly holds 23,360,000 (Twenty Three Million Three Hundred Sixty Thousand) Equity Shares, representing approximately 74% of the Voting Share Capital. Other than the Underlying Transaction and the aforementioned indirect shareholding and controlling interest, the Acquirer does not have any relationship or interest in the Target Company. Further, there are no common directors on the board of directors of the Acquirer and the board of directors of the Target Company (the "**Board of Directors**").

1.7. Other than pursuant to the Underlying Transaction, neither the Acquirer's directors nor its key employees have any relationship with or interest in the Target Company.

1.8. As on the date of this DPS, the Acquirer has not been prohibited by SEBI from dealing in securities under Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, as amended (the "**SEBI Act**") or under any of the regulations made under the SEBI Act.

1.9. The Acquirer is a leading global provider of mission-critical flow control and compression equipment and associated aftermarket parts, consumables and services, which the Acquirer sells across multiple attractive end-markets within the industrial, energy and medical industries.

1.10. The Acquirer's selected financial information based on its audited consolidated financial statements as of and for the financial years ended December 31, 2017, December 31, 2018 and December 31, 2019, is set out below. Such consolidated financial statements were audited by Deloitte & Touche LLP, the Acquirer's independent registered accounting firm, and were filed with the Acquirer's Annual Report in Form 10-K, with the SEC.

Particulars	As of and for the financial years ended					
	December 31, 2017		December 31, 2018		December 31, 2019	
	(USD)	(INR)	(USD)	(INR)	(USD)	(INR)
Total Revenue (in million)	2,375.4	164,747.8	2,689.8	186,553.2	2,451.9	170,053.5
Net Income (in million)	18.5	1,283.1	269.4	18,684.5	159.1	11,034.5
Earnings Per Share (EPS)	0.10	6.94	1.34	92.94	0.78	54.10
Net worth/ Shareholders' Funds (in million)[1]	1,476.8	102,424.6	1,676.0	116,240.3	1,869.9	129,688.4

[1] The Net worth/Shareholder Funds reflects total stockholders' equity on the respective consolidated balance sheets.

Notes: Since the financial statements of the Acquirer are prepared in USD, the functional currency of the Acquirer, they have been converted into INR for purpose of convenience of translation. INR to USD conversion has been assumed at a rate of 1 USD = INR 69.3558 as on May 6, 2019, the date preceding the PA date (Source: FBIL Reference rate – https://fbil.org.in/)

The Acquirer's selected financial information presented above does not contain all of the disclosures required under the applicable United States securities laws, including the requirements of Form 10-K (annual report) under the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended. Reading the selected financial information, therefore, is not a substitute for reading Form 10-K of the Acquirer and its other disclosures filed with the SEC, which may be found on the SEC's website (www.sec.gov).

2. Details of the PAC 1: Ingersoll-Rand U.S. HoldCo, Inc.

2.1. The PAC 1, a private corporation, was incorporated on April 26, 2019 under the laws of the State of Delaware, United States of America (company file number: 7393744).

2.2. The registered office of the PAC 1 is situated at 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, County of New Castle, Delaware, United States of America. The telephone number of the PAC 1 is +1 (414)-212-4700.

2.3. The equity shares of the PAC 1 are not listed on any stock exchange.

2.4. Pursuant to the consummation of the Underlying Transaction, the PAC 1 became a wholly owned subsidiary of the Acquirer. The Acquirer is also the ultimate parent company of the PAC 2 and the Target Company. Thus, the Acquirer, the PAC 1, the PAC 2 and the Target Company belong to the same group, i.e. the new Ingersoll Rand group. The Acquirer holds 100% of the total issued and paid-up share capital of the PAC 1. The PAC 1 has no identifiable promoter or person in control, other than the Acquirer, which is the ultimate parent of the PAC 1.

2.5. The authorized share capital of the PAC 1 as of the date of this DPS comprised of 1,175,000,000 (One Billion One Hundred Seventy Five Million) shares of common stock, par value USD 0.01 per share. The total number of issued and outstanding shares of the PAC 1 as of the date of this DPS comprised of 10 (Ten) shares of common stock.

2.6. The PAC 1 does not directly hold any Equity Shares of the Target Company. The PAC 1 is the indirect parent company of the Target Company, and through the PAC 1's subsidiaries, indirectly holds 23,360,000 (Twenty Three Million Three Hundred Sixty Thousand) Equity Shares, representing approximately 74% of the Voting Share Capital. Other than the Underlying Transaction and the aforementioned indirect shareholding and controlling interest, the PAC 1 does not have any relationship or interest in the Target Company. Further, there are no common directors on the board of directors of the PAC 1 and the Board of Directors.

2.7. Other than pursuant to the Underlying Transaction, neither the PAC 1's directors nor its key employees have any relationship with or interest in the Target Company.

2.8. As on the date of this DPS, the PAC 1 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities under Section 11B of the SEBI Act or under any of the regulations made under the SEBI Act.

2.9. The PAC 1 is a newly incorporated company, established in connection with the Underlying Transaction and was not engaged in any business activity prior to the restructuring undertaken by the Trane group, before consummation of the Underlying Transaction on February 29, 2020. As on the date of this DPS, the PAC 1 is a 'holding company' and holds the entire former industrial business segment of Trane, through various subsidiaries.

2.10. The PAC 1 was incorporated on April 26, 2019 and this is its first year of operations. The PAC 1 is not required to prepare audited financial statements under the General Corporation Law of the State of Delaware. Accordingly, no financial statements of the PAC 1 are available.

3. Details of the PAC 2: Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc.

3.1. The PAC 2, a private corporation, was incorporated on June 18, 2019 under the laws of the State of Delaware, United States of America (company file number: 7467198).

3.2. The registered office of the PAC 2 is situated at 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, County of New Castle, Delaware United States of America. The telephone number of the PAC 2 is +1 (414)-212-4700.

3.3. The equity shares of the PAC 2 are not listed on any stock exchange.

3.4. The PAC 2 was incorporated as part of the restructuring undertaken by the Trane group, prior to consummation of the Underlying Transaction. Immediately prior to the closure of the Underlying Transaction, on February 29, 2020, Trane contributed the parent company of the PAC 2 to the PAC 1, and the PAC 2 became an indirect (wholly owned) subsidiary of the PAC 1. As a result of the merger of Charm, an erstwhile subsidiary of the Acquirer, with the PAC 1 at the consummation of the Underlying Transaction on February 29, 2020, such that the PAC 1 continued as the surviving entity, the PAC 1 and the PAC 2 became wholly-owned subsidiaries of the Acquirer.

3.5. The Acquirer, the PAC 1, the PAC 2 and the Target Company belong to the same group, i.e. the new Ingersoll Rand group. The PAC 2 has no identifiable promoter or person in control other than: (i) Ingersoll-Rand Services Company, which is the direct parent of the PAC 2; (ii) the PAC 1, which is the indirect parent of the PAC 2; and (iii) the Acquirer, which is the ultimate parent of the PAC 2.

3.6. The authorized share capital of the PAC 2 as of the date of this DPS, comprised of 5,000 (Five Thousand) shares of common stock, par value USD 0.01 per share. The total number of issued and outstanding shares of the PAC 2 as of the date of this DPS comprised of 1,002 (One Thousand and Two) shares of common stock.

3.7. As of the date of this DPS, the PAC 2 is the registered owner of 23,360,000 (Twenty Three Million Three Hundred Sixty Thousand) Equity Shares of the Target Company representing approximately 74% of the Voting Share Capital of the Target Company. Other than the Underlying Transaction and the aforementioned shareholding and controlling interest, the PAC 2 does not have any relationship or interest in the Target Company. Further, there are no common directors on the board of directors of the PAC 2 and the Board of Directors.

3.8. Neither the directors of the PAC 2 nor its key employees have any relationship with or interest in the Target Company. The PAC 2 has appointed Mr. Amar Kaul, Mr. Naveen Samant and Ms. Preeti Gupta Mohanty as its nominee directors on the Board of Directors.

3.9. As on the date of this DPS, the PAC 2 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities under Section 11B of the SEBI Act or under any of the regulations made under the SEBI Act.

3.10. The PAC 2 is a newly incorporated company, established in connection with the Underlying Transaction and was not engaged in any business activity prior to the restructuring undertaken by the Trane group, before consummation of the Underlying Transaction on February 29, 2020. As on the date of this DPS, the PAC 2 *inter alia* holds (directly or indirectly) certain parts of the former industrial business segment of Trane.

3.11. The PAC 2 was incorporated on June 18, 2019 and this is its first year of operations. The PAC 2 is not required to prepare audited financial statements under the General Corporation Law of the State of Delaware. Accordingly, no financial statements of the PAC 2 are available.

B. Details of the Seller(s)

Not applicable, as the Offer is being made as a result of an indirect acquisition of voting rights and control over the Target Company on account of the Underlying Transaction described in Part II (*Background to the Offer*) of this DPS, and not as a result of any direct acquisition of Equity Shares in, voting rights in, or control over, the Target Company.

C. Details of the Target Company: Ingersoll-Rand (India) Limited

1. The Target Company is a public limited company incorporated in Karnataka, India. The Target Company was incorporated on December 1, 1921, as a private limited company under the name 'Ingersoll Rand (India) Private Limited' in Kolkata, West Bengal. The Target Company became a public limited company with effect from August 3, 1977, and pursuant to a fresh certificate of incorporation, dated August 3, 1977, issued by the Registrar of Companies, its name was changed from 'Ingersoll Rand India Private Limited' to Ingersoll-Rand (India) Limited. The name of the Target Company has not undergone any change in the last 3 (Three) years.

2. The Target Company has its registered office at First Floor, Subramanya Arcade, No. 12/1, Bannerghatta Road, Bengaluru - 560 029, Tel: +91 80 4685 5100; Fax: +91 80 4169 4399. The Corporate Identity Number (CIN) of the Target Company is L05190KA1921PLC036321.

3. The Target Company is primarily engaged in the business of manufacturing and selling of industrial air compressors of various capacities and providing related services. The Target Company sells air compressors primarily in India and exports such products to American, Asian and European countries also.

4. The Equity Shares of the Target Company are listed on BSE (Scrip ID: INGERRAND, Scrip Code: 500210) and NSE (Symbol: INGERRAND), and are frequently traded on NSE in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations. The ISIN of the Target Company is INE199A01012.

5. The Board of Directors, as of the date of this DPS, is comprised as under:

Name of Director	Designation
Mr. Amar Kaul	Chairman & Managing Director
Ms. Preeti Gupta Mohanty	Executive Director
Mr. Naveen Samant	Non-Executive & Non-Independent Director
Mr. Sekhar Natarajan	Non-Executive & Independent Director
Ms. Vijaya Sampath	Non-Executive & Independent Director
Ms. Jayantika Dave	Non-Executive & Independent Director

6. As of the date of this DPS, the authorized share capital of the Target Company is INR 320,000,000 (Indian Rupees Three Hundred Twenty Million) divided into 32,000,000 (Thirty Two Million) Equity Shares.

7. As of the date of this DPS, the subscribed and fully paid-up equity share capital of the Target Company is INR 315,680,000 (Indian Rupees Three Hundred Fifteen Million Six Hundred Eighty Thousand) comprising 31,568,000 (Thirty One Million Five Hundred Sixty Eight Thousand) fully paid-up Equity Shares.

8. The brief financial information of the Target Company as derived from its audited financial statements as at and for the 12 (Twelve) month period ended March 31, 2017, March 31, 2018, and March 31, 2019, and certified by an independent statutory auditor, and the unaudited interim financial statements as at and for the 9 (Nine) month period ended December 31, 2019 and reviewed by an independent statutory auditor, are as follows:

Particulars	As of and for the financial year ended			As of and for the 9 (Nine) month period ended December 31, 2019
	March 31, 2017	March 31, 2018	March 31, 2019	
	(INR)	(INR)	(INR)	(INR)
Total Revenue (in lakh)	73,484.10	69,667.06	77,299.88	59,153.37
Net Income[1] (in lakh)	7,607.40	8,905.85	8,087.02	6,530.22
Earnings Per Equity Share (EPS)				
- Basic	24.48	28.16	25.64	20.71
- Diluted	24.48	28.16	25.64	20.71
Net worth/ Shareholders' Funds (in lakh)	106,156.10	112,848.26	41,855.77	46,169.99

[1] Reference to 'Net Income' is to 'profit after tax' set out in the financial statements of the Target Company for the respective financial years/period.

D. Details of the Offer

1. This Offer is a mandatory open offer made under Regulations 3, 4 and 5(1), and other applicable regulations of the SEBI (SAST) Regulations, pursuant to an indirect acquisition of voting rights in, and control over, the Target Company by the Acquirer pursuant to the Underlying Transaction. Further details of the Underlying Transaction are provided in Part II (*Background to the Offer*) of this DPS.

2. The Acquirer directly holds 100% of the total shareholding of the PAC 1, which in turn holds together with other group entities, 100% of the total shareholding of the PAC 2. The PAC 2 holds approximately 74% of the Voting Share Capital as on the date of this DPS. Therefore, the Acquirer indirectly exercises 'control' over the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations. Pursuant to the completion of the Underlying Transaction, the Acquirer has indirectly acquired voting rights in, and control over, the Target Company.

3. There has been a change in the 'persons acting in concert' from the PA for the Offer, whereby Charm, which was a wholly owned subsidiary of the Acquirer at the time of issuance of the PA and indicated as 'PAC' thereunder, has been replaced with the PAC 1 under this DPS on account of Charm having merged with and into the PAC 1 as part of the Underlying Transaction. The PAC 1 continued as the surviving entity of such merger, became the wholly owned subsidiary of the Acquirer, and is also the acquiring entity for the entire industrial business segment of Trane, including the PAC 2 and the Target Company.

4. In a report dated March 6, 2020, prepared by SSPA & Co., Chartered Accountants (Registration Number 128851W), located at 1st floor, 'Arjun', V.P. Road, Andheri (W), Mumbai- 400 058, the provisions of Regulation 5(2) of the SEBI (SAST) Regulations have been analyzed, and SSPA & Co. has concluded that the Underlying Transaction does not constitute a 'deemed direct acquisition' under Regulation 5(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

5. This Offer is being made by the Acquirer and the PACs to the Public Shareholders to acquire up to 8,207,680 (Eight Million Two Hundred Seven Thousand Six Hundred Eighty) fully paid-up Equity Shares of the Target Company constituting 26% of the Voting Share Capital (the "**Offer Size**"), at the Offer Price (*as defined below*), aggregating to a total consideration of INR 527,45,01,398.40 (Indian Rupees Five Hundred Twenty Seven Crore Forty Five Lakh One Thousand Three Hundred Ninety Eight and Forty Paise) (the "**Maximum Open Offer Consideration**").

6. This Offer is being made at a price of INR 642.63 (Indian Rupees Six Hundred Forty Two and Sixty Three Paise) per Offer Share (the "**Offer Price**"), comprising a basic offer price of INR 592.02 (Indian Rupees Five Hundred Ninety Two Rupees and Two Paise) per Offer Share, calculated in accordance with Regulation 8(1) read with Regulation 8(3) of the SEBI (SAST) Regulations plus interest of INR 50.61 (Indian Rupees Fifty and Sixty One Paise) per Offer Share, computed at the rate of 10% per annum, for the period between April 30, 2019 and March 6, 2020, being the date of this DPS, in terms of Regulation 8(12) of SEBI (SAST) Regulations.

7. As of the date of this DPS, there are no (i) partly paid-up Equity Shares; and (ii) outstanding convertible instruments (including warrants, fully convertible securities, partly convertible securities and employee stock options) issued by the Target Company.

8. As of the date of this DPS, the Voting Share Capital is as follows:

Particulars	Number of Equity Shares	% of Voting Share Capital
Fully paid-up Equity Shares	31,568,000	100.00
Partly paid-up Equity Shares	Nil	Nil
Voting Share Capital	31,568,000	**100.00**

9. The Offer Price will be payable in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations and the terms and conditions mentioned in the PA and this DPS, as well as the Letter of Offer to be issued in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.

10. The Offer Shares validly tendered by the Public Shareholders in the Offer will be acquired by the Acquirer and/or the PACs, in accordance with the terms set forth in this DPS and the Letter of Offer.

11. To the best of the knowledge of the Acquirer and the PACs, as on the date of this DPS, there are no statutory approvals required by the Acquirer and the PACs to complete the acquisition of the Offer Shares under this Offer. However, in case any statutory approvals are required by the Acquirer and/or the PACs prior to completion of the Offer, this Offer shall be subject to such approvals being obtained. In the event that any statutory approvals required are not obtained or are finally refused or are otherwise not received for reasons outside the reasonable control of the Acquirer and/or the PACs, the Acquirer and the PACs may withdraw the Offer under Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations.

12. To the best of the knowledge of the Acquirer and the PACs, as on the date of this DPS, all statutory approvals required by the Acquirer and the PACs to complete the Underlying Transaction, have been obtained.

13. Where any statutory or other approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirer shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory or other approvals are required in order to complete this Offer. Further, the Public Shareholders who tender their Equity Shares in this Offer shall ensure that the Equity Shares are clear from all liens, charges, equitable interests and encumbrances. The Acquirer and/or the PACs shall acquire the Equity Shares of the Public Shareholders in accordance with the terms and conditions set forth in this DPS and the terms and conditions which will be set out in the letter of offer to be sent to all the Public Shareholders in relation to this Offer (the "**Letter of Offer**"), the relevant provisions of the SEBI (SAST) Regulations, and any other applicable laws. The Acquirer and/or the PACs shall acquire the Equity Shares of the Public Shareholders who validly tender their Equity Shares in this Offer, together with all rights attached thereto, including all rights to dividends, bonuses and rights offers declared thereof.

14. Non-resident Indians (the "**NRIs**"), overseas corporate bodies (the "**OCBs**") and other non-resident holders of the Equity Shares, if any, must obtain all requisite approvals/exemptions required to tender the Equity Shares held by them, in this Offer, and submit such approvals/exemptions along with the documents required to accept this Offer. Further, if holders of the Equity Shares who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs and foreign portfolio investors (the "**FPIs**")) had required any approvals/exemptions (including from the Reserve Bank of India (the "**RBI**") or any other regulatory body, if applicable) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals/exemptions that they would have obtained for holding the Equity Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals/exemptions are not submitted, the Acquirer and/or the PACs reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer.

15. The Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance pursuant to the terms of Regulation 19(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

16. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations.

17. The Offer Shares will be acquired by the Acquirer and/or the PACs, fully paid-up, free from all liens, charges, equitable interests and encumbrances, and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof, and the tendering Public Shareholder shall have obtained all necessary consents for it to sell the Offer Shares on the foregoing basis.

18. In terms of Regulation 25(2) of the SEBI (SAST) Regulations, as of the date of this DPS, the Acquirer and the PACs have no intention to restructure or alienate, whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise, any material assets of the Target Company or of entities controlled by the Target Company during the period of 2 (Two) years following the completion of the Offer, except:
   (i) as provided in the Merger Agreement; or
   (ii) in the ordinary course of business; or
   (iii) to the extent required for the purpose of restructuring and/or rationalization of the business, assets, investments, liabilities or otherwise of the Target Company; or
   (iv) on account of regulatory approvals or conditions, or compliance with any law that is binding on or applicable to the operations of the Target Company; or
   (v) as has already been disclosed in the public domain.

19. Other than the above, if the Target Company is required to alienate any material asset of the Target Company, within a period of 2 (Two) years from completion of the Offer, the Target Company shall seek the approval of its shareholders as per the proviso to Regulation 25(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

20. As per Regulation 38 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "**SEBI LODR Regulations**") read with Rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "**SCRR**"), the Target Company is required to maintain minimum public shareholding, as determined in accordance with the SCRR, on a continuous basis for listing. Upon completion of the Offer, if public shareholding of the Target Company falls below the minimum level of public shareholding as required to be maintained by the Target Company as per the SCRR and the SEBI LODR Regulations, the Acquirer and the PACs undertake to take necessary steps to facilitate the compliance by the Target Company with the relevant provisions prescribed under the SCRR as per the requirements of Regulation 7(4) of the SEBI (SAST) Regulations and/or the SEBI LODR Regulations, within the time period stated therein, i.e., to bring down the non-public shareholding to 75% within 12 (Twelve) months from the date of such fall in the public shareholding to below 25%, through permitted routes and any other such routes as may be approved by SEBI from time to time.

21. The Manager to the Offer shall not deal, on its own account, in the Equity Shares of the Target Company during the Offer Period.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

1. On April 30, 2019, the Acquirer announced that it had entered into the 'Agreement and Plan of Merger' with Trane, the PAC 1 and Charm, in order to *inter alia* acquire the industrial business segment of Trane, which includes the manufacture of compressed air and gas systems and services, power tools, material handling systems and fluid management systems, immediately following the spin-off of such industrial business to the shareholders of Trane (collectively, the "**Underlying Transaction**"). Pursuant to the terms of the Merger Agreement and in order to facilitate the transfer of the Trane group's industrial business to the Acquirer, amongst other steps, the Trane group restructured the holding and legal organization of its global industrial business across various jurisdictions to separate and consolidate the same under the PAC 1. The Underlying Transaction was completed on February 29, 2020.

2. The key steps undertaken to give effect to the Underlying Transaction, are outlined below:
   (i) prior to the spin-off of the PAC 1 to the shareholders of the Trane (as described in paragraph (ii) below), the PAC 1, at the time a wholly owned subsidiary of Trane, became the parent company for the entire industrial business segment of Trane, as held by Trane through various group companies (including the PAC 2);
   (ii) Trane spun-off the PAC 1 to its shareholders and all of the shares of common stock of the PAC 1, as held by Trane prior to the consummation of the Underlying Transaction, were distributed to the shareholders of Trane, such that the PAC 1 came to be owned by the shareholders of Trane prior to the consummation of the Underlying Transaction;
   (iii) subsequently, Charm (an erstwhile wholly owned subsidiary of the Acquirer), which was disclosed as a person acting in concert with the Acquirer in the PA, was merged with and into the PAC 1, and thus ceased to exist, with the PAC 1 continuing as the surviving entity of such merger and becoming a wholly owned subsidiary of the Acquirer and shares of common stock of the Acquirer were issued to the PAC 1 shareholders in exchange for all of their shares of common stock of the PAC 1, as further described below;
   (iv) as a result of the above, the Acquirer has acquired 100% of the outstanding common stock of the PAC 1, thus resulting in an indirect acquisition of approximately 74% of the Voting Share Capital and an indirect change of control of the Target Company; and
   (v) at the completion of the Underlying Transaction, the Acquirer was renamed from Gardner Denver Holdings, Inc. to Ingersoll Rand Inc.

3. Pursuant to the terms of the Merger Agreement, as consideration for the merger of Charm into the PAC 1, the shareholders of Trane received shares of the Acquirer in exchange for their shares in the PAC 1. Consequently, pursuant to the Underlying Transaction and immediately following its completion, the shareholders of Trane owned approximately 50.1% of the common stock in the Acquirer, on a fully-diluted basis.

continued on next page...

www.readwhere.com

...continued from previous page.

4. Accordingly, upon consummation of the Underlying Transaction under the Merger Agreement, the Acquirer has become the direct owner of the PAC 1 and the ultimate parent company of the PAC 2 and the Target Company. The consummation of the Underlying Transaction has resulted in an indirect acquisition by the Acquirer of approximately 74% of the Voting Share Capital and control over the Target Company. Therefore, this Offer is being made by the Acquirer along with the PACs under Regulations 3(1), 4 and 5(1) of the SEBI (SAST) Regulations, to acquire the Offer Shares, representing 26% of the Voting Share Capital.

5. Following the consummation of the Underlying Transaction, the Acquirer's board of directors consists of 10 (Ten) directors, with 7 (Seven) directors who served on the Acquirer's board of directors prior to consummation of the Underlying Transaction, and 3 (Three) new directors nominated by Trane.

6. The Underlying Transaction is expected to create or result in, *inter alia*, the following strategic and financial benefits: (i) efficiencies in manufacturing, supply chain and procurement and structural overhead; (ii) a meaningful opportunity to drive incremental revenue growth by leveraging a broader portfolio of technologies, service capabilities and geographic expertise; and (iii) the opportunity to enhance customer value and accelerate margin expansion through increased efficiencies by leveraging Gardner Denver's execution excellence practices and Ingersoll-Rand's business operating system.

7. The acquisition will not be regarded as a deemed direct acquisition of control over the Target Company as it does not fall within the parameters prescribed under Regulation 5(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

8. In terms of Regulation 13(4) of the SEBI (SAST) Regulations, in the case of an indirect acquisition which is not a deemed direct acquisition, a detailed public statement is required to be issued by the acquirer, no later than 5 (Five) Working Days following the completion of the underlying transaction of shares or voting rights in, or control over the Target Company or entity holding shares or voting rights in, or control over the target company. Since the Underlying Transaction was completed on February 29, 2020, this DPS is being issued within 5 (Five) Working Days of completion of the Underlying Transaction, in terms of Regulation 13(4) of the SEBI (SAST) Regulations.

9. The Offer Price is INR 642.63 (Indian Rupees Six Hundred Forty Two and Sixty Three Paise) per Offer Share, comprising a basic offer price of INR 592.02 (Indian Rupees Five Hundred and Ninety Two Rupees and Two Paise) per Offer Share, plus interest of INR 50.61 (Indian Rupees Fifty and Sixty One Paise) per Offer Share, computed at the rate of 10% per annum, for the period between April 30, 2019 and March 6, 2020, being the date of this DPS, in terms of Regulation 8(12) of SEBI (SAST) Regulations, to be paid in cash.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

1. The current and proposed shareholding of the Acquirer and the PACs in the Target Company and details of their acquisition, are as follows:

Details	Acquirer		PAC 1		PAC 2	
	No. of Equity Shares held	Percentage (%)	No. of Equity Shares held	Percentage (%)	No. of Equity Shares held	Percentage (%)
Shareholding as of the date of the PA	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Equity Shares acquired between the date of the PA and the date of this DPS	23,360,000*	73.9997*	23,360,000*	73.9997*	23,360,000**	73.9997**
Shareholding as of the date of this DPS	23,360,000*	73.9997*	23,360,000*	73.9997*	23,360,000**	73.9997**
Post Offer shareholding (i.e. on a fully diluted basis, as on 10th Working Day after close of the tendering period) *(assuming full acceptance under the Offer)*"	31,567,680^	99.9990^	23,360,000***	73.9997***	23,360,000**	73.9997**

**Held by each of the Acquirer and the PAC 1 (as the case may be) indirectly through its subsidiaries.*

***Held directly by the PAC 2.*

****Held by the PAC 1 indirectly through its subsidiaries.*

^Assuming full acceptance of offer of 8,207,680 (Eight Million Two Hundred and Seven Thousand and Six Hundred and Eighty) Equity Shares, the Acquirer will directly hold 8,207,680 (Eight Million Two Hundred and Seven Thousand and Six Hundred and Eighty) Equity Shares representing 26% of the Voting Share Capital, and indirectly (through its subsidiaries) hold 23,360,000 (Twenty Three Million Three Hundred and Sixty Thousand) Equity Shares representing 73.99% of the Voting Share Capital.

"If the number of Equity Shares acquired by the Acquirer and/or the PACs in the Offer, together with their existing shareholding in the Target Company, results in a breach of the maximum permissible non-public shareholding, the Acquirer and/or PAC 2 shall reduce their shareholding in compliance with, and within the time periods prescribed in, the SEBI (SAST) Regulations, the SCRR and the SEBI LODR Regulations.

2. As on the date of this DPS, none of the directors of the Acquirer or the PACs hold any Equity Shares of the Target Company.

IV. OFFER PRICE

1. The Equity Shares of the Target Company are listed on the Stock Exchanges.

2. The trading turnover in the Equity Shares, based on the trading volume in the Equity Shares of the Target Company on the Stock Exchanges, during the period from May 1, 2018 to April 30, 2019 (i.e. 12 (twelve) months preceding the calendar month in which the PA was issued), is as set out below:

Stock exchange	Total traded volumes during the 12 calendar months preceding the calendar month of the PA ("A")	Total number of listed Equity Shares("B")	Annualised trading turnover % (A/B)
BSE	12,93,766	31,568,000	4.10
NSE	63,59,381	31,568,000	20.15

(Source: www.bseindia.com, www.nseindia.com)

3. Based on the above, the Equity Shares are frequently traded in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations, with NSE being the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the Target Company has been recorded.

4. The Offer Price of INR 642.63 (Indian Rupees Six Hundred Forty and Sixty Three Paise) per Offer Share is justified in terms of Regulation 8(3) of the SEBI (SAST) Regulations, in view of the following:

S. No.	Details	Price (per share)
(a)	The highest negotiated price per Equity Share, if any, of the Target Company for any acquisition under the agreement attracting the obligation to make the PA of the Open Offer	NA
(b)	The volume-weighted average price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirer/ PACs, during the 52 (fifty-two weeks) immediately preceding the earlier of, the date on which the Underlying Transaction is contracted, and the date on which the intention or the decision to make the Underlying Transaction is announced in the public domain	NA
(c)	The highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirer/ PACs, during the 26 (twenty-six) weeks immediately preceding the earlier of, the date on which the Underlying Transaction is contracted, and the date on which the intention or the decision to make the Underlying Transaction is announced in the public domain	NA
(d)	The highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirer/ PACs, between the earlier of, the date on which the Underlying Transaction is contracted, and the date on which the intention or the decision to make the Underlying Transaction is announced in the public domain, and the date of the PA of the Open Offer for Equity Shares of the Target Company made under the SEBI (SAST) Regulations	NA
(e)	The volume-weighted average market price of the Equity Shares for a period of 60 (sixty) trading days immediately preceding the earlier of, the date on which the Underlying Transaction is contracted, and the date on which the intention or the decision to make the Underlying Transaction is announced in the public domain, as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the Target Company are recorded during such period, provided such Equity Shares are frequently traded	592.02
(f)	Price at (e) above, after including the 10% interest in terms of Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations	642.63
(g)	The per Equity Share value computed under Regulation 8(5) of the SEBI (SAST) Regulations	NA#

Note: In terms of Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations, in case of an indirect acquisition other than the indirect acquisition referred in Regulation 5(2) of the SEBI (SAST) Regulations, the offer price shall stand enhanced by an amount equal to 10% per annum for the period between the earlier of the date on which the underlying transaction is contracted or the intention or the decision to make the underlying transaction is announced in the public domain, and the date of the detailed public statement, provided that such period is more than 5 (Five) working days.

 # In terms of Regulation 8(5) of the SEBI (SAST) Regulations, an indirect acquisition where:

(a) the proportionate net asset value of the Target Company, as a percentage of the consolidated net asset value of the entity or business being acquired;

(b) the proportionate sales turnover of the Target Company, as a percentage of the consolidated sales turnover of the entity or business being acquired; or

(c) the proportionate market capitalization of the Target Company, as a percentage of the enterprise value for the entity or business being acquired, is in excess of 15 percent, on the basis of the most recent audited annual financial statements, the Acquirer is required to compute and disclose the per Equity Share value of the Target Company.

In this regard, the relevant calculations for the net asset value, consolidated revenue and market capitalization in terms of Regulation 8(5) of the SEBI (SAST) regulations, are not met for the Underlying Transaction.

5. The 'Agreement and Plan of Merger', was executed on April 30, 2019 and the first announcement in this respect was made on the same day. The Underlying Transaction contemplated in the Merger Agreement was closed on February 29, 2020. In terms of Regulation 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations, the basic offer price of 592.02 (Indian Rupees Five Hundred and Ninety Two Rupees and Two Paise) per Offer Share, calculated in accordance with Regulation 8(3) of the SEBI (SAST) Regulations has been enhanced at a rate of 10% per annum calculated for the period from April 30, 2019 to March 6, 2020 (the date of this DPS), which works out to INR 642.63 (Indian Rupees Six Hundred Forty Two and Sixty Three Paise) per Offer Share.

6. The Offer Price thus amounts to INR 642.63 (Indian Rupees Six Hundred Forty Two and Sixty Three Paise) after considering the basic offer price of INR 592.02 (Indian Rupees Five Hundred Ninety Two Rupees and Two Paise), plus interest of INR 50.61 (Indian Rupees Fifty and Sixty One Paise), per Offer Share. Therefore, the Offer Price per Offer Share has been determined in accordance with the terms of Regulations 8(1), 8(3), and 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations.

7. There have been no corporate actions by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters, under Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations.

8. The Offer Price is subject to revision, if any, pursuant to the SEBI (SAST) Regulations or at the discretion of the Acquirer and the PACs at any time prior to 1 (One) Working Day before the commencement of the tendering period in accordance with Regulation 18(4) of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such revision, the Acquirer and the PACs are required to (i) make corresponding increases to the amount kept in the escrow account, as set out in Part V (*Financial Arrangements*) of this DPS; (ii) make a public announcement in the newspapers where this DPS is published; and (iii) simultaneously with the issue of such public announcement, inform SEBI, the Stock Exchanges and the Target Company at its registered office, of such revision.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. The total funding requirement for the Offer, assuming full acceptance, i.e. for the acquisition of 8,207,680 (Eight Million Two Hundred Seven Thousand Six Hundred Eighty) Offer Shares, at the Offer Price of INR 642.63 (Indian Rupees Six Hundred Forty Two and Sixty Three Paise) per Offer Share, is the Maximum Open Offer Consideration, i.e. INR 527,45,01,398.40 (Indian Rupees Five Hundred Twenty Seven Crore Forty Five Lakh One Thousand Three Hundred Ninety Eight and Forty Paise).

2. The Acquirer and the PACs have adequate resources to meet the financial requirements of this Open Offer and by way of security for performance of its obligations under the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has (i) created an escrow account named "INGERSOLL-RAND INDIA LTD OPEN OFFER ESCROW ACCOUNT" (the "**Escrow Account – Cash**") with Citibank, N.A.(acting through its office at Mumbai) (the "**Escrow Bank**") and has deposited a sum of INR 5,27,50,000 (Indian Rupees Five Crore Twenty Seven Lakh Fifty Thousand) in the said Escrow Account – Cash being in excess of 1% of the Maximum Open Offer Consideration, in compliance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations; and (ii) furnished an unconditional, irrevocable, and on demand bank guarantee dated March 3, 2020, having bank guarantee number 5570602403, of an amount of INR 127,74,50,139.84 (Indian Rupees One Hundred Twenty Seven Crore Seventy Four Lakh Fifty Thousand One Hundred Thirty Nine and Eighty Four Paise) from Citibank, N.A. (acting through its branch, namely Citibank N.A. Bangalore branch, presently situated at No. 5 M.G. Road, 2nd Floor, Bangalore – 560 001), in favor of the Manager (the "**Bank Guarantee**"). The Bank Guarantee is valid up to December 31, 2020. The Manager has been duly authorised to realize the value of the aforesaid Bank Guarantee in terms of the SEBI (SAST) Regulations. The Acquirer undertakes that in case the Offer process is not completed within the validity of the Bank Guarantee, then the Bank Guarantee will be further extended at least up to the 30th (Thirtieth) day from the date of completion of payment for the Offer Shares validly tendered in the Offer. The bank issuing the Bank Guarantee is neither an associate company nor a group company of the Acquirer, the PACs or the Target Company.

3. In case of any upward revision in the Offer Price or the Offer Size, the value in cash of the escrow amount and the amount of Bank Guarantee shall be computed on the revised consideration calculated at such revised Offer Price or Offer Size, and any additional amounts required, shall be funded by the Acquirer and the PACs in the Escrow Account and/or by increasing the amount of Bank Guarantee, prior to effecting such revision, in terms of Regulation 17(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

4. The source of the funds for the Offer is foreign funds.

5. SSPA & Co., chartered accountants, have, according to their certificate dated May 7, 2019, certified that the Acquirer has adequate financial resources through verifiable means to fulfill its payment obligations under this Offer.

6. The Manager has entered into an agreement dated February 28, 2020 with the Acquirer and the Escrow Bank pursuant to which the Acquirer has solely authorized the Manager to realize the value of the Escrow Account – Cash and to operate the special escrow account which shall be opened as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

7. The amount deposited in the Escrow Account – Cash, along with the Bank Guarantee is in excess of a sum total of (i) 25% of INR 5,000,000,000 (Indian Rupees Five Billion) out of the Maximum Open Offer Consideration; and (ii) 10% of the balance of the Maximum Open Offer Consideration, as required under Regulation 17(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

8. Based on the above, the Manager is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirer and the PACs to fulfill their obligations in relation to this Offer, through verifiable means, in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. To the best of the knowledge of the Acquirer and the PACs, there are no statutory or other approvals required to complete the acquisition of the Offer Shares pursuant to the Offer, as on the date of this DPS. If, however, any statutory or other approval becomes applicable prior to completion of such acquisition, the Offer would also be subject to such other statutory or other approval(s) being obtained.

2. To the best of the knowledge of the Acquirer and the PACs, as on the date of this DPS, all statutory approvals required by the Acquirer and the PACs to complete the Underlying Transaction, have been obtained.

3. NRIs, OCBs and other non-resident holders of the Equity Shares, if any, must obtain all requisite approvals/exemptions required to tender the Equity Shares held by them, in this Offer, and submit such approvals/exemptions along with the documents required to accept this Offer. Further, if holders of the Equity Shares who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs and FPIs) had required any approvals/exemptions (including from the RBI or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals/exemptions that they would have obtained for holding the Equity Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event, such approvals/exemptions are not submitted, the Acquirer and/or the PACs reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer.

4. Where any statutory or other approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirer shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory or other approvals are required in order to complete this Offer.

5. In case of delay in receipt of any statutory approval, SEBI may, if satisfied that such delay in receipt of the requisite statutory approval(s) was not attributable to any willful default, failure or neglect on the part of the Acquirer and/or the PACs to diligently pursue such approval, grant an extension of time for the purpose of completion of this Open Offer subject to such terms and conditions as may be specified by SEBI, including payment of interest at such rate as may be prescribed by SEBI from time to time in accordance with Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations.

6. In the event that any statutory approvals required by the Acquirer and/or the PACs prior to completion of the Offer, are not obtained or are finally refused or are otherwise not received for reasons outside the reasonable control of the Acquirer and/or the PACs, the Acquirer and/or the PACs may withdraw the Offer under Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of withdrawal of this Offer, a public announcement will be made within 2 (Two) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS is published and such public announcement will also be sent to the Stock Exchanges, SEBI and the Target Company at its registered office.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

No.	Activity	Schedule of activities (Day & Date)
1.	Date of the Public Announcement	Tuesday, May 7, 2019
2.	Date of publication of the Detailed Public Statement	Friday, March 6, 2020
3.	Last date of filing of draft letter of offer with SEBI	Monday, March 16, 2020
4.	Last date for public announcement for a competing offer(s)	Tuesday, March 31, 2020
5.	Last date for receipt of SEBI observations on the draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager)	Thursday, April 9, 2020
6.	Identified Date*	Wednesday, April 15, 2020
7.	Last date by which the Letter of Offer is to be dispatched to the Public Shareholders whose names appear on the register of members on the Identified Date	Wednesday, April 22, 2020
8.	Last date for upward revision of the Offer Price/Offer Size	Monday, April 27, 2020
9.	Last date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation to the shareholders of the Target Company for this Offer	Monday, April 27, 2020
10.	Date of publication of Offer opening public announcement in the newspapers in which this DPS has been published	Tuesday, April 28, 2020
11.	Date of commencement of the tendering period	Wednesday, April 29, 2020
12.	Date of closure of the tendering period (the "**Offer Closing Date**")	Thursday, May 14, 2020
13.	Last date of communicating the rejection/acceptance and completion of payment of consideration or refund of Offer Shares to the shareholders of the Target Company	Friday, May 29, 2020
14.	Last date for filing the report with SEBI	Friday, June 5, 2020
15.	Last date for publication of post-Offer public announcement in the newspapers in which this DPS has been published	Friday, June 5, 2020

***Note**: The schedule of activities mentioned above is tentative and based on the assumption that SEBI's comments to the draft letter of offer will be received on April 9, 2020. Accordingly, the dates for the above mentioned activities, wherever mentioned in this DPS, are subject to change.*

**The Identified Date is only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be posted. It is clarified that subject to paragraph 2 of Part VI (Statutory and Other Approvals) above, all the Public Shareholders (registered or unregistered) of the Target Company are eligible to participate in this Offer at any time on or prior to the Offer Closing Date.*

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. Subject to paragraph 14 of Section D (*Details of the Offer*) of Part I (*Acquirer, PACs, Target Company And Offer*) and paragraph 3 of Part VI (*Statutory and Other Approvals*) above, all Public Shareholders, holding Equity Shares in dematerialized form, registered or unregistered, are eligible to participate in this Offer at any time during the tendering period for this Offer.

2. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer (subject to paragraph 14 of Section D (*Details of the Offer*) of Part I (*Acquirer, PACs, Target Company And Offer*) and paragraph 3 of Part VI (*Statutory and Other Approvals*) above and provided that they are not parties to the Merger Agreement, or actual or deemed persons acting in concert with such parties) by submitting an application on plain paper giving details regarding their shareholding and confirming their consent to participate in this Offer on the terms and conditions of this Offer as set out in the PA, this DPS and the Letter of Offer to be issued. Alternatively, such holders of Equity Shares may also apply on the form of acceptance-cum-acknowledgement in relation to this Offer annexed to the Letter of Offer, which may be obtained from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or by writing to Link Intime India Private Limited (the "**Registrar to the Offer**"/ "**Registrar**").

3. Accidental omission to dispatch the Letter of Offer to any person to whom the Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the Letter of Offer by any such person will not invalidate the Offer in any way.

4. The Offer will be implemented by the Acquirer and the PACs, subject to applicable laws, through a stock exchange mechanism as provided under the SEBI (SAST) Regulations and the SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, as may be amended from time to time. A separate window on the Stock Exchanges would be provided by the Stock Exchanges for this purpose.

5. BSE shall be the designated stock exchange for the purpose of tendering Offer Shares in the Offer.

6. Citigroup Global Markets India Private Limited has been appointed as the registered broker (the "**Buying Broker**") through whom the purchases and settlements on account of the Offer Shares tendered under the Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are mentioned below:

Name: Citigroup Global Markets India Private Limited
Communication Address: 1202, 12th Floor, First International Financial Centre, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400098
Tel No.: +91 22-61759999
Fax No.: +91 22-61759898

7. All Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Offer will have to intimate their respective stock brokers within the normal trading hours of the secondary market, during the tendering period.

8. Procedure to be followed by the Public Shareholders holding the Equity Shares in the physical form:

(i) As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI LODR Regulations read with SEBI Press Release No. 49/2018 dated December 3, 2018, effective from April 1, 2019, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository.

(ii) Accordingly, the Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and are desirous of tendering their Equity Shares in the Open Offer can do so only after the Equity Shares are dematerialized. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their Equity Shares dematerialized.

9. The Public Shareholders may also (a) download the Letter of Offer from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the Letter of Offer by writing to the Registrar superscripting the envelope "Ingersoll-Rand (India) Limited" with (i) suitable documentary evidence of ownership of the Equity Shares of the Target Company, and (ii) their folio number, DP identity-client identity, current address and contact details.

10. As on the date of this DPS, no Equity Shares of the Target Company are under lock-in. The Offer Shares to be acquired under the Open Offer must be free from all liens, charges, equitable interests and encumbrances and will be acquired together with all rights attached thereto.

11. The detailed procedure for tendering the shares in the Offer will be available in the Letter of Offer.

IX. OTHER INFORMATION

1. The Acquirer and the PACs and their respective directors accept full responsibility for the information contained in the PA and this DPS (except for the information with respect to the Target Company which has been compiled from information published or provided by the Target Company as the case may be, or publicly available sources and which information has not been independently verified by the Acquirer, the PACs or the Manager) and shall be jointly and severally responsible for the fulfilment of obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Offer.

2. The information pertaining to the Target Company contained in the PA or this DPS or the Letter of Offer or any other advertisement/ publications made in connection with the Open Offer has been compiled from information published or provided by the Target Company, as the case may be, or publicly available sources which has not been independently verified by the Acquirer, the PACs or the Manager. The Acquirer and the PACs do not accept any responsibility with respect to any misstatement by the Target Company in relation to such information.

3. In this DPS, all references to "Indian Rupees" or "INR" are references to the Indian National Rupee(s). Certain financial details contained in this DPS are denominated in United States Dollars ("**USD**"). The INR equivalent quoted in each case for USD is calculated based on the RBI reference rate of 69.3558 INR per USD as on May 6, 2019, the date preceding the PA date (Source: FBIL Reference rate – https://fbil.org.in/).

4. This DPS and the PA shall also be available on SEBI's website (http://www.sebi.gov.in).

Issued on behalf of the Acquirer and the PACs by the Manager

citi

Citigroup Global Markets India Private Limited
1202, 12th Floor, First International Financial Centre, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400098
Tel: +91-22-61759999; Fax: +91-22-61759898
Website: https://www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm
Contact Person: Mr. Dheeraj Janakiraman; Email: ingersollrand.openoffer@citi.com
SEBI Registration Number: INM000010718

Registrar to the Offer

LINKIntime

Link Intime India Private Limited
C 101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India
Tel: +91-22-4918 6200; Fax: +91-22-4918 6195
Website: www.linkintime.co.in; Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande
Email: ingersollrand.offer@linkintime.co.in
SEBI Registration Number: INR000004058

Place: Mumbai
Date: March 6, 2020

2

Adhictors 472

नीरव मोदी की संपत्तियों की नीलामी से ईडी को मिले 51 करोड़

मुंबई/लंदन, 5 मार्च (भाषा)।

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की संपत्तियों की गुरुवार को हुई दूसरी नीलामी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 51 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इन संपत्तियों में रॉल्स रॉयस कार, एमएफ हुसैन और अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स और डिजाइनर हैंडबैग शामिल हैं। नीरव मोदी के करीब 40 सामानों की गुरुवार को नीलामी की गई। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त नीरव मोदी के सामानों की नीलामी पूरी हो गई है।

ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका गुरुवार को पांचवीं बार खारिज कर दी। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में अपने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ रहा है। मार्च, 2019 में गिरफ्तारी के बाद से ही 49 वर्षीय नीरव दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में बंद है।

पद से हटाने के खिलाफ चंदा कोचर की याचिका खारिज

मुंबई, 5 मार्च (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर की उनके पद से हटाने के खिलाफ दायर याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

न्यायाधीश एनएम जामदार और एमएस कार्निक की खंडपीठ ने कोचर की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानने की आइसीआइसीआइ बैंक की दलील को स्वीकार कर लिया। बैंक ने कहा कि कोचर से जुड़ा विवाद अनुबंध पर आधारित है और यह एक निजी संस्था का विषय है। बैंक के वकील दारियस खंबाटा ने इससे पहले अदालत में दलील दी थी कि संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत ऐसे मामलों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। यह अनुच्छेद हाई कोर्टों को ऐसे मामलों में दिशानिर्देश देने, आदेश देने या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। बैंक ने कोचर की याचिका खारिज किए जाने की मांग की थी।

कोचर को देश के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक से उनके बैंक को छोड़ने के कुछ महीनों बाद नौकरी से निकाल दिया गया था। अपने नौकरी से निकाले जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए कोचर ने 30 नवंबर 2019 को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोचर के वकील विक्रम नानकनी ने दलील दी कि बैंक ने कोचर के स्वैच्छिक इस्तीफे को पांच अक्तूबर 2018 को स्वीकार कर लिया था। इसलिए बाद में उन्हें नौकरी से निकाला जाना अवैध है। कोचर ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि बैंक ने उनका वेतन और अप्रैल 2009 से मार्च 2018 के बीच मिले बोनस और शेयर विकल्प आय को भी देने से मना कर दिया है।

कोचर पर आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन समूह को अवैध तरीके से 3,250 करोड़ रुपये का ऋण देने में कथित भूमिका अदा की और इससे उनके पति दीपक कोचर को लाभ हुआ। इस मामले के सामने आने के बाद ही कोचर को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था।

यस बैंक से अब सिर्फ 50 हजार तक की निकासी

मुंबई, 5 मार्च (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है। इसके अलावा बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये की निकासी की सीमा तय की गई है। बैंक के लिए एक प्रशासक की भी नियुक्ति की गई है। रिजर्व बैंक ने सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए यह कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने यस बैंक के निदेशक मंडल को भी भंग कर दिया है। निदेशक मंडल पिछले छह माह से बैंक के लिए जरूरी पूंजी जुटाने में विफल रहा। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

रिजर्व बैंक ने देर शाम जारी बयान में कहा, 'केंद्रीय बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विश्वसनीय पुनरुद्धार योजना के अभाव, सार्वजनिक हित और बैंक के जमाकर्ताओं के हित में उसके सामने बैंकिंग नियमन कानून, 1949 की धारा 45 के तहत रोक लगाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। बयान में कहा गया है कि बैंक के प्रबंधन ने इस बात का संकेत दिया था कि वह विभिन्न निवेशकों से बात कर रहा है और इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। बैंक कई निजी इक्विटी कंपनियों के साथ भी पूंजी निवेश के लिए बात कर रहा था। बयान में कहा गया है कि इन निवेशकों ने रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया, लेकिन विभिन्न वजहों से उन्होंने बैंक में कोई पूंजी नहीं डाली।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि नियामकीय पुनर्गठन के बजाय एक बैंक या बाजार आधारित पुनरुद्धार अधिक बेहतर विकल्प होता इसलिए रिजर्व बैंक ने इस तरह की प्रक्रिया के लिए पूरे प्रयास किए। बैंक के प्रबंधन को एक विश्वसनीय पुनरुद्धार योजना तैयार करने के लिए पूरा अवसर दिया गया, लेकिन

रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विश्वनाथन का इस्तीफा

मुंबई, 5 मार्च (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन ने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया है। 31 मार्च को उनके कामकाज का अंतिम दिन होगा। वे अपने एक वर्ष का बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त होने से तीन महीने पहले सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

इस घटनाक्रम से संबद्ध एक व्यक्ति ने बताया कि रिजर्व बैंक ने उनके 31 मार्च तक सेवानिवृत्ति देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति मिलनी बाकी है। विश्वनाथन का कार्यकाल एक साल के लिए तीन जुलाई तक बढ़ाया गया था। रिजर्व बैंक के प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि करने या इनकार करने से मना कर दिया है।

www.readwhere.com

चीन में कोरोना से तीन हजार से ज्यादा मौतें

बेजिंग, 5 मार्च (भाषा)।

चीन में कोरोना विषाणु से 31 और लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद मरने वालों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल पुष्ट मामलों की संख्या 80,400 से ज्यादा है। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि संक्रमण से बुरी तरह से प्रभावित वुहान में सकारात्मक प्रगति के बावजूद स्थिति अब भी गंभीर बनी है।

वेनेजुएला में महिलाओं से छह बच्चे पैदा करने की अपील

काराकस, 5 मार्च (एपी)।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने एक अजीबोगरीब बयान देते हुए अपने देश की महिलाओं से कम से कम छह बच्चे पैदा करने की अपील की। दरअसल, देश में हाल के वर्षों में आर्थिक संकट के चलते लाखों लोग विस्थापित हो गए जिसके चलते मादुरो ने देश को मजबूत बनाने के लिए यह अपील की।

मादुरो ने जन्म की विभिन्न पद्धतियों का प्रचार करने के लिए मंगलवार शाम को टेलीविजन पर प्रसारित कार्यक्रम में यह बयान दिया। उन्होंने कहा, 'ईश्वर आपको देश के लिए छह छोटे लड़के और लड़कियां पैदा करने का आशीर्वाद दें। जन्म दीजिए, फिर जन्म दीजिए। सभी महिलाओं के छह बच्चे होने चाहिए। देश की आबादी को बढ़ाए।' राष्ट्रपति की इस टिप्पणी की मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने आलोचना की है। इन लोगों का कहना है कि देश पहले ही भोजन, कपड़े और स्वास्थ्य देखभाल के संकट से जूझ रहा है।

युवा लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाले एक समूह सीईसीओडीएपी के संस्थापक ऑस्कर मिस्ले ने कहा, 'देश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए महिलाओं को छह बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करना देश के राष्ट्रपति की ओर से गैरजिम्मेदाराना रवैया, वो भी ऐसे देश के लिए जो बच्चों को उनकी जिंदगी की गारंटी नहीं देता है।'

COURT NOTICE

Criminal courts ludhiana
In the court of Sh. Ramesh Kumar Judicial magistrate-1st class, ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-009246-2019
NEXT DATE: 24-03-2020
M/s Hero Cycles Ltd
V/s
Akshay Pandey
Publication issued To: Akshay Pandey Address- M/s New Durga Cycle Emporium, Main Bazaar, Ambedkar Chowk, Dhenkanal, Orissa
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 24-03-2020 at 10:00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Devinder Singh Judicial magistrate-1st class, ludhiana
Publication notice for proclamation under Section 82 CR.PC
Complaint file no: sec-138 of N.I.ACT
CNR NO:PBLD03-010235-2019
PESHI: 07-04-2020
Avon Cycles Ltd
V/s
M/s Durga Yo Bykes
Notice to: 1. M/s durga yo bykes, opp. Bihari petrol pump, aurangabad road, sri ganganagar-335001, rajasthan, through its prop. Arun gorkara 2. Arun gorkara, prop. Of m/s durga yo bykes, opp. Bihari petrol pump, aurangabad road, sri ganganagar-335001, rajasthan
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 07-04-2020 at 10:00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of the proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law in your absence. Given under my hand and the seal of the court. For details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

हर एक काम देश के नाम | एम एस टी सी लिमिटेड | MSTC LIMITED | 50 YEARS OF CELEBRATING THE NAVRATNA

CIN : L27320WB1964GOI026211

सूचना

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र के आकलन, [illegible] हेतु ई-निविदा के जरिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विवरण के लिए www.mstcindia.co.in अथवा www.eprocure.gov.in देखें। [illegible]

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.12.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथिः 12.03.2020

Delhi - Model Town: MUL-1180, 1209, 1211, MWS-171, 261, 264, 328, **Mukherjee Nagar:** MUL-1473, 1755, 1791, 1862, 1893, 1911, 1914, 1924, 1954, 1975, 2021, 2054, 2156, 2300, **Kingsway Camp:** MUL-1039, 1110, **Rana Pratap Bagh:** MGL-918, MUL-1704, 1790, 1955, 2035, 2046, 2122, 2148, 2153, 2180, 2350, 2415, 2426, **Adarsh Nagar:** MUL-2145, 2181, 2567, 2630, 2633, 2729, 2836, 2839, 2852, 2865, 2953, MWS-95, 198, 288, 301, **Vijay Nagar:** MUL-966, 1059, 1222, 1254, **G .T. Road Adarsh Nagar:** MUL-4229, 4632, 4642, 4656, 4674, 4865, 4891, 5021, 5146, 5206, 5321, 5857, **West Sant Nagar:** MUL-3767, 3768, 3893, 3904, 3910, 3936, 4050, 4149, 4261, 4267, 4301, 4490, 4509, 4517, 4674, 4723, 4737, **Model Town Phase 1:** MUL-1117, 1146, 1337, 1381, 1392, 1475, **Parmanand Colony:** MUL-1184, 1212, 1213, 1214, 1243, MWS-344, 422, **Delhi - Burari:** MUL-2417, 2421, 2461, 2541, 2720, 2746, 2854, 3227, **Swaroop Nagar:** MUL-2112, 2150, 2253, 2269, 2277, 2310, 2356, 2373, 2452, 2460, 2563, 2596, 2688, 2689, 2750, 2753, 2765, 2774, 2846, **Gujranwala Town:** MUL-770, 965, 968, 1051, 1082, 1144, 1145, 1150, 1324, **Derawal Nagar:** MUL-490, 996, 1067, 1135, 1166, 1169, 1171, 1243, 1281, 1296, 1383, **Ashok Vihar:** MUL-1967, 2006, 2045, 2078, 2139, 2208, 2284, 2304, 2363, **Nathupura:** MUL-2042, 2080, 2250, 2275, 2287, 2366, 2492, **Bakhtawarpur:** MUL-899, 905, 936

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.08.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथिः 12.03.2020

Delhi - G. T. Road Adarsh Nagar: MWS-1391, **Model Town Phase 1:** MUL-2661, **Parmanand Colony:** MUL-1288, 1976, **Swaroop Nagar:** MUL-2098, MWS-1781, 1814, **Gujranwala Town:** MUL-1457, **Nathupura:** MUL-3886, MUL-4255, 4438

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक 13.03. 2020 को क्रमशः नीलामी केंद्र B-10, Derawal Nagar, Main Road, Delhi - 110009 में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट,
ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली – 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाईंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर

---

isarc इंडिया एसएमई एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि.
[CIN: U671190MH2008PLC181062]
स्वावलम्बन भवन, सी–11, 'जी' ब्लॉक, 3 रा तल, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई–400051, टेली.: 022–67531389,
ई–मेलः isarc@isarc.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना

मै. वॉइर इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड से संबंधित वित्तीय परिसम्पत्तियों के संदर्भ में स्थापित आईएसएआरसी–एसआईडीबीआइ–111/2017–18 ट्रस्ट के ट्रस्टी की उसकी हैसियत में कार्यरत

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/हाइपोथेकेटेड/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल/चल सम्पत्तियों जिसका आईएसएआरसी (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (सरफैसी) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6, 7, 8 एवं 9 के अंतर्गत भौतिक कब्जा किया गया है, की ई–निविदा आमंत्रित कर बिक्री की जायेगीः

ऋणधारक का नाम	मै. वॉइर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
गारन्टरों एवं मार्टगैजरों का नाम	1. श्री सुनील गोयल, 2. श्रीमती सुमन गोयल, 3. श्री मोहित गोयल
देयताओं का विवरणः	9 अक्टूबर, 2015 को रु. 1,75,73529.16 (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ उन्नतीस एवं पैसे सोलह मात्र)
बिक्री की जाने वाली सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों का विवरण	लॉट्स सम्पत्ति का विवरण I. मै. वॉइर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. के स्वामित्व में फैक्ट्री भूमि माप लगभग 1998 वर्ग मीटर तथा उस पर भवन, डोर नं. 117 एवं 118, साइट नं. 5, जीएनईपीआईपी, कासना, यूपीएसआईडीसी, इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर में शामिल अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः 30मी. रोड, पूर्वः 24 मी. रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. डी–103 एवं 104, दक्षिणः प्लॉट नं. डी–116 (आईएसएआरसी में उपलब्ध विवरण के अनुसार) के साथ उस पर सभी भवन तथा स्ट्रक्चर्स II. उपरोक्त परिसर में स्थित तथा निविदा दस्तावेज में वर्णित प्लान्ट एवं मशीनरी III. (लाट I + लाट II)
आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	(रु. लाखों में) लॉट्स / आरक्षित मूल्य / ईएमडी I / रु. 3,95,000/– / रु. 39,50,000/– II / रु. 7792000/– / रु. 779200/– III / रु. 47292000/– / रु. 4729200/– ईएमडी आरक्षित मूल्य का 10% होगा। इच्छुक बोलीदाता/क्रेता द्वारा आरक्षित मूल्य से नीचे जमा की गई बोली स्वीकार नहीं होगी। बोली वृद्धि राशि रु. 50,000/– है। लॉट III के लिये जमा की गई बोली को बोली प्रक्रिया के दौरान नीलामी के लिये प्राथमिकता दी जायेगी। लॉट I एवं II लॉट के लिये नीलामी प्रक्रिया तभी संचालित होगी जब लॉट–III के लिये बोली प्राप्त नहीं होती है। लॉट–I (फैक्ट्री भूमि तथा भवन) की नीलामी को लॉट–II (प्लान्ट एवं मशीनरी) की बिक्री के बाद सफल माना जायेगा। लॉट–I अथवा लॉट–II के लिये उच्चतम बोली जमा कर देने मात्र से लॉट–III की बोली पर विचार करने की प्राथमिकता पर कोई परिवर्तन नहीं होगा।
साइट पर निरीक्षण की तिथि एवं समय	8 अप्रैल, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 3.00 बजे अप.
प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि/समय	15 अप्रैल, 2020 के 4.00 बजे अप. तक केवल ऑन लाइन पद्धत्ति में
प्रस्ताव खुलने की तिथि एवं समय	15 अप्रैल, 202 के 4.05 अप. में
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	16 अप्रैल, 2020 को 11 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर तक प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ नीलामी आईएसएआरसी के स्वीकृत सेवा प्रदाता मैं. सी 1 इंडिया प्रा.लि., उद्योग विहार, फेज 2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग नं. 301, गुड़गाँव, हरियाणा, पिन–122015, हेल्प लाइन नं. +91–124–4302020/21/22/23/24 अथवा +91–9821690968, हेल्प लाइन ईमेल आईडीः support@bankeauctions.com, वेबसाईट https://www.bankeauctions.com द्वारा ''ऑनलाइन'' की जायेगी।
अन्य विवरण	अन्य नियम एवं शर्तें www.isarc.in तथा https://www.bankeauctions.com से डाउनलोड की जा सकती है।
डीलिंग अधिकारियों का विवरण	श्री आर.सी. अगसीमणि (एए), सम्पर्क नं. +91–9833032234 श्री राजेश्वर आर (सीएम) सम्पर्क नं. +91–8695153740

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 6.3.2020 — इंडिया एसएमई एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि.
स्थानः मुम्बई — आईएसएआरसी एसआईडीबीआइ–III/2017-18 ट्रस्ट के रूप में कार्यरत

Loss of Share Certificate(s)

Notice is hereby given that Share Certificate No. 19168 for 100 Equity Shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each bearing Distinctive No.(s) 1914901 to 1915000 of Eicher Motors Limited, having its registered office at 3rd Floor, Select Citywalk, A-3 District City Centre, Saket New Delhi 110017 registered in the name of Ravinder Pal Singh have been lost. Ravinder Pal Singh have applied to the company for issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of the said shares certificate should lodge such claim with the company within in 15 days of the publication of this notice.

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - III, DELHI 4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001
Notice under Section 19(4) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993)
OA No. 841/2019
HDFC BANK LTD....Applicant VERSUS SHRI MUKESH KUMAR KEDIA....Defendants
To,
D-1. Shri Mukesh Kumar Kedia, House No. 26, Daupara Bilaspur, Bilaspur, Chhattisgarh-495001. Also at: M-143, One Shop, Ground Floor, Gali No. 09, Shastri Nagar Market, Delhi-110052. Also at: M-143, Gali No.11, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Whereas the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal 03/04/2020 at 10:30A.M.
Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal the case will be heard and decided in your absence.
Given under my hand and seal of the Tribunal on this 3rd day of Feb. 2020.
Seal — By Order of the Tribunal, Assistant Registrar, DRT-III, New Delhi

---

फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
विशाल क्राफ्ट एंड इंटिरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74899DL1994PTC058773)
जिसका पंजीकृत कार्यालय - जे 94, गुरुद्वारा रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली –110059 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में बदलने हेतु 28 फरवरी 2020 को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली- 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय जे 94, गुरुद्वारा रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते विशाल क्राफ्ट एंड इंटिरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
विशाल अरोड़ा (निदेशक)
दिनांकः 05 मार्च 2020 — स्थानः नई दिल्ली — डीआईएनः 00281193

Form INC-26
[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परितर्वन के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन केंद्र सरकार (उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष प्रस्तुत
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013; and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
तथा
याचिकाकर्ताः RNF टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर सी–28–29, 7 वीं मंजिल, टॉवर ए, लोगिक्स साइबर पार्क, सेक्टर–62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301
सन्दर्भः पंजीकृत कार्यालय को उत्तर प्रदेश राज्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थानांतरित करना है।
आम जनता को यह सूचना दी गई है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जो विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करती है। 09 सितंम्बर, 2019 को अतिरिक्त साधारण बैठक में कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''उत्तर प्रदेश राज्य'' से ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' में परिवर्तन की पुष्टि करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से अगर कोई भी व्यक्ति जिसके हित प्रभावित होने की संभावना है, वह एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर उसकी आपत्तियों को हलफनामे द्वारा/पंजीकृत पोस्ट द्वारा उसके हित की प्रकृति बताते हुए क्षेत्रीय निदेशक के पते B-2 विंग, द्वितीय तल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 में 14 दिन के भीतर आवेदक कंपनी को एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के साथ ऊपर दिए गए पते पर भेजे।
RNF टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड लिए और उसकी ओर से
रागिब खान, निदेशक
डिन नं: 02823989

व्हीलवर्स प्राइवेट लिमिटेड
(कंपनी पहचान क्रमांक : U74999DL2015PTC287961)
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : D-138, S.F, D - ब्लॉक, अशोक विहार, चरण - 1, नई दिल्ली - 110 052
ई-मेल: sikadwe@gmail.com
नोटिस
प्ररूप संख्या आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम (30) के अनुसरण में]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय प्रबंधक के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में
और
व्हीलवर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय D-138, S.F, D - ब्लॉक, अशोक विहार, चरण - 1, नई दिल्ली - 110 052 स्थित है, के मामले में,
...याचिकाकर्ता
आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 7 फरवरी, 2020 को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टी की मांग की गई है।
कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए - 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर B-2- विंग, दूसरा मजला, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110 003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेगा :
व्हीलवर्स प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय D-138, S.F, D - ब्लॉक, अशोक विहार, चरण - 1, नई दिल्ली - 110 052
आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
एस. डी./-
तारीख : 06-03-2020 — शेषराव लक्ष्मन कड़वे (निदेशक)
स्थान : नई दिल्ली
निदेशक पहचान क्रमांक : 07713128

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - III, DELHI 4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001
Notice under Section 19(4) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993)
OA No. 138/2019
ICICI BANK LTD....Applicant VERSUS AMIT DAWAR & ORS......Defendants
To,
D-1. M/s. Mascot Soho Homes Pvt. Ltd. Corporate Office at: D-59, Ground Floor, Sector-63, Noida-201309. Also at: Registered Office at: B-22, Gazipur Village, Gazipur New Delhi-110096. [illegible]
Whereas the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal [illegible] at 10:30 A.M.
Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before the Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.
Given under my hand and seal of the Tribunal on this 23rd day of Dec 2019.
Seal — By Order of the Tribunal, Assistant Registrar, DRT-III, New Delhi

---

फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन), 2014 के नियम 30(5) (ए) के संबंध में
और
फिशबोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–43, सेक्टर 67, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर–201301, उत्तर प्रदेश, भारत में है
...याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "उत्तर प्रदेश राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में बदलने हेतु 26 फरवरी 2020 को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली –110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय बी–43, सेक्टर 67, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर–201301 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
वास्ते फिशबोल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
सुब्रह्मण्य भट (निदेशक)
डीआईएनः 08312655
दिनांकः 28.02.2020
स्थानः नोएडा, गौतम बुद्ध नगर

Form INC-26
[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन केंद्र सरकार (उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष प्रस्ताव
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013; and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
तथा
याचिकाकर्ताः फोनेटो स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, पंजीकृत कार्यालय 3 जी टॉवर–बी, बी–9ए, ग्रीन बुलेवार्ड, नोएडा सेक्टर–62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301
सन्दर्भः पंजीकृत कार्यालय को उत्तर प्रदेश राज्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थानांतरित करना है।
आम जनता को यह सूचना दी गई है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जो विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करती है। 09 सितंम्बर, 2019 को अतिरिक्त साधारण बैठक में कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''उत्तर प्रदेश राज्य'' से ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' में परिवर्तन की पुष्टि करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से अगर कोई भी व्यक्ति जिसके हित प्रभावित होने की संभावना है, वह एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर उसकी आपत्तियों को हलफनामे द्वारा/पंजीकृत पोस्ट द्वारा उसके हित की प्रकृति बताते हुए क्षेत्रीय निदेशक के पते B-2 विंग, द्वितीय तल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 में 14 दिन के भीतर आवेदक कंपनी को एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के साथ ऊपर दिए गए पते पर भेजे।
फोनेटो स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से
रागिब खान, निदेशक
डिन नं: 02823989

Loss of Share Certificate(s)

Notice is hereby given that Share Certificate No. 32881 & 23464 for 200 Equity Shares of Rs.10/- (Rupees ten only) each bearing Distinctive No.(s) 3286201 to 3286300 & 2344501 to 2344600 of Eicher Motors Limited, having its registered office at 3rd Floor, Select Citywalk, A-3 District City Centre, Saket New Delhi 110017 registered in the name of Deen Dayal Kejriwal have been lost. Deen Dayal Kejriwal have applied to the company for issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of the said shares certificate should lodge such claim with the company within in 15 days of the publication of this notice.

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - III, DELHI 4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001
Notice under Section 19(4) of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993)
[illegible]
ICICI BANK LTD....Applicant VERSUS SHASHI FOODS INDIA PVT. LTD. AND & ORS......Defendants
To,
D-1. SHASHI FOODS INDIA PVT. LTD. 2261, 2nd Floor, Gali Raghunandan, Naya Bazar, Delhi-110006. Also at: 241-242, National Highway-1, G.T. Road, Bakauli, Delhi-110034. Also at: 12/26, East Patel Nagar, Delhi-110008. Also at: A-4/150, Sector-17, Rohini Sector-15, S.O North, Delhi-110089
D-2. SHRI GIAN CHAND SETHI 2261, 2nd Floor, Gali Raghunandan, Naya Bazar, Delhi-110006. [illegible]
D-3. SHRI SHASHI BHUSHAN 2261, 2nd Floor, Gali Raghunandan, Naya Bazar, Delhi-110006. [illegible]
D-4. SHRI JITESH CHADHA 2261, 2nd Floor, Gali Raghunandan, Naya Bazar, Delhi-110006. Also at: 241-242, National Highway-1, G.T. Road, Bakauli, Delhi-110034. Also at: 12/26, East Patel Nagar, Delhi-110008. Also at: A-4/150, Sector-17, Rohini Sector-15, S.O North, Delhi-110089
Whereas the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal 03/04/2020 at 10:30 A.M.
Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.
Given under my hand and seal of the Tribunal on this 03rd day of February, 2020.
Seal — By Order of the Tribunal, Assistant Registrar, DRT-III, New Delhi

---

सर शादी लाल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड

CIN: L51909DL1933PLC009509
पंजीकृत कार्यालयः 4–ए, हंसालय, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली
Email ID.Cs@sirshadilal.com, Phon No. 011-23316409
Website: www.sirshadilal.com

शुद्धिपत्र

कम्पनी के निदेशकों से अप्रतिभूत ऋणों की बढ़ोतरी तथा प्रेफरेंशियल आधार पर कम्पनी के प्रवर्त्तकों को ओसीडी'ज के निर्गम की अनुमति प्राप्त करने के लिये सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सर शादी लाल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के पोस्टल बैलॅट सूचना तिथि 11.2.2020 के संदर्भ में अधोलिखित सुधार किये जाते हैं तथा आइटम नं. 2 में व्याख्यात्मक कथन के निम्न लिखित विवरणों को इस प्रकार पढ़ेंः

वर्तमान	इस प्रकार पढ़ें
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2009	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2018 के साथ सभी समानांतर लागू होने वाले उप विनियमनों
जे. ऑडिटर सर्टिफिकेट चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स/कम्पनी के लेखा–परीक्षकों से प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रस्ताव है	जे. ऑडिटर सर्टिफिकेट कम्पनी के सांविधिक लेखा– परीक्षकों से प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रस्ताव है
एफ. ओसीडी'ज के प्रस्तावित निर्गम से पूर्व तथा उसके बाद कम्पनी की शेयरधारिता पद्धतिः	एफ. ओसीडी'ज के प्रस्तावित निर्गम से पूर्व तथा उसके बाद कम्पनी की शेयरधारिता पद्धति यदि सभी ओसीडी'ज शेयरों में रूपांतरित की जाती हैः

वर्तमान:

ओसीडी'ज के रूपांतरण से पूर्व			ओसीडी'ज के रूपांतरण के बाद
	शेयरों की सं.	%	यह ओसीडी'ज के रूपांतरण के समय संबंधित तिथि को निर्धारित की जाने वाली मूल्य पर आधारित होगी
प्रवर्त्तक ग्रुप	2868007	54.629	
गैर–प्रवर्त्तक ग्रुप	2381993	45.371	
	5250000		

इस प्रकार पढ़ें:

ओसीडी'ज के रूपांतरण से पूर्व			ओसीडी'ज के रूपांतरण के बाद		
	शेयरों की सं.	%		शेयरों की सं.	%
प्रवर्त्तक ग्रुप	2868007	54.629	प्रवर्त्तक ग्रुप	6618007	73.533
गैर–प्रवर्त्तक ग्रुप	2381993	45.371	गैर–प्रवर्त्तक ग्रुप	2381993	26.467
	5250000			9000000	

वर्तमान	इस प्रकार पढ़ें
जी. ऐसे स्वाभाविक व्यक्तियों की पहचान जो आवंटित किये जाने के लिये प्रस्तावित शेयरों के तात्कालिक लाभभोगी स्वामी हैं एवं/ अथवा जो प्रस्तावित एलॉटीज, उनके द्वारा धारित की जाने वाली निर्गम उपरांत पूंजी की प्रतिशत का तत्काल रूप से नियंत्रण करते हैं	जी. ऐसे स्वाभाविक व्यक्तियों की पहचान जो आवंटित किये जाने के लिये प्रस्तावित शेयरों के तात्कालिक लाभभोगी स्वामी हैं एवं/ अथवा जो प्रस्तावित एलॉटीज, उनके द्वारा धारित की जाने वाली निर्गम उपरांत पूंजी की प्रतिशत का तत्काल रूप से नियंत्रण करते हैं एन.ए.

एच. (वर्तमान)

क्रम सं.		निर्गम–पूर्व शेयरधारिता: धारित शेयरों की सं.	निर्गम–पूर्व शेयरधारिता: शेयरधारिता का %	ओसीडी'ज के रूपांतरण पर आवंटित की जाने वाली इक्विटी शेयरों की सं.	निर्गम– उपरांत शेयरधारिता: धारित शेयरों की सं.	निर्गम– उपरांत शेयरधारिता: शेयरधारिता का %
1.	प्रवर्त्तक ग्रुप	2868007	54.629	ओसीडी'ज के रूपांतरण के समय संबंधित तिथि को निर्धारित की जाने वाली मूल्य पर आधारित होगी।		

एच. (इस प्रकार पढ़ें)

क्रम सं.			निर्गम–पूर्व शेयरधारिता: धारित शेयरों की सं.	निर्गम–पूर्व शेयरधारिता: शेयरधारिता का %	ओसीडी'ज के रूपांतरण पर आवंटित की जाने वाली इक्विटी शेयरों की सं.	निर्गम–उपरांत शेयरधारिता: धारित शेयरों की सं.	निर्गम–उपरांत शेयरधारिता: शेयरधारिता का %
1.	रजत लाल	यूबीओ	713313	13.586	1875000	2588313	28.759
2.	विवेक विस्वनाथन	यूबीओ	1296004	24.685	1875000	3171004	35.233

वर्तमान	इस प्रकार पढ़ें
एलः अन्य ओसीडी'ज भौतिक पद्धति में आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है।	एलः अन्य ओसीडी'ज डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है।

अन्य सभी विषय–वस्तु पोस्टल बैलॅट सूचना में वर्णित उसी रूप में पढ़ी जाए।
तिथिः 4.3.2020
स्थानः नई दिल्ली

COURT NOTICE

Criminal courts ludhiana
In the court of Sh. Ramesh Kumar Judicial magistrate-1st class, ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-020854-2019
NEXT DATE: 18-03-2020
M/s. Jain Amar Hosiery
V/s
M/s Bala Ji Trade
Publication issued to: m/s bala ji trade Address- near bijli office karma road, aurangabad state bihar, through its prop/auth sign. Pawan kumar
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 18-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Devinder Singh Judicial Magistrate-1st class Ludhiana
Publication Notice for proclamation under Section 82 CR.PC
Complaint No: sec-138 N.I.ACT
CNR NO:PBLD03-060427-2019
PESHI: 08-04-2020
Nahar Industrial Enterprise Ltd. V/s Kotton Prop Apparels
Notice to 1. Kotton pro apparels, managing partner/ auth signatory venkata ramana [illegible]
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 08-04-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law in your absence. Given under my hand and the seal of the court. For details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
प्रशासन विभाग
पंजीकृत कार्यालयः 21, एन एस रोड, कोलकाता - 700 001
सीआईएनः L15492WB1924GOI004835, वेबसाइटः www.balmerlawrie.com
फोनः 033 22225401; ई-मेलः das.dk@balmerlawrie.com

रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

बामर लॉरी पूरे भारत में ख्यातिप्राप्त होटलों के साथ अनुबंध करने की इच्छा व्यक्त करती है। होटल चलाने वाले सक्षम व अनुभवी व्यक्तियों जिनके पास अपेक्षित सुविधाएँ हैं, वे कंपनी की वेबसाइट www.balmerlawrie.com पर उपलब्ध निविदा कागजात में निर्धारित अनुसार आवश्यक सूचना के साथ अपने प्रस्ताव को जमा कर सकते हैं। जमा देने की अंतिम तिथि 18 मार्च, 2020 है। निविदा कागजात के संबंध में कोई संशोधनी/शुद्धिपत्र के केवल हमारी कंपनी की वेबसाइट पर दी जाएगी।

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे क्लाइंट एचडीएफसी लिमिटेड जिन्होंने श्री रजत पाठक और सुश्री सगीता पाठक (ऋण खाता सं. 588226871 के अंतर्गत) को उनकी संपत्ति फ्लैट न. #4, पॉकेट–ए, फेज–I, एमआईजी, डीडीए–हाउस, सेक्टर 12, द्वारका, नई दिल्ली–110045 के विरुद्ध गिरवी रख कर ऋण दिया था। मेरे क्लाइंट एचडीएफसी लिमिटेड की सूचना में यह आया है कि ऋण / संपत्ति के मूल दस्तावेज, अर्थात, श्री. राम चंदर के नाम 31–08–2004 दिनांकित डीडीए द्वारा जारी किया गया मूल आवंटन पत्र, श्री. राम चंदर के नाम 08–04–2005 दिनांकित डीडीए के मूल पोज़ेशन पत्र, 11–05–2005 दिनांकित डीडीए के मूल पोज़ेशन सर्टिफिकेट, डीडीए द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, डीडीए को भुगतान के लिए बने ओरिजिनल चालान, श्री. राम चंदर और सुश्री. सुषमा के नाम 20–07–2005 दिनांकित ओरिजिनल कन्वेयन्स डीड, 08–10–2009 दिनांकित मूल ऋण करार, 08–10–2009 दिनांकित मूल प्रॉमिसरी नोट और श्री. रजत पाठक और श्रीमती संगीता पाठक के नाम डॉक्यूमेंट नं. 8338 के तहत 12–10–2009 दिनांकित मूल बिक्री विलेख गुम हो गए हैं। इस सूचना के माध्यम से सर्वसाधारण से यह अपील की जाती है कि जिसे भी उल्लिखित दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज जिसे भी मिले तो कृपया शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी लिमिटेड, द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली – 67 लौटा दें।

दिनांकः 05.03.2020 — रिषभ साहू (एडवोकेट)
स्थान : नई दिल्ली — साहू एंड क, 96, लॉयर चैम्बर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली – 110003।

फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
एसएसकेजे होम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74899DL2006PTC144687)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 6926, जयपुरिया मिल, क्लॉक टॉवर, सब्जी मंडी, नई दिल्ली –110007 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में बदलने हेतु 26 फरवरी 2020 को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय 6926, जयपुरिया मिल, क्लॉक टॉवर, सब्जी मंडी, नई दिल्ली -110007 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते एसएसकेजे होम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
राजेश कुमार (निदेशक)
दिनांकः 06 मार्च 2020 — स्थानः नई दिल्ली — डीआईएनः 00330574

फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
एसपीए प्रोपएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U45201DL2006PTC144690)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 6926, जयपुरिया मिल, क्लॉक टॉवर, सब्जी मंडी, नई दिल्ली -110007 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में बदलने हेतु 26 फरवरी 2020 को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली- 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय 6926, जयपुरिया मिल, क्लॉक टॉवर, सब्जी मंडी, नई दिल्ली -110007 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते एसपीए प्रोपएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
सतीश कुमार अग्रवाल (निदेशक)
दिनांकः 06 मार्च 2020 — स्थानः नई दिल्ली — डीआईएनः 03354889

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | Union Bank of India
शालीमार बाग शाखा
26/28, डीडीए व्यवसायिक कॉम्पलैक्स, बीक्यू ब्लॉक नई दिल्ली–110088, फोन नं. 27115362; 27463217
ईमेल : shalimarbagh@unionbankofindia.com

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना — **परिशिष्ट – IV A [नियम 8(6) / 9(1) को देखें]**

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) / 9(1) के प्रावधानों के अंतर्गत अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) व गारंटरों को सूचित किया जाता है, कि प्रतिभूति ऋणदाताओं को गिरवी / प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शालीमार बाग शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा लिया गया था, मैसर्स श्री नाकोड़ा जी कॉर्पोरेशन बैंक एवं अन्य से रु. 2,61,33,265.62 दिनांक 30.04.2019 तक और मैसर्स जे.के. जैन गारमेंट्स और अन्य से रु. 54,93,256.12 दिनांक 30.04.2019 तक (रु. 3,16,26,521.74 भविष्य का ब्याज, लागत और प्रभार इत्यादि सहित की वसूली हेतु 08.04.2020 (बुधवार) को "जहां है जैसी है", "जो है क्या है" और जैसी है" के आधार पर बेची जाएगी। नीलामी का विवरण नीचे दिया गया है

लॉट नं.	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि 10% / बोली वृद्धि राशि
1	रिहायशी दो मंजिला बिल्डिंग शामिल प्लॉट न. 56 का हिस्सा, खसरा नं. 24 / 18 में से, क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, आबादी मोहन ब्लॉक, गली नं. 4, वैस्ट सागरपुर, रघु नगर के पास, दिल्ली–110046 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री जसमीत सिंह के नाम पर है।	रु. 65,00,000/- रु. 6,50,000/- रु. 25,000/-

संपत्ति पर एन्कम्ब्रेन्स का विवरण, जैसा कि सुरक्षित लेनदार को ज्ञात है, यदि कोई हो: कोई नहीं
धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि : 07.04.2020 (मंगलवार अपराह्न 05.00 बजे तक)
ऑनलाइन ई– नीलामी वेबसाइटः www.bankeauctions.com के माध्यम से आयोजित की जाएगी
सम्पर्क हेतु श्री विनोद, मो. +91-9813887931 हैल्पलाईन सम्पर्क नं. +91-1244302020-24; ईमेलः support@bankeauctions.com
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया www.unionbankofindia.co.in में दिए गए लिंक को देखें
दिनांक : 03-03-2020 — प्राधिकृत अधिकारी, (श्री पी.एल. मीना, मो. +919604455925)
स्थान : नई दिल्ली — यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | Union Bank of India
शालीमार बाग शाखा
26/28, डीडीए व्यवसायिक कॉम्पलैक्स, बीक्यू ब्लॉक नई दिल्ली–110088, फोन नं. 27115362; 27463217
ईमेल : shalimarbagh@unionbankofindia.com

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना — **परिशिष्ट – IV A [नियम 8(6) / 9(1) को देखें]**

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) / 9(1) के प्रावधानों के अंतर्गत अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) व गारंटरों को सूचित किया जाता है, कि प्रतिभूति ऋणदाताओं को गिरवी / प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शालीमार बाग शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा लिया गया था, मैसर्स श्री नाकोड़ा जी कॉर्प. एवं अन्य से रु. 2,61,33,265.62 दिनांक 30.04.2019 तक भविष्य का ब्याज, लागत और प्रभार इत्यादि सहित की वसूली हेतु 23.03.2020 (सोमवार) को "जहां है जैसी है", "जो है क्या है" और जैसी है" के आधार पर बेची जाएगी। नीलामी का विवरण नीचे दिया गया है

लॉट नं.	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि 10% / बोली वृद्धि राशि
1	सम्पूर्ण भूतल बिना छत के अधिकार के, निर्मित सम्पत्ति नं 250, क्षेत्रफल 190.59 वर्ग गज, इसके साथ उक्त संपत्ति में भूमि के स्वामित्व के अनुपात में भी जोकि कल्याण विहार को. ऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी लि. दिल्ली जिसे अब कल्याण विहार कहते हैं, दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती इन्दिरा जैन पत्नी श्री जोगिन्दर जैन के नाम पर है।	रु. 1,40,00,000/- रु. 14,00,000/- रु. 25,000/-

संपत्ति पर एन्कम्ब्रेन्स का विवरण, जैसा कि सुरक्षित लेनदार को ज्ञात है, यदि कोई हो: कोई नहीं
धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि : 21.03.2020 (शनिवार अपराह्न 05.00 बजे तक)
ऑनलाइन ई– नीलामी वेबसाइटः www.bankeauctions.com के माध्यम से आयोजित की जाएगी
सम्पर्क हेतु श्री विनोद, मो. +91-9813887931 हैल्पलाईन सम्पर्क नं. +91-1244302020-24; ईमेलः support@bankeauctions.com
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया www.unionbankofindia.co.in में दिए गए लिंक को देखें
दिनांक : 03-03-2020 — प्राधिकृत अधिकारी, (श्री पी.एल. मीना, मो. +919604455925)
स्थान : नई दिल्ली — यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

दाभोलकर हत्या मामले में खाड़ी में मिला हथियार

पुणे, 5 मार्च (भाषा)।

सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में सीबीआइ को बड़ा सुराग हाथ लगा है। जांच एजंसी के सूत्रों के अनुसार सीबीआइ को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में खाड़ी क्षेत्र से पिस्तौल मिली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दाभोलकर की हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल खोजने और उसे ठीक करने के लिए एक विदेशी समुद्री खोजकर्ता एजंसी से सहायता ली। सीबीआइ ने पुणे की एक अदालत में दावा पेश किया था कि आरोपी शूटरों में से एक शरद कालस्कर ने हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को तोड़कर ठाणे में खाड़ी में फेंक दिया था।

सीबीआइ के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर गुरुवार को बताया, 'तलाशी अभियान के दौरान एक पिस्तौल बरामद की गई। पिस्तौल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी गई है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह वही पिस्तौल है, जिससे दाभोलकर की हत्या की गई थी। इस बात का खुलासा फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद होगा।' उन्होंने बरामद हथियार के बारे में कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया।

वकील संजीव पुनालकर ने शरद कालस्कर को हत्या में इस्तेमाल हथियार को नष्ट करने की सलाह दी थी। संजीव पुनालकर भी इस मामले के आरोपियों में से एक है जिसे गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह जमानत पर है। गिरफ्तार होने से पहले कई मामलों में पुनालकर सनातन संस्था के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के वकील थे।

सीबीआइ ने दावा किया था जांच के दौरान यह पता चला कि कालस्कर जून 2018 में पुनालकर के पास गए थे और उन्हें दाभोलकर की हत्या में अपनी भूमिका के बारे में बताया। पुणे अदालत के समक्ष सीबीआइ ने दावा किया, 'पुनालकर ने कालस्कर को पत्रकार गौरी लंकेश (बंगलुरु में) समेत कई लोगों की हत्याओं में इस्तेमाल किए गए हथियारों को नष्ट करने की सलाह दी।' एजंसी ने अदालत को यह भी बताया कि 23 जुलाई, 2018 को कालस्कर ने चार देसी पिस्तौलों को नष्ट कर पुणे से नालासोपारा जाते समय ठाणे में एक खाड़ी में फेंक दिया।

चार दिन की शांति के बाद मेघालय में छिटपुट हिंसा

शिलंग, 5 मार्च (भाषा)।

चार दिन की शांति के बाद गुरुवार को यहां के बाहरी क्षेत्र में कर्फ्यू के दौरान हिंसा का मामला सामने आया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। हालांकि, हिंसा प्रभावित कई जगहों पर कर्फ्यू में ढील दी गई, जबकि सभी छह जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं।

फार्म नं. आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले

और

हाइजिनिया बायोटैक प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U24232DL2011PTC214109)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : **2759/229, जोरावर सिंह मार्ग, मोरी गेट, नई दिल्ली –110006** में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु **20 अप्रैल 2019** को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **2759/229, जोरावर सिंह मार्ग, मोरी गेट, नई दिल्ली -110006** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **हाइजिनिया बायोटैक प्राइवेट लिमिटेड**

मनीष अग्रवाल (निदेशक) डीआईएन: 02770619

दिनांक: 05 मार्च 2020

स्थान: नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.12.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 11.03.2020

Delhi - Karol Bagh: MAL-1195, MGL-1653, MHP-5, MSL-32922, MUL-313, 1044, 1392, **Delhi - Kamla Nagar:** MUL-1233, **Old Subzi Mandi:** MUL-3138, **Dev Nagar Karol Bagh:** MUL-1024, **Patel Nagar:** MUL-2400, 2845, **Pusa Road:** MUL-1413, **Kanhaiya Nagar:** MWS-839, **Kishan Ganj:** MUL-1996, 2005, **Karol Bagh Bank Street:** MAL-764, **Old Rajinder Nagar Main Market:** MUL-647, **Shakurpur:** MUL-3695, 3909, 3957, **Bhagwan Das Nagar Ext.:** MAL-135

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.08.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 11.03.2020

Delhi - Old Subzi Mandi: MWS-3318, **Delhi - Patel Nagar:** MUL-7403, **Delhi - Kanhaiya Nagar:** MWS-3157, **Delhi - Karol Bagh Bank Street:** MAL-1808

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक **12.03. 2020** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Regional Office, Plot No.-65/7, Back Side Entry, Main New Rohtak Road, New Delhi - 110005** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट,
ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली – 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.12.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 14.03.2020

Gorakhpur - Betiahata: MUL-1287, 1936, **Gorakhpur-Asuran Chowk:** MUL-2407

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.08.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 14.03.2020

Gorakhpur - Dharamshala Bazar: MDL-107, MUL-1193, **Kunraghat-(UP):** MOL-81, MUL-440

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक **16.03. 2020** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Limited, First Floor Sri Ram Tower, 33 Kasia Road, Betiahata Chowk, Gorakhpur UP - 273001** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 11.03.2020

Basti-(UP): MSL-3960, MUL-612, 613, 635, 705, 715, 724, 736, 769, 780, 787, 804, 827, 833, 882, 889, 893, 906, 942, 967, 998, 1036, 1041, 1107, 1138, 1154, 1171, 1338

नीलामी की तिथि: 12.03.2020

Maharajganj (UP): MGL-433, 464, 510, MSL-3906, 4193, 4342, 4358, 4577, 4578, 4617, 4633, 5002, 5004, 5054, 5068, 5108, 5208, 5295, 5442, 5449

नीलामी की तिथि: 13.03.2020

Padrauna-(UP): MSL-5564, 5643, 5644, MUL-30, 107, 228, 345, 496, 511, 650, 652, 871, 909, 942, 977, 1004, 1066, 1102, 1205, 1272, 1290, 1296, 1380, 1404, 1450, 1451, 1576, 1621, MAL-502, MSL-3977, MUL-5, 206, 228, 261, 291, 299, 303, 350, 369, 480, 502, 526, 529, 668, 677, 792, 902, 921

नीलामी की तिथि: 14.03.2020

Deoria (UP): MUL-1144, 1201, 1229, 1272, 1326, 1330, 1338, 1457, MSL-128, MUL-88, 116, 125, 132, 133, 138, 164, 224, 229, 230, 282, 328, 329, 331, 441, 570, 751, 813, 858

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.08.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 14.03.2020

Deoria (UP): MUL-36

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली – 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

फॉर्म सं. आईएनसी–26

(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन।

केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी के (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम(5) के खंड (अ) के मामले में,

तथा

स्टूपेन्डो टैक्नो सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय आफिस सं.112-बी, प्रथम तल, रिषभ कॉरपोरेट टॉवर, प्लॉट सं.16, कड़कड़डूमा कॉम्युनिटी सेंटर, दिल्ली-110092 पर स्थित है, के मामले में

...याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जो कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करती है, जिसके तहत **15.02.2020** को असाधारण आम सभा आयोजित की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'** से **'हरियाणा राज्य'** के किसी स्थान में स्थानांतरित करने में सक्षम बन सके।

कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की सम्भावना है, वह अपने **हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथ-पत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है** अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बेंच, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना प्रकाशन की तारीख के चौदह (14) दिनों भीतर सुपुर्द कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं। साथ ही इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय आफिस सं.112-बी, प्रथम तल, रिषभ कॉरपोरेट टॉवर, प्लॉट सं.16, कड़कड़डूमा कॉम्युनिटी सेंटर, दिल्ली-110092 के पते पर भी भेजनी होगी।

आवेदक के लिए और उनकी ओर से

स्टूपेन्डो टैक्नो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

(अंकुर) निदेशक

दिनांक: दिल्ली

स्थान: 06.03.2020

फार्म नं. आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले

और

किंग्स्टन एक्वा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U41000DL2008PTC182066)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : **बी –7 /15, बरसाती फ्लोर, मियां वाली नगर, नई दिल्ली –110041** में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु **20 फरवरी 2020** को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन , सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **बी –7 /15, बरसाती फ्लोर, मियां वाली नगर, नई दिल्ली -110041** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **किंग्स्टन एक्वा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड**

राम गोपाल (निदेशक) डीआईएन: 01089118

दिनांक: 05 मार्च 2020

स्थान: नई दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले

और

एसए होम एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U74899DL2006PTC144691)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : **6926, जयपुरिया मिल, क्लॉक टॉवर, सब्जी मंडी, नई दिल्ली –110007** में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु **26 फरवरी 2020** को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन , सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **6926, जयपुरिया मिल, क्लॉक टॉवर, सब्जी मंडी, नई दिल्ली -110007** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **एसए होम एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड**

राजेश गुप्ता कुमार (निदेशक) डीआईएन: 00330574

दिनांक: 06 मार्च 2020

स्थान: नई दिल्ली

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking) **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (भारत सरकार का उपक्रम)

दिल्ली मैट्रो रीज़न– I, 12वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1)/6(2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/**भौतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **25.03.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र. सं.	शाखा	कर्जदार और गारंटर्स का नाम	स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण	कब्जा स्थिति	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	कुल देनदारी	ई–नीलामी तिथि एवं समय	खाता नं. और IFSC कोड	प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं.
1	चाँदनी चौक पूर्व देना बैंक, नई दिल्ली	(1) उधारकर्ताः श्री प्रभु दयाल और श्रीमती अनीता देवी निवासीः डब्ल्यूजेड 81, बाल्मीकि विहार, पालम गाँव, दिल्ली –110045 (2) गारंटरः सरदार जसविंदर सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह, निवासी : डी 7ए, मुखराम उद्यान, तिलक नगर, नई दिल्ली –110018	भूतल, अचल सम्पत्ति नं. पी–11 में से, खसरा नं. 91 में से, आबादी गाँव बिन्दापुर, जिसे अब विजय विहार कहते है, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 में स्थित, (क्षेत्रफल 33.50 वर्ग मी.) चौहद्दी : उत्तर में – प्लॉट नं. 12, दक्षिण में – सम्पत्ति का हिस्सा, पूरब में – सर्विस लेन 15 फीट चौडी, पश्चिम में – सम्पत्ति का हिस्सा, यह सम्पत्ति अनिता देवी पत्नी प्रभु दयाल के नाम पर है।	भौतिक	₹ 10.50 लाख ₹ 1.05 लाख ₹ 20,000/-	दिनांक 11-10-2017 तक रु. 14.52 लाख + ब्याज, अन्य प्रभार और व्यय (वसूली घटाकर यदि कोई हो)	25-03-2020 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 03.00 बजे तक	Account No: 005911999999 Account Name: New SARFEASI EMD-0059 IFSC code BKDN0710059 (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री सुरेश अरोड़ा मो. 9899516417 dbcndi@bankofbaroda.com
2	सब्जी मण्डी पूर्व देना बैंक, नई दिल्ली	1 मैसर्स सोवा एंटरप्राइजेज, प्रोपराइटर–श्रीमती परमीत कौर पत्नी चरणजीत सिंह, बी1/16, ब्लॉक बी–1, खसरा नं. 20/1/1, गाँव ख्याला, विष्णु गार्डन, दिल्ली–110018 2 मैसर्स कैप इंटरनेशनल, प्रोपराइटर एस. चरणजीत सिंह पुत्र राजेंदर सिंह, बी 1/16, ब्लॉक बी–1, खसरा नं. 20/1/1, गांव ख्याला, विष्णु गार्डन, दिल्ली–110018 3 श्री चरणजीत सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, बी 1/16, ब्लॉक बी–1, खसरा नं. 20/1/1, गांव ख्याला, विष्णु गार्डन, दिल्ली 110018 4 श्री अश्मीत सिंह पुत्र चरणजीत सिंह, बी 1/16, ब्लॉक बी –1, खसरा नं. 20/1/1, गांव ख्याला, विष्णु गार्डन, दिल्ली 110018	सम्पत्ति नं. 1 बी1/16, ब्लॉक बी–1, खसरा नं. 20/1/1, गाँव ख्याला, विष्णु गार्डन, दिल्ली–110018 में स्थित, क्षेत्रफल 60 वर्ग गज, यह सम्पत्ति एस. राजिन्दर सिंह पुत्र एस. गोपाल सिंह के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – प्लॉट नं. 16ए, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – 15' चौडी गली, प्रवेश और अब प्लॉट नं. बी–1/25, दक्षिण में – प्लॉट नं. 17ए सम्पत्ति नं. 2 बी1/17, ब्लॉक बी–1, खसरा नं. 20/1/1, गाँव ख्याला, विष्णु गार्डन, दिल्ली–110018 में स्थित, क्षेत्रफल 66.5 वर्ग गज, यह सम्पत्ति एस. चरणजीत सिंह और श्रीमती परमीत कौर पत्नी एस. चरणजीत सिंह के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – प्लॉट नं. 17ए, पूरब में – अन्य का प्लॉट, पश्चिम में – 15' चौडी गली, प्रवेश और अब प्लॉट नं. बी–1/26, दक्षिण में – प्लॉट नं. 18ए	भौतिक	सम्पत्ति नं. 1: ₹ 36.27 लाख ₹ 3.63 लाख ₹ 20,000/- सम्पत्ति नं. 2: ₹ 42.47 लाख ₹ 4.25 लाख ₹ 20,000/-	(कुल रु. 171.39 लाख + ब्याज, अन्य प्रभार और व्यय (वसूली घटाकर यदि कोई हो) मैसर्स सोवा इंटरप्राईजेज़ - रु. 55.76 लाख दिनांक 30.04.2017 तक श्री चरणजीत सिंह रु. 45.60 लाख दिनांक 31.03.2017 तक मैसर्स कैप इंटरनेशनल - 57.31 लाख दिनांक 31.05.2017 तक सुश्री अशमीत सिंह रु. 13.13 लाख दिनांक 31.01.2020 तक	25-03-2020 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 03.00 बजे तक	Account No: 012911999999 Account Name: New SARFEASI EMD-0129 IFSC code BKDN0710129 (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री चन्द्रकांत तंतवार मो. 9818284981 dbsubz@bankofbaroda.com
3	राजेन्द्र प्लेस पूर्व देना बैंक, नई दिल्ली	श्री सॉंई ट्रेडर्स प्रोपराइटर श्रीमती मीनू मित्तल पत्नी नरेश अग्रवाल ई, 33, भूतल, ब्लॉक ई, पॉकेट 3, सेक्टर–7, रोहिणी, दिल्ली–110085 गारंटर श्री नरेश अग्रवाल, ई, 33, भूतल, ब्लॉक ई, पॉकेट 3, सेक्टर–7, रोहिणी, दिल्ली–110085	121, प्रथम तल, सरजा मार्केट कॉम्प्लेक्स, नाहरपुर, सेक्टर–7, रोहिणी, दिल्ली– 110085. क्षेत्रफल 1356 वर्ग फीट, चौहदी : उत्तर में – सामान्य टॉयलेट, दक्षिण में – यूनिट नं. 104, पूरब में – प्रवेश/रास्ता, पश्चिम में – अन्य की कॉर्यालय स्वामित्व – श्री नरेश कुमार पुत्र स्वं. श्री मोती राम	भौतिक	₹ 29.29 लाख ₹ 2.93 लाख ₹ 20,000/-	दिनांक 30-09-2016 तक रु. 35.00 लाख + ब्याज, अन्य प्रभार और व्यय (वसूली घटाकर यदि कोई हो)	25-03-2020 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 03.00 बजे तक	Account No: 084411999999 Account Name: New SARFEASI EMD-0844 IFSC code BKDN0710844 (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री आर. एल. सपोलिया मो. 9315671693 dbraje@bankofbaroda.com
4	दरियागंज पूर्व देना बैंक, नई दिल्ली	सौरव कुमार पुत्र नरेश कुमार (1) रिहायशी प्लॉट नं. सी 7, ऊपरी भूतल, गंगा विहार, गाँव सदुल्लाबाद परगना लोनी, गाजियाबाद, यू.पी. (2) मकान नं. 93, गली नं. 3, संजय कॉलोनी, भागपत रोड तहसील और जिला मेरठ उ.प्र.	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूतल फ्लैट नं. यूजीएफ–02 (साउथ वैस्ट साईड – सामने की तरफ) (बिना छत के अधिकार के), प्लॉट नं. सी7, गंगा विहार, गाँव सदुल्लाबाद परगना लोनी, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, प्लॉट क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, कवर्ड फ्लैट का क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट, चौहद्दी : उत्तर में – सर्विस लेन, दक्षिण में – 30फीट चौडी रोड, पूरब में – प्लॉट नं. 08, पश्चिम में – पार्क. यह सम्पत्ति सौरव कुमार पुत्र नरेश कुमार के नाम पर है।	भौतिक	₹ 9.56 लाख ₹ 0.95 लाख ₹ 20,000/-	दिनांक 01-07-2018 तक रु. 12.10 लाख + ब्याज, अन्य प्रभार और व्यय (वसूली घटाकर यदि कोई हो)	25-03-2020 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 03.00 बजे तक	Account No: 016011999999 Account Name: New SARFEASI EMD-0160 IFSC code BKDN0710160 (5TH Character is to be read as 'zero')	श्रीमती प्रीति पाण्डेय मो. 9910110181 vjansa@bankofbaroda.com
5	दरियागंज पूर्व देना बैंक, नई दिल्ली	श्री प्रभु दयाल पुत्र भाग चंद और श्रीमती अनीता देवी पत्नी प्रभु दयाल, निवासी : टी77, तृतीय तल, खसरा न 11, ग्राम बिंदापुर, टी ब्लॉक, उत्तम नगर, दिल्ली–110059 2)डब्ल्यूजेड–81ए, बाल्मीकि, पालम गांव दिल्ली–110045 गारंटरः जसविंदर सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह, निवासी : एफ 11, मुखराम गार्डन तिलक नगर, नई दिल्ली–110018	रिहायशी निर्मित सम्पत्ति सम्पूर्ण तृतीय तल बिना छत के अधिकार (पूर्वी हिस्सा) सम्पत्ति नं. टी77, खसरा नं 11 का हिस्सा, ग्राम बिंदापुर, ब्लॉक–टी, ओम विहार, उत्तम नगर, दिल्ली–110059 में स्थित, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, चौहद्दी : उत्तर में – 10फीट चौडा गेट, दक्षिण में – 25फीट चौडी रोड, पूरब में – सम्पत्ति नं. 78, पश्चिम में – सम्पत्ति नं. 77 का शेष हिस्सा यह सम्पत्ति श्री प्रभु दयाल पुत्र भाग चंद और श्रीमती अनिता देवी पत्नी प्रभु दयाल के नाम पर है।	भौतिक	₹ 21.00 लाख ₹ 2.10 लाख ₹ 20,000/-	दिनांक 01-07-2018 तक रु. 19.53 लाख + ब्याज, अन्य प्रभार और व्यय (वसूली घटाकर यदि कोई हो)	25-03-2020 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 03.00 बजे तक	Account No: 016011999999 Account Name: New SARFEASI EMD-0160 IFSC code BKDN0710160 (5TH Character is to be read as 'zero')	श्रीमती प्रीति पाण्डेय मो. 9910110181 vjansa@bankofbaroda.com
6	शालीमार बाग पूर्व विजया बैंक, नई दिल्ली	श्री राकेश कुमार पुत्र राम इक्बा, टी हट्स, 54/35, बीजी1, ब्लॉक ईस्ट, शालीमार बाग, नई दिल्ली–110008	Commercial Vehicle पंजीकरण नं. DL1ZA 9238(CAR/TAXI), पंजी. दिनांकित 24.01.2017, दृष्टिबंधक : बैंक ऑफ बड़ोदा (पूर्व में विजया बैंक), Vehicle Make and Model: Toyota Elios G (M) (CNG), Colour-White, इंजन नं. : 2NRD116685, चेसिस नं MBJB29BT400107088, बॉडी-SALOON, Manufacturing Date: 12/2016, Vehicle Class-LMV, Fuel Used-Petrol & CNG, Seating Capacity: 5	भौतिक	₹ 2.75 लाख ₹ 0.28 लाख ₹ 20,000/-	दिनांक 30-07-2018 तक रु. 4.86 लाख + ब्याज, अन्य प्रभार और व्यय (वसूली घटाकर यदि कोई हो)	25-03-2020 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 03.00 बजे तक	Account no. 607900036516001 Name of the account: RTGS/CBS account IFSC code: VIJB0006079	श्री जी.एस. भंडारी मो. 9897010761 shadel@bankofbaroda.com

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofbaroda.com पर दिए गए लिंक को देखें।
धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 24-03-2020 नोटः आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।
सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि व समय 07-03-2020 से 24-03-2020 को पूर्वा 11.00 बजे अपाह्न 04.00 बजे तक (रविवार, द्वितीय शनिवार, चतुर्थ शनिवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी

1. ई–नीलामी का प्रस्ताव भौतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई–नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाए।
2. नीलामी – सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 24.03.2020) को अपा. 05.00 तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्डस के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 24.03.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई–प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि. बी–704–5, वॉल स्ट्रीट–2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा – 06351896834 ईमेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net. श्री नितिश झा, 7982880393, हैल्प लाईन : 079-61200595/520/548. हैल्प लाईन ईमेलः support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई–नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं/एटेन्डेन्ट चार्जेज/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई–नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैंक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता के लिए 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

कर्जदार/गारंटरों को एतद्द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी।

दिनांक : 06-03-2020, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालयः दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज़ रोड–1, नई दिल्ली–110005,
फोन : 011-28754615, 28754642, ईमेल : dlirec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता कार्पोरेशन बैंक से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 21.03.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

शाखा का नाम एवं पता : एआरएमबी शाखा फोन नं. 011- 28752985, 28752995, 28752993

कर्जदार और गारंटर्स का नाम :	कर्जदार: मैसर्स **जीवन सार एजुकेशनल सोसाइटी**, एच 7, कस्तूरबा अपार्टमेंट्स, पीतमपुरा, दिल्ली–34, **गारंटर** : 1. हरित शर्मा, एजी–20, निरवाना कन्ट्री, सैक्टर–50, गुड़गाव, 2. कोमल सत्ती, बी–67, द्वितीय तल, सिल्वर क्रेस्ट, सुशांत लोक – 3 सैक्टर–57, गुड़गांव, 3. श्री अनिल अरोरा 203, मैरीगोल्ड अपार्टमेंट, अमरावती एन्कलेव, चंडी मंदिर, पंचकुला, हरियाणा –134107 4. श्री दीपक दुआ, कनाडा, 5. श्री राजविंदर सिंह, एच–7, एचआईजी फ्लेट, कस्तूरबा अपार्टमेंट, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034 6. श्री अनीता अरोड़ा, 203, मैरीगोल्ड अपार्टमेंट, अमरावती एन्कलेव, चंडी मंदिर, पंचकुला, हरियाणा–134107, 7. श्री सुधीर कांत गुप्ता, मकान नं. 751, 8वीं रोड रोड 2 डी ब्लॉक, आरटी नगर बंगलोर –560032, 8. श्री रवीश बागला, एम –21, कस्तूरबा अप्प. पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034, 8. श्री पीके उप्पल, 770, सेक्टर–17ए, गुड़गांव, हरियाणा 9. श्री कुल भूषण, जी–3 / 84, सेक्टर–11, रोहिणी, दिल्ली–110085 10. सुश्री आरती ढींगरा, ई–82, निर्वाण कंट्री, सेक्टर–50, गुड़गांव, हरियाणा	बकाया राशि ₹ 37,47,85,188.50 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 1 **Tata star School Bus bearing registration No RJ-40PA-0059, Engine No E483CDCB564295.**
नीलामी की तिथि एवं समय : **21.03.2020** पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **5,27,000.00** जमा धरोहर राशि रु. **52,700/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jeevan_saar_educational_society_6.pdf

सम्पत्ति नं. 2 **Tata Star School Bus bearing registration No RJ -02-PA -2811, Engine No 497TC41EYY827412**
नीलामी की तिथि एवं समय : **21.03.2020** पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **4,10,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **41,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jeevan_saar_educational_society_6.pdf

सम्पत्ति नं. 3 **Ashok Leyland Bus bearing registration no RJ-40-PA-0226 , Engine no DAEZ 201080**
नीलामी की तिथि एवं समय : **21.03.2020** पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **6,15,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **61,500/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jeevan_saar_educational_society_6.pdf

सम्पत्ति नं. 4 **Ashok Leyland Bus bearing registration No RJ-40PA-0354 , Engine No DAEZ 201453**
नीलामी की तिथि एवं समय : **21.03.2020** पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **6,75,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **67,500/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jeevan_saar_educational_society_6.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	उधारकर्ताः याली इंटरनेशनल, बी 1 डीडीए कॉलोनी बी ब्लॉक, शाहदरा दिल्ली 32 प्रोपराइटर का नामः श्री अब्बास हैदर गारंटरः जावेद हुसैन	बकाया राशि ₹ 2,27,10,406.12 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 5 बेसमेंट तल और भूतल का आधा भाग, तीन मंजिला बिल्डिंग, सम्पत्ति नं. बी–1 क्षेत्रफल 2260 वर्ग फीट, अर्थात 209 वर्ग मी., न्यू जाफराबाद, दिल्ली – 110032 में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : **21.03.2020** पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **70,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **7,00,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/yaali_international__4.pdf

सम्पत्ति नं. 6 सम्पूर्ण प्रथम तल, बिल्डिंग नं. बी–1, पर निर्मित क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट अर्थात 139.95 वर्ग मी., सम्पत्ति नं. बी–1, जोकि न्यू जाफराबाद इलाका शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : **21.03.2020** पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **72,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **7,20,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/yaali_international__4.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	कर्जदारः मैसर्स **जीवन सार एजुकेशनल सोसाइटी**, एच 7, कस्तूरबा अपार्टमेंट्स, पीतमपुरा, दिल्ली–34, **गारंटर** : 1. हरित शर्मा, एजी–20, निरवाना कन्ट्री, सैक्टर–50, गुड़गाव, 2. कोमल सत्ती, बी–67, द्वितीय तल, सिल्वर क्रेस्ट, सुशांत लोक – 3 सैक्टर–57, गुड़गाव, 3. श्री अनिल अरोरा 203, मैरीगोल्ड अपार्टमेंट, अमरावती एन्कलेव, चंडी मंदिर, पंचकुला, हरियाणा –134107 4. श्री दीपक दुआ, कनाडा, 5. श्री राजविंदर सिंह, एच–7, एचआईजी फ्लेट, कस्तूरबा अपार्टमेंट, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034 6. श्री अनीता अरोड़ा, 203, मैरीगोल्ड अपार्टमेंट, अमरावती एन्कलेव, चंडी मंदिर, पंचकुला, हरियाणा–134107, 7. श्री सुधीर कांत गुप्ता, मकान नं. 751, 8वीं रोड रोड 2 डी ब्लॉक, आरटी नगर बंगलोर –560032, 8. श्री रवीश बागला, एम –21, कस्तूरबा अप्प. पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034, 8. श्री पीके उप्पल, 770, सेक्टर–17ए, गुड़गाव, हरियाणा 9. श्री कुल भूषण, जी–3 / 84, सैक्टर–11, रोहिणी, दिल्ली–110085 10. सुश्री आरती ढींगरा, ई–82, निर्वाण कंट्री, सेक्टर–50, गुड़गाव, हरियाणा	बकाया राशि ₹ 37,47,85,188.50 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 7 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश दुकान / ऑफिस परिसर नं. 149, ब्लॉक, सी, प्रथम तल, जोकि निरवाना कोर्टयार्ड, निरवाना कन्ट्री, साउथ सिटी– II, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : **21.03.2020** पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **30,60,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **3,06,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jeevan_saar_educational_society_6.pdf

सम्पत्ति नं. 8 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश दुकान / ऑफिस परिसर नं. 148, ब्लॉक, सी, प्रथम तल, जोकि निरवाना कोर्टयार्ड, निरवाना कन्ट्री, साउथ सिटी– II, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : **21.03.2020** पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **3213000/-** जमा धरोहर राशि रु. **3,21,300/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jeevan_saar_educational_society_6.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	कर्जदारः पवित्रा मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 104 और 103 प्रथम तल, टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, हरियाणा, प्रोपराईटर का नामः श्री श्री भगवान, गारंटरः 1. श्री भगवान, मकान नं. 5 चक्करपुर, सिद्धि गणेश मंदिर के पास, डीएलएफ फेज– II, गुड़गांव, हरियाणा 2. पुनीता, मकान नं. 5, चक्करपुर सिद्धि गणेश मंदिर के पास, डीएलएफ फेज –IV, गुड़गांव, 3. दयावती, मकान नं. 43, गाँव चक्करपुर, तहसील गुड़गांव, 4. हरकेश यादव, मकान नं. 43, गाँव चक्करपुर, तहसील गुड़गांव	बकाया राशि ₹ 16,43,16,295.10 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 9 साम्यिक बंधक औद्योगिक सम्पत्ति नं. 3 प्लॉट नं. एच–83, एच1–103 और एच1–104, औद्योगिक क्षेत्र, ईपीआईपी, नीमराणा, दिल्ली जयपुर हाईवे, एनएच -8, नीमराणा, जिला अलवर, राजस्थान
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **3,11,83,200/-** जमा धरोहर राशि रु. **31,18,320/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/pavitra_milk_products_private_limited_2.pdf

सम्पत्ति नं. 10 प्लांट एवं मशीनरी
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **3,17,82,600/-** जमा धरोहर राशि रु. **31,78,260/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/pavitra_milk_products_private_limited_2.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	मैसर्स स्वस्तिक ट्रेडर्स, डी–9 प्रेम नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली, प्रोपराइटर का नाम– श्री राजेश अत्री, डी–9 प्रेम नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली, और: II) डी–9, प्रेम नगर , उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 गारंटर्सः श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, जी–1 / 416, दाल मिल रोड, उत्तमनगर, नई दिल्ली–110059	बकाया राशि ₹ 2,70,84,383.93 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 11, तीसरा तल फ्लेट नं. 24, प्लॉट नं. आर–02 और आर – 03, खसरा नं. 98 और 102 ब्लॉक–आर, वाणी विहार, गाँव बिन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली –110059 में स्थित, क्षेत्रफल 94.00 वर्ग गज / 78.60 वर्ग मी. (भौतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **20,40,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **2,04,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/swastik_traders_.pdf

सम्पत्ति नं. 12 ऊपरी भूतल, रिहायशी फ्लेट (बिना छत के अधिकार के) नं. 4, प्लॉट नं. आर–02 और आर – 03, खसरा नं. 98 और 102, ब्लॉक–आर, वाणी विहार, गाँव बिन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 78.60 वर्ग मी. (सांकेतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **21,25,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **2,12,500/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/swastik_traders_.pdf

सम्पत्ति नं. 13 तीसरा तल रिहायशी फ्लेट (बिना छत के अधिकार के उल्टे हाथ पर पीछे की तरफ) नं. 22, प्लॉट नं. आर–02 और आर – 03, खसरा नं. 96 और 102, ब्लॉक–आर, वाणी विहार, गाँव बिन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 78.60 वर्ग मी. (सांकेतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **20,40,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **2,04,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/swastik_traders_.pdf

सम्पत्ति नं. 14 ऊपरी भूतल, रिहायशी फ्लेट (बिना छत के अधिकार के) प्रा. नं. 5, प्लॉट नं. आर–02 और आर – 03, ब्लॉक–आर, ब्लाक आर, खसरा नं. 98 और 102 में से, वाणी विहार, गाँव बिन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059, यह सम्पत्ति श्री राजेश अत्री के नाम पर है।
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **16,15,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,61,500/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/swastik_traders_.pdf

शाखा का नाम एवं पता : ओवरसीज़ शाखा फोन नं. 011-23418730,23418720

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	उधारकर्ताः मैसर्स शर्मा कल्पिसो प्रा. लि., (पूर्व में रीस इफ्रा लि) 16 सी, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057. गारंटरः श्री रमेश शर्मा, श्रीमती उषा शर्मा, श्री एम.सी. अग्निहोत्री, श्रीमती रक्षा शर्मा	बकाया राशि ₹ 79,14,95,288.26 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 15 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि गाँव साफीपुर, खसरा नं. 31 / 17 (उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा) रहौला, नंगालोई, नजफगढ़, रोड, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज प्रत्येक, मालिकाना हक श्रीमती उषा शर्मा और श्रीमती रक्षा शर्मा (यह सम्पत्ति कॉर्पोरेशन बैंक के पास बंधक है।) चौहद्दी : उत्तर में – सम्पत्ति नं. 45 और 46, दक्षिण में – सम्पत्ति नं. 49 और 50, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – 25फीट चौड़ी रोड द्वारा सम्पत्ति प्रवेश
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **5,04,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **50,40,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sharma_kalypso_pvt._ltd_7.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	कर्जदारः मैसर्स एन के गोल्ड मेडालियन प्रा. लि., पंजी. कार्यालय : 10 एस्प्लेनेड रोड, चांदनी चौक, दिल्ली 110006 अन्य पताः दुकान नं. 7, तृतीय तल, 1157 / 1124, कुचा महाजनी चांदनी चौक, दिल्ली–110006, गारंटर का नामः 1. श्री कोमल गुप्ता, 2. श्री नीरज कुमार गुप्ता 3. श्री सुभाष चंद शर्मा 4. श्री शिव कुमार शर्मा 5. मैसर्स एनके शेल्टर प्रा. लि., 6. मैसर्स माउंट एग्रो एंड इंफ्रा डेवलपर्स प्रा. लि. 7. मैसर्स एनके स्वीट रोजेज प्लांटेशन प्रा. लि.	बकाया राशि ₹ 142,91,25,585.62 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 16 सूची I – फ्री होल्ड प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 1311.00 वर्ग गज लगभग (अर्थात 1096.15 वर्ग मी.), साईज (57ft X 207ft) 2622 वर्ग गज में से, जिसका साईज़ (207ft X 114ft) और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 2 बीघा और 12 बिस्वा और खसरा नं. 454 / 29, खाता नं. 32, खतौनी नं. 64 और जोकि रेवेन्यू स्टेट गाँव शादीपुर, दिल्ली स्टेट दिल्ली और आबादी जिसे अब रंजीत नगर कहते है म्युनिसीपल नं. 3113 – 3114, रंजीत नगर, नई दिल्ली–110008 (दिनांक 03.05.2010 को टाईटल डीड में निर्धारित संपत्ति का विवरण) पूरब में – अन्य की सम्पत्ति से जुड़ा, पश्चिम में – म्युनिसीपल नं. 3113–3114 का शेष भाग, उत्तर में – रोड, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति से जुड़ा

सूची II – फ्री होल्ड प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 655.50 वर्ग गज लगभग (अर्थात 548.08 वर्ग मी.), साईज (57ft X 103.6ft) 2622 वर्ग गज में से, जिसका साईज़ (207ft X 114ft) और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 2 बीघा और 12 बिस्वा और खसरा नं. 454 / 29, खाता नं. 32, खतौनी नं. 64 और जोकि रेवेन्यू स्टेट गाँव शादीपुर, दिल्ली स्टेट दिल्ली और आबादी जिसे अब रंजीत नगर कहते है म्युनिसीपल नं. 3113 – 3114, रंजीत नगर, नई दिल्ली–110008 में स्थित (दिनांक 03.05.2010 को टाईटल डीड में निर्धारित संपत्ति का विवरण) पूरब में – म्युनिसीपल नं. 3113–3114 का शेष भाग, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति से जुड़ा, उत्तर में – रोड, दक्षिण में – म्युनिसीपल नं. 3113–3114 का शेष भाग

सूची III – फ्री होल्ड प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 27.32 वर्ग गज लगभग (अर्थात 22.84 वर्ग मी.), साईज (12ft 30inch X 20ft) 2622 वर्ग गज में से, जिसका साईज़ (207ft X 114ft) और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 2 बीघा और 12 बिस्वा और खसरा नं. 454 / 29, खाता नं. 32, खतौनी नं. 64 और जोकि रेवेन्यू स्टेट गाँव शादीपुर, दिल्ली स्टेट दिल्ली और आबादी जिसे अब रंजीत नगर कहते है म्युनिसीपल नं. 3113 – 3114, रंजीत नगर, नई दिल्ली–110008 में स्थित (दिनांक 03.05.2010 को टाईटल डीड में निर्धारित संपत्ति का विवरण) पूरब में – म्युनिसीपल नं. 3113–3114 का शेष भाग, पश्चिम में – म्युनिसीपल नं. 3113–3114 का शेष भाग, उत्तर में – म्युनिसीपल नं. 3113–3114 का शेष भाग, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति से जुड़ा

सूची IV – फ्री होल्ड प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 300.43 वर्ग गज लगभग (अर्थात 251.19 वर्ग मी.), 2622 वर्ग गज में से, जिसका साईज़ (207ft X 114ft) और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 2 बीघा और 12 बिस्वा और खसरा नं. 454 / 29, खाता नं. 32, खतौनी नं. 64 और जोकि रेवेन्यू स्टेट गाँव शादीपुर, दिल्ली स्टेट दिल्ली और आबादी जिसे अब रंजीत नगर कहते है म्युनिसीपल नं. 3113 – 3114, रंजीत नगर, नई दिल्ली–110008 में स्थित (दिनांक 03.05.2010 को टाईटल डीड में निर्धारित संपत्ति का विवरण)

पूरब में – म्युनिसीपल नं. 3113–3114 का शेष भाग, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति से जुड़ा, उत्तर में – म्युनिसीपल नं. 3113–3114 का शेष भाग, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति से जुड़ा और म्युनिसीपल नं. 3113–3114 का शेष भाग

सूची V – फ्री होल्ड प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 327.75 वर्ग गज लगभग (अर्थात 274.04 वर्ग मी.), साईज (51ft 90inch X 57ft) 2622 वर्ग गज में से, जिसका साईज़ (207ft X 114ft) और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 2 बीघा और 12 बिस्वा और खसरा नं. 454 / 29, खाता नं. 32, खतौनी नं. 64 और जोकि रेवेन्यू स्टेट गाँव शादीपुर, दिल्ली स्टेट दिल्ली और आबादी जिसे अब रंजीत नगर कहते है म्युनिसीपल नं. 3113 – 3114, रंजीत नगर, नई दिल्ली–110008 में स्थित (दिनांक 03.05.2010 को टाईटल डीड में निर्धारित संपत्ति का विवरण) पूरब में – म्युनिसीपल नं. 3113–3114 का शेष भाग, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति से जुड़ा, उत्तर में – म्युनिसीपल नं. 3113–3114 का शेष भाग, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति से जुड़ा और म्युनिसीपल नं. 3113–3114 का शेष भाग (भौतिक कब्जा)

नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **27,67,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **2,76,70,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/n_k_gold_medallion_pvt_ltd_4.pdf

शाखा का नाम एवं पता : ओवरसीज़ शाखा फोन नं. 011-23418730,23418720

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	कर्जदारः **रेनबो वर्ल्डवाइड प्रा. लि.**, ए–37 निलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली, गारंटर्सः (1) लव भारद्वाज (2) रवि भोला, (3) रंगोली इंटरनेशनल प्रा. लि.	बकाया राशि ₹ 50,02,89,487.80 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 17 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल सम्पत्ति म्युनिसिपल नं. 106-110-A-B, 111 to 114, 115-A/5, 115-B/1-9, 120-B, C, D, E और F, तेलीवाड़ा एन्ट्री के पास, छोटा बाजार कॉम्पलेक्स जिसे अपना बाजार कहते है, शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित, यह सम्पत्ति लव भारद्वाज के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – रोड, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति (सरकारी हास्पिटल), पूरब में – आम रास्ता और अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **12,74,64,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,27,46,400/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/rainbow_worldwide_private_limited_8.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	कर्जदार : **मैसर्स ईरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड**, 370 – 371 / 2, शशि अस्पताल रोड, जगपुरा भोगल, नई दिल्ली – 110014, **गारंटरः** श्री एच. एस. भराना, सी –146, प्रथम तल, सर्वोदय एन्कलेव, दिल्ली –110017, 2. लीड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 101, सीताराम हवेली, 718 / 21, जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005, 3. मैसर्स डोरे रियलटर्स प्रा. लि. (गारंटर), मकान नं. 139, प्रथम तल, मस्जिद मोठ, साउथ एक्सटेंशन पार्ट– II, नई दिल्ली – 110049, **और:** बी–165, फ्लेट नं. डी, भूतल, नई अशोक नगर, नई दिल्ली – 110096	बकाया राशि ₹ 6,01,99,93,843.80 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 18 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 2.9703 एकड़, खेवत नं. 22, खतौनी नं. 37, खसरा नं. 189 (1-15-0), 210 (1-7-0), 216 (1-6-0), 218 (3-2-0), 248 (1-9-0) और 250 (1-19-0) किता 6 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा 0 बिस्वासी पार्ट 640 / 1468 कुल 4 बीघा 15 बिस्वा 1 बिस्वासी गाँव मोहम्मद हेडी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **17,79,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,77,90,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited__0.pdf

सम्पत्ति नं. 19 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 2.8281 एकड़, खेवत नं. 22, खतौनी नं. 37, खसरा नं. **189(1-15-0), 210 (1-7-0), 216 (1-6-0), 218 (3-2-0), 248 (1-9-0)** और 250 (1-19-0) किता 6 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा 0 बिस्वासी पार्ट 1810 / 4360 कुल 4 बीघा 15 बिस्वा 1 बिस्वासी गाँव मोहम्मद हेडी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **16,95,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,69,50,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited__0.pdf

सम्पत्ति नं. 20 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 1.8438 एकड़, खेवत नं. 13, खाता नं. 23 और 24, खसरा नं. **159 (1-15-0), 160 (0-18-0), 164(3-5-0)** किता 3 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा ½ कुल 2 बीघा 19 बिस्वा जोकि गाँव मोहम्मद हेडी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.,
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **11,05,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,10,50,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited__0.pdf

सम्पत्ति नं. 21 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 0.0977 एकड़, खेवत नं. 22, खाता नं. 23 और 24, खसरा नं. **189(1-15-0), 210 (1-7-0), 216 (1-6-0), 218 (3-2-0)** किता 4 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा 0 बिस्वासी पार्ट 1 / 48 कुल 0 बीघा 2.5 बिस्वासी जोकि गाँव मोहम्मद हेडी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.,
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **58,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **5,80,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited__0.pdf

सम्पत्ति नं. 22 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 1.6094 एकड़, खेवत नं. 32, खसरा नं. **232 (2-3), 295/ 235 Min Shumal (0-8), 240 Min Janub (1-0), 242/2 (1-8), 111/2 (0-6), 233 (1-19), 295/ 235 Min Janub (0-7), 177 (1-4), 240 Min Shumal (1-11), 237 Min Shumal (1-0), 240 Min Darmanyan (1-10), 237 Min Janub (0-19), Kita 11 Rakba 14 Bigha 5 Bisa and Khewat No. 53, Khasra No. 174(2-15), 236 (0-17), Kita 2 Raqba 3 Bigha 12 Biswa totaling 17 Bigha 17 Biswa Part 103/714 Part Raqba 2 Bigha 11 Biswa 10 Biswani** जोकि गाँव मोहम्मद हेडी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.,
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **9,64,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **96,40,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited__0.pdf

सम्पत्ति नं. 23 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि क्षेत्रफल 0.4453 एकड़, खेवत नं. 61, खतौनी नं. 89, खसरा नं. **171 (1-18-0), Kita 1 Rakba 1 Bigha 18 Biswa Part 3/8 totalling 0 Bigha 14 Biswa 5 Biswani** जोकि गाँव मोहम्मद हेडी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, मालिकाना हक डोरे रियलटर्स प्रा. लि.,
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **2,67,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **26,70,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/era_infra_engineering_limited__0.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	कर्जदार : मैसर्स एक्सक्लूसिव ओवरसीज प्रा. लि., 31 / 3203 बीडन पुरा करोल बाग, नई दिल्ली–110005, मैसर्स एक्सक्लूसिव ओवरसीज प्रा. लि., प्लॉट नं. 27,, केआईएडीबी सब लेआउट, बोम्मसंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया फेज–IV, अनेकल तालुक, बैंगलोर – 560099, गारंटर्सः श्री राजीव अग्रवाल के कानूनी वारिसों (मृतक), ई–38, ब्लॉक ई, ग्रेटर कैलाश पार्ट I , नई दिल्ली–110048, श्रीमती मीनू अग्रवाल, ई–38, ब्लॉक ई, ग्रेटर कैलाश पार्ट I, नई दिल्ली–110048, सुश्री रिद्धि अग्रवाल (कानूनी वारिस), ई–38, ब्लॉक–ई, ग्रेटर कैलाश पार्ट I, नई दिल्ली–110048, सुश्री जाह्नवी अग्रवाल (कानूनी उत्तराधिकारी), ई–38, ब्लॉक–ई, ग्रेटर कैलाश पार्ट I, नई दिल्ली–110048, श्रीकृष्ण अग्रवाल (कानूनी उत्तराधिकारी), ई–38, ब्लॉक–ई, ग्रेटर कैलाश पार्ट I, नई दिल्ली 110048	बकाया राशि ₹ 37,06,86,598.93 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 24 दुकान नं. 6, भूतल, क्षेत्रफल 105 वर्ग फीट लगभग, सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 3203, खसरा नं. 2721 / 2616, वार्ड नं. 16, ब्लॉक पी, गली नं. 31, बस्ती रैगर, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – खसरा नं. 2720 / 2616, पश्चिम में – रोड, उत्तर में – बीडनपुरा गली नं. 31, दक्षिण में – बीडनपुरा गली नं. 32
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **51,25,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **5,12,500/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/exclusive_overseas_pvt._ltd_0.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	**कर्जदारः माताRानी ट्रस्ट**, 387 प्लॉट नं. 07, वर्धमान ग्राण्ड प्लाजा मंगलम प्लेस सैक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली, ट्रस्टी का नामः 1. श्री संजय अग्रवाल, 2. श्रीमती मंजरी अग्रवाल, गारंटरः 1. संजय अग्रवाल, 2. मंजरी अग्रवाल	बकाया राशि ₹ 30,06,29,474.30/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 25 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि खसरा नं. 825, मेन नेशनल हाईवे पर गाँव तेहरा, एन एच–3, (आगरा ग्वालियर रोड) तहसील खेरागढ़ आगरा (यू.पी) और उस पर निर्माण
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **10,54,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,05,40,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/mata_rani_trust__1.pdf

सम्पत्ति नं. 26 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि खसरा नं. **824, 826, 827, 828, 829, 834/6** मेन नेशनल हाईवे पर गाँव तेहरा, एन एच–3, आगरा (यू.पी) और उस पर निर्माण
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **20,12,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **2,01,20,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/mata_rani_trust__1.pdf

शाखा का नाम एवं पता : करोल बाग शाखा 2223 फोन नं. 011- 28750955, 25755119,

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	उधारकर्ताः राजीव अग्रवाल (मृतक), ई–38 ब्लॉक ई ग्रेटर कैलाश, भाग– I, नई दिल्ली–110048. श्रीमती मीनू अग्रवाल ई–38, ब्लॉक ई, ग्रेटर कैलाश पार्ट– I, नई दिल्ली–110048 सुश्री रिद्धि अग्रवाल (कानूनी वारिस), सुश्री जाह्नवी अग्रवाल (कानूनी वारिस), श्री क्रिश अग्रवाल (कानूनी वारिस)	बकाया राशि ₹ 70,41,403.50 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 27 द्वितीय तल, प्लॉट नं. 34 पर फ्लेट, ब्लॉक– III, प्लॉट नं. में भूमि के अविभाजित हिस्से के साथ, ब्लॉक– III, क्षेत्रफल 188 वर्ग मी., रिहायशी कॉलोनी जिसे अब ईरोज गार्डन कॉलोनी कहते है, जोकि गाँव लक्करपुर, सूरज कुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **74,25,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **7,42,500/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/rajeev_aggarwal_1.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	उधारकर्ता मैसर्स एएम डायमंडस ने अपने पार्टनर श्री रोशन लाल और श्री अमित सिंगला, जीआई–32, जी टी करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110035, गारंटर 1. श्री रोशन लाल, मकान नं. 1638 वार्ड नं. 5 रोहतक, हरियाणा, 124001, 2. श्री छबिकान्त, मकान नं. 124, वार्ड नं. 10, तहसील हजी, जिला हिसार, हरियाणा 3. मैसर्स सावित्री हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, स्टीफन हाउस, 4 बीबीडी बाग (ई), कमरा नं. 5 ए, पहली मंजिल कोलकाता, श्रीशरण लाल भालोठिया और श्री छबिकांत	बकाया राशि ₹ 22,13,14,944/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 28 रिहायशी सह व्यावसायिक सम्पत्ति नं. टी–2539, सुभाष नगर, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति सावित्री हाउसिंग प्रा. लि., रूम नं. 5ए, प्रथम तल स्टीफन हाउस–4 बी बी डी बैग (ईस्ट) कोलकता में स्थित (भौतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **7,20,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **72,00,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/am_diamond_1.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	**कर्जदार : मैसर्स दुर्गा एपैरल्स प्रा. लि. ए–3 / 88, तृतीय तल, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 और मैसर्स दुर्गा एपैरल्स प्रा. लि., एल–93, चाणक्य प्लेस, पार्ट– II, नई दिलली–110059 गारंटर 1. श्री सज्जन कुमार 2. सुश्री सुनीता गर्ग 3. श्री धर्म पाल 4. श्री दीना नाथ 5. सुश्री संगीता बंसल**	बकाया राशि ₹ 3,38,36,229.75 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 29 भूमि क्षेत्रफल 3 बीघा और 11 बिस्वा, जिसमें खसरा नं. 5 / 23 / 2(3–11) शामिल है, साथ में बिल्डिंग रेवेन्यू गाँव असलतपुर खादर, तहसील नजफगढ़, नई दिल्ली में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **2,35,50,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **23,55,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/durga_apparels_1.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	**कर्जदारः मैसर्स एशियन कार्गो मूवर्स, कार्यालय नं. 2, बी–ब्लॉक, डीडीए मार्केट, योजना विहार, दिल्ली 110092, श्री बिपुल बंसल पुत्र गणपत राय बंसल, बी–221, तीसरी मंजिल, बी–ब्लॉक, योजना विहार, दिल्ली–110092 श्रीमती हर्षिता बंसल पत्नी बिपुल बंसल, बी–221, तीसरी मंजिल, बी ब्लॉक, योजना विहार, दिल्ली 110092**	बकाया राशि ₹ 2,08,36,409.40 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 30 बंधक सम्पत्ति नं. बी–221, तृतीय तल, क्षेत्रफल 228.17 वर्ग गज अर्थात 190.75 वर्ग मी., छत के अधिकार सहित, ब्लॉक बी, योजना विहार, दिल्ली में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **2,28,00,000.00** जमा धरोहर राशि रु. **22,80,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/asian_cargo_movers_1.pdf

शाखा का नाम एवं पता : वसुंधरा एनक्लेव शाखा फोन नं. 011-22621030,22622124,226125

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	कर्जदार : कमलेश, सी / ओ रामधन, मकान नं. 230, गाँव – घड़ोली, मयूर विहार फेज– III, दिल्ली – 110096, जमुना प्रसाद सी / ओ सुख लाल गाँव – अन्नपुरा, तहसील – आंवला, जिला – बरेली (यूपी) गारंटरः श्रीमती बर्फी देवी	बकाया राशि ₹ 30,37,501.45 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 31 रिहायशी फ्लैट नं. 102 (एल आई जी) (भूतल) क्षेत्रफल 32 वर्ग मी. प्लॉट नं. II / 148, वैशाली गाजियाबाद (यू.पी) में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती कमलेश के नाम पर है।
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **8,42,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **84,200/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/kamlesh_.pdf

शाखा का नाम एवं पता : कनॉट सर्कस शाखा फोन नं. 011-23412633, 23412559,23415355

कर्जदार और गारंटर्स का नामः	कर्जदारः **एक्सीलैंट ट्रेडिंग कंपनी**, 15ए / 4, द्वितीय तल, डब्ल्यू ई ए करोल बाग, नई दिल्ली–110005, **निदेशक का नाम** : 1. श्री रजनीश गुप्ता, 2. श्री जय भगवान, **गारंटर** : (1) श्री जय भगवान (2) श्री रजनीश गुप्ता, (3) मैसर्स बीएमआरसी कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (4) श्री हनुमान सिंह, (5) श्री पियूष गोयल	बकाया राशि ₹ 5,21,65,860/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 32 साम्यिक बंधक खाली प्लॉट एम पी एल नं. 10425 (15–ए / 3) प्लॉट नं. 3, ब्लॉक नं. 15ए, डब्ल्यू ई ए करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में स्थित, यह सम्पत्ति बी एम आर सी, कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. के नाम पर है। (भौतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **3,95,10,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **39,51,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/exclusive_overseas_pvt._ltd_0.pdf

Continued to next page...

www.readwhere.com

जनगणना व एनपीआर पर संसद की स्थायी समिति ने कहा

राज्यों की सहमति जुटाने के बाद आगे बढ़े केंद्र

नई दिल्ली, 5 मार्च (भाषा)।

संसद की एक समिति ने जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर विभिन्न राज्यों में व्याप्त असंतोष और भय की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए सुझाव दिया है कि एनपीआर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार द्वारा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाना चाहिए ताकि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बन सके और लोगों के मन में कोई आशंका न रहे। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सलाह दी कि आधार के आंकड़ों का इस्तेमाल आगामी जनगणना में किया जाना चाहिए ताकि दोहराव और धन के अपव्यय को कम किया जा सके।

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति की गुरुवार को संसद में पेश रिपोर्ट में एनपीआर को लेकर लोगों में व्याप्त आशंकाओं का हवाला देते हुए कहा गया कि गृह मंत्रालय को इसका सर्वमान्य रास्ता निकालने पर विचार करना चाहिए जिससे जनगणना का काम आसानी से पूरा हो सके। समिति ने कहा कि जनगणना और एनपीआर को लेकर लोगों में व्यापक असंतोष और भय व्याप्त है। समिति महसूस करती है कि इस बारे में व्याप्त आशंकाओं को पूरी तरह से दूर किया जाना चाहिए अन्यथा विभिन्न राज्यों में पूरी प्रक्रिया के अटकने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रक्रिया को आधार से जोड़ने के बारे में समिति ने कहा कि आधार से जुटाए गए आंकड़ों का आगामी जनगणना में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे धन के अपव्यय और दोहराव से बचा जा सके। समिति ने गृह मंत्रालय की इस दलील पर असहमति जताई कि आधार के आंकड़े व्यक्तिगत स्तर के हैं और इनकी मदद से परिवार का डाटाबेस जुटाने के लिए एनपीआर की कवायद की जा रही है।

समिति ने कहा कि उसका मानना है कि आधार के आंकड़े महज व्यक्तियों से जुड़े आंकड़े नहीं हैं बल्कि ये आंकड़े राशन कार्ड और पैन कार्ड आदि से भी जुड़े हैं।

तेलंगाना : सीएए विरोधी प्रस्ताव पारित होने की संभावना

हैदराबाद, 5 मार्च (भाषा)। तेलंगाना विधानसभा के शुक्रवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। सीएए का विरोध करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने 16 फरवरी को केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की अपील की थी।

Continued from previous page...

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

अंचल कार्यालयः दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज़ रोड–1, नई दिल्ली–110005, फोन : 011-28754615, 28754642, ईमेल : dlirec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

शाखा का नाम एवं पता : क्नॉट सर्कस, शाखा फोन नं. 011-23412633, 23412559,23415355

कर्जदार और गारंटर्स का नाम:	कर्जदारः मैसर्स पीएमडी कॉमर्शियल प्रा. लि., 150/79, प्रथम तल, डी–ब्लॉक, म्युनिसिपल नं. XIV/11163-2 न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 और मैसर्स जेएमडी कॉमर्शियल प्रा. लि., 60/30 भूतल, न्यू रोहतक रोड करोल बाग, नई दिल्ली–110005 निदेशक/गारंटर का नाम : 1. श्री संदीप गुप्ता 2. श्रीमती अंजु गुप्ता, गारंटरः 1. श्री संदीप गुप्ता 2. श्रीमती अंजु गुप्ता 3. श्री रजनीश गुप्ता 4. श्रीमती निशा गुप्ता, (सभी निवासी मकान नं 3, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005)	बकाया राशि ₹ 5,21,65,860/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 33 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति एमसीडी नं. XIV/11163-2, खसरा नं. 150/79, ब्लॉक–डी, क्षेत्रफल 373 वर्ग गज, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति संयुक्त रूप से श्री रजनीश गुप्ता और श्रीमती निशा गुप्ता के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – खसरा नं. 151/79, पश्चिम में – खसरा नं. 78/31, उत्तर में – लेन, दक्षिण में – रोहतक रोड (भौतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **7,75,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **77,50,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jmd_commercials_pvt_ltd.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम:	कर्जदारः क) मैसर्स रोशनी ज्वैलर्स प्रा. लि., 150/79, तृतीय तल, डी–ब्लॉक, म्युनिसीपल नं. XIV/11163-2 न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 गारंटर : रजनीश गुप्ता, निशा गुप्ता, श्री संदीप गुप्ता, श्रीमती अंजू गुप्ता, मैसर्स जे बी गोल्ड प्रा. लि., डीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., श्री अमन भई, श्री इंदरजीत बंसल	बकाया राशि ₹ 9,22,31,327.00 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 34 सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थायी सिनेमा संरचना वाली फ्री होल्ड सम्पत्ति भूमि का क्षेत्रफल 2115 वर्ग म्युनिसिपल नं. 8356, मॉडल बस्ती, बाड़ा हिन्दु राव, दिल्ली–110005 में स्थित है। यह सम्पत्ति डी.एम.सी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के नाम पर है। (मैसर्स रोशनी ज्वैलर्स प्रा. लि. और मैसर्स जे बी गोल्ड प्रा. लि. दोनों के ऋण खातों के लिए सामान्य सिक्योरिटी)
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **34,67,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **3,46,70,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/roshini_jewellers_pvt_ltd_3.pdf

शाखा का नाम एवं पता : शालीमार बाग, शाखा फोन नं. 011-27470276, 27483072,27483073

कर्जदार और गारंटर्स का नाम:	उधारकर्ताः बावा एप्लायंसेस प्रा. लि., ए–16 स्ट्रीट न. 17, लिबासपुर, दिल्ली, प्रोपराईटर/पार्टनर का नामः श्री राजीव कपूर, श्रीमती गीता कपूर, गारंटरर्स का नामः 1. संजीव कपूर, ए–16 स्ट्रीट नं 17, लिबासपुर, दिल्ली, 2 गीता कपूर, मकान नं 1388 किशनपुरा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	बकाया राशि ₹ 12,08,30,518.55 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 35 दुकान का 1/2 हिस्सा, नं. 2बी/212, भूतल, बिना छत के अधिकार, प्रा. नं. 20, क्षेत्रफल 16.66 वर्ग गज अर्थात 13.93 वर्ग मी., कुल क्षेत्रफल 33.33 वर्ग गज अर्थात 27.87 वर्ग मी., जिसका परिमाप E-12 ft., W-12 ft., N-25 ft., S-25 ft. पादनपुरा, दर आबादी मिशन कम्पाउंड, मिशन मार्किट, कोर्ट रोड, शाहरनपुर, में स्थित, चौहद्दीः पूरब में – कोर्ट रोड, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में – दुकान नं. 19, श्री राकेश कुमार, दक्षिण में – श्रीमती निर्मल देवी की दुकान नं. 21 (सांकेतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **1,09,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **10,09,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bawa_court_road.pdf
सम्पत्ति नं. 36 फैक्टी भूमि एवं भवन जिसका, क्षेत्रफल 866 वर्ग गज, या 724.08 वर्ग मी. जिसका मापन पूरब में 40 फीट पश्चिम में – 40 फीट, उत्तर में – 192 फीट 9इंच, दक्षिण में – 197 फीट, खसरा नं. 396/1 मिन, सभी अधिकार के साथ गाँव गोपालपुरा, माजरा डारा कोटाला बेरून, बेहत रोड, सहारनपुर–247001, यू.पी. चौहद्दी : पूरब में – पुख्ताचाकरोता रोड, पश्चिम में – उमर दराज की सम्पत्ति, उत्तर में – कोमल प्रसाद जैन की सम्पत्ति, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति (सांकेतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **1,00,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **10,81,400/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bawa_factory_gopalpura.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम:	उधारकर्ताः मैसर्स दीप्ति पेपर सेल्स, प्रोप. श्री सतीश कुमार जैन, 9, मेलाराम मार्केट, चावड़ी बाजार, नई दिल्ली 110006 और : मैसर्स दीप्ति पेपर सेल्स, प्रोप. श्री सतीश कुमार जैन, बीके–25, वैस्ट शालीमार बाग, नई दिल्ली–110088 गारंटरः श्रीमती मधु जैन पत्नी श्री सतीश कुमार जैन, बीके–25, पश्चिम शालीमार बाग, नई दिल्ली 110088	बकाया राशि ₹ 2,66,36,344.28 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 37 सम्पूर्ण प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के और साथ में मैजेनाईन तल के साथ) जिसमें तीन बेड रूम शामिल है, एक ड्राइंग – सह – डाइनिंग रूम, एक किचन, कमरों के साथ दो और बाथरूम अलग से, क्षेत्रफल 166 वर्ग मी., सम्पत्ति नं. 25 का भाग, ब्लॉक – बीके, शालीमार बाग (पश्चिम), दिल्ली – 1100088 में स्थित
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **240,50,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **24,05,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/deepti_paper_sales_2.pdf

शाखा का नाम एवं पता : दिलशाद गार्डन, शाखा फोन नं. 011-22357436

कर्जदार और गारंटर्स का नाम:	उधारकर्ताः एम एफ एस एंटरप्राइजेज प्रोप– मोहम्मद मुबीन बी –25/4, गली नं –13/6, सबदोश विहार, दिल्ली प्रोप्राइटर का नामः 1. श्री मोहम्मद मुबीन गारंटरः 1. श्री अफताब आलम पुत्र अल्ला दीया	बकाया राशि ₹ 7822991/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 38 दो मंजिला बिल्डिंग जिसका भूमि क्षेत्रफल 100 वर्ग गज अर्थात 83.61 वर्ग मी., और कुल कवर्ड क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट अर्थात 167.22 वर्ग मी., सम्पत्ति नं. बी–25/4 खसरा नं. 452 मिन में से, गाँव गुरजान खादर, सुभाष पार्क, नार्थ गोन्डा इलाका शाहदरा दिल्ली–110053 में स्थित, पूरब में – 15 फीट चौड़ी गली, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – 15फीट चौड़ी गली
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **84,00,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **8,40,000/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/mfs_enterprises_6.pdf

शाखा का नाम एवं पता : प्रीत विहार, शाखा फोन नं. 011-22055675, 22464811, 22050955

कर्जदार और गारंटर्स का नाम:	उधारकर्ता 1: गुल फूड्स एंड कंपनी डी–23 तृतीय तल, गली नं 2, चौहान बाग, दिल्ली का नाम प्रोपराइटरः श्री मोहम्मद अनवार गारंटररू 1. अफसर अली उधारकर्ता 2: सबा एंटरप्राइजेज बी 1/13, जी 2 डीएलएफ, एक्सटेंशन I, गाजियाबाद, यू.पी. प्रोपराइटर का नामः 1. श्रीमती एहसान गारंटररू 1. अफसर अली	कर्जदार : 1 बकाया राशि ₹ 23,50,108/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि कर्जदार : 2 बकाया राशि ₹ 23,79,586/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 39 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. डी–1/2, ब्लॉक – डी, भूमि क्षेत्रफल 117.50 वर्ग गज, जोकि वायु सेना ले–आउट प्लान के अंतर्गत, हिंडोन सहकारी आवास समिति लि. डिफेन्स कॉलोनी, भोपुरा, परगना लोनी, जिला गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री रोहित उप्पल के नाम पर है।
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **32,94,000/-** जमा धरोहर राशि रु **3,29,400/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/gul_foods_and_company_3.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम:	उधारकर्ता 1: इसबाह इंटरप्राईजेज कार्यालय नं. –23, शिल्पी आर्केड प्लॉट न. –14 सैक्टर–4 वैशाली, गाजियाबाद प्रोपराइटर का नामः 1. अफसर अली उधारकर्ता 2: फ्रेन्डस ट्रेडर्स बी –49, पंडित पार्क, शिव पुरी, दिल्ली प्रोपराइटर का नाम - 1. श्रीमती राज रानी	कर्जदार : 1 बकाया राशि ₹ 26,72,465/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि कर्जदार : 2 बकाया राशि ₹ 21,54,835/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 40 साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति नं. 49–बी, कवर्ड क्षेत्रफल 67 वर्ग गज, शामिल खसरा नं. 472, शिवाजी गल की अबादी, पण्डित पार्क, गाँव गोंदली, शाहदरा, नई दिल्ली–110051 (सांकेतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **65,45,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **6,54,500/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/friends_traders_4.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम:	उधारकर्ता –1 पी एस एसोसिएटस सी–120 डिफेंस कॉलोनी, गाजियाबाद, यू.पी. प्रोपराइटर का नामः 1 श्री संदीप शर्मा गारंटर का नामः 1. श्री अफसर अली उधारकर्ता –2 एम एस एसोसिएटस सी–120 प्रथम तल डिफेंस कॉलोनी, गाजियाबाद, यू.पी. उधारकर्ता–3 डी वी इंटरप्राईजेज लोनी रोड, मुखिया मार्केट, भोपुरा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी. गारंटर का नामः 1. श्री अफसर अली	कर्जदार : 1 बकाया राशि ₹ 10,64,784/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि कर्जदार : 2 बकाया राशि ₹ 11,20,898/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि कर्जदार : 3 बकाया राशि ₹ 11,15,414/- + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 41 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि दुकान नं. द्वितीय तल, शिल्पी आर्केड प्लॉट नं. 14, सैक्टर–04, व्यवसायिक मार्किट, वैशाली गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, (सांकेतिक कब्जा)
नीलामी की तिथि एवं समय : **21.03.2020** पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु **25,63,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **2,56,300/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/m.s._associates_4.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम:	उधारकर्ता–मैसर्स पुनम ट्रेडर्स, 205, बालाजी मार्केट, 2604, नई सड़क, दिल्ली –110006, गारंटरः श्रीमती पुनम छाजना, 55, चित्रा विहार, दिल्ली–110092, श्री नसीम अहमद, डी 130 बी, द्वितीय तल, बृज विहार, सैक्टर–8, जीडीए कॉलोनी, गाजियाबाद, यू.पी.	कर्जदार : 1 बकाया राशि ₹ 12,14,568.50 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 42 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. डी–130 बी, सैक्टर फ्लोर, सैक्ट 08, जीडीए कॉलोनी, बृज विहार, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, उत्तर में – खुला स्पेस, दक्षिण में – प्लॉट न. 1313, पूरब में – सीढ़िया, पश्चिम में – प्लॉट न. 111बी
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **15,30,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **1,53,300/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/punam_traders_2.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम:	कर्जदारः 1. माँ टिम्बर एक्सपोर्ट्स, प्लॉट नं 4, प्रथम तल, पॉकेट–20, सैक्टर –24, रोहिणी, दिल्ली 1. श्री अफसराली बी1/2जे 362, डीएलएफ भोपुरा, गाजियाबाद, यू.पी.–20101, 2. श्रीमती एहसान बी 1/13, जी2, डीएलएफ, दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन–I, भोपुरा लोनी, गाजियाबाद, यू.पी.–201010, 3. श्री आनंद सिंह, 340, राहुल विहार द्वितीय, प्रतापविहार, गाजियाबाद –201010	बकाया राशि ₹ 27,42,471.00 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 43 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि खसरा नं. 193, गाँव अकबरपुर, बहरामपुर, परगना लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित, 150.00 वर्ग मी., वही न. 1, जिल्द नं. 5082, पेज न. 45 से 140, क्र.सं. 4794, दिनांकित 28.08.2015, क्षेत्रफल 150 वर्ग गज
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **46,89,000/-** जमा धरोहर राशि रु. **4,68,900/-**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/maa_timber_exports_2.pdf

कर्जदार और गारंटर्स का नाम:	कर्जदारः मैसर्स वी के इंटरनेशनल, 197, रत्तन गली, महावीर गली के पास, गांधी नगर, दिल्ली पार्टनर/गारंटर्सः 1. सुश्री इश्मा अरोड़ा 2. श्री विनोद अरोड़ा	बकाया राशि ₹ 1,26,98,166.00 + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि

सम्पत्ति नं. 44 सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति एच–5/10, क्षेत्रफल 110.7 वर्ग गज, कृष्णा नगर, गाँव घोंडली, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110051 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री विनोद अरोड़ा के नाम पर है। (बिक्री विलेख दिनांक 25/10/1994 में निर्दिष्ट संपत्ति का विवरण)
नीलामी की तिथि एवं समय : 21.03.2020 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य रु. **1,89,80,075.00** जमा धरोहर राशि रु. **18,98,007.50**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों हेतु, कृपया दिए गए लिंक को देखें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/veekay_international_2.pdf

दिनांकः 05-03-2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking) (भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019
फोनः 011-41732000 / 41792800
वेबसाइटः www.ifciltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677

यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आईएफसीआई लांग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बाण्ड सीरीज–II, IV और V, एनसीडी–ट्रांच–I और II प्रमाणपत्र निवेशकों को प्राप्त नहीं हुए हैं / गुम हो गए हैं:–

क्र. सं.	धारक का नाम	फोलियो सं.	बांडों की सं.	विकल्प	प्रमाणपत्र सं.	डिस्टिंक्टिव सं. से–तक
इन्फ्रा सीरीज–II (बीटल)						
1	शुर्वाकर दास	2027047	4	II	2013499	196245 - 196248
इन्फ्रा सीरीज–IV (के फिनटेक)						
1	अमित बरन कर/ कावेरी मुखर्जी	INB1028882	4	I	1028882	405033 - 405036
2	नमक्कल सुब्रमण्यम रचिकला	INB0108752	4	I	108752	34793 - 34796
3	निलांबर सेठी	INB0017921	4	I	17921	71243 - 71246
4	भूपेंद्र कुमार चंद्राकर	INB0204782	4	III	204782	18772 - 18775
5	अर्पित शंकर	INB0048308	4	I	48308	190995 - 190998
6	सोनाली	INB0105506	4	II	105506	21998 - 22001
इन्फ्रा सीरीज–V (के फिनटेक)						
1	विनोद कुमार	INC0001795	4	I	1795	7115 - 7118
2	दिवाकर रे	INC0301412	4	IV	301412	5616 - 5619
एनसीडी ट्रांच –1						
1	सिंहल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	IFD0600041	5000	VI	600041	11012 - 16011
एनसीडी ट्रांच –2						
1	डेक्कन कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	IFE0300019	500	III	300019	8404 - 8903

उपर्युक्त बाण्डों के लिए डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आईएफसीआई लिमिटेड को आवेदन किए गए हैं। ऊपर निर्दिष्ट बाण्ड प्रमाणपत्रों की खरीद अथवा अन्यथा संव्यवहार करने के प्रति सर्वसाधारण को एतदद्वारा सचेत किया जाता है। यदि कम्पनी/रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स अर्थात् बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि., नई दिल्ली को सीरीज-II और केफिन टक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को सीरीज- IV और V, एनसीडी–ट्रांच- I और II के लिए इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो बाण्डधारकों को डुप्लिकेट बाण्ड प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाएंगे और आईएफसीआई लि. द्वारा तदनुरूपी मूल बाण्ड निरस्त कर दिए जाएंगे।

मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि.	मैसर्स केफिन टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड
बीटल हाउस, तीसरा तल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली–110062	कार्वी सेलेनियम टॉवर–बी, प्लॉट नं 31 और 32, गाचीबॉली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली,
फोनः 011-29961282-83	हैदराबाद–500032 फोनः 040-67162222

आईएफसीआई लि. के लिए और उसकी ओर से

बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि. रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स ह./– प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	केफिन टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स ह./– प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.03.2020

COURT NOTICE
In the Court of Dr. Pankaj Sharma Ld. JSCC/ASCJ/GJ/ND
Room No. 21(Main Building), Patiala House, New Delhi
Proclamation Requiring Attendance of Defendant
Case No. 1244/18
Punjab & Sind Bank
Vs.
Sh. Gurjeet Singh
To,
Sh. Gurjeet Singh
S/o Sh. Bhagwan Singh
T-20, Nihal Vihar, Nangloi, Niloth, Delhi
Also At:-
WZ-274, D5
New CG Block, Vishnu Garden,
New Delhi-18
WHEREAS the plaintiff has instituted above suit against you for **recovery** and you are intentionally evading service of summons. You are hereby directed to appear in person or by pleader on **07-04-2020 at 10:00 A.M.,** to answer the same, failing which the suit/application will be disposed of ex-parte.
Given under my hand and seal of the court, this **05-03-2020.**
Dr. Pankaj Sharma Ld.
JSCC/ASCJ/GJ/ND
Patiala House, New Delhi

COURT NOTICE
In the Court of Dr. Pankaj Sharma Ld. JSCC/ASCJ/GJ/ND
Room No. 21(Main Building), Patiala House, New Delhi
Proclamation Requiring Attendance of Defendant
Case No. 1245/18
Punjab & Sind Bank
Vs.
Sh. R. M. Enterprises
To,
M/s R. M. Enterprises
Sh. Manoj KUmar
R/o BE-359A, Street No. 1,
Hari Nagar, New Delhi-110064
Also At:-
WZ-67, Block-WZ,
Meenakshi Garden, New Delhi-110018
WHEREAS the plaintiff has instituted above suit against you for **recovery** and you are intentionally evading service of summons. You are hereby directed to appear in person or by pleader on **07-04-2020 at 10:00 A.M.,** to answer the same, failing which the suit/application will be disposed of ex-parte.
Given under my hand and seal of the court, this **05-03-2020.**
Dr. Pankaj Sharma Ld.
JSCC/ASCJ/GJ/ND
Patiala House, New Delhi

प्रारूप संख्या आईएनसी–25क
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41(5)(क) के अनुपालन में]
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य के मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
और
मै. वर्धमान एस्टेटस लिमिटेड,
जिसका पंजीकृत कार्यालय दुकान सं. जी-2, ग्राउंड फ्लोर, डीपी ब्लॉक, प्लॉट सं 7, लोकल शॉपिंग सेंटर, एक्सीस बैंक के पास, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, पर स्थित है, के मामले में —**आवेदक**
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के तहत कंपनी केन्द्र सरकार को एक आवेदन करती है, उपरोक्त नियमों के साथ पढ़ा जाए जो कि कंपनी को प्राईवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने की इच्छुक है और कंपनी को सक्षम बनाने हेतु कंपनी द्वारा **22, फरवरी, 2019** को आयोजित एक असाधारण आम सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।
कंपनी के इस प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की आशंका है, तो वह अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए सम्बन्धित क्षेत्रीय निदेशक, को एक शपथ-पत्र, सहकार अपनी याचिका क्षेत्रीय निदेशक (बी-2, विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली-110003) के पते पर इस सूचना के प्रकाशित होने के 14 दिनों के भीतर सुपुर्द कर सकता है, और याचिका की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निम्नलिखित पते पर भी भेजें:
दुकान सं. जी-2, ग्राउंड फ्लोर, डीपी ब्लॉक, प्लॉट सं. 7, लोकल शॉपिंग सेंटर, एक्सीस बैंक के पास, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034.
आवेदकों के लिए या उनकी ओर से
वर्धमान एस्टेटस लिमिटेड
प्रोमिला जैन
निदेशक
DIN-00454916
एफ-3, शालिमार बाग, नई दिल्ली-110088
दिनांकः 06.03.2020
स्थानः नई दिल्ली

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055

1. **राजस्थान पीएपी सैल्स प्रा. लि.** द्वारा उसके निदेशक श्री श्याम सुन्दर डागा, रीको शॉपिंग सेन्टर रोड नं. 1, बी.के.आई. एरिया, जयपुर, राजस्थान–302013, साथ हीः बी/13–डी, शिव मार्ग, मीरा हॉस्पीटल के निकट, वाणी पार्क, शास्त्री नगर एसी जोबनेर, जयपुर, राजस्थान–302015, 2. **श्री श्याम सुंदर डागा,** बी/13–डी, शिव मार्ग, मीरा हॉस्पीटल के निकट, वाणी पार्क, शास्त्री नगर एसी जोबनेर, जयपुर, राजस्थान–302015, 3. **मै. कोरल कौसल विअर्स प्रा. लि.** द्वारा उसके निदेशक, श्री श्याम सुन्दर डागा, जी–123, सितारपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर, राजस्थान– 302022, 4. **मै. राजस्थान सैल्स एजेन्सीस** द्वारा उसके पार्टनर/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, शॉप नं. 34–43, रोड नं. 1,, बी.के.आई. एरिया, जयपुर, राजस्थान–302013, 5. **कृष्णा देवी डागा,** बी/13–डी, शिव मार्ग, मीरा हॉस्पीटल के निकट, वाणी पार्क, शास्त्री नगर एसी जोबनेर, जयपुर, राजस्थान–302015, 6. **गिरिराज रतन डागा,** बी/13–डी, शिव मार्ग, मीरा हॉस्पीटल के निकट, वाणी पार्क, शास्त्री नगर एसी जोबनेर, जयपुर, राजस्थान–302015, 7. **गोविन्द रतन डागा,** बी/13–डी, शिव मार्ग, मीरा हॉस्पीटल के निकट, वाणी पार्क, शास्त्री नगर एसी जोबनेर, जयपुर, राजस्थान–302015

विषयः अचल प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम ९ (1) तथा नियम ८ (८) के अंतर्गत सूचना

प्रिय महोदय,

मै. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड (प्रतिभूत क्रेडीटर) की ओर से प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13 (2) के अंतर्गत सम्पत्ति के प्रति आपकी ऋण खाता सं. 5013800 तथा 6618737 के संदर्भ में आपके लिए मांग सूचना तिथि 14 मार्च, 2018 जारी कर आप संबोध्य व्यक्तियों को उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर सम्पूर्ण बकाए के भुगतान का निर्देश दिया था। चूंकि, आप उसमें निर्धारित अवधि के भीतर में उक्त सूचना का अनुपालन करने में विफल रहे, अतः प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित ''गिरवी रखी गई सम्पत्ति'' का कब्जा कर लिया हैः

ग्राम बग्रूखुर्द संग्नेर जयपुर में स्थित प्लॉट नं. 1730 माप 1250 वर्ग मीटर के साथ सभी भूमि एवं निर्मित भवन जिसका विशेष रूप से विवरण बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 202 में पेज नं. 120 तिथि 25.3.2013 में दस्तावेज सं. 2013400003962 के रूप में पंजीकृत बिक्री प्रलेख 7.2.2013 में दिया गया है। चौहद्दीः उत्तरः 18 मी. रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 1711, पूर्वः प्लॉट नं. 1729, पश्चिमः प्लॉट नं. 1731

पुनः निजी संधि द्वारा बिक्री सूचना तिथि 27.11.2019 तथा पूर्व की बिक्री सूचनाओं के अनुसार आपको सूचना दी जाती है कि यदि धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना में मांग की गई सम्पूर्ण राशि का आप निपटान नहीं करते हैं तो प्रतिभूत क्रेडीटर उक्त निजी संधि अथवा नीलामी बिक्री, जैसा भी मामला हो, द्वारा गिरवी सम्पत्ति की बिक्री कर देंगे।

गिरवी रखी गई 3 सम्पत्तियों की बिक्री निजी संधि द्वारा पूरी कर ली गई तथा वर्तमान निजी संधि बिक्री सूचना गिरवी रखी गई सम्पत्ति अर्थात ग्राम बग्गरखुर्द संग्नेर, जयपुर में प्लॉट नं. 1730 माप 1250 वर्ग मीटर के साथ सभी भूमि एवं भवन जिसका विशेष रूप से विवरण बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 202 में पेज नं. 120 तिथि 25.3.2013 में दस्तावेज सं. 2013400003962 के रूप में पंजीकृत बिक्री प्रलेख, चौहद्दीः उत्तरः 18 मी. रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 1711, पूर्वः प्लॉट नं. 1729, पश्चिमः प्लॉट नं. 1731 (यहां के बाद ''उक्त सम्पत्ति'' के रूप में वर्णित) की बिक्री के लिए जारी की जा रही है जिसके कि संबोध्य व्यक्तियों से अद्यतन बकाया राशि की वसूली की जा सके।

अब, कम्पनी ने किसी संभावित क्रेता जो निजी संधि द्वारा गिरवी सम्पत्ति खरीदने के इच्छुक हैं से एक प्रस्ताव प्राप्त किया है। प्राप्त की गई उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के बाद तथा साथ ही आपके मामले की विचित्र परिस्थिति पर विचार करने के बाद कि सम्पत्ति को निवास/ व्यवसाय योग्य सक्षम नहीं बनाया गया है तथा अन्य लॉजिस्टिक्स तथा संरचनात्मक असंगति के कारण सम्पत्ति का कोई लेनदार नहीं है, प्रतिभूत क्रेडीटर ने अपने बकाए की वसूली करने के लिए गिरवी सम्पत्ति की बिक्री करने की इच्छा जताई है।

उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में सरफैसी अधिनियम के नियम 8(2) के अंतर्गत आपके लिए वर्तमान सूचना जारी कर प्रतिभूत क्रेडीटर एक बार पुनः आपको निर्देश देते हैं कि वर्तमान सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर लागू होने वाले आगे के ब्याज तथा चार्जेज के साथ पूर्व की निजी संधियों के माध्यम से वसूल की गई भुगतान को घटाकर शेष बकाए राशि का भुगतान करें। अन्यथा प्राधिकृत अधिकारी निजी संधि द्वारा ''उक्त सम्पत्ति'' की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 05.03.2019
स्थानः जयपुर

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
सम्पर्क का पताः 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055, भारत, डायरेक्ट लाइन 91 11 66786229, मो. 91 9250009963

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में

1. राम लाल मीना, पुत्र गोविन्द राय मीना, निवासीः 182/159, प्रताप नगर, सेक्टर–17, वार्ड नं. 33, संगनेर, जयपुर, राजस्थान– 302033, साथ हींः अम्बिका टिम्बर्स के प्राप्राइटर, एच–1/2194, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा एक्स्टें., जयपुर राजस्थान–302022, साथ हींः 3, कैलाश विहार कॉलोनी, लकड़ी मंडी, वाटिका, संग्नेर, राजस्थान।
2. श्रीमती ललिता देवी मीना उर्फ लल्ली, पत्नी राम लाल मीना, निवासीः 182/159, प्रताप नगर, सेक्टर–17, वार्ड नं. 33, संगनेर, जयपुर, राजस्थान– 302033, साथ हींः गनावलोन की धानी, ग्राम फतेहपुरा, टी.एच. चाक्सू, जिला जयपुर, साथ हींः एच–1/2194, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा एक्स्टें., जयपुर राजस्थान–302022,
3. मै. अम्बिका टिम्बर्स, द्वारा प्रॉप्राईटर, राम लाल मीना, एच–1/2194, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा एक्स्टें., जयपुर राजस्थान–302022, साथ हींः कैलाश विहार, कॉलोनी, लकड़ी मंडी, वाटिका, संग्नेर, जयपुर, राजस्थान।

प्रिय महोदय/महोदया,

30.8.2016 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 2.3.2020 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये ऋण खाता सं. 6409109 में रु. 5673511.52 (रुपये छप्पन लाख तिहत्तर हजार पांच सौ ग्यारह एवं पैसे बावन मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार–बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 7 अगस्त, 2020 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 3 मार्च, 2020 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ रु. 5673511.52 (रुपये छप्पन लाख तिहत्तर हजार पांच सौ ग्यारह एवं पैसे बावन मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

संपत्ति की अनुसूची

ए–1/ 2194, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, राचन्द्रपुरा, सितापुरा एक्स्टें. गोनर रोड, जयपुर (राजस्थान) माप 500 वर्ग मी. अथवा 5380 वर्ग फीट, सब रजिस्ट्रार संगनेर (1) के कार्यालय में बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 726, पेज नं. 124 में 13.10.2011 को पंजीकृत तथा रसीद नं. 2011067007820, तिथि 13.10.2011 के अनुसार पेज नं. 150 से 162 में अतिरिक्त बुक नं. 1, जिल्द नं. 2500 पर पेस्ट की गई पट्टा अनुबंध तिथि 26 जुलाई, 2011 के अनुसार।

सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. एच 1–2193, पश्चिमः प्लॉट नं. एच–1–2195, उत्तरः प्लॉट नं. एच–2172, दक्षिणः 18.0 मी. रोड

चूंकि सूचना 3, मार्च, 2020 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

स्थानः नई दिल्ली — **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 5.3.2020 — **टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.**

www.readwhere.com

खबर कोना

परागवे में गुरुवार को ब्राजील के पूर्व स्टार फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो

कोरोना वायरस के कारण एशिया कप से हटी भारतीय तीरंदाजी टीम

कोलकाता, 5 मार्च (भाषा)।

भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआइ) ने गुरुवार को कोरोना वायरस के डर से बैंकाक में आगामी एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट से अपनी टीम को हटाने का फैसला किया। सत्र का पहले चरण का टूर्नामेंट आठ से 15 मार्च तक थाईलैंड की राजधानी में खेला जाना है। पांच महीने के निलंबन से वापसी के बाद भारतीय तीरंदाजी टीम का यह पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट होता। एएआइ के सहायक सचिव गुंजन अबरोल ने विश्व तीरंदाजी महासचिव टॉम डिलेन को लिखा, 'कोरोना वायरस के कारण मौजूदा चिंताजनक स्थिति की समीक्षा तथा साई व आइओसी, एएआइ द्वारा जारी यात्रा संबंधित सलाह के बाद हम अपनी टीम के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं और इन मौजूदा परिस्थितियों में कोई जोखिम नहीं ले सकते।'

फीफा ने विश्व कप क्वालीफायर स्थगित करने का प्रस्ताव दिया

ज्यूरिख, 5 मार्च (भाषा)।

विश्व फुटबॉल संचालन संस्था (फीफा) ने गुरुवार को प्रस्ताव दिया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगामी 2022 विश्व कप और 2023 एशिया कप के सभी क्वालीफायर मुकाबलों को स्थगित कर दिया जाए जिसमें कतर के खिलाफ भारत का घरेलू मैच भी शामिल है। एएफसी ने शीर्ष संस्था के मुख्यालय में बैठक में एशिया में फुटबाल गतिविधियों पर चर्चा की। भारतीय टीम पहले ही विश्व कप में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो चुकी है लेकिन उसे 26 मार्च को भुवनेश्वर में 2022 टूर्नामेंट के मेजबान कतर से खेलना है जिसके बाद उसे जून में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं।

कोरोना वायरस : आइपीएल पर अभी कोई खतरा नहीं

नई दिल्ली, 5 मार्च (भाषा)।

क्रिकेट का बहुत कम देशों में खेला जाना इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के लिए वरदान साबित हो सकता है। घातक कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद इस टी-20 लीग के सही समय पर शुरू होने की पूरी उम्मीद है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से लगभग 3500 लोगों की मौत हो चुकी है। कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं। लेकिन आइपीएल पर इसका असर नहीं पड़ेगा और उसके लिए सब कुछ सही है।

बारिश से धुले इंग्लैंड के खिलाफ मैच ने खिताबी भिड़ंत तक पहुंचाया

भारत फाइनल में, आस्ट्रेलिया से मुकाबला

टी-20 विश्व कप

सिडनी, 5 मार्च (भाषा)।

भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला सेमी फाइनल मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। ग्रुप चरण में अजेय रहने के कारण नियमों के मुताबिक भारतीय टीम ने पहली बार महिला टी20 विश्व कप फाइनल में जगह बनाई। सुबह से लगातार बारिश के कारण टॉस नहीं हो पाया और आखिर में मुकाबला बिना गेंद फेंके रद्द करना पड़ा। इससे भारतीय टीम खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर गई जबकि इंग्लैंड के खेमे में निराशा छा गई। फाइनल में भारत का मुकाबला आस्ट्रेलिया से होगा।

दोनों कप्तान निराश

फाइनल रविवार आठ मार्च को मेलबर्न में खेला जाएगा। इसमें भारत का सामना आस्ट्रेलिया से होगा। मैच रद्द होने के बाद इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट ने कहा कि यह वास्तव में निराशाजनक है। हम इस तरह से विश्व कप का अंत नहीं चाहते थे। मैच के लिए सुरक्षित दिन नहीं है, कहा कि यह निराशाजनक है कि हम मैच नहीं खेले, लेकिन कुछ नियम हैं जिनका हमें अनुसरण करना होता है। भविष्य में सुरक्षित दिन रखने का विचार अच्छा होगा।

इससे पहले भारत कभी फाइनल में नहीं पहुंच पाया था लेकिन इस बार बेहतरीन प्रदर्शन से वह खिताब का प्रबल दावेदार बन चुका है। भारत ने मौजूदा चैंपियन आस्ट्रेलिया पर जीत से शुरुआत की और इसके बाद बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और श्रीलंका को हराकर ग्रुप ए में आठ अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने तीन बार 2009, 2010, 2018 में सेमी फाइनल में जगह बनाई थी। आस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा चार बार खिताब जीता है।

शेफाली का प्रदर्शन लाजवाब

इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की नताली स्काइवर ने चार मैच में 67.37 के औसत से सबसे ज्यादा 202 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की ही हीथर नाइट हैं जिनके नाम 193 रन हैं। भारत की शेफाली रन बनाने के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 40.25 के औसत से 161 रन बनाए।

आस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया

सिडनी, 5 मार्च (भाषा)।

आस्ट्रेलिया ने दूसरे सेमी फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुईस पद्धति से पांच रन से हराया। बारिश के कारण यह मैच भी देरी से शुरू हुआ। आस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 134 रन बनाए। उसकी तरफ से कप्तान मेग लैनिंग ने नाबाद 49 रन बनाए जबकि दक्षिण अफ्रीका के लिए नाडिने डि क्लर्क ने 19 रन देकर तीन विकेट लिए।

आस्ट्रेलियाई पारी समाप्त होने के बाद बारिश आ गई। इसके बाद जब खेल शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका को 13 ओवर में 98 रन बनाने का लक्ष्य मिला लेकिन लारा वोलवार्ट की नाबाद 41 रन की पारी

लारा वोलवार्ट

के बावजूद उसकी टीम पांच विकेट पर 92 रन ही बना सकी। आस्ट्रेलिया की तरफ से मेगान शट ने 17 रन देकर दो विकेट लिए।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी सहमति जताई कि सेमी फाइनल के लिए एक अन्य दिन सुरक्षित होना चाहिए। मेजबान क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने ऐसा आग्रह किया था लेकिन आइसीसी ने उसे नामंजूर कर दिया। हरमनप्रीत ने खेलने का मौका नहीं मिला और आखिर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार हमें महंगी पड़ गई।

"भारतीय महिला टीम को टी-20 विश्व कप फाइनल में पहुंचने के लिए बधाई। हमें आप पर गर्व है और फाइनल के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। -विराट कोहली

"ग्रुप चरण में सभी मैच जीतने का पुरस्कार। भारतीय महिला टीम को रविवार के लिए शुभकामनाएं। - वीरेंद्र सहवाग

"मैच होता तो अच्छा होता लेकिन भारतीय महिला टीम को टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने के लिए बहुत बधाई। फाइनल के लिए शुभकामनाएं। -वीवीएस लक्ष्मण

"एक भारतीय होने के नाते मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि हमारी टीम फाइनल में पहुंची है। लेकिन एक क्रिकेटर के तौर पर मुझे इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए बुरा लगा। -मिताली राज

एशियाई ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर्स

आशीष, मनीष क्वार्टर फाइनल में

अम्मान (जोर्डन), 5 मार्च (भाषा)।

विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता मनीष कौशिक (63 किग्रा) और एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता आशीष कुमार (75 किग्रा) ने गुरुवार को महाद्वीपीय ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

मनीष को ताईवान के चु एन लाई पर 5-0 से जीत दर्ज करने में कोई समस्या नहीं हुई। अब राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता मनीष का सामना मंगोलिया के तीसरे वरीय चिंगजोरिग बातारसुख से होगा। बातारसुख ने पापुआ न्यू गिनी के जोन उमे को पराजित किया।

राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता मनीष का सामना अब मंगोलिया के तीसरे वरीय चिंगजोरिग से

वहीं सुबह के सत्र में आशीष ने किर्गीस्तान के चौथी वरीयता प्राप्त ओमुरबेक बेकजीगिट पर एकतरफा मुकाबले में 5-0 से जीत दर्ज की। उनका अगला मुकाबला इंडोनेशिया के मिखाइल राबर्ड मुसकिता से होगा। मुसकिता ने न्यूजीलैंड के रेयान को हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया। आशीष सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहे तो उनकी तोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में जगह पक्की हो जाएगी। बुधवार को महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर (60 किग्रा) और साक्षी चौधरी (57 किग्रा) ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी।

हीथर नाइट ने नियमों में बदलाव की अपील की

सिडनी, 5 मार्च (भाषा)।

इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट ने भारत के खिलाफ सेमी फाइनल मैच बारिश से धुल जाने के बाद नियमों में बदलाव की अपील की है। भारत राउंड रोबिन चरण में अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहने के कारण फाइनल में पहुंच गया। वहीं इंग्लैंड अपने पूल में दूसरे स्थान पर रहा था जिससे वह बाहर हो गया।

नाइट ने सुरक्षित दिन नहीं रखे जाने के बारे में कहा कि यही नियम हैं और सभी ने इन पर हस्ताक्षर कर रखे हैं।

आइसीसी के नियमों के अनुसार अगर सेमी फाइनल बारिश से रद्द हो जाता है तो प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष पर रहने वाली टीम स्वतः ही फाइनल में पहुंच जाएगी। विश्व संस्था ने इससे पहले क्रिकेट आस्ट्रेलिया का सुरक्षित दिन रखने का आग्रह नामंजूर कर दिया था।

नाइट ने सुरक्षित दिन नहीं रखे जाने के बारे में कहा कि यही नियम हैं और सभी ने इन पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अब नियमों में बदलाव होगा और किसी अन्य टीम को केवल बारिश के कारण विश्व कप से बाहर नहीं होना पड़ेगा। उम्मीद है नियम बदलेंगे।

हरिका ने विश्व चैंपियन जु वेनजुन को हराया

लुसाने, 5 मार्च (भाषा)।

भारतीय ग्रैंडमास्टर द्रोणवल्लि हरिका ने तीसरे दौर में विश्व चैंपियन जु वेनजुन को हराकर फिडे महिला ग्रांप्री शतरंज टूर्नामेंट में संयुक्त बढ़त हासिल कर ली। विश्व में नौवें नंबर की खिलाड़ी हरिका के तीन दौर के बाद दो अंक हैं और वह चार अन्य के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। भारतीय खिलाड़ी ने बुधवार को सफेद मोहरों से खेलते हुए चीन की विश्व में तीसरे नंबर की खिलाड़ी को 54 चाल में हराया। जिन अन्य खिलाड़ियों के दो अंक हैं उनमें रूस की एलिना काशलिन्स्काया और अलेक्सांद्रा गोरयाचकिना, उक्रेन की अन्ना मुजीचुक और जार्जिया की नाना दजागनिद्ज शामिल हैं।

आइओसी सत्र 2023 की मेजबानी मुंबई को मिलना तय

नई दिल्ली, 5 मार्च (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के 2023 सत्र की मेजबानी मुंबई को मिलना तय है। आइओसी कार्यकारी बोर्ड ने वार्षिक सम्मेलन के लिए भारतीय शहर की सिफारिश की है। आइओसी मूल्यांकन आयोग ने जियो वर्ल्ड सेंटर की सुविधाओं की तारीफ की जिसके बाद कार्यकारी बोर्ड ने मुंबई की उम्मीद्वारी की घोषणा की। यह सम्मेलन जियो वर्ल्ड सेंटर में हो सकता है।

इस फैसले को इस साल जुलाई में तोक्यो में होने वाले 136वें आइओसी सत्र में मंजूरी दी जाएगी। *मूल्यांकन* आयोग ने पिछले साल अक्तूबर में मुंबई का दौरा किया था।

इस फैसले को इस साल जुलाई में तोक्यो में होने वाले 136वें आइओसी सत्र में मंजूरी दी जाएगी। मूल्यांकन आयोग ने पिछले साल अक्तूबर में मुंबई का दौरा किया था। आइओसी अध्यक्ष थामस बाक ने कहा कि हमने भारत का चयन इसलिए किया है क्योंकि यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है जिसमें युवा जनसंख्या काफी अधिक है और वहां ओलंपिक खेल की बहुत अधिक संभावना है।

उन्होंने कहा कि हम भारत में ओलंपिक खेल को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और सभी राष्ट्रीय महासंघों को प्रोत्साहित और उनका समर्थन करना चाहते हैं। भारत ने इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में आइओसी सत्र का आयोजन किया था।

दक्षिण अफ्रीका ने आस्ट्रेलिया से जीती शृंखला

ब्लोमफोंटेन (दक्षिण अफ्रीका), 5 मार्च (एएफपी)।

भारतीय दौरे के लिए टीम में नहीं चुने गए जानेमन मलान की नाबाद शतकीय पारी से दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे एकदिवसीय में आस्ट्रेलिया को छह विकेट से हराया। इस जीत से उसने तीन मैचों की शृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई।

मलान ने नाबाद 129 रन बनाए जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 48.4 ओवर में चार विकेट पर 274 रन बनाकर शृंखला अपने नाम की। यह इस सत्र में घरेलू अंतरराष्ट्रीय सत्र के सभी प्रारूपों की पांच शृंखलाओं में उसकी पहली जीत है।

129 रन नाबाद बनाए जानेमन मलान ने जिससे दक्षिण अफ्रीकी टीम ने जीत दर्ज की

274 रन 48.4 ओवर में बनाकर दक्षिण अफ्रीका ने शृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई

पार्ल में अपने पदार्पण मैच में पहली गेंद पर आउट होने वाले 23 वर्षीय मलान को भारत दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम में नहीं चुना गया है। कप्तान क्विंटन डिकाक के मिशेल स्टार्क के पहले ओवर में आउट हो जाने के बाद टैस्ट बल्लेबाज पीटर मलान के छोटे भाई जानेमन मलान ने जॉन स्मट्स (41) के साथ 91, हेनरिच क्लासेन (51) के साथ 81 और डेविड मिलर (नाबाद 37) के साथ 90 रन की अटूट साझेदारी की।

मलान को तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी के साथ संयुक्त रूप से मैन ऑफ द मैच चुना गया। एनगिडी ने 58 रन देकर छह विकेट लिए जिससे दक्षिण अफ्रीका ने आस्ट्रेलिया को 271 रन पर आउट कर दिया था। आस्ट्रेलिया को डेविड वार्नर (35) और कप्तान आरोन फिंच (65) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद एनगिडी ने तीन विकेट लेकर आस्ट्रेलिया को बैकफुट पर भेजा। इस तेज गेंदबाज ने बाद में तीन और विकेट लिए।

आस्ट्रेलिया ने आखिरी दस ओवरों में 49 रन जोड़े और छह विकेट गंवाए।

देश की सेवा फिर से करना सम्मान : सुनील जोशी

नई दिल्ली, 5 मार्च (भाषा)।

चयनसमिति के नव नियुक्त अध्यक्ष सुनील जोशी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट की सेवा का मौका फिर से मिलना सम्मान की बात है। जोशी ने भारत की तरफ से 1996 से 2001 के बीच 15 टैस्ट और 69 वनडे में क्रमशः 41 और 69 विकेट लिए। वह उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर टीम के कोच रह चुके हैं और 2019 विश्व कप तक बांग्लादेश के सहयोगी स्टाफ में शामिल थे।

इस पूर्व भारतीय स्पिनर ने कहा कि मैं अपने प्यारे देश की सेवा करना सम्मान समझता हूं। मैं सीएससी अध्यक्ष मदन लाल, आरपी सिंह और मैडम सुलक्षणा नाइक का आभारी हूं जिन्होंने मेरी उम्मीद्वारी पर विचार किया। क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) में शामिल मदन लाल, आरपी सिंह और नाइक ने जोशी और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज हरविंदर सिंह को पांच सदस्यीय चयन पैनल में चुना।

मुंबई सिटी से अलग हुए कोच जॉर्ज कोस्टा

मुंबई, 5 मार्च (भाषा)।

इंडियन सुपर लीग की फ्रेंचाइजी मुंबई सिटी एफसी और मुख्य कोच जॉर्ज कोस्टा एक दूसरे से अलग होने पर सहमत हो गए हैं। क्लब ने गुरुवार को यह घोषणा की।

साइना, सिंधू को इंडिया ओपन में मुश्किल ड्रॉ

इंडिया ओपन

नई दिल्ली, 5 मार्च (भाषा)।

पूर्व चैंपियन पीवी सिंधू और साइना नेहवाल को इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मुश्किल ड्रॉ मिला है। हालांकि भारत में कोरोना वायरस के कई मामले पाए जाने के कारण इस टूर्नामेंट पर भी खतरा मंडरा रहा है। सिंधू 24 मार्च से शुरू होने वाले इस विश्व टूर सुपर 500 टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत हांगकांग की चेयुंग नगान यी के खिलाफ करेंगी। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला कनाडा की सातवीं वरीय मिशेली ली से हो सकता है।

साइना पहले दौर में चीनी ताइपे की पाइ यु पो से भिड़ेंगी और दूसरे दौर में उन्हें आठवीं वरीयता प्राप्त कोरियाई सुंग जी ह्यून का सामना करना पड़ सकता है। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता के पास लगातार चौथे ओलंपिक खेलों में जगह बनाने के लिए बहुत कम समय बचा है।

पीवी सिंधू

साइना नेहवाल

किदांबी श्रीकांत

पुरुष एकल में पांचवीं वरीयता प्राप्त किदांबी श्रीकांत पहले दौर में क्वालीफायर से भिड़ेंगे और फिर उनका सामना हमवतन लक्ष्य सेन से हो सकता है। सेन भी क्वालीफायर के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेंगे। साइना की तरह श्रीकांत भी तोक्यो ओलंपिक में जगह बनाने के लिए 28 अप्रैल की समयसीमा तक शीर्ष 16 में जगह बनाने की कोशिश में लगे हैं।

ओलंपिक में अपनी जगह लगभग पक्की कर चुके तीसरी वरीयता प्राप्त बीसाई प्रणीत पहले दौर में हमवतन एचएस प्रणय का सामना करेंगे। समीर वर्मा का सामना थाईलैंड के सिटीकोम थम्मासिन से, सौरभ वर्मा का चीनी ताइपे के सातवीं वरीयता प्राप्त वांग जु वेई से और पारूपल्ली कश्यप का थाईलैंड के खोसित फेटप्रादाब से मुकाबला होगा।

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की सातवीं वरीयता प्राप्त पुरुष युगल जोड़ी का सामना जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी से होगा। लेकिन टूर्नामेंट पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 30 हो गई है। इसके कारण सरकार ने इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान के नागरिकों को तीन मार्च या उससे पहले दिए गए वीजा या ई-वीजा निलंबित कर दिए हैं।

सरकार ने कोरिया गणराज्य, ईरान और इटली से भारत आने वाले लोगों के लिए 14 दिन तक अलगाव में रहना भी अनिवार्य कर दिया है। जारी परामर्श के अनुसार चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान, इटली, हांगकांग, मकाऊ, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर और ताइवान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले यात्रियों को प्रवेश के समय चिकित्सकीय जांच से गुजरना होगा।

क्रोएशिया को हराने पर भारत की निगाहें

डेविस कप क्वालीफायर

जागरेब, 5 मार्च (भाषा)।

सुमित नागल और प्रजनेश गुणेश्वरन की अगुआई वाली भारतीय टीम शुक्रवार से शुरू होने वाले डेविस कप क्वालीफायर में क्रोएशिया के खिलाफ उलटफेर भरी जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। मेजबान टीम की अगुआई दुनिया के 37वें नंबर के खिलाड़ी मारिन सिलिच करेंगे।

उनकी टीम के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के खिलाड़ी बोर्ना कोरिच (33) की अनुपस्थिति का मतलब है कि नागल और प्रजनेश उनके दूसरे एकल खिलाड़ी बोर्ना गोजो को पराजित कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक डेविस कप में अपना एक भी मैच नहीं जीता है। मेहमानों के लिए गोजो पर जीत से दो अंक जुटाना संभव है जो एटीपी रैंकिंग में 277वें स्थान पर काबिज हैं और इन दोनों भारतीय एकल खिलाड़ियों से नीचे हैं।

दोनों नागल (127) और प्रजनेश (132) हालांकि गोजो के खिलाफ नहीं खेले हैं लेकिन उनके लिए उन्हें हराना संभव है। प्रजनेश अपनी शादी के कारण पिछले मुकाबले में नहीं खेल पाए थे। उन्होंने कहा कि हमें अपना शीर्ष खेल दिखाने की उम्मीद है। हमारे पास निश्चित रूप से बेहतर मौका है (क्योंकि बोर्ना कोरिच नहीं खेल रहे हैं) और उम्मीद करते हैं कि हम इसका फायदा उठाएंगे। हार्ड इंडोर कोर्ट हमें रास आता है।

रामकुमार रामनाथन के बेंच पर रहने की उम्मीद है क्योंकि लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना युगल मुकाबला खेलेंगे। युगल मैच अहम होगा।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 110, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना- एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com